सत्यमेव जयते

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र

(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

पर प्रतिवेदन



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या - 2

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2015 को
समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या–2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii - xii
अध्याय I: प्रस्तावना		
बजट रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.2	1
निरंतर बचतें	1.3	2
भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान	1.4	3
लेखापरीक्षा की योजना तथा प्रबंधन	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	1.6	4
लेखापरीक्षा के दौरान वसूलियां	1.7	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में कमी	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.9	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफ के वर्ष वार विवरण	1.10	5
अध्याय II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रखरखाव एवं उपयोग	2.1	7
गृह विभाग		
दिल्ली अग्निशमन सेवा की कार्यप्रणाली	2.2	26
शहरी विकास विभाग		
दिल्ली जल बोर्ड में परियोजनाओं का कार्यान्वयन	2.3	39
नगर निगमों के क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएँ	2.4	60
अध्याय III: अनुपालना लेखापरीक्षा		
खाद्य, आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों का विभाग		
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी	3.1	79

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 2.76 करोड़ का अधिक भुगतान	3.2	83
सौर जल तापन प्रणाली पर निष्फल व्यय– ₹ 1.39 करोड़	3.3	84
परिवर्धित अकादमिक भत्ते पर ₹ 76 लाख का अनियमित व्यय	3.4	86
गृह विभाग		
दिल्ली यातायात पुलिस (दि.या.पु.) में ई–चालान प्रणाली का कार्यान्वयन	3.5	88
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान का कार्यान्वयन	3.6	95
रा.रा.क्षे.दि.स. की ई–प्रोक्योरमेंट मिशन मोड परियोजना	3.7	100
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग		
₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय	3.8	104
श्रम विभाग **दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड**		
निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिये संग्रहित ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि की निष्प्रयोज्यता	3.9	105
लोक निर्माण विभाग		
अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन से ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय	3.10	107
₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय	3.11	109
कार्य के समय से पहले बंद हो जाने की वजह से अपव्यय	3.12	110
₹ 8.54 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान	3.13	111
₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय	3.14	112
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग		
दि.प्रौ.वि. द्वारा ₹ 63.86 लाख की राशि के लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति प्रभारों तथा जल प्रभारों की गैर–वसूली	3.15	113
महिला एवं बाल विकास विभाग		
दिल्ली में सुधार गृह, किशोर सुधार गृह एवं सुधारालय का संचालन	3.16	115
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग		
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा	3.17	122

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
2.1	सहायक उपकरणों एवं रिजेन्ट की अनुपलब्धता	2.1.4.4 (i)	131
2.2	उपकरणों की निष्क्रियता	2.1.4.4 (iii)	133
2.3	चयनित परियोजनाओं की सूची	2.3.1.3	136
2.4	लेखापरीक्षा द्वारा दौरा किये गये समतल स्तर पार्किंग स्थल	2.4.5.2	138
3.1	लेखापरीक्षा हेतु चयनित सेवाओं और विभागों की सूची	3.6	139
3.2	ई–एस एल ए पर प्रक्रिया नही की जाने वाली सेवाओं की सूची	3.6.1.1	140
3.3	सेवा प्रदान करने मे देरी तथा क्षतिपूरक लागत जिसका भुगतान तथा वसूली नही हुई	3.6.4.1	141
3.4	ओ.एच.बी.–I तथा पी.ओ.एस./एस.एच. में अपर्याप्त आवास	3.16.3.1	142

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2014–15 के दौरान लेखों की जांच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परंतु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2014–15 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहां आवश्यक थे, सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 240.04 करोड़ की चार निष्पादन लेखापरीक्षाएँ जैसे 'सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रखरखाव एवं उपयोग', 'दिल्ली अग्निशमन सेवा की कार्यप्रणाली', 'दिल्ली जल बोर्ड में परियोजनाओं का कार्यान्वयन' तथा 'नगर निगमों के क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएँ' और अधिक/व्यर्थ/निष्फल/अनियमित व्यय, अस्वीकार्य भुगतान इत्यादि से संबंधित ₹ 1,711.58 करोड़ के 16 पैराग्राफ शामिल हैं।

राज्य सरकार का कुल व्यय 2010–15 के दौरान ₹ 24,731.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 29,593.37 करोड़ हो गया, राजस्व व्यय 2010–11 में ₹ 14,381.74 करोड़ से 2014–15 में ₹ 23,509.49 करोड़ अर्थात 63.47 प्रतिशत तक बढ़ गया, 2010–15 की अवधि के दौरान गैर–योजनागत राजस्व व्यय ₹ 9,490.15 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,563.19 करोड़ अर्थात 63.99 प्रतिशत तक और पूँजीगत व्यय 3,984.80 करोड़ से बढ़कर 4,403.94 करोड़ हो गया।

प्रतिवेदन में वर्णित कुछ मुख्य निष्कर्षों का सार नीचे है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रखरखाव एवं उपयोग

- चिकित्सा उपकरण खरीद करने हेतु एक विस्तृत योजना या तो केन्द्रीय रूप से विभाग में या अलग–अलग अस्पतालों के स्तर पर तैयार नहीं की गयी थी।

(पैराग्राफ 2.1.3.1)

- चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा डिलिवरी में दो वर्षों तक की देरी हुई यद्यपि यह कार्य इस तरह की देरी को दूर करने के उद्देश्य से ही बाहरी एजेन्सी को दिया गया। एजेन्सी को परामर्श शुल्क के रूप में ₹ 60.65 लाख की राशि का भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 2.1.3.2)

- आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की देरी से आपूर्ति करने के लिए दोषी आपूर्तिकर्ताओं पर ₹ 95.84 लाख का जुर्माना लगाने में अस्पताल असफल रहे।

(पैराग्राफ 2.1.3.4)

- अस्पतालों ने अपनी वास्तविक जरूरत से अधिक उपकरण तथा उपभोग्य वस्तुओं की ₹ 3.16 करोड़ की खरीद की जो स्टॉक में लम्बी अवधि तक अप्रयुक्त पड़े रहे।

(पैराग्राफ 2.1.4.1)

- 2009–10 से 2014–15 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 18.22 करोड़ मूल्य के 66 उपकरण एक माह से दो वर्षों से अधिक की देरी से संस्थापित किये गये।

(पैराग्राफ 2.1.4.2)

- ₹ 83.17 लाख के 21 उपकरण, सहायक उपकरण, रिजेन्ट तथा उपभोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण 15 दिनों से तीन वर्षों की अधिक की सीमा अवधि तक अप्रयुक्त रहे।

(पैराग्राफ 2.1.4.4)

- अस्पतालों ने उपकरणों की मरम्मत पर ₹ 94.78 लाख खर्च कर दिए जो वारंटी अवधि में थे। अस्पतालों ने न तो वारंटी का उपयोग किया न ही फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने की पहल की।

(पैराग्राफ 2.1.5.2)

दिल्ली अग्निशमन सेवा की कार्यप्रणाली

- दि.अ.से. परिचालन क्षमता बनाए रखने के लिए नियोजित अग्निशमन केन्द्रों की संख्या के निर्माण में असफल रही। नियोजित लक्ष्य 70 की जगह केवल 58 अग्निशमन केन्द्र ही थे।

(पैराग्राफ 2.2.4.1)

- 2011 की जनगणना के अनुरूप, दिल्ली की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास पर्याप्त पम्पिंग इकाईयाँ नहीं थी। आवश्यक 205 की जगह उनके पास केवल 160 पम्पिंग इकाइयाँ थी। इनमें से 31 (20 प्रतिशत) इकाईयाँ क्रियाशील नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.2.4.2 (अ)

- दि.अ.से. का प्रतिक्रिया समय निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं था। नमूना जाँच के 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में, प्रतिक्रिया काल अति आपदा क्षेत्रों एवं समीपवर्ती निर्मित क्षेत्रों में निर्धारित तीन मिनट से अधिक एवं अन्य क्षेत्रों में पाँच मिनट से अधिक था।

(पैराग्राफ 2.2.5)

- दि.अ.से. के पास दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतों की संख्या एवं इन इमारतों के लिए जारी किए गये एवं नवीनीकृत किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्रों की स्थिति का कोई विवरण नहीं था।

(पैराग्राफ 2.2.7.1)

- इमारतों में सुरक्षा उपकरणों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों की अनुपालना नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.2.7.4)

दिल्ली जल बोर्ड में परियोजनाओं का कार्यान्वयन

- नियंत्रण क्षेत्र से सीवेज परिशोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) तक सीवेज को लाने के लिए पर्याप्त वहन प्रणाली की कमी के कारण सीवेज परिशोधन संयंत्रो (एस टी पी) की उपयोगिता क्षमता केवल 66 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 2.3.2.1(i))

- अपरिष्कृत पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना द्वारका, बवाना एवं ओखला में 150 एम.जी.डी. हेतु जल परिशोधन संयंत्र एवं सहायक बुनियादी ढाँचे विकसित किये गए।

(पैराग्राफ 2.3.2.2(ii))

- क्रियान्वयन में देरी के लिए, 12 निमार्ण कार्यों में ठेकेदारों के बिल से जुर्माने के एवज में ₹ 104.20 करोड़ कम रोके गये।

(पैराग्राफ 2.3.3.1)

- ठेकेदार को सीवर लाईन के बिछाये जाने हेतु सीमित ट्रेंच से माइक्रो टनलिंग तकनीक में बदलने के लिए अनुमति दी गई जिस कारण ₹ 15.33 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.3.2)

- 53 निर्माण कार्यों में से 44 में कार्य के क्रियान्वयन में 5 से 85 महीने तक का विलम्ब हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.5.1)

नगर निगमों के क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएँ

- जनवरी 2007 में अनुमोदित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर 17 भूमिगत स्वचालित पार्किंग (यू.जी.ए.पी.) में से जुलाई 2015 तक केवल एक को सृजित किया गया था। अभिसामयिक बहु स्तरीय भूमिगत पार्किंग (एम.एल.यू.जी.पी.) के आंशिक कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप परामर्श पर ₹ 3.93 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.3.2 तथा 2.4.3.3)

- ठेकों का सौंपना तथा ठेका प्रबंधन अनियमितताओं से भरे थे, जैसे कि सशर्त निविदा स्वीकार करना, ठेकेदार से बकायों की गैर–वसूली तथा नयी निविदाएं आमंत्रित न करना जबकि कार्य क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया था।

(पैराग्राफ 2.4.4.1, 2.4.4.2 व 2.4.4.3)

- लाइसेंसधारियों द्वारा समझौतों की शर्तों एवं निबंधनो की अनुपालना को सुनिश्चित करने में पारिश्रमिक परियोजना सैल (आर.पी.सैल) की विफलता के कारण पार्किंग स्थलों का कुप्रबंधन हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.5.1)

अनुपालना लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी

लाभार्थियों की पहचान में देरी थी। लाभार्थियों की सूची में अयोग्य और असत्यापित व्यक्ति सम्मिलित थे। अनाज ले जाने वाले वाहनों में उनकी निगरानी के लिए जी.पी.एस. यन्त्र नहीं लगे हुए थे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण के डाटाबेस के अन्तर्गत डाटा अपूर्ण थे। लाभार्थियों की पहचान और अनाज के वितरण का सत्यापन करने के लिए विक्रय स्थल मशीनें 2300 उचित दर की दुकानों में से केवल 42 दुकानों में लगी थी।

(पैराग्राफ 3.1)

परिवर्धित अकादमिक भत्ते पर ₹ 76 लाख का अनियमित व्यय

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान की शासी परिषद ने बिना रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परामर्श के पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने कार्मिकों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तुल्य वेतन संरचना को अपनाया। संस्थान ने बिना सरकार के परामर्श से अपने संकाय–सदस्यों के लिए अकादमिक भत्ता भी ₹ 1000 से ₹ 10000 प्रतिमाह बढ़ा दिया, परिणामस्वरुप ₹ 76 लाख का अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.4)

दिल्ली यातायात पुलिस (दि.या.पु.) में ई– चालान प्रणाली का कार्यान्वयन

ई–चालान प्रणाली डाटा विसंगतियों, इनपुट नियंत्रण की कमी और एकीकृत डाटा की अखंडता की कमी का सामना कर रही थी। अदालत के चालानों के संबंध में अदालत के फैसले को प्रणाली में अद्यतन नहीं किया गया। हाथ से चलने वाले उपकरण में क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के लिए सुविधा नहीं थी। कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण और प्रणाली में कमी के परिणामस्वरूप काटे गये चालानों की संख्या और राशि दोनों में ही अनुरूपता नहीं थी।

(पैराग्राफ 3.5)

सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान का कार्यान्वयन

सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान का कार्यान्वयन धीमा था, क्योंकि सक्षम अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति नही की गई थी तथा सभी अधिसूचित सेवाओं की ऑनलाईन प्रक्रिया नही की जा रही थी। समयबद्ध सेवा देने के लिए प्रत्येक स्तर पर समयावधि निर्धारित नही थी तथा सक्षम अधिकारी को विलम्बित सेवाएँ हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अधिकार प्राप्त नही थे। ई–एस एल ए (इलेक्ट्रोनिक्स–सर्विस लेवल एग्रीमेंट) पर डाटा अपलोड करने में अनियमितताएँ थीं जैसे कि अपूर्ण या असत्य सूचना देना, समयावधि का गलत चित्रण करना तथा सेवाएँ प्रदान करने हेतु निर्धारित समय की समाप्ति के पश्चात् आवेदन पत्र की अस्वीकृति। सेवाएँ देरी से प्रदान की गई, परन्तु न तो नागरिकों को कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया न ही चूककर्ताओं को दण्ड दिया गया।

(पैराग्राफ 3.6)

रा.रा.क्षे.दि.स. की ई–प्रोक्योरमेंट मिशन मोड परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ई–प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन, इसके मूल उद्देश्य को विफल करते हुए, ई–निविदा प्रक्रिया के दौरान मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता के निवारण में असफल रहा। एप्लीकेशन में आवश्यक इनपुट नियत्रंणों तथा वैधता की जाँचों का अभाव था, परिणामस्वरूप डाटा बेस में अपूर्णता तथा असंगतता थी।

(पैराग्राफ 3.7)

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संग्रहित ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि की निष्प्रयोज्यता

निर्माण श्रमिकों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने में 'दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के प्रयास अपर्याप्त थे। बोर्ड की ओर से शिथिलता के परिणामस्वरुप न केवल ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि निष्प्रयोज्य पड़ी रही बल्कि निर्माण श्रमिकों को भी अभीष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

(पैराग्राफ 3.9)

अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन से ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय

लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनुबंध की शर्तों के विपरीत रखरखाव के काम में निविदा की राशि से 1.25 गुना से अधिक ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

(पैराग्राफ 3.10)

₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय

कार्य को प्रदान करने व एस्केलेटर्स (स्वचालित सीढ़ीयाँ) स्थापित करने से पूर्व उचित व्यवहार्यता अध्ययन करने में लोक निर्माण विभाग की असफलता के फलस्वरूप ₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.11)

₹ 8.54 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान

लोक निर्माण विभाग ने पांच प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक के परिवर्तन की अनुमति के बाद सड़क निर्माण कार्य में दोबारा परत बिछाने में 10,131.37 घन मी. की अस्वीकार्य अधिक मात्रा हेतु ₹ 8.54 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 3.13)

₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान पर उच्च विनिर्देश वाले पेवर ब्लॉकों को लगाने का अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण लोक निर्माण विभाग को ₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

(पैराग्राफ 3.14)

दिल्ली में सुधार गृह, किशोर सुधार गृह एवं सुधारालय का संचालन

दिल्ली में संप्रेक्षण गृहों (ओ.एच.) में पर्याप्त अवसंरचना की कमी थी। नए भवन के निर्माण पर ₹ 2.81 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि यह कानूनी अभियोजन में फंसे किशोरों के लिए अनुकूल नहीं था। गैर सरकारी संस्था (एन जी ओ) को समय पर अनुदान न जारी किए जाने के कारण कपड़े, बिस्तर, औषधियों की आपूर्ति, कार्मिकों को वेतन के भुगतान इत्यादि से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हुई। निगरानी तंत्र कमजोर था क्योंकि निरीक्षण समिति ने ओ.एच. का निरीक्षण नहीं किया। विशेष रूप से केयर टेकर, परामर्शदाताओं एवं शिक्षकों जैसे मुख्य पदों पर कार्मिकों की कमी थी।

(पैराग्राफ 3.16)

अध्याय-I
प्रस्तावना

अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे) दिल्ली में 66 विभाग एवं 74 स्वायत्त निकाय हैं। 2010–15 के दौरान रा.रा.क्षे. सरकार के प्रति बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है:

तालिका 1.1: 2010–15 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	1,273.48	3,728.95	1,589.55	4,347.23	3,128.74	5,738.57	5,792.69	5,597.48	6,763.15	5,983.40
सामाजिक सेवाएं	9,345.57	8,718.80	11,567.05	10,717.11	12,616.68	11,737.43	13,134.81	12,314.54	14,800.52	13,306.11
आर्थिक सेवाएं	1,542.56	1,392.46	2,253.06	2,172.22	2,611.64	2,350.82	3,783.08	3,650.00	3,573.12	3,318.99
सहायता अनुदान एवं योगदान	555.84	541.53	736.23	728.29	833.77	832.53	804.50	804.50	900.99	900.99
योग (1)	**12,717.45**	**14,381.74**	**16,145.89**	**17,964.85**	**19,190.83**	**20,659.35**	**23,515.08**	**22,366.52**	**26,037.78**	**23,509.49**
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	4,433.08	3,984.80	4,209.53	4,004.27	4,835.80	4,176.63	4,889.22	4,707.42	4,937.41	4,403.94
वितरित ऋण एवं अग्रिम	6,378.47	6,364.73	3,404.58	3,345.42	4,082.37	3,734.83	5,694.00	5,652.37	2,138.06	1,679.94
लोक ऋण का पुर्नभुगतान	800.00	793.06	1,090.00	1,087.88	1,288.00	1,287.99	1,325.29	1,325.29	1,676.75	1,346.73
आकस्मिकता निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लोक लेखों द्वारा संवितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्तिम रोकड़ शेष	0	7,713.20	0	4,636.28	0	1,985.75	0	880.65	0	1,517.07
योग (2)	**11,611.55**	**18,855.79**	**8,704.11**	**13,073.85**	**10,206.17**	**11,185.20**	**11,908.51**	**12,565.73**	**8,752.22**	**8,947.68**
कुल योग (1+2)	**24,329.00**	**33,237.53**	**24,850.00**	**31,038.70**	**29,397.00**	**31,844.55**	**35,423.59**	**34,932.25**	**34,790.00**	**3,2457.17**

स्रोत: राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखे

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

2010–15 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय[1] ₹ 24,731.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 29,593.37 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व व्यय 2010–11 के ₹ 14,381.74 करोड़ से 63.47 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में ₹ 23,509.49 करोड़ हो गया। गैर–योजनागत राजस्व व्यय ₹ 9,490.15 करोड़ से 63.99 प्रतिशत बढ़कर ₹ 15,563.19 करोड़ हो गया तथा पूंजीगत व्यय 2010–15 की अवधि के दौरान ₹ 3,984.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,403.94 करोड़ हो गया।

[1]लोक ऋण का पुर्नभुगतान तथा रोकड़ शेष को छोड़कर

2010–15 वर्षों के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 58.15 से 79.44 प्रतिशत एवं पूँजीगत व्यय 16.11 से 14.88 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, कुल व्यय 4.38 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा था, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 2010–15 के दौरान 8.24 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर से बढ़ी थीं।

1.3 निरंतर बचतें

पिछले पॉच वर्षों के दौरान छः मामलों में, ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें थीं जिनका विवरण **तालिका–1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2 : 2010–15 के दौरान निरन्तर बचतों के साथ अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व (दत्तमत्त)						
1.	**अनुदान संख्या 3: न्यायिक प्रशासन:** 2014 बी. 1(2)(1)– न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय	6.50	8.69	5.00	6.04	8.05
2.	**अनुदान संख्या 5: गृह:** 2055 डी. 1(1) (1)– फोरेसिंक साईंस लैबोरेट्री	2.85	6.49	4.89	3.41	28.57
3.	**अनुदान संख्या 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य:** 2211 के 1 (3)(1)– शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी. एस.एस.)	2.04	7.45	1.93	3.50	9.21
4.	**अनुदान संख्या 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग:** 2217 ए. 8(2)(1)(26)– नगर सुधार के लिए सहायता अनुदान	64.45	300.93	189.87	325.16	157.12
पूँजीगत (दत्तमत्त)						
5.	**अनुदान संख्या 8: समाज कल्याण:** 5055 डीडी. 1(3)(1)– परिवहन के वैकल्पिक उपाय इलैक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों की शुरूआत	10.00	240.75	8.39	97.21	3.00
6.	**अनुदान संख्या 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग:** 4202 बीबी. 4(1)(4)(2)– दिल्ली सरकार समर्थित कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण	8.16	23.32	19.54	20.18	17.17

स्रोत: विनियोग लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत लगातार बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने, भंडार मदों की कम खरीद, योजना के अंतर्गत दि.न.नि. को अनुदान की गैर/कम अदायगी, नगर निगमों द्वारा गैर–निष्पादन, अनुदानों का द्विभाजन, योजनाओं का गैर–कार्यान्वयन तथा समय पर योजनाओं की गैर–स्वीकृति के कारण कार्य की धीमी प्रगति है।

1.4 भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान

2010–11 से 2014–15 के वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.3** में दी गई हैं:

तालिका 1.3 : भारत सरकार से सहायता अनुदान के वर्ष–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर–योजनागत अनुदान	2,338.71	978.85	333.57	326.91	327.95
राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1,888.30	814.76	919.73	717.81	1,467.35
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	130.39	167.03	249.22	358.14	552.84
योग	**4,357.40**	**1,960.64**	**1,502.52**	**1,402.86**	**2,348.14**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+) कमी (–) का प्रतिशत	(+) 23.23	(–) 55.00	(–) 23.37	(–) 6.63	(+) 67.38
राजस्व प्राप्तियाँ	25,024.10	22,393.17	25,560.97	27,980.69	29,584.59
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	17.41	8.76	5.88	5.01	7.94

2010–14 की अवधि के दौरान भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान ₹ 4,357.40 करोड़ से घटकर ₹ 1,402.86 करोड़ हो गया। जबकि, 2014–15 वर्ष के दौरान 33.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों की यह प्रतिशतता 5.01 तथा 17.41 प्रतिशत के बीच की श्रेणी की थी।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना तथा प्रबंधन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के साथ प्रारंभ होती है तथा इसमें गतिविधियों की विवेचनात्मक/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा ऋणधारकों के विषयों तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्राप्तियों के जोखिम निर्धारण भी शामिल होते है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार तय किए जाते हैं एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षो को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, अभियुक्तियों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गयी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत के संविधान के सरकार अधिनियम 1991 की धारा 48 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

2014–15 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा राज्य के 182 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं.अ.) तथा सात स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी आयोजित की गई।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों के साथ ही चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता जिसका विभाग के क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था, को बताया है। अभीष्ट लाभार्थियो को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सुधार के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर ध्यान दिया गया था।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को शामिल करने हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा प्रधान सचिवों/सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए उन पर अपने प्रत्युत्तर छः सप्ताह में भिजवाने हेतु अग्रेषित किया गया। विभागों/सरकार से प्रत्युतरों की गैर–प्राप्ति को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों के अंत में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इन प्रस्तावित चार निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 20 पैराग्राफों को 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर–सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संबंधित प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया। इनमें से तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 2016)।

1.7 लेखापरीक्षा के दौरान वसूलियां

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की लेखापरीक्षा के समय नमूना जाँच परीक्षा के दौरान ऐसे लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिसमे वसूलियां शामिल थीं को विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं.अ.) को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए पुष्टि तथा आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

2014–15 के दौरान इंगित 168 मामलों में ₹ 22.39 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आ. एवं सं.अ. ने 2014–15 के दौरान 39 मामलों में सिर्फ ₹ 1.57 करोड़ की वसूली (पूर्व वर्षों की वसूली सहित) की।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में कमी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली सरकारी विभागों के लेन–देन की नमूना जाँच द्वारा आवधिक निरीक्षण आयोजित करता है तथा निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव सत्यापित करता है। इन जाँचों के पश्चात् लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताऐं उसी दौरान नहीं निपटाई जाती हैं, तो उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निरीक्षित कार्यालय प्रमुख तथा आगे उच्च प्राधिकारी को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार हफ्तों के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपनी अनुपालना सूचित करनी होती है।

नमूना जाँच के परिणामों पर आधारित 31 मार्च 2015 को 1,543 निरीक्षण प्रतिवेदन में बकाया 7,185 अभ्युक्तियाँ **तालिका 1.4** में दी गई हैं:

तालिका 1.4 : बकाया लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	मार्च 2013 तक			मार्च 2014 तक			मार्च 2015 तक		
	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि
सामाजिक क्षेत्र	709	2,910	89.27	774	3,129	219.56	843	3,551	99.19
सामान्य क्षेत्र	551	2,514	167.16	616	3,000	256.34	537	3,041	448.04
आर्थिक क्षेत्र (गैर सा.क्षे.उ.)	160	527	4,653.81	158	550	4,682.75	163	593	6,821.38
योग	**1,420**	**5,951**	**4,910.24**	**1,548**	**6,679**	**5,158.65**	**1,543**	**7,185**	**7,368.61**

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि सरकार को लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाए गए मामलों के वित्तीय प्रबन्धन तथा जबावदेही में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.9.1 लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) में स्वतः एक्शन टेकन नोटस का गैर–परस्तुतिकरण तथा पैराग्राफों की चर्चा

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, कार्यकारिणियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों ने सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा निपटान लेखापरीक्षाओं पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) की शुरूआत की है बगैर इस तथ्य को ध्यान में रखे कि इनकी लो.ले.स. द्वारा चर्चा की गयी है या नही। इन ए.टी.एन. को राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख से लेकर तीन महीने की अवधि के दौरान दिल्ली के प्रधान महालेखाकार (ले.प.) द्वारा यथावत् जाँच के बाद लोक लेखा समिति को सौंपना होगा।

2005–06 से 2013–14 तक लेखा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दर्शाई गई 34 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 102 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से, 10 निष्पादन लेखा परीक्षाओं तथा 36 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वतः ऐक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं किए गए। सात निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 37 लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर 31 दिसम्बर 2015 तक, लो.ले.स./कोगू द्वारा चर्चा नहीं की गई थी।

1.10 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेखा परीक्षा पैराग्राफों के वर्ष–वार विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफ के वर्ष वार विवरण जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनके धन मूल्य सहित दिए गए थे, को **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5 : 2011–14 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त प्रत्युत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखा परीक्षा	लेखापरीक्षा पैराग्राफ
2011-12	11[2]	8951.52	7	12.15	3	0
2012-13	5	94.77	10	226.57	4	5
2013-14	5	43.40	15	146.26	3	0

15 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 38 लेखापरीक्षा पैराग्राफ राज्य सरकार को जारी किए गए थे। जबकि, सरकार/विभागों से केवल 10 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा पाँच लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त किए गए थे।

इस प्रतिवेदन में ₹ 240.04 करोड़ के चार निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 1,711.58 करोड़ धन मूल्य के 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित किए गए है, जहाँ कही भी प्रत्युत्तर प्राप्त हुए थे, उन्हें उचित स्थान पर शामिल कर दिया गया है।

[2]दो निष्पादन लेखा परीक्षा, तीन सी.सी.ओ. आधारित लेखापरीक्षा तथा छः विषयक लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

अध्याय II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II
निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2.1 सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रखरखाव एवं उपयोग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू), रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली की लगभग 1.68 करोड़ आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करता है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रखरखाव एवं उपयोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा मई से सितम्बर 2015 तक की गयी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

मुख्य बिंदु

- *चिकित्सा उपकरण खरीद करने हेतु एक विस्तृत योजना या तो केन्द्रीय रूप से विभाग में या अलग–अलग अस्पतालों के स्तर पर तैयार नहीं की गयी थी।*

 (पैराग्राफ 2.1.3.1)
- *चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा डिलिवरी में दो वर्षों तक की देरी हुई यद्यपि यह कार्य इस तरह की देरी को दूर करने के उद्देश्य से ही बाहरी एजेन्सी को दिया गया। एजेन्सी को परामर्श शुल्क के रूप में ₹ 60.65 लाख की राशि का भुगतान किया गया।*

 (पैराग्राफ 2.1.3.2)
- *आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की देरी से आपूर्ति करने के लिए दोषी आपूर्तिकर्ताओं पर ₹ 95.84 लाख का जुर्माना लगाने में अस्पताल असफल रहे।*

 (पैराग्राफ 2.1.3.4)
- *नमूना जांच किये गये अस्पतालों में आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ₹ 73.62 करोड़ के अग्रिम वर्ष 2005 से अब तक असमायोजित रहे।*

 (पैराग्राफ 2.1.3.7)
- *अस्पतालों ने अपनी वास्तविक जरूरत से अधिक उपकरण तथा उपभोग्य वस्तुओं की ₹ 3.16 करोड़ की खरीद की जो स्टॉक में लम्बी अवधि तक अप्रयुक्त पड़े रहे।*

 (पैराग्राफ 2.1.4.1)
- *2009–10 से 2014–15 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 18.22 करोड़ मूल्य के 66 उपकरण एक माह से दो वर्षों से अधिक की देरी से संस्थापित किये गये।*

 (पैराग्राफ 2.1.4.2)
- *₹ 83.17 लाख के 21 उपकरण, सहायक उपकरण, रिजेन्ट तथा उपभोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण 15 दिनों से तीन वर्षों की अधिक की सीमा अवधि तक अप्रयुक्त रहे।*

 (पैराग्राफ 2.1.4.4)

- *अस्पतालों ने उपकरणों की मरम्मत पर ₹ 94.78 लाख खर्च कर दिए जो वारंटी अवधि में थे। अस्पतालों ने न तो वारंटी का उपयोग किया न ही फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने की पहल की।*

(पैराग्राफ 2.1.5.2)

- *₹ 24.32 करोड़ मूल्य के 2,930 उपकरणों की मदों तथा 883 उपकरणों, जिनकी कीमत उपलब्ध नहीं थी, को 2010–15 के दौरान चयनित अस्पतालों के विभिन्न विभागों द्वारा निष्क्रिय घोषित कर दिया गया, परन्तु उनका निपटान नहीं किया गया।*

(पैराग्राफ 2.1.5.4)

2.1.1 प्रस्तावना

चिकित्सा उपकरण की समय से खरीद तथा रखरखाव स्वास्थ्य उपचार के प्रबंध तथा आबादी को चिकित्सा सुविधा देने हेतु परम आवश्यक हैं। चिकित्सा उपकरणों के लिये समय से व्यास मापन, रखरखाव, मरम्मत, उपभोक्ता प्रशिक्षण की जरूरत होती है।

2.1.1.1 खरीद गतिविधियों के लिए संगठनात्मक संरचना

डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू की अध्यक्षता प्रधान सचिव द्वारा की जाती है जो सभी सरकारी अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को नियंत्रित करता है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वय रखता है।

सितम्बर 2013 तक, डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू का उपकरण खरीद प्रकोष्ठ (ई पी सी) सरकारी अस्पतालों की ओर से ₹ पाँच लाख से अधिक मूल्य के चिकित्सा उपकरण की खरीद किया करता था तथा ₹ पाँच लाख से कम लागत के उपकरण की खरीद स्वयं अस्पतालों द्वारा की जाती थी। रा.रा.क्षे.दि.स. के मंत्रिमण्डल की स्वीकृति से, डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू ने मेसर्स एच एल एल लाईफ केयर लि. (एच एल एल) को चिकित्सा उपकरण खरीदने हेतु खरीद सलाहकार के रूप में लगाया (अगस्त 2013), क्योंकि विशेषीकृत कार्मिकों की कमी के कारण ई पी सी तथा अस्पतालों की अपनी सीमाएँ थीं। एच एल एल को नियुक्त करने के पश्चात् डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू ने अक्टूबर 2013 में निम्नलिखित निर्देश परिचालित कियेः

(i) अस्पताल निविदा आमंत्रण सूचना (एन आई टी) आमंत्रित कर स्वयं खरीद करने का दायित्व ले सकता है तथा विक्रेता के चयन करने के लिए सम्पूर्ण निविदा प्रबंधन कर सकता है। यद्यपि, वे एच एल एल से सहायता ले सकते हैं जो एच एल एल से किए गए समझौते के अनुसार सारा कार्य करेगा।

(ii) अस्पतालों को ₹ 10 लाख से अधिक की लागत की सभी खरीद के लिए आवश्यकता मूल्यांकन तथा तकनीकी विशिष्टता की स्वीकृति हेतु अनिवार्य रूप से तकनीकी सलाहकार समिति (जिनमें बाह्य विशेषज्ञ तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के अस्पतालों, भारत सरकार के अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों से लिए गए विषय विशेषज्ञ शामिल हैं) से अनापत्ति की मंजूरी लेनी होगी। यद्यपि, ऐसे मामलों में भी अस्पतालों के पास स्वयं या एच एल एल के माध्यम से उपकरण खरीदने का विकल्प होगा।

अक्तूबर 2013 में, ई पी सी का नाम बदलकर खरीद समन्वय प्रकोष्ठ (पीसीसी) कर दिया गया जिसका कार्य अस्पतालों को नीतिगत एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, अस्पतालों से माँग होने पर माँग–पत्रों को संकलित करना तथा इकट्ठा करना, तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी) की बैठक बुलाना तथा एच एल एल के साथ समन्वय बनाना था।

जनवरी 2014 में, डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू द्वारा छः अस्पतालों[3] को सीधे एच एल एल के माध्यम से चिकित्सा उपकरण प्राप्त करने की अनुमति दी गई तथा उन्हें पीसीसी को माँग–पत्र भेजनें की जरूरत नहीं थी। उन्हें टी ए सी से पूर्व स्वीकृति लेने की भी जरूरत नहीं थी।

2.1.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन करना था कि क्याः

- उपकरणों की खरीद परिमाण तथा गुणवत्ता दोनों की आवश्यकता पर आधारित थी तथा खरीद नीतियों के अनुरूप थी,
- चिकित्सा उपकरण की खरीद के पश्चात् उसका अधिकतम उपयोग किया गया,
- खरीदे गए उपकरण का रखरखाव, मरम्मत एवं प्रतिस्थापन मितव्ययी एवं प्रभावकारी तरीके से किया गया, तथा
- आन्तरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद एवं प्रभावकारी था।

2.1.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2010–15 की अवधि को समाविष्ट करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा मई से सितम्बर 2015 तक की गयी तथा 04 जून 2015 को विशेष सचिव (परियोजना), डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू के साथ प्रवेश सम्मेलन किया गया। लेखापरीक्षा ने योजना शीर्ष 'मशीनरी एवं उपकरण' के अन्तर्गत् पिछले पाँच वर्षों में किये गए अधिकतम व्यय के आधार पर 39 सरकारी अस्पतालों में से चयनित 11[4] अस्पतालों के अभिलेखों की नमूना जाँच की थी। चयनित सैम्पल को आगे तीन स्लैब में वर्गीकृत किया गया (*i*) ₹ एक करोड़ (100 प्रतिशत) से अधिक की लागत वाले उपकरण, (*ii*) ₹ 20 लाख से एक करोड़ (60 प्रतिशत) के बीच की लागत वाले उपकरण तथा (*iii*) ₹ 20 लाख (40 प्रतिशत) से कम की लागत वाले उपकरण। गत वर्षों में खरीदे गए उपकरणों के अभिलेख जिसके लिए साख–पत्र लेखा, जो असमायोजित/बकाया थे, की भी संवीक्षा की गयी। इसके अतिरिक्त एच एल एल एवं ई पी सी (अब पी.सी.सी.) के अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गयी।

[3]मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एम ए एम सी), लोक नायक अस्पताल (एल एन एच), गोबिन्द बल्लभ पंत अस्पताल (जी बी पी एच), गुरू नानक नेत्र केन्द्र (जी एन इ सी), गुरू तेग बहादुर अस्पताल (जी टी बी एच) तथा बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल (बी एस ए एच)

[4]बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल (बी एस ए एच), दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डी डी यू एच), गोबिन्द बल्लभ पंत अस्पताल (जी बी पी एच), गुरू गोबिन्द सिंह अस्पताल (जी जी एस एच), गुरू नानक नेत्र केन्द्र (जी एन इ सी), गुरू तेग बहादुर अस्पताल (जी टी बी एच), लाल बाहदुर शास्त्री अस्पताल (एल बी एस एच), लोक नायक अस्पताल (एल एन एच), महर्षि वाल्मीकी अस्पताल (एम वी एच), राव तुला राम अस्पताल (आर टी आर एच) तथा संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल (एस जी एम एच)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सरकार को उनका दृष्टिकोण जानने के लिए, 22 जनवरी 2016 को एक प्रारुप प्रतिवेदन जारी किया गया तथा समापन सम्मेलन 9 फरवरी 2016 को सचिव (स्वास्थ्य) के साथ किया गया। तथापि, सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

2.1.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

चिकित्सा उपकरणों को खरीदने तथा उनके रखरखाव में डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू, पी सी सी तथा अस्पतालों के कार्य–निष्पादन का बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाए गए मापदण्ड निम्नलिखित स्त्रोतों से लिये गयेः

- सरकारी नीतियाँ, निर्देश, आदेश तथा दिशा–निर्देश,
- सरकार के नियम और विनियम, तथा
- सामान्य वित्तीय नियमावली तथा प्राप्ति एवं भुगतान नियम

2.1.1.5 पिछली लेखापरीक्षा

2003–08 की अवधि को शामिल करते हुए औषधियों, शल्य चिकित्सा संबंधी सामानों, उपकरणों की खरीद तथा उनकी जाँच पर निष्पादन लेखापरीक्षा रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंध में मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन **(खण्ड–I)** में शामिल किया गया। यद्यपि सचिव (डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू) की ओर से उस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कार्यवाही नोट प्रतीक्षित था तथा उस पर पी.ए.सी. में मार्च 2015 तक चर्चा नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 बजट आवंटन एवं उपयोग

2010–15 के दौरान 11 चयनित अस्पतालों का बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय नीचे दी गयी **तालिका 2.1.1** में दर्शाया गया हैः

तालिका 2.1.1: बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय (2010–15)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल योजना		मशीनरी एवं उपकरण			
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	अव्ययित निधियाँ	अव्ययित निधियाँ (प्रतिशत)
2010-11	408.95	392.25	101.61	93.08	8.53	8.39
2011-12	490.29	465.10	115.84	103.11	12.73	10.99
2012-13	445.67	396.91	58.93	43.58	15.35	26.05
2013-14	478.40	441.73	55.25	45.16	10.09	18.26
2014-15	499.17	403.57	109.65	57.90	51.75	47.20
योग			**441.28**	**342.83**	**98.45**	**22.31**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, चयनित अस्पतालों ने 2010–15 के दौरान योजना शीर्ष 'मशीनरी एवं उपकरण' (म. एवं उ.) के अन्तर्गत् आवंटित निधियों का पूर्णतः उपयोग नही किया। इस शीर्ष के अंतर्गत वार्षिक अव्ययित निधियाँ आठ तथा 47 प्रतिशत के बीच

रही। राव तुला राम अस्पताल ने ₹ 20.70 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध 39.47 प्रतिशत की उच्चतम् बचत दर्शायी। अधिक अव्ययित शेषों वाले अन्य अस्पताल बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल (34.78 प्रतिशत), गुरू नानक नेत्र केन्द्र (32.41 प्रतिशत), गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल (32 प्रतिशत), महर्षि वाल्मीकी अस्पताल (29.58 प्रतिशत) तथा लोक नायक अस्पताल (21.14 प्रतिशत) थे। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि 11 चयनित अस्पतालों में गुरू तेग बहादुर अस्पताल ने म. एवं उ. शीर्ष के अंतर्गत गत पाँच वर्षों में ₹ 116.70 करोड़ का उच्चतम आवंटन प्राप्त किया तथा 26.28 प्रतिशत का बचत दर्शाया।

बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल ने अव्ययित निधियों/बचतों के लिए विभिन्न कारकों जैसे निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी, बिल प्रस्तुत करने तथा मदों की आपूर्ति के बीच समयान्तर जो प्रक्रिया में आगे विलम्ब उत्पन्न करता है, को दोषी ठहराया (सितम्बर 2015)। इसी प्रकार, गुरू नानक नेत्र केन्द्र तथा महर्षि बाल्मीकी अस्पताल ने कहा (सितम्बर 2015) कि बजट का कम उपयोग ई पी सी द्वारा निविदा को अंतिम रुप देने में विलम्ब होने के कारण हुआ। उत्तर तर्क संगत नही है क्योंकि निधियों का आवंटन समय से उपयोग करने के लिए किया गया था तथा अस्पतालों द्वारा उपयोग करने हेतु संशोधित प्राक्कलन तैयार करते समय अव्ययित शेषों का पुनः विनियोग किया जा सकता था।

2.1.2.1 व्यय का आधिक्य

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 56(3) अनुबंध करता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अधिक मांग को वित्तीय औचित्य के भंग होने के रूप में माना जाना चाहिए तथा इसे रोका जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय द्वारा सितम्बर 2007 में जारी परिपत्र के अनुसार, मार्च महीने में व्यय को बजट अनुमान (ब.अ.) के 15 प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने, यद्यपि, अवलोकन किया कि चयनित अस्पतालों ने इन निर्देशों का अनुसरण नही किया तथा मार्च महीने में ब.अ. के 15 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जैसा कि निम्न **तालिका 2.1.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.2: मार्च महीने में व्यय का आधिक्य

वर्ष	ब.अ. के 15 प्रतिशत से अधिक व्यय करने वाले अस्पतालों की संख्या	अस्पतालों की संख्या जहाँ मार्च महीने में म. एवं उ. शीर्ष के अंतर्गत व्यय था			
		15–30 प्रतिशत	31–40 प्रतिशत	41–50 प्रतिशत	50 प्रतिशत से अधिक
2010-11	9	4	1	3	1
2011-12	4	4	-	-	-
2012-13	6	4	1	-	1
2013-14	8	3	1	1	3
2014-15	7	3	-	2	2

सभी चयनित अस्पतालों ने मार्च (2010–15) महीने में योजना शीर्ष– 'मशीनरी एवं उपकरण' के अन्तर्गत, भारी व्यय किया, जो बजट आवंटन का 16.85 से 89.97 प्रतिशत तक रहा।

गुरू नानक नेत्र केन्द्र ने कहा कि मार्च 2014 (म. एवं उ. शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित बजट का 89.97 प्रतिशत) में व्यय की अधिक माँग मुख्य रूप से एच एल एल को उपकरण खरीद हेतु किए गए 100 प्रतिशत के भुगतान के कारण थी जबकि महर्षि वाल्मीकी अस्पताल ने कहा (सितम्बर 2015) कि चूँकि ई–टेंडर के माध्यम से खरीद एक नयी पद्धति थी, भारी व्यय अंतिम तिमाही में 2012–13 तक बुक किया गया, इसके बाद व्यय समान रूप से वितरित किया गया। उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि 18.18 प्रतिशत तथा 17.39 प्रतिशत तक व्यय क्रमशः मार्च 2014 तथा मार्च 2015 में किया गया।

2.1.3 चिकित्सा उपकरणों की खरीद

2.1.3.1 चिकित्सा उपकरण खरीदने हेतु आवश्यकता मूल्यांकन

डी जी एच एस मैन्युअल (अस्पतालों) के अनुसार, प्रत्येक अस्पताल को चरणों में एक भावी मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए जिसमें भौतिक संरचना, भवन, मशीनरी तथा उपकरण, श्रमशक्ति तथा आवश्यक उपभोग्य वस्तुएँ शामिल होनी चाहिए। अस्पताल द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाएँ मास्टर प्लान पर आधारित होनी चाहिए। तत्कालिक खरीद के लिए तदर्थ योजना से बचना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपकरण खरीद हेतु एक विस्तृत योजना या तो केन्द्रीय रूप से विभाग में या चयनित अस्पतालों में अलग–अलग अस्पताल के स्तर पर तैयार नहीं की गयी। अस्पतालों के पास माँग तथा लॉग बुक से प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर नये उपकरण प्राप्त करने की जरूरत अथवा पुराने चिकित्सा उपकरण बदलने के लिए मूल्यांकन करने हेतु कोई संस्थागत प्रणाली मौजूद नहीं थी जिसके कारण मरीजो की संख्या में बढ़ोत्तरी, पुराने, बेकार तथा खराब पड़े उपकरणों की वृद्धि हुई।

बदले में, प्रत्येक अस्पताल ने विभाग द्वारा दिए गए जरूरतों के आधार पर तदर्थ रूप में प्रतिवर्ष निधि की जरूरत को केवल व्यक्त किया तथा ई पी सी, एच एल एल के माध्यम से उपकरण खरीदे जैसा कि प्रतिवेदन में बाद में चर्चा की गयी है। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि अस्पताल द्वारा उपकरण की आयु पर उपकरण के संचालन (उपभोग्य वस्तु सहित), रखरखाव (मरम्मत सहित), प्रशिक्षण इत्यादि में लागत का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया। समयबद्ध योजना के अभाव में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रखरखाव तथा उपयोग में विभिन्न कमियाँ पायी गई जिसकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

2.1.3.2 एच एल एल के माध्यम से उपकरणों की खरीद

चिकित्सा विशेषज्ञ तथा जानकारों को उपकरण खरीद की प्रक्रिया से दूर रखने के उद्देश्य से डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू ने चिकित्सा उपकरणों की समय से खरीद करने हेतु अगस्त 2013 में एच एल एल को नियुक्त किया। समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार, एच एल एल ई–निविदाएँ जारी करेगा, उन्हें खोलेगा तथा टेक्नो कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट उपकरणों की माँग करने वाले अस्पतालों को अग्रेषित करेगा। उनका अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात्, एच एल एल मूल्य निवदाएँ खोलेगा, तुलनात्मक विवरणी तैयार करेगा तथा उसे माँग–पत्र देने वाले

अस्पतालों को दुबारा से उनके अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।इस संबंध में, लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित पता चलाः

- 2013–15 के दौरान, एचएलएल ने 24 सरकारी अस्पतालों/संस्थानों से अनुमानित मूल्य ₹ 183.87 करोड़ के 300 चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए माँग–पत्र प्राप्त किया। इसने ₹ 44.37 करोड़ मूल्य के 80 उपकरणों के लिए खरीद आदेश दिया, परन्तु अस्पतालों को अगस्त 2015 तक ₹ 35.09 करोड़ की लागत के केवल 42 उपकरण दिए गए तथा शेष उपकरण खरीद प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर थे। खरीद की धीमी गति का कारण, निविदा प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर अस्पतालों से बार–बार आवश्यक स्वीकृति लेना बतलाया गया। इस प्रकार, समय पर चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए विशिष्ट खरीद एजेन्सी को कार्य पर लगाने का मूल उद्देश्य विफल हो गया, यद्यपि एजेन्सी को परामर्श शुल्क के रूप में अगस्त 2015 तक ₹ 60.65 लाख (2013–14 – ₹ 6.03 लाख, 2014–15 ₹ 19.81 लाख, तथा अगस्त 2015 तक ₹ 34.81 लाख) का भुगतान कर दिया गया तथा अस्पतालों को दो वर्षों तक चिकित्सा संसाधन से वंचित रखा गया।
- डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू ने 2013–15 के दौरान एच एल एल के आवधिक निष्पादन की समीक्षा नहीं की, यद्यपि इसकी समीक्षा समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार प्रत्येक छः महीने के अन्त में की जानी थी। डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू द्वारा एच एल एल के कार्य निष्पादन की समीक्षा नही करने के लिए कोई कारण नही दिये गये।
- एम ओ यू के अनुसार, माँग–पत्र देने वाले अस्पतालों ने उपकरण खरीद के लिए एच एल एल को 100 प्रतिशत भुगतान अग्रिम के रूप में दिया, जो चालू खाते में चिकित्सा उपकरण खरीदने के उद्देश्य से रखा था। अगस्त 2015 तक इस खाते में ₹ 45.84 करोड़ की राशि पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि चालू खाते में राशि पड़े रहने के कारण अस्पताल ब्याज उपार्जन करने का फायदा नहीं ले सके, यद्यपि विशेष सचिव (एच एण्ड एफ डब्ल्यू) ने प्रस्ताव दिया था (दिसम्बर 2012) कि जमा राशि पर प्राप्त ब्याज उपकरण खरीद के लिए लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल एक मामले में, निधि को चालू खाता में रखने के कारण ₹ 7.36 लाख की हानि हुई, जहाँ चार अस्पतालों जी बी पी एच, डी डी यू एच, एल बी एस एच तथा एल एन एच ने 60 आई सी यू वेंटिलेटर के लिए अगस्त 2013 और जनवरी 2014 के बीच आदेश जारी किया तथा एच एल एल को ₹ 6.14 करोड़ का भुगतान अप्रैल 2014 में कर दिया। इसमें से, एच एल एल ने आपूर्तिकर्ता फर्म को जुलाई 2014 में 80 प्रतिशत तथा सितम्बर और दिसम्बर 2014 में 20 प्रतिशत जारी कर दिया। परिणामस्वरूप, एच एल एल के पास राशि आठ महीने के लिए रूकी रही और इस वजह से ब्याज का नुकसान हुआ तथा मरीजों को समय से चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता से वचिंत रखा गया।

2.1.3.3 संविदा की प्रक्रिया करने तथा कार्य सौंपने में देरी

निविदा का दस्तावेज यह अनुबंध करता है कि ई पी सी/अस्पतालों को निविदा आमंत्रित करने की तिथि से पाँच महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि **तालिका 2.1.3** मे दर्शाए गए चार अस्पतालों ने यद्यपि उपकरण खरीद

हेतु प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण करके यथा न्यायोचितता, तत्काल आवश्यकता हेतु अनिवार्यता तथा निधि की उपलब्धता अप्रैल 2010 तथा अगस्त 2013 के बीच ई पी सी को अग्रेषित कर दिये, ई पी सी ने 75 मामलों में से 14 (19 प्रतिशत) में जिसमें ₹ 8.55 करोड़ शामिल था,संविदा की प्रक्रिया करने तथा कार्य सौंपने में विलम्ब कर दिया।

तालिका 2.1.3: संविदा की प्रक्रिया करने तथा कार्य सौंपने में देरी (2010–13)

अस्पताल	विलम्ब के मामले	विलम्ब की सीमा		
		0 से 6 माह	7 से 12 माह	13 से 19 माह
डी डी यू एच	1	-	-	1
जी बी पी एच	6	-	5	1
एल बी एस एच	1	1	-	-
एल एन एच	6	3	2	1
योग	14	4	7	3

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि संविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब का मुख्य कारण तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का मूल्यांकन करने में अधिक समय लेना था। चिकित्सा उपकरण की खरीद हेतु विलम्ब प्रक्रिया न केवल आवंटित निधि के अव्ययित शेष का कारण बना बल्कि विलम्ब अवधि के दौरान मरीजों को सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ा।

2.1.3.4 उपकरण की आपूर्ति में विलम्ब के लिए जुर्माने का गैर–उद्ग्रहण

आपूर्ति आदेशों में विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर उपकरण की आपूर्ति न होने पर आपूर्तिकर्ता को दंडित (स्वीकृत निविदा के (ए/टी) मूल्य का प्रति सप्ताह एक प्रतिशत अधिकतम पाँच प्रतिशत तक) किया जाना था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 10 अस्पतालों में 51 उपकरण निर्धारित समय–सीमा से 23–754 दिनों के विलम्ब से आपूर्ति किए गए। तथापि, अस्पतालों ने आपूर्तिकर्ताओं पर कोई जुर्माना नहीं लगाया। ऐसे मामलों को नीचे दी गयी **तालिका 2.1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.4: मामले जहाँ विलम्ब से आपूर्ति हेतु जुर्माना नहीं लगाया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अस्पताल	उपकरणों की संख्या	विलम्ब की सीमा (दिनों में)	लगाए जाने योग्य जुर्माना
1.	बी एस ए एच	2	235 से 339	4.66
2.	डी डी यू एच	5	159 से 370	8.94
3.	जी बी पी एच	16	23 से 396	36.83
4.	जी जी एस एच	1	42	0.34
5.	जी एन ई सी	2	24 से 40	4.06
6.	जी टी बी एच	13	33 से 754	25.78
7.	एल एन एच	4	74से 406	8.86
8.	एल बी एस एच	3	97 से 106	2.97
9.	आर टी आर एच	1	243	1.01
10.	एस जी एम एच	4	69	2.39
	योग	**51**	–	**95.84**

इस प्रकार, अस्पताल प्राधिकारी आवश्यक चिकित्सा उपकरण की देरी से आपूर्ति के लिए दोषी आपूर्तिकर्त्ताओं पर ₹ 95.84 लाख का जुर्माना लगाने में विफल रहे।बिना किसी औचित्य के आपूर्ति आदेश में बताए अनुसार जुर्माना लगाने में विफलता विक्रेताओं के लिए अनुचित लाभ का कारण भी बनता है तथा आवश्यक चिकित्सा आपूर्तियों की समय से डिलिवरी को सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों की योग्यता को भी कम आँकता है।

2.1.3.5 उपकरणो के संस्थापन में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

आयातित उपकरणों की खरीद हेतु ई पी सी के निविदा दस्तावेज के अनुसार, अस्पतालों को निविदाएँ स्वीकार करने की तिथि से एक महीने के भीतर साख–पत्र (सा.प.)खाता खोलना आवश्यक है। इसके अनुसार उपकरण की लागत का 80 प्रतिशत शिपिंग दस्तावेज पर तथा शेष 20 प्रतिशत का भुगतान उपकरण को सफलतापूर्वक संस्थापित करने के बाद 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 10 मामलों में, जी बी पी एच, जी एन ई सी तथा एल एन एच विभिन्न कारणों जैसे निधि की अनुपलब्धता की वजह से निविदा स्वीकृति की तिथि से एक माह के भीतर सा.प. खाता खोलने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, अस्पताल में उपकरण प्राप्ति के पश्चात् उसके संस्थापन में देरी के कारण शेष 20 प्रतिशत का भुगतान दो से 39 महीने की यथेष्ट देरी से किया गया, फलस्वरूप, अस्पताल में उपकरण प्राप्त करने से लेकर उसके संस्थापन तक की अवधि में विदेशी मुद्रा विनिमय की दर में उतार–चढ़ाव के कारण ₹ 1.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

अपने उत्तर में, जी एन ई सी ने कहा (सितम्बर 2015) कि विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव उनके नियंत्रण के बाहर था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निविदा उपनियम तथा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने से ₹ 1.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.1.3.6 कम अवधि के लिए कार्य–निष्पादन की गारंटी का प्रस्तुतिकरण

संविदा अनुबंध का उपनियम 13 अनुबंध करता है कि उपकरण की लागत के शेष 20 प्रतिशत का भुगतान जारी करने से पूर्व आपूर्तिकर्ता को उपकरण संस्थापन की तिथि से 60 माह की वैधता के साथ खरीद लागत के 10 प्रतिशत की एक निष्पादन कार्य गारंटी (पी जी) प्रस्तुत करनी चाहिए। उपकरण के संतोषजनक कार्य–निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पी जी परिपूर्ण तथा वैध होना चाहिए ताकि इसे आपूर्तिकर्ता द्वारा उपकरण के रखरखाव में चूक की स्थिति में लागू किया जा सके तथा धनराशि वसूल की जा सके।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चार अस्पतालों (जी टी बी एच, जी बी पी एच, जी जी एस एच तथा एल एन एच) ने 2010–12 के दौरान ₹ 8.26 करोड़ की लागत से चिकित्सा उपकरण खरीदे। तथापि, आपूर्तिकर्ताओं ने 17 उपकरणों के संबंध में निर्धारित सीमा से 10 दिनों से 57 महीनों की कम अवधि के साथ पी जी वैधता प्रस्तुत की। 17 मामलों में से चार में, प्रतिभूति जमा (बैंक गारंटी) की वैधता उपकरण संस्थापन से पहले समाप्त हो गई जिसका नवीनीकरण नहीं किया गया तथा उपकरण वारंटी अवधि के दौरान बिना प्रतिभूति का था। एक मामले में, आपूर्तिकर्ता द्वारा उपकरण के सम्पूर्ण वारंटी अवधि में पी जी प्रस्तुत नही किया गया।

अतः पी जी के समय से नवीनीकरण के अभाव में, ₹ 8.26 करोड़ की लागत वाले उपकरणों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन का भरोसा अस्पतालों के पास उपलब्ध नहीं था।

2.1.3.7 अग्रिमों का गैर–समायोजन

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई सेवा तथा आपूर्ति हेतु दी गई ₹ 73.62 करोड़ की अग्रिम राशि 31 मार्च 2015 तक असमायोजित रही, जैसा कि **तालिका 2.1.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.5 : 31 मार्च 2015 तक बकाया अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अवधि जबसे बकाया है	मामलों की संख्या	बकाया राशि
1.	दो वर्षों तक	24	35.62
2.	3–4 वर्ष	14	3.59
3.	5–8 वर्ष	93	32.99
4.	8 वर्ष से अधिक	3	1.42
	योग	**134**	**73.62**

अग्रिमों के गैर–समायोजन का मुद्दा रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंध में मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के प्रतिवेदन (खण्ड–I) में भी इंगित किया गया था, परन्तु विभाग द्वारा अग्रिमों के निपटान के लिए कोई कदम नही उठाया गया।

₹ 73.62 करोड़ के अग्रिमों के गैर–समायोजित पड़े रहने का कारण, बैंको के साथ अग्रिमों का मिलान नहीं करना तथा समायोजन हेतु आपूर्तिकर्ता से अंतिम बिलों का प्राप्त न होना बतलाया गया।

बी एस ए एच ने कहा कि ₹ 1.91 करोड़ के समायोजन हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा शेष राशि का समायोजन करने का प्रयास चल रहा है। जी एन इ सी ने भी कहा (सितम्बर 2015) कि ₹ 4.14 करोड़ के बकाया अग्रिम के समायोजन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.4 उपकरणों का उपयोग

2.1.4.1 खरीदी गई मदो का गैर–उपयोग

सामान्य वित्तीय नियमों (जी एफ आर) के नियम 137 के अनुसार इन्वेंटरी कैरिंग लागत को रोकने के लिए आवश्यकता से अधिक परिमाण में खरीद से बचने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। छः अस्पतालों (बी एस ए एच, जी बी पी एच, जी जी एस एच, जी एन इ सी, जी टी बी एच तथा एल एन एच) के स्टॉक रजिस्टरों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि अस्पतालों ने ₹ 1.91 करोड़ की लागत वाले 110 उपकरणों की खरीद की जो वास्तविक आवश्यकता से बहुत ही अधिक थे, वास्तविकता यह थी कि उपकरण 31 मार्च 2015 तक पाँच महीनों से 14 वर्षों तक की लम्बी अवधि तक स्टॉक में अप्रयुक्त पड़े रहे। कुछ विशेष मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- जी.टी.बी.एच. में ₹ 62.79 लाख की लागत से खरीदे गए चार उपकरण (पोस्ट ऑपरेटिव मल्टी–पैरामीटर मॉनिटर, ईमरजेन्सी रिकवरी ट्रॉली, कार्डियक मॉनिटर

तथा क्लैम्प– IV पोल) पाँच वर्षों की अवधि तक अप्रयुक्त रहे। उदाहरणार्थ, यद्यपि अस्पताल के पास फरवरी 2010 में पाँच ऑपरेटिव मल्टी–पैरामीटर मॉनिटर स्टॉक में पड़े थे, फिर भी इसने ₹ 10.06 लाख की लागत से दो अतिरिक्त मॉनिटर मई 2011 में खरीद लिए, तथा सभी सात मॉनिटर स्टॉक में अगस्त 2015 तक अप्रयुक्त पड़े रहे।

- एल एन एच ने 14 उपकरण जिनका मूल्य ₹ 60.40 लाख था (₹ 18.97 लाख की लागत वाली मेयोस/मेट्जबैकम सिजर्स सहित) जनवरी और मार्च 2001 के बीच खरीदे। तथापि, 5349 मेयोस/मेट्जबैकम सिजर्स इनकी खरीद के 15 वर्ष बाद भी अस्पतालों के किसी भी विभाग से मांग की कमी के कारण स्टॉक में व्यर्थ पड़े रहे।

यह वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना की गयी अनुचित खरीद की ओर इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

इसी प्रकार जी बी पी एच में, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि कार्डिओलोजी विभाग ने मार्च 2013 और अप्रैल 2014 के बीच ₹ 1.25 करोड़ की 87 उपभोग्य वस्तुओं की खरीद की, जो अगस्त 2015 तक उपयोग में नही लाई गई। 87 मदों में से ₹ 1.06 करोड़ मूल्य की 73 मदे जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 में थोक में खरीदी गई, परन्तु इन्हें अगस्त 2015 तक कभी भी निर्गत नहीं किया गया।

इसने दर्शाया कि वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना तथा बिना किसी औचित्य के मदों एवं उपभोग्य वस्तुओं की खरीद की गई जिससे ₹ 3.16 करोड़ अवरूद्ध हो गये।

2.1.4.2 उपकरण के संस्थापन में अत्याधिक विलम्ब

डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू के स्थायी निर्देशों के अनुसार, अस्पतालों में प्राप्त किए गए उपकरण एवं मशीनरी को अनुबंध में विनिर्दिष्ट समयानुसार संस्थापित तथा चालू किया जाना चाहिए। तथापि, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा शासित अस्पतालों में उपकरण के संस्थापन हेतु खरीद समझौते में निर्दिष्ट समय निर्धारित नही था। आठ चयनित अस्पतालों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि 66 उपकरणों जो ₹ 18.22 करोड़ की लागत से 2009–15 के दौरान खरीदे तथा प्राप्त किए गए उनको एक माह से दो वर्षों से अधिक के समय के साथ संस्थापित किया गया। लेखापरीक्षा ने उपकरण प्राप्ति की तिथि से एक माह के रुप में संस्थापन की तिथि लेकर विलम्ब की गणना की है (जैसा कि एच एल एल ने उनके द्वारा जारी क्रय आदेशों में संस्थापन हेतु 15 दिनों की अवधि निर्धारित किया था)। विलम्ब के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये है:

(i) बी एस ए एच ने ₹ 1.85 करोड़ की लागत वाली एक्सट्राकॉरपोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी मशीन अप्रैल 2011 में खरीदी। इसे 10 महीने की देरी से मार्च 2012 में संस्थापित किया गया।

(ii) डी डी यू एच में ₹ 1.23 करोड़ की लागत से फरवरी 2010 से सितम्बर 2011 के बीच खरीदे गये सात उपकरणों जिसमें वेंटिलेटर, ऑपरेटिंग लैप्रोस्कोपी सेट तथा टी एम टी मशीन सम्मिलित है, का संस्थापन मई 2010 से फरवरी 2012 के बीच सात माह तक की देरी से हुआ।

(iii) जी बी पी एच ने मोबाईल सी–आर्म ईमेज इंटेसीफाईअर ₹ 2.13 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2011 में खरीदा तथा इसे फरवरी 2012 में तीन महीने की देरी से संस्थापित किया।

(iv) एल एन एच ने सितम्बर 2009 से अक्टूबर 2014 के दौरान ₹ 4.52 करोड़ की लागत से 17 उपकरण खरीदे तथा इन्हें मई 2010 से मार्च 2015 के दौरान 25 महीने तक की देरी से संस्थापित किया।

यद्यपि, यह मामला रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंध में मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नि.म. ले.प. के प्रतिवेदन (खण्ड–I) के पैराग्राफ 3.1.7.13 (सी) में भी इंगित किया गया था, लेकिन समस्या बनी रही तथा अस्पताल अभी तक उपकरण का तत्काल संस्थापन कराने में असमर्थ हैं जिससे मरीज समय पर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहे। स्थलों की गैर–उपलब्धता तथा सहायक उपकरणों और उपभोज्यों की विलंब से डिलीवरी उपकरणों के विलम्बित संस्थापन हेतु उत्तरदायी थी।

2.1.4.3 उपकरण की अनियोजित खरीद

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि अस्पतालों ने संस्थापन के लिए जगह का पता लगाए बिना ही उपकरण खरीद लिये।

एल.एन.एच. ने रेडियोथेरेपी विभाग में 'हाई डोज रेट ब्रैची थेरेपी रिमोट कन्ट्रोल्ड मशीन' की आपूर्ति, संस्थापन तथा प्रवर्तन में लाने हेतु ठेकेदार को टर्नकी आधार पर ₹ 3.77 करोड़ का ठेका दिया (फरवरी 2014)। आपूर्ति हेतु साख–पत्र खाता (एल सी) 28 मार्च 2014 को खोला गया। संविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार– (i) ठेकेदार को साइट की तैयारी एल सी खाता खोले जाने के पाँच महीने के भीतर पूरा करना था, (ii) पूरी आपूर्ति तथा संस्थापन साइट की तैयारी के तीन महीने के भीतर करना था तथा (iii) अस्पताल को उपकरण के शिपिंग दस्तावेज के विरूद्ध लागत का 80 प्रतिशत जारी करना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि उपकरण की आपूर्ति की गई तथा 80 प्रतिशत भुगतान (₹ 2.88 करोड़) आपूर्तिकर्त्ता को मई 2014 में किया गया, अस्पताल ने फर्म को स्थल 25 जून 2014 को सौंपा अर्थात् एल सी खाता खोले जाने के लगभग तीन महीने बाद। इस स्थिति में भी, अनुबन्ध की शर्त के अनुसार नवम्बर 2014 तक उपकरण का संस्थापन कर दिया जाना चाहिए था। तथापि, 14 महीने की देरी के बाद भी जनवरी 2016 तक साइट पर सिविल तथा इलैक्ट्रिकल काम पूरा न होने के कारण इसका संस्थापन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, इसके संस्थापन हेतु बुनियादी ढ़ाँचे की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना उपकरण की खरीद के साथ–साथ अस्पताल द्वारा स्थल उपलब्ध कराने में विलंब अस्पताल प्रबंधन द्वारा योजना की कमी दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.88 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ।

2.1.4.4 उपकरणों की निष्क्रियता

(i) सहायक उपकरणों तथा रिजेन्ट की कमी के कारण निष्क्रियता

चार अस्पतालों (बी एस ए एच, डी डी यू एच, जी जी एस एच तथा जी टी बी एच) में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि ₹ 83.17 लाख की लागत वाले 21 उपकरणों **(अनुलग्नक 2.1)** काम करने के लिए सहायक उपकरण, रिजेन्ट, तथा उपभोग्य मदों की अनुपलब्धता के कारण 15 दिनों से तीन वर्षों की अवधि तक अप्रयुक्त रहे। सहायक उपकरण, रिजेन्ट अथवा उपभोग्य मदों की अनुपलब्धता के कारण उपकरणों का निष्क्रिय पड़े रहना अस्पतालों के कार्यरत विभागों तथा खरीद अनुभागों के बीच समन्वय तथा उचित योजना के अभाव का संकेत देता है।

डी डी यू अस्पताल ने कहा (मार्च 2016) कि आपातकालीन सेवा में कोई बाधा नही थीं क्योंकि अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध थी तथा सहायक उपकरणों हेतु माँग खरीद विभाग को दी गई थी जो प्रक्रियाधीन थीं। उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि खरीद किए गए उपकरणों का आपातकालीन वार्ड में संस्थापन की तिथि से एक साल तक अस्पताल प्राधिकरण की ओर से पहल की कमी के कारण उपयोग नही किया जा सका। बाकी अस्पतालों द्वारा उत्तर प्रस्तुत नही किया गया है।

(ii) वार्षिक रखरखाव ठेकों (ए एम सी) के अधीन उपकरणों की निष्क्रियता

ठेका अनुबंध का उपनियम 16 (बी) अनुबंध करता है कि विस्तृत वारंटी/गारंटी की प्रारंभिक पाँच साल की अवधि के बाद, निविदाकर्ता अगले पाँच वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव सेवा प्रदान करने का वादा करेगा जिसमें निविदाकर्ता स्पेयर की कीमत वहन करेगा। चयनित अस्पतालों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वार्षिक रखरखाव ठेकों के अधीन 166 उपकरण जिनका मूल्य ₹ 26.20 करोड़ था, 80 महीनों की अवधि तक खराब पड़े रहे। तथापि अस्पतालों ने वार्षिक रखरखाव से संबंधित संविदात्मक प्रावधानों का उपयोग करते हुए ठेका फर्म द्वारा खराब उपकरणों की मरम्मत करवाने के लिए कोई कार्यवाही नही की।

(iii) वारंटी अवधि से बाहर उपकरणों की निष्क्रियता

उपरोक्त के अलावा, बी एस ए एच, डी डी यू एच, जी बी पी एच, जी टी बी एच तथा एल एन एच में ₹ 3.72 करोड़ मूल्य के 58 उपकरण जो वारंटी अवधि तथा वार्षिक रखरखाव सेवा दोनों के परे थे, तीन महीने से 108 महीने की अवधि तक निष्क्रिय पड़े रहे **(अनुलग्नक 2.2)** जिसे न तो उपयोग में लाया गया न ही पुराना/अप्रभोज्य घोषित किया गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बिना मरम्मत के उपकरण निष्क्रिय रहने के कारण मरीज उससे होने वाले लाभ से वंचित रहे साथ ही साथ जगह भी अवरूद्ध हुई जिसका इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था।

2.1.4.5 डाइग्नोस्टिक उपकरण का कम इस्तेमाल

लेखापरीक्षा ने उन मामलों का अवलोकन किया जहाँ अस्पतालों ने ऐसे चिकित्सा उपकरण खरीदे परन्तु जिनका कम उपयोग हुआ। इनमें से कुछ की चर्चा नीचे की गई है:

(i) डी डी यू एच ने ₹ 13.61 लाख की लागत से 'ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर रैपीड कल्चर्स फ्रॉम ब्लड/बॉडी फलुड्स' की खरीद जुलाई 2008 में की। यह मशीन, जिसकी क्षमता 700–750 जाँच प्रति महीने करने की थी, का संस्थापन सितम्बर 2008 में किया गया। तथापि, अभिलेखो की जाँच से पता चला कि मशीन निम्न तालिका में दर्शाई गई अवधि तक बेकार पड़ी रही:

तालिका 2.1.6 : बेकार पड़ी मशीनों (ए एस आर सी) का विवरण

क्र.सं.	अवधि जब से उपकरण खराब पड़ा था	महीनों की संख्या	700 जाँच प्रतिमाह की दर से जाँच की हानि
1.	जुलाई 2010 से जुलाई 2011 तक	13	9,100
2.	सितम्बर 2013 से नवंम्बर 2013 तक	3	2,100
3.	जुलाई 2014 से मई 2015 तक	11	7,700
	योग	**27**	**18,900**

इस प्रकार 18,900 जाँच, मशीनों में त्रुटि होने तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोग्य मदों की आपूर्ति न किए जाने के कारण नही हो सकी। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ताओं के अभियन्ता ने अक्टूबर 2009 तथा जून 2012 में अस्पताल में मशीन के सुचारु संचालन के लिए एक नई पृथक तापमान नियंत्रित वातावरण तथा धूल मुक्त जगह उपलब्ध कराने का आग्रह किया, हालांकि उपकरण की खरीद करते समय उपकरण की संविदा अनुबंध में ऐसी कोई शर्त शामिल नही की गई थी। अस्पतालों ने इस संबंध में कोई प्रयास नही किया।

(ii) बी एस ए एच ने अपने आर्थोपेडिक विभाग के लिए ₹ 77.04 लाख की लागत से आर्थोस्कोपी सिस्टम डाईग्नोस्टिक्स तथा पावर्ड शेवर सिस्टम अक्तूबर 2008 में खरीदा। यह उपकरण नौ महीने की देरी से जुलाई 2009 में संस्थापित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि तकनीकी कार्मिकों/विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुपलब्धता के कारण, उपकरण अक्टूबर 2014 के बाद उपयोग में नहीं लाया जा सका, इससे मरीजों को बहुमूल्य डाईग्नोस्टिक सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

2.1.5 उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव

डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू द्वारा जारी (अक्टूबर 2010) चिकित्सा उपकरण रखरखाव मैन्युअल के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा उपकरण का रखरखाव उपकरण के सम्पूर्ण जीवन चक्र के प्रबन्धन का अभिन्न अंग है। रखरखाव सुधारात्मक या निवारक हो सकता है। जबकि निवारात्मक रखरखाव विनियोजित तरीके से मरम्मत की जरुरत पड़ने से पहले किया जाता है, सुधारात्मक रखरखाव या मरम्मत उपकरण के खराब होने की स्थिति में किया जाता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निवारात्मक रखरखाव की अवधारणा की सभी ग्यारह चयनित अस्पतालों में चूक थी तथा उनका मुख्य लक्ष्य केवल गैर–कार्यात्मक उपकरणों की मरम्मत पर रहा। उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव के संबंध में ध्यान में लाए गए कुछ मुद्दों की चर्चा नीचे की गई है:

2.1.5.1 उपकरणों के डाउनटाईम के कारण जुर्माने की गैर–वसूली

किसी उपकरण का डाउनटाईम उस समय को संदर्भित करता है जब किसी दिए गए समय में यह विनिर्दिष्ट कार्य को करने में विफल रहता है। डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू द्वारा निर्धारित चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति के लिए संविदा की मानक शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को ₹ पाँच लाख से अधिक लागत संविदा में 95 प्रतिशत समय की गारंटी देनी है तथा ब्रेकडाऊन अवधि वर्ष में 18 दिनों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। मानक शर्ते 48 घंटों के भीतर उपकरण की मरम्मत करने की अपेक्षा भी करता है, जिसके न कर पाने पर संविदा के मूल्य का एक प्रतिशत जुर्माने के रुप में निष्पादन गारंटी में से वसूल किया जाना था। आठ अस्पतालों के दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 2010–15 की अवधि में वारंटी के अधीन 57 उपकरण मानकों से अधिक डाउनटाईम अवधि से ग्रसित रहे, जिसके लिए ₹ 21.29 लाख का जुर्माना आपूर्तिकर्ताओं की निष्पादन गारंटी से कटौती किया जाना चाहिए था। तथापि, अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा जुर्माने की कोई कटौती नही की गई।

2.1.5.2 मरम्मत हेतु वारंटी का लाभ न लेना

संविदा अनुबंध का खण्ड 16 अनुबंध करता है कि विक्रेता आपूर्ति किये गये उपकरण की गुणवत्ता तथा संतोषजनक/कार्य की गारंटी इसके संस्थापन/चालू करने की तिथि से 60 महीने की अवधि के लिए देगा, ऐसा न कर पाने पर हानि, क्षतिपूर्ति, नुकसान इत्यादि जिसका क्रेता द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा, निविदाकर्ता से वसूल किया जाएगा तथा फर्म/निविदाकर्ता को वारंटी का उल्लंघन करने के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। 10 अस्पतालों[5] के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वारंटी अवधि में ₹ 22.77 करोड़ मूल्य के 90 उपकरण 46 महीनों तक की अवधि में खराब पड़े रहे। इसके अलावा, अस्पतालों ने इन उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव पर ₹ 94.78 लाख खर्च किए जबकि ये उपकरण वारंटी के अधीन थे। अस्पतालों ने न तो मरम्मत के लिए वारंटी प्राप्त की और न ही उन्होंने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को ब्लैकलिस्ट करने हेतु कोई कार्यवाही की जिससे वारंटी खण्ड का महत्वपूर्ण उद्देश्य विफल रहा। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(क) जी बी पी अस्पताल के एंडोस्कोपी विभाग ने दिसम्बर 2008 मे ₹ 13.91 लाख की लागत से एडल्ट विडियो कोलोनोस्कोपी का संस्थापन कराया। मशीन जुलाई 2011 से खराब पड़ी थी, आपूर्तिकर्ता द्वारा इसकी मरम्मत कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी जबकि यह अभी तक वारंटी अवधि में थी।

(ख) जी टी बी अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने ₹ 25 लाख में पूर्णतः स्वचालित बैक्टेरियल आईडेंटिफिकेशन (आई डी) तथा एन्टीमाईक्रोबियल ससेप्टिविलिटी सिस्टम (ए एस टी) खरीदा तथा सितम्बर 2010 से सितम्बर 2015 तक की वारंटी के साथ संस्थापन करवाया। यद्यपि, उपकरण मार्च 2014 में खराब हो गया, परन्तु अस्पताल ने इसे मरम्मत कराने तथा कार्य लायक बनाने के लिए कोई कार्यवाही नही की।

(ग) डी डी यू एच ने 2009 में ₹ 13.30 लाख की लागत से अनेस्थेसिया वर्क स्टेशन का उपार्जन किया। यद्यपि उपकरण वारंटी के अधीन था, तथापि यह फरवरी 2014 में गैर–कार्यात्मक हो गया तथा तब से (575 दिनों तक) उसी स्थिति में पड़ा रहा। इसी प्रकार, बाल चिकित्सा विभाग में दो वेंटिलेटर, प्रत्येक ₹ 11.24 लाख की लागत से नवम्बर 2011 में संस्थापित किये गये तथा ये विभिन्न अवसरों पर 276 दिनों तक खराब पड़े रहे, यद्यपि अक्टूबर 2016 तक वारंटी के अधीन थे। रेडियोलॉजी विभाग में ₹ 1.12 करोड़ की लागत वाली एक डिजिटल 1000 एम ए एक्स–रे मशीन जो अक्टूबर 2009 में संस्थापित की गयी थी, मार्च 2012 से गैर–कार्यात्मक थी।

(घ) बी एस ए एच ने अपने आर्थोपेडिक विभाग में एक मोबाईल सी–आर्म ईमेज इंटेंसिफाईअर ₹ 36.46 लाख की लागत से फरवरी 2010 में संस्थापित कराया। यद्यपि यह उपकरण वारंटी अवधि में था, फिर भी इसमें दिसम्बर 2012 में खराबी आ गई और तब से यह खराबी की स्थिति में ही पड़ा रहा। अस्पताल के फिजियोथेरेपी यूनिट में, ₹ 13.75 लाख

[5]बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल (बी एस ए एच), दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डी डी यू एच), गोबिन्द बल्लभ पंत अस्पताल (जी बी पी एच), गुरू गोबिन्द सिंह अस्पताल (जी जी एस एच), गुरू तेग बहादुर अस्पताल (जी टी बी एच), लाल बाहदुर शास्त्री अस्पताल (एल बी एस एच), लोक नायक अस्पताल (एल एन एच), महर्षि वाल्मीकी अस्पताल (एम वी एच), राव तुला राम अस्पताल (आर टी आर एच) तथा संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल (एस जी एम एच)

की लागत से मैग्नेटिक ट्रैक्शन यूनिट एनालाईजर अगस्त 2008 में संस्थापित किया गया, परन्तु यह वारंटी अवधि में भी कुल 346 दिनों तक गैर–कार्यात्मक रहा।

2.1.5.3 रखरखाव पर अनियमित व्यय

एम वी अस्पताल ने पूर्णतः स्वचालित ब्लड गैस एनालाईजर मार्च 2009 में खरीदा। आपूर्ति आदेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को मुफ्त वार्षिक रखरखाव सेवा संस्थापन की तिथि से पाँच वर्ष की वारंटी अवधि के जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक उपलब्ध कराना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि अस्पताल ने रखरखाव के लिए 27 मार्च 2015 से 26 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए कर सहित ₹ 24,370 की दर से फर्म के साथ अनुबंध किया तथा अक्टूबर 2015 में ₹ 12,185 का भुगतान कर दिया। इसी प्रकार, अस्पताल ने मार्च 2006 में संस्थापन की गई 100 एम ए एक्स–रे मशीन के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क के प्रति मार्च 2011 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए फर्म को ₹ 2.14 लाख का भुगतान कर दिया, यद्यपि, उपकरण मार्च 2016 तक वार्षिक रखरखाव के अधीन था। अस्पताल ने कहा (मार्च 2016) कि दोनों मामलो में वसूली हेतु पत्र फर्म को जारी कर दिया गया था।

2.1.5.4 बेकार उपकरणों का गैर–निस्तारण

डी जी एच एस अस्पताल मैन्युअल का उपनियम 11.19 के अनुसार अस्पतालों में अव्यवहार्य सामानों का समय पर निराकरण करने के लिए एक निराकरण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। आगे, चिकित्सा उपकरण रखरखाव मैन्युअल (एच एण्ड एफ डब्ल्यू 2010) निर्धारित करता है कि निराकरण बोर्ड द्वारा निस्तारण हेतु निर्णय लेने के पश्चात् जितना जल्द हो सके परन्तु छः माह के बाद नही, उपकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चयनित अस्पतालों के विभिन्न विभागों द्वारा 2010–15 के दौरान ₹ 24.32 करोड़ मूल्य के 2,930 उपकरण तथा 883 उपकरण जिसकी लागत उपलब्ध नही थी, को बेकार घोषित कर दिया गया। इनमें से कई उपकरण 25 वर्ष पहले अर्थात् 1990 में बेकार हो गए। स्थिति का ब्यौरा **तालिका 2.1.7** में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.1.7 : बेकार उपकरणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

अस्पताल	बीएसए	डीडीयू	जीबीपी	जीजीएस	जीएनईसी	जीटीबी	एलबीएस	एलएनएच	एमवीएच	आरटीआर	एसजीएम	योग
उपकरणों की संख्या	62	428	33	97	1494	128	78	244	30	218	118	**2,930**
राशि	0.55	6.82	2.30	0.66	1.34	6.64	0.77	4.50	0.24	0.35	0.15	**24.32**

बेकार उपकरणों के निस्तारण में लम्बी देरी के परिणामस्वरूप उनकी स्थिति तथा निष्पाद्य मूल्य में और ह्रास के साथ–साथ उनके द्वारा जगह घेरी जाती है जिसका इस्तेमाल अन्य लाभकारी उद्देश्य के लिए किया जा सकता था। बी एस ए एच ने कहा (सितम्बर 2015) कि बेकार सामानों की नीलामी तथा निपटान करने के लिए इस्पात मंत्रालय के अधीन मेटल स्क्रैप ट्रैड कार्पोरेशन लिमिटेड (एम एस टी सी) के साथ जुलाई 2015 में इसका पंजीकरण

हुआ था तथा आश्वासन दिया कि नीलामी/निस्तारण की प्रक्रिया 2–3 महीनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। बाकी अस्पतालों से उत्तर प्रतीक्षित थे।

2.1.5.5 प्रशिक्षण

डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू द्वारा अक्टूबर 2010 में जारी चिकित्सा उपकरण रखरखाव मैन्युअल के अनुसार, प्रत्येक 100 बिस्तर वाले अस्पताल में कम से कम एक बायो–मेडिकल इंजिनियर तथा दो बायो मेडिकल तकनीशियन की आवश्यकता है जैसा कि **तालिका 2.1.8** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 2.1.8 : अस्पतालों में तकनीकी कार्मिकों की आवश्यकता

	100 बिस्तर वाला अस्पताल	**16–50 बिस्तर वाला अस्पताल**	**15 या उससे कम बिस्तर वाला अस्पताल**
बायोमेडिकल इंजीनियर जो प्रबंधन, रखरखाव, वाह्य सेवा प्रदाता का पर्यवेक्षण, आवश्यकता मूल्यांकन, योजना, तथा उपयोगकर्ता के प्रशिक्षण (डब्ल्यू एच ओ के अनुसार) में विशेषज्ञ हैं।	1	0	0
बायोमेडिकल तकनीशियन जो मुख्य रुप से विशेष चिकित्सा उपकरण के मरम्मत तथा रखरखाव (डब्ल्यू एच ओ के अनुसार) पर फोकस करता है।	2	1	0
सहायक तकनीशियन/आर्टिशियन जो उस तरह का रखरखाव उपलब्ध करता है जिसे इन–हाउस में नही किया जा सकता है। वे उत्पाद उन्मुख है तथा एक निश्चित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हैं।	3	2	1

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चयनित अस्पतालों के पास न तो ऐसे संस्वीकृत पद थे न ही उन्होने किसी बोयोमेडिकल इंजीनियर तथा बायो–मेडिकल तकनीशियन की नियुक्ति चिकित्सा उपकरण की समुचित रखरखाव या अनुरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु की थी। इसके अतिरिक्त, तकनीकी कार्मिकों को किट का उपयोग तथा उपकरण की नित्य मरम्मत, रखरखाव तथा व्यासमापन करने हेतु प्रशिक्षण देना, मरीजों एवं उपभोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए समीक्षात्मक है। तदनुसार, प्रशिक्षण निर्माणकर्ताओं एवं आर्पूर्तिकताओं द्वारा दिया जाना था। यद्यपि चिकित्सा उपकरण की खरीद, रखरखाव तथा उपयोग विशेष प्रकृति का है, तथापि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संस्थापन के समय कार्मिकों, जो तकनीकी रूप से रखरखाव से संबंधित विशेष कार्य करने के योग्य नही है, के समक्ष केवल प्रदर्शन किया गया। इन तकनीशियनों की अनुपलब्धता के कारण इन उपकरणों का विशेष ध्यान नही रखा जा सका जिसका प्रमाण विभिन्न अस्पतालों में भारी संख्या में पड़े हुए गैर–कार्यात्मक उपकरण है।

2.1.6 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण वे सुरक्षा उपाय है जो एक संगठन के प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन प्रदान करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं कि ये संचालन योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। उन्हें उचित आश्वासन देने के लिए इस प्रकार डिजाइन भी किया जाता है कि उपक्रम के सामान्य उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं। ऐसे आंतरिक नियंत्रणों द्वारा प्रदत्त उचित आश्वासन सार्वजनिक प्राधिकारियों के दायित्व को सुदृढ़ करता है।

सरकारी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रखरखाव तथा उपयोग की व्यवस्था में अनेक कमियों तथा त्रुटियों जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में बतलाया गया, प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव को इंगित करता है। आगे, चयनित अस्पतालों में आन्तरिक नियंत्रण में कमी नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट होती है:

2.1.6.1 कमजोर प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम आई एस)

एम आई एस एक कम्प्युटरीकृत डाटाबेस है जो नीतिगत निर्णय लेने की दक्षता तथा प्रभावशीलता उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रणाली के प्रबन्धन पर फोकस करता है। सरकार ने सभी अस्पतालों के विभाग प्रमुख को सभी उपकरणों (कार्यात्मक तथा गैर–कार्यात्मक दोनों) का मुख्य आँकड़ा तैयार करने तथा सितम्बर 2014 तक पूरा करने का निर्देश दिया (अगस्त 2014)। उपकरण की अवस्था में किसी बदलाव को प्रत्येक माह की पाँच तारीख से पहले प्रणाली में सम्मिलित किया जाना था तथा नये उपकरण की प्रविष्टि अंतिम भुगतान करने से पहले की जानी थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चयनित अस्पतालों ने इन आदेशों का पालन नहीं किया, क्योंकि डाटा पूर्ण रुप से अपलोड तथा अद्यतित (विभाग वार) नही किया गया था।

जी एन ई सी ने स्वीकार किया कि जनशक्ति की कमी के कारण अपलोडिंग का कार्य प्रभावकारी रुप से नहीं किया गया तथा एम आई एस के लिए डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू द्वारा आई डी भी काफी देर (सितम्बर 2015) से उपलब्ध करायी गयी।

2.1.6.2 मैन्युअल के प्रावधानों का गैर–अनुपालन

डी जी एच एस अस्पतालों के मैन्युअल के उपनियम 11.13 के अनुसार अस्पतालों में सभी उपकरणों के कामकाज की स्थिति पर आवधिक समीक्षा सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए तथा उपकरण का इष्टतम कार्यात्मक स्थिति के बनाए रखने के लिए त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। यद्यपि लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चयनित अस्पतालों ने न तो उपकरण लेखापरीक्षा आयोजित कराया न ही संस्थापित उपकरणों की स्थिति का पता लगाने के लिए कोई प्रशासनिक जाँच की।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि यद्यपि, इन चयनित अस्पतालों की आंतरिक लेखापरीक्षा रा.रा.क्षे.दि.स. के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा की जा रही थी, परन्तु ऐसे मुद्दे रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अपने आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नही उठाये गये।

2.1.6.3 कार्यकारी आदेश का गैर–अनुपालन

डी एच एण्ड एफ डब्ल्यू ने सभी चिकित्सा अधीक्षकों को संस्थापित उपकरणों के कार्यकारी परिस्थितियों के साथ–साथ प्रत्येक उपकरण द्वारा प्रत्येक माह किए गए क्रियात्मक कार्य के घंटो के बारे में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2010)। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि किसी भी अस्पताल ने 2010–15 के दौरान ऐसी कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं की। कमजोर एम आई एस, रा.रा.क्षे.दि.स. के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा उपकरण लेखापरीक्षा की कमी तथा संस्थापित उपकरणों की कार्यात्मक परिस्थिति की

त्रैमासिक समीक्षा का अभाव जाँच लेखापरीक्षा किए गए अस्पतालों में अपर्याप्त निगरानी तंत्र को इंगित करता है।

एम वी एच ने कहा (सितम्बर 2015) कि चूँकि इसने सभी उपकरणों एवं उनके रखरखाव का ध्यान रखा, अतः त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजने की जरूरत महसूस नहीं की गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि त्रैमासिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण अनिवार्य था।

2.1.7 निष्कर्ष

चिकित्सा उपकरणों की प्राप्ति के लिए व्यापक योजना न तो विभाग द्वारा और न ही किसी अस्पताल द्वारा तैयार की गई। नए उपकरणों को प्राप्त करने अथवा पुराने चिकित्सा उपकरणों को बदलने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए कोई प्रलेखित प्रणाली उपलब्ध नहीं थी तथा उपकरण खरीदने की प्रक्रिया अनौपचारिक रूप से वर्णित की गई थी। यद्यपि, एक सलाहकार फर्म लगी हुई थी फिर भी उपकरणों की खरीद में देरी हुई। अस्पतालों में उपकरणों की प्राप्ति के पश्चात् उनके समयबद्ध संस्थापन की निगरानी हेतु कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। उपकरणों के गैर–उपयोग, कम उपयोग तथा निष्क्रियता के मामले सभी चयनित अस्पतालों में देखे गये। इसी प्रकार, उपयोग्य/गैर–उपयोग्य मदों की खरीद वास्तविक जरूरत से अधिक की गई। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संविदा निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु अस्पतालों की योग्यता के साथ निर्धारित समय की अपेक्षा कम समय की निष्पादन गारंटी प्राप्त करके तथा विलम्बित आपूर्तियों पर जुर्माने का गैर–उद्ग्रहण करके समझौता किया गया था। यद्यपि, चिकित्सा उपकरणों की माँग तथा आपूर्ति को चिन्हित करने हेतु प्रणाली स्थापित थी, परन्तु सूचना को पूर्ण रूप से अपलोड तथा अद्यतित नहीं किया गया।

2.1.8 सिफारिशें

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(i) मात्रा में किफायत और समय से उपकरणों की आपूर्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए अस्पतालों की जरूरतों पर आधारित चिकित्सा उपकरणों तथा सम्बन्धित मदों की खरीद की समेकित योजना बना सकता है;

(ii) आम इस्तेमाल के चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु अपनी नीतियों को मानकीकृत तथा युक्तिसंगत बना सकता है;

(iii) उपकरणों के जीवन–काल को बढ़ाने हेतु चिकित्सा उपकरण रखरखाव नीति विकसित कर सकता है तथा निरीक्षण, निवारात्मक रखरखाव व सुधारात्मक रखरखाव सहित डाउनटाईम को कम कर सकता है; तथा

(iv) उपकरणों की आपूर्ति तथा सेवाओं के प्रबंध में आपूर्तिकर्ता की तरफ से हुई देरी तथा चूक से संबंधित संविदात्मक प्रावधानों को लागू करने तथा संविदात्मक दायित्व के समय से निष्पादन को सुनिश्चित कर सकता है, तथा

(v) अस्पताल उपकरणों की खरीद, संस्थापन तथा प्रयोग पर प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण हेतु अपने एम.आइ.एस. को मजबूत कर सकता है।

मामला जनवरी 2016 में सरकार को भेजा गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

गृह विभाग

2.2 दिल्ली अग्निशमन सेवा की कार्यप्रणाली

रा.रा.क्षे. दिल्ली में, दिल्ली अग्निशमन सेवा आग लगने एवं सामान्य आपात स्थितियों में जीवन एवं संपत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये है:

मुख्य बिन्दु:

- *दिल्ली अग्निशमन सेवा (दि.अ.से.) ने क्षेत्र, जनसंख्या वितरण, एवं आपदा क्षेत्रों इत्यादि का व्यापक आँकड़ें तैयार नहीं किये।*

(पैराग्राफ 2.2.3.1)

- *दि.अ.से. परिचालन क्षमता बनाए रखने के लिए नियोजित अग्निशमन केन्द्रों की संख्या के निर्माण में असफल रही। नियोजित लक्ष्य 70 की जगह केवल 58 अग्निशमन केन्द्र ही थे।*

(पैराग्राफ 2.2.4.1)

- *2011 की जनगणना के अनुरूप, दिल्ली की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास पर्याप्त पम्पिंग इकाईयाँ नहीं थी। आवश्यक 205 की जगह उनके पास केवल 160 पम्पिंग इकाइयाँ थी। इनमें से 31 (20 प्रतिशत) इकाईयाँ क्रियाशील नहीं थी।*

(पैराग्राफ 2.2.4.2 (अ)

- *दि.अ.से. का प्रतिक्रिया समय निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं था। नमूना जाँच के 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में, प्रतिक्रिया काल अति आपदा क्षेत्रों एवं समीपवर्ती निर्मित क्षेत्रों में निर्धारित तीन मिनट से अधिक एवं अन्य क्षेत्रों में पाँच मिनट से अधिक था।*

(पैराग्राफ 2.2.5)

- *दि.अ.से. के पास दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतों की संख्या एवं इन इमारतों के लिए जारी किए गये एवं नवीनीकृत किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्रों की स्थिति का कोई विवरण नहीं था।*

(पैराग्राफ 2.2.7.1)

- *इमारतों में सुरक्षा उपकरणों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों की अनुपालना नहीं हुई।*

(पैराग्राफ 2.2.7.4)

2.2.1 प्रस्तावना

दिल्ली अग्निशमन सेवा (दि.अ.से.), जिसकी स्थापना 1942 में हुई, आग लगने एवं सामान्य आपातकाल की स्थिति में दिल्ली के लोगों के जीवन एवं उनकी संपत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। दि.अ.से. का प्रशासनिक नियंत्रण 10 नवंबर 1994 को नगरपालिका दिल्ली से गृह विभाग, रा.रा.क्षे.दि. सरकार के पास स्थानांतरित हो गया था।

2.2.1.1 संगठनात्मक ढ़ाँचा

दि.अ.से. का प्रमुख निदेशक रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रधान सचिव (गृह) के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। दि.अ.से. को छः डिवीजनों[6] में बाँटा गया है, प्रत्येक की अध्यक्षता डिविजनल अधिकारी करता है जिसकी सहायता एक सहायक डिविजनल अधिकारी (ए.डी. ओ.) द्वारा की जाती है। दिल्ली में 58 अग्निशमन केन्द्र है; प्रत्येक की अध्यक्षता स्टेशन अधिकारी या उप–अधिकारी द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त दि.अ.से. के पास एक आटो कार्यशाला, एक वायरलेस कार्यशाला, एक सामान्य कार्यशाला एवं एक अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी (अ.सु.प्र.अ.) हैं।

2.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या–

- अग्निशमन सेवाओं की योजना समय पर, पर्याप्त तथा प्रभावशाली एवं सामूहिक जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई।
- आग लगने की घटनाओं में रोकथाम के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे तथा उनका कुशलतापूर्वक, प्रभावशाली एवं सर्वोत्कृष्टता के साथ उपयोग किया गया था।
- आग की दुर्घटनाओं के नियंत्रण एवं बचाव के लिए प्रतिपादित अग्नि सुरक्षा मानदण्ड प्रभावशाली थे और
- आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र प्रभावशाली थे।

2.2.1.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

मापदण्ड जिनके आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निर्धारित किये गए, निम्नलिखित स्त्रोतो से प्राप्त किये गए थेः

- दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 एवं दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010
- गृह विभाग भारत सरकार द्वारा मार्च 1998 में स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति (एस.एफ.ए.सी.) की सिफारिशों का सारांश एवं
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 तथा अन्य सरकारी आदेश।

2.2.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

दिल्ली अग्निशमन सेवा, के क्रियान्वयन की समीक्षा, 2010–15 की अवधि को शामिल करते हुए, दि.अ.से. के मुख्यालय एवं प्राप्त फायर कॉलस की संख्या के आधार पर चयनित तीन डिविजनों[7] में की गई थी। साथ में, नौ अग्निशमन केन्द्रों, अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी, आटो कार्यशाला, सामान्य कार्यशाला एवं वायरलेस कार्यशाला के अभिलेखों की भी जाँच की गई।

दि.अ.से. के निदेशक के साथ 15 मई 2015 को प्रवेश सम्मेलन किया गया। 17 दिसंबर 2015 को मसौदा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार जानने के लिए सरकार को जारी किया गया था एवं समापन सम्मेलन दिनांक 10 फरवरी 2016 को हुआ। समापन सम्मेलन

[6]पूर्व, केन्द्रीय, पश्चिम, उत्तर–पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम

[7]उत्तर–पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी डिवीजन

में व्यक्त एवं प्रस्तुत दि.अ.से. के विचारों को उचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था। तथापि सरकारी उत्तर (मार्च 2016) प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

दि.अ.से. की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई थी, जिस पर मार्च 2016 तक दिल्ली विधान सभा की लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं हुई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में दिये गये हैं।

2.2.2 वित्तीय परिव्यय

दिल्ली अग्निशमन सेवा का 2010–15 की अवधि के लिए बजट आवंटन एवं वास्तविक व्यय **तालिका 2.2.1** में दिया गया है:

तालिका 2.2.1 : वित्तीय परिव्यय एवं वास्तविक व्यय (2010–15)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन		वास्तविक व्यय		बचत (प्रतिशत)	
	योजनागत	गैर–योजनागत	योजनागत	गैर–योजनागत	योजनागत	गैर–योजनागत
2010-11	33.45	65.13	21.67	62.13	11.78 (35.21)	3.00 (4.61)
2011-12	24.56	66.13	20.10	64.98	4.46 (18.18)	1.15 (1.74)
2012-13	39.80	73.19	36.42	70.53	3.38 (8.48)	2.66 (3.63)
2013-14	43.38	80.74	37.43	77.39	5.95 (13.72)	3.35 (4.15)
2014-15	43.29	89.92	36.86	79.76	6.43 (14.85)	10.16 (11.30)

जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, दि.अ.से. का बजट 2010–15 के दौरान (योजनागत एवं गैर–योजनागत दोनो) ₹ 91 करोड़ एवं ₹ 113 करोड़ के बीच में था। इस अवधि के दौरान योजनागत शीर्षों में बचत 8 से 35 प्रतिशत के बीच थी।

अपने उत्तर में दि.अ.से. ने बताया (अगस्त 2015) कि विभिन्न शीर्षों में बचतें, रखरखाव कार्य की कम आवश्यकता, निधियों की देरी से प्राप्ति, सरकार द्वारा प्रस्तावों का गैर–अनुमोदन, मदों की देरी से आपूर्ति एवं बोलियों की गैर प्राप्ति के कारण हुई थी।

2.2.3 योजना एवं तैयारी

2.2.3.1 व्यापक आँकड़े तैयार नहीं किए गए

मार्च 1998 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति (एस.एफ.ए.सी) की अनुशंसाओं के सारांश के अनुसार, अग्निशमन सेवा मुख्य रूप से जनसंख्या, प्रतिक्रिया काल, एवं जोखिम के खतरों के ऊपर आधारित है। इन कारणों के व्यापक आँकड़े जोखिम–खतरो, वाहनों के प्रकार एवं अग्निशमन कार्मिकों की योजना के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, दि.अ.से. ने ऐसे कोई आँकड़े तैयार नहीं किए थे। इन विस्तृत आँकड़ों का अभाव दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा आग रोकथाम के लिए उनकी तैयारी एवं योजना में परिशुद्धता की कमी को दर्शाता है।

दि.अ.से. ने कहा (सितम्बर 2015) कि उन्होनें आँकड़ों को तैयार करने के लिए जियो स्पैटियल दिल्ली लिमिटेड के साथ परामर्श किया था। दि.अ.से. ने कहा कि व्यापक आंकड़े कम्प्यूटरीकरण के पश्चात उपलब्ध कराएँ जाँएगे।

2.2.4 संसाधनों की उपलब्धता एवं उनका उपयोग

2.2.4.1 अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना में कमी

दि.अ.से. में 2007 से पहले 31 अ.श. केन्द्र कार्यशील थे। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक अग्निशमन केन्द्र के बनाने उद्देश्य से दि.अ.से. द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के दौरान कुल अग्निशमन केन्द्रों की संख्या को 70 तक बढ़ाना प्रस्तावित था। योजनावधि की समाप्ति तक अग्निशमन केन्द्रों की संख्या केवल 54 तक बढ़ पायी थी। दि.अ.से. ने पुनः 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 के लिए भी 70 अग्निशमन केन्द्रों का ही लक्ष्य रखा। पर्याप्त अच्छे प्रतिक्रिया समय में आग से सुरक्षा प्रदान करने और आग की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए नए अग्निशमन केन्द्रों को जोड़ना आवश्यक माना गया। तथापि ₹ 6.98 करोड़ की अनुमानित लागत के स्थान पर कुल ₹ 8.12 करोड़ की कीमत से नवम्बर 2015 तक केवल चार नए अग्निशमन केन्द्र[8] क्रियाशील हुए। इनको सम्मलित करते हुए दि.अ.से. के पास अब कुल 58 अ.श. केन्द्र (पाँच अग्नि पोस्ट को शामिल करते हुए)[9] थे, जो अब भी 70 अग्निशमन केन्द्रो के लक्ष्य से 12 कम थे।

दि.अ.से. ने (फरवरी 2016) अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण में कमी के लिए भूमि आवंटन की लंबी प्रक्रिया, उसको लोक निर्माण विभाग को सौंपने में देरी, लोक निर्माण विभाग द्वारा योजना बनाने एवं नगर निकायों द्वारा उनके अनुमोदन एवं अंततः निर्माण में विलम्ब जैसे कारण बताए। दि.अ.से. ने यह भी कहा कि तीन और अ.श. केन्द्र निर्माणधीन[10] थे एवं अन्य पाँच केन्द्रों की निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यह दि.अ.से. का कर्तव्य था कि वह अपनी आंतरिक प्रक्रिया को शक्तिशाली बनाए एवं अग्निशमन केन्द्रों की शीघ्र स्थापना के लिए दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बनाये, विशेषकर जबकि निधियाँ उपलब्ध बताई गई थीं।

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा (मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए) के पैराग्राफ 2.1.4.1 के अनुसार, 50 अग्निशमन केन्द्र क्रियाशील थे। इसलिए अप्रैल 2009 एवं अगस्त 2015 के बीच केवल आठ अ.श.केन्द्र ही तैयार हुए।

2.2.4.2 वाहनों एवं उपकरणों की कमी

(अ) स्थायी अ.श.स.स. के मानदण्डों के अनुसार, प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र में एक पम्पिंग यूनिट होनी चाहिए। पम्पिंग इकाइयों की संख्या प्रति 50,000 व्यक्तियों के लिए एक यूनिट तथा तीन लाख जनसंख्या के लिए छः की दर पर बढ़ाई जानी चाहिए थी। तीन लाख एवं उससे अधिक जनसंख्या के लिए प्रति लाख या उसके अनुपात में, कुल पम्पिंग यूनिटों के 20 प्रतिशत के रिजर्व के साथ वहाँ एक अतिरिक्त पम्पिंग यूनिट होनी चाहिए। अग्निशमन

[8]दल्लूपुरा, सी.बी.डी. शाहदरा, कल्याण वास एवं खेड़ा डाबर
[9]जहाँ पर केवल अग्निशमन वाहन ही खड़े किए गए हों
[10]वसंत कुंज, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, उद्योग नगर

केन्द्रों पर तीन लाख से अधिक जनसंख्या के लिए एक राहत वैन एवं प्रति दस लाख व्यक्तियों पर एक अतिरिक्त राहत वैन होनी चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि. की कुल जनसंख्या 167.88 लाख थी। इस जनसंख्या के लिए आवश्यक पम्पिंग इकाइयों की संख्या 205 (171 एवं 34 रिजर्व) वांछनीय थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2015 तक केवल 160 जल इकाइयां उपलब्ध थी। इनमें से 31 मार्च 2015 तक 31 खराब थी। इस प्रकार, वास्तव में 20 प्रतिशत की कमी के साथ केवल 129 जल इकाइयाँ ही उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त दि.अ.से. के पास निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवश्यक 18 राहत वैनों की जगह केवल छः राहत वैन ही उपलब्ध थी।

(ब) दि.अ.से. के पास अग्नि दुर्घटना के दौरान विभिन्न ऊँचाइयों पर (अधिकतम ऊँचाई 70 मीटर या 220 फीट) उपयोग के लिए कुल छः ब्रोन्टो स्काईलिफ्ट, छः टर्नटेबल लेडर (टी.टी.एल), दो साइमन सुपर स्नोर्कल एवं तीन हजमत वैन हैं। इनमें से तीन ब्रोन्टों, सभी छः टी.टी.एल, दो साइमन सुपर स्नोर्कल दिसंबर 2015 तक खराब थी।

(स) दि.अ.से. ने वर्ष 2014–15 में उपरोक्त छः ब्रोन्टों स्काई लिफ्टों में से लगभग 220 फीट की ऊँचाई पर अग्निशमन के लिए एक 70 मीटर की हवाई सीढ़ी प्लेटफार्म (ब्रोन्टों स्काइलिफ्ट) की खरीद की थी। तथापि, रा.रा.क्षे.दि. में सिविक सेंटर (335 फीट), ग्रांड इन्टरकांटिनेन्टल (328 फीट) एवं पालिका केन्द्र (299 फीट) जैसी 220 फीट से अधिक की ऊँचाई वाली इमारतें हैं। इस प्रकार, दि.अ.से. के पास 220 फीट से ऊपर होने वाली आग की घटनाओं को बुझाने के लिए अग्निशमन उपकरण नहीं थे, क्योंकि उनके पास एक ही ब्रोन्टों स्काईलिफ्ट है जो अधिकतम 220 फीट तक ही पहुँच सकती है।

इस प्रकार, दि.अ.से. पर्याप्त रूप से अग्निशमन वाहनों एवं अन्य उपकरण से सुसज्जित नहीं थी जिससे उसकी अग्निशमन दक्षता कम हुई। दि.अ.से. ने लेखा परीखा अभ्युक्तियों को (फरवरी 2016) स्वीकार किया एवं सूचित किया कि इस तरह के और उपकरण एवं संयंत्र जोड़े जाऐंगे।

2.2.4.3 वाहनों के पंजीकरण में विलम्ब

सिटीजन चार्टर के अनुसार, दि.अ.से. का प्राथमिक कार्य प्रत्येक अग्निशमन एवं आपातकालीन कॉलस पर त्वरित कार्रवाई करना होता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.अ.से. वाहनों की चेसिस खरीदती है एवं उनको वाटर टेंडरों, वाउजरों, फोम डिस्पेंसरों के रूप में बनवाती है। प्रभावशाली अग्निशमन के लिए, दि.अ.से. को जल्दी से वाहनों को तैयार करने एवं उनके पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जिससे उनको परिचालन सेवाओं में लगाया जा सके। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि इस अवधि में खरीदे गए 46 वाहनों में से 38 वाहन, छः महीने की प्राप्ति एवं बनवाई का समय निकालकर, नौ महीने तक की देरी से पंजीकृत कराए गये। दो छोटे वाटर टेड़रों (एस.डब्ल्यू.टी), जो उपलब्ध होने के तीन महीनों के अन्दर पंजीकृत हो चुके थे, की तुलना में इन मामलों में बिना किसी कारण के इतना विलम्ब हुआ था।

दि.अ.से. ने (फरवरी 2016) अभ्युक्तियों को स्वीकार किया एवं विश्वास दिलाया कि भविष्य में वाहन पंजीकरण में कोई विलंब नहीं होगा।

2.2.4.4 वी.एच.एफ. मोबाईल रेडियों उपकरणों की कमी

एस.एफ.ए.सी. सिफारिशों के अनुसार, प्रत्येक चलित वाहन जिसमें कमाण्ड कार व मोटरसाइकिल शामिल हैं, में 25 वाट का एक वी.एच.एफ. मोबाइल रेडियो टेलीफोन होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि दिसंबर 2015 तक दि.अ.से. में कुल 301 अग्निशमन वाहन ऐसे थे जिनमें 25 वाट के वी.एच.एफ. मोबाइल रेडियो टेलीफोन आवश्यक थे। हांलाकि, दि.अ.से. के पास 205 मोबाइल रेडियों सैट (31 प्रतिशत कम) थे। मार्च 2007 में वायरलैस, मोबाइल, एवं रिपीटर सैटों की अन्तिम खरीद की गई थी।

दि.अ.से. ने (फरवरी 2016) सूचित किया कि कुल 1483 वर्ग किमी क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए उपकरणों की कमी नहीं थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एस.एफ.ए.सी. सिफारिशों के अनुसार यहाँ मोबाइल रेडियो सेटों की कमी थी।

2.2.4.5 कार्मिकों का अभाव

एस.एफ.ए.सी. के मानदण्ड बताते हैं कि एक अग्निशमन केन्द्र पर एक स्टेशन/उप–अधिकारी दो मुख्य फायरमैन, दो चालक/संचालक एवं 10 फायरमैनों की आवश्यकता स्टेशन अधिकारी तथा उप अधिकारियों की 50 प्रतिशत संख्या रिजर्व रखने सहित होती है। बाकी कर्मचारियों के संबंध में दि.अ.से. को 10 से 25 प्रतिशत का रिजर्व रखना होता है। यही मानदण्ड आगे बताते हैं कि आपात स्थिति में सहायक फायरमैन के रूप में होम गार्डों की तैनाती की जा सकती है। दि.अ.से. में स्वीकृत संख्या एवं पदासीन कार्मिकों की स्थिति **तालिका 2.2.2** में दी गई है।

तालिका 2.2.2: 31 मार्च 2015 को कार्मिकों की स्थिति

क्र.सं.	कार्मिकों की श्रेणी	स्वीकृत	पदासीन	रिक्त	कमी (प्रतिशत)
1	वरिष्ठ अधिकारी	44	39	5	11.36
2	आपरेशनल कार्मिक	3,375	1,911	1,464	43.37
3	कार्यशाला कार्मिक (आटो, वायरलेस एवं सामान्य)	85	43	42	49.41
4	प्रशासनिक/लेखा कार्मिक	115	84	31	26.95
	योग	**3,619**	**2,077**	**1,542**	**42.61**

उपरोक्त तालिका आपरेशनल कार्मिकों में 43.37 प्रतिशत एवं आटों कार्मिकों में 49 प्रतिशत की भारी कमी को दर्शाती है। कुल मिलाकर, दि.अ.से. में 42.61 प्रतिशत कार्मिकों का अभाव था।

दि.अ.से. की संचालन कार्यक्षमता के लिए पर्याप्त क्षेत्रीय कार्मिकों की उपलब्धता आवश्यक है। एस.एफ.ए.सी. की होमगार्डों की तैनाती या स्वयं सेवी फायरमैन के सृजन की सिफारिशों के बावजूद दि.अ.से. ने सहायक फायरमैन के रूप में होम गार्डों या स्वयं सेवी कार्मिकों की तैनाती नहीं की।

दि.अ.से. ने (फरवरी 2016) अभ्युक्तियों को स्वीकार किया एवं सूचित किया कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डी.एस.एस.एस.बी) के साथ प्रयास किये गए थे।

2.2.4.6 अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी (अ.सु.प्र.अ.) की कार्यशैली

(अ) संचालित पाठ्यक्रमः एस.एफ.ए.सी. के मानदण्डो के अनुसार, प्रत्येक राज्य की अग्निशमन सेवा को एक प्रशिक्षण ब्यूरो की स्थापना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, फायरमैन, सहायक स्टेशन अधिकारी एवं नये भर्ती किये गये चालकों को छः महीने का प्रशिक्षण, मुख्य फायरमैनों को तीन महीने का तथा दो सप्ताह का श्वास उपकरणों में प्रशिक्षण अनुशंसित किया गया है। लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए जनवरी 2001 में स्थापित अग्नि सुरक्षा प्रबंधन अकादमी (अ.सु.प्र.अ.) ने कोई वार्षिक योजना नहीं बनाई, जो दर्शाता है कि दि.अ.से. अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही थी। अ.सु.प्र.अ. ने 2010–15 की अवधि के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम एवं गतिविधियाँ बनाई।

(i) दि.अ.से. ने 2010–15 के दौरान राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज (एन.एफ.एस.सी) नागपुर के बाह्य उप–अधिकारियों के लिए नौ पाठ्यक्रम, दि.अ.से. के अग्निशमन परिचालकों के लिए चार पाठ्यक्रम, एवं नागपुर से स्टेशन अधिकारी एवं प्रशिक्षकों के लिए दो पाठ्यक्रम संचालित किए।

(ii) नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, दि.अ.से. ने विभिन्न बाह्य एजेन्सियों के लिए 48 पाठ्यक्रम तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण, 20 अभिभाषण एवं प्रदर्शन इत्यादि भी चलाये। हाँलांकि, अ.सु.प्र.अ. ने वर्तमान अधिकारियों/कार्मिकों के लिए कोई पुनश्चर्या पाठ्यक्रम या विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं चलाये। अ.सु.प्र.अ. ने (अगस्त 2015) सूचित किया कि वर्तमान कार्मिकों को विद्युत या रसायनिक आग का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

(ब) उपकरण एवं सुविधाः लेखापरीक्षा ने अ.सु.प्र.अ. में प्रशिक्षण उपकरणों एवं सुविधाओं जैसे श्वास उपकरण गैलरी, धुआँ कक्ष, अग्नि कक्ष, आगजनी प्रयोगशाला, अग्नि अनुरूपक, अभ्यास टावर एवं हौज पैचिंग मशीन का अभाव देखा। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण में प्रयोग में लाई गई हजमत वाहन में 85 यंत्रों एवं उपकरणों में से केवल 38 ही काम कर रहे थे।

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा (मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) में वर्तमान कार्मिकों तथा विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण की कमी के मामले उठाये गये थे। ए.टी.एन में दि.अ.से. ने सूचित किया कि नांगलोई में एक पूर्ण विकसित प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के प्रयास किए जा रहे थे। तथापि फरवरी 2016 तक कोई भी नया प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं किया गया था।

दि.अ.से. ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (फरवरी 2016) अ.सु.प्र.अ. में जगह की कमी के कारण को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि उसने बुद्धन माजरा में नये प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए एक भूखण्ड खरीद लिया था।

(स) शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण का गैर–संचालन

एस.एफ.ए.सी. मानदण्ड अग्निशमन कार्मिकों के लिए प्रत्येक छः महीने में शारीरिक मूल्यांकन करने की सिफारिश यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि वे अपनी ड्यूटी के लिए

स्वस्थ रहें। मानदण्डों के अनुसार अन्य परीक्षणों के बीच एक अग्निशमन व्यक्ति को;

- 30 सेंकण्ड में 100 मीटर दौड़ने योग्य होना चाहिए,
- तीन मिनट के अन्दर उपकरणों से 50–50 फीट लम्बाई के चार होज बिछाने योग्य होने चाहिए।
- उपकरण से दो मिनट के अन्दर 35 फीट की विस्तृत सीढ़ी पर चढ़ने योग्य होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.अ.से. ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण का संचालन नहीं किया।

दि.अ.से. ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने आश्वासन दिया कि संचालित किए जाने वाले शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण के प्रकार का निर्णय लेने के प्रयास किए जा रहे थे।

2.2.5 खराब प्रतिक्रिया समय

(अ) एस.एफ.ए.सी. मानदण्डों के अनुसार सभी अति आपदा क्षेत्रों तथा सघन निर्मित क्षेत्र में अधिकतम तीन मिनट का प्रतिक्रिया समय[11] प्राप्त करना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों के लिए यह पाँच मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने वास्तविक प्रतिक्रिया समय के हस्तलिखित आँकड़े तैयार नहीं किए परन्तु अपनी वेबसाइट पर प्रतिक्रिया समय के विवरण के साथ अग्निशमन प्रतिवेदन डाल दिये थे।

छः अग्निशमन केन्द्रों[12] के वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के जून माह की 1,011 अग्निशमन कॉल के आँकड़ों के विश्लेषणों ने दर्शाया कि केवल 400 कॉल (40 प्रतिशत) का प्रतिक्रिया समय केवल पाँच मिनट के अन्दर था एवं बाकी 611 मामलों (60 प्रतिशत) में यह छः मिनट या उससे अधिक था। नीचे दी गई **तालिका 2.2.3** में विस्तृत ब्योरा दिया गया है:

तालिका 2.2.3: प्रतिक्रिया समय का विश्लेषण

प्रतिक्रिया समय (मिनटों में)	कॉल की संख्या		
	जून 2012	जून 2013	जून 2014
1-5	168	101	131
6-10	173	156	108
11-15	35	23	44
16-20	15	6	9
21-30	8	4	21
31 और उससे अधिक	4	2	3

छः मामलों में लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि अग्निशमन प्रतिवेदनों में दो कि.मी. के लिए एक मिनट, चार कि.मी. के लिए तीन मिनट, सात/आठ कि.मी. के लिए चार मिनट, दस कि.मी. के लिए नौ मिनट तथा अठारह कि.मी. के लिए उन्नीस मिनट का

[11]अग्निशमन कॉल मिलने के बाद अग्निशमन वाहन का घटनास्थल पर पहुँचने का वास्तविक समय
[12]नेहरू प्लेस, नजफगढ़, लक्ष्मीनगर, नरेला, वजीरपुर, नरायणा

प्रतिक्रिया समय अभिलिखित था। दिल्ली की यातायात परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह अवास्तविक था।

दि.अ.से. ने (सितंबर 2015) प्रतिक्रिया समय के लिए सड़कों की समर्पित लेन की कमी का उल्लेख किया। तथापि, लेखापरीक्षा को ऐसे भी मामले मिले जहाँ पास की इमारत में आग लगी या संबंधित अग्निशमन केन्द्र के ही क्षेत्र में आग लगी और अग्निशमन वाहन ने स्थल तक पहुँचने में चार से छः मिनट लिये। एक से दो कि.मी. दूरी के अंदर हुई 37 घटनाओं में भी अग्निशमन वाहनों को घटनास्थल तक पहुँचने में आठ से 39 मिनट लगे।

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के अनुसार (मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) नमूना जाँच किये गये केवल 23 प्रतिशत मामलों में प्रतिक्रिया समय पाँच मिनट तक थी। पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, आग लगने की घटनाऐं वर्ष 2008–09 में 16452 से बढ़कर 2014–15 में 23,242 होने के बावजूद, दि.अ.से. ने अपने प्रतिक्रिया समय में सुधार किया तथा 40 प्रतिशत मामलों में पाँच मिनट के अन्दर घटनास्थल पर पहुँचने का प्रबन्ध किया।

(**ब**) किसी भी सफल राहत संचालन का विशिष्ट घटक समय है। सीमा चिन्हों, गलियों, इमारतों की सटीक स्थिति आपातकाल सेवा संसाधन एवं आपदा बचाव स्थल का पता होने पर समय कम लगता है एवं जीवन जिंदगिया बचाई जा सकी है। भूमण्डलीय स्थापन प्रणाली (जी.पी.एस.) इन आवश्यकताओं के सम्बोधन में तकनीकी सुगमता के रूप में काम करती है। पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के एक्शन टेकन नोट में (मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) दि.अ.से. ने आश्वासन दिया (जुलाई 2010) कि वह जी.आई.एस./जी.पी.एस. लगाने सहित प्रतिक्रिया समय के सुधार के लिए पूर्णतः प्रयासरत रही है। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस./जी.पी.एस.) का अभी अग्निशमन वाहनों में लगाना बाकी था। दि.अ.से. ने पुनः अवगत कराया (फरवरी 2016) कि प्रस्ताव अभी तक रा.रा.क्षे.दि.स. के विधि विभाग में प्रक्रियारत था।

2.2.6 जल प्रभारों के भुगतान में अनियमितताएँ

अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, अग्नि सेवा द्वारा अग्निशमन में इस्तेमाल पानी के लिए किसी भी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा कोई प्रभार नहीं लिया जायेगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.अ.से. घरेलू, कार्यालयी एवं अग्निशमन उद्देश्यों में इस्तेमाल हुए पानी के लिए बिल का भुगतान कर रहा था। 2010–15 के दौरान ₹ 9.80 करोड़ दि.ज.बो. एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वाणिज्यिक दरों पर ही चुकाए गये। इस्तेमाल हुए पानी का वर्गवार विवरण उपलब्ध नहीं था अतः लेखापरीक्षा, अग्निशमन के लिए दिये गये ऐसे जल प्रभार की गणना नहीं कर सका जिसे भुगतान से बचाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि 557 कार्मिकों क्वार्टरों के निवासियों द्वारा उपयोग किये गये पानी का प्रभार जिसका दि.अ.से. द्वारा वाणिज्यिक दरों पर भुगतान किया जा रहा था, कम से कम घरेलू दरों पर कार्मिकों से वसूल करना चाहिए था। जबकि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। दि.अ.से. ने (फरवरी 2016) बताया कि अग्निशमन केन्द्रों और कार्मिकों के आवास के लिए संचित जल की खपत के उपयोग के लिए जल प्रभार दि.ज.बो. और उ.दि.न.नि. को भुगतान किया गया था। जबाव तर्कसंगत नहीं है क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए अलग जल मीटरों को लगाकर जल प्रभार के अधिक भुगतान से बचा जा सकता था।

2.2.7 अग्नि सुरक्षा मानदण्डों का प्रवर्तन

2.2.7.1 गगनचुम्बी इमारतों के आँकड़ों का गैर रख–रखाब

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (एफ.एस.सी.), दि.अ.से. नियम 35 के अंर्तगत भवन/परिसर के मालिक या निवासी को एफ.एस.सी. में अग्नि रोकथाम और सुरक्षा मापदण्डों के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों[13] के साथ जारी किया जाता है, एफ.एस.सी. पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ वास्तुकार, मालिक या निवासी का प्रमाण पत्र कि नियम 33 के तहत सभी आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय इमारत में लगवा दिये गये है, संलग्न होना चाहिए। एफ.एस.सी. पत्र जब तक निरस्त न किया जाय आवासीय भवनों के लिए पाँच वर्ष एवं गैर आवासीय भवनों के लिए तीन वर्ष तक मान्य होगा। दि.अ.से. का अग्नि रोकथाम की दिल्ली में इन प्रमाण पत्रों को भवनों/परिसरों के लिए जारी करता है। इसलिए उनके पास गगनचुम्बी इमारतों और उनके मालिकों के बुनियादी आँकड़े होने चाहिए जो कि अपनी इमारतों के संबंध में एफ.एस.सी. हासिल करना चाहते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.एफ.एस. ने एफ.एस.सी. के नवीनीकरण और जारी करने के लिए आँकड़े अनुरक्षित नहीं किए, जिनके अभाव में दि.अ.से. ऐसी स्थिति में नहीं था कि वह सभी गगनचुम्बी इमारतों के एफ.एस.सी. के नवीनीकरण और जारी करने पर नजर रख सके, जो एक बड़े अन्तर एवं प्रणालीगत कमियों को प्रकट करता है जो यह प्रदर्शित करते हैं कि अग्नि सुरक्षा उपाय अपनी जगह पर नहीं थे एवं अग्नि सुरक्षा मापदण्ड दृढ़ता से लागू नहीं किये गये थे।

दि.अ.से. ने (अगस्त 2015) इस तरह के बुनियादी आँकड़ों के गैर–रखरखाव की पुष्टि की, लेकिन दि.अ.से. ने पुनः सूचित किया कि (सितम्बर 2015) प्रिंट मीडिया के माध्यम से एफ.एस.सी. के नवीनीकरण और हासिल करने के लिए मालिकों/निवासियों को सूचित किया गया था। यह भी कहा गया कि बुनियादी आँकड़ों के रख–रखाव के लिए सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया, लेकिन हाल ही में कुछ कमी के कारण इसने काम करना बंद कर दिया। दि.अ.से. ने (फरवरी 2016) कहा कि दि.अं. से के नवीनीकरण का प्रस्ताव जनवरी 2016 में प्रस्तुत किया गया था। एक बार कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न हो जाए तो बुनियादी आँकड़े उपलब्ध हो जायेंगें।

2.2.7.2 निवासियों द्वारा वार्षिक रखरखाव घोषणा की गैर–प्रस्तुति

दि.अ.से. नियम 38(2) के अनुसार यह आवश्यक है कि भवनों या परिसरों[14] के निवासी या अग्नि सुरक्षा अधिकारी प्रत्येक वर्ष फार्म–K में घोषित करें कि भवन या परिसर में स्थापित अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा मापदण्ड, अच्छी स्थिति में हैं। दि.अ.से के अग्नि रोकथाम खण्ड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया था कि भवनों के मालिकों द्वारा फार्म–K की प्रस्तुति के अभिलेखों का रख–रखाव नहीं था। इन अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा आश्वस्त नहीं हो सका कि दि.अ.से. नियम के अंतर्गत निर्धारित अग्नि सुरक्षा मापदण्डों का दिल्ली में अनुसरण किया गया था।

[13]दि.अ.से. नियमावली का नियम 27: आवासीय >15 मीटर, होटल >12 मीटर, शैक्षणिक >9 मीटर, संस्थानिक >9, व्यापार >15, औद्योगिक इमारतों ने 250 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र घेरा हुआ है।

[14]डी.एफ.एस. अधिनियम का खण्ड 29: 1000 व्यक्तियों से अधिक के बैठनें की क्षमता के साथ सिनेमाघर, 100 कमरों के अधिक के होटल, 50 मीटर ऊँचाई से अधिक की गैर–आवासीय बहुमंजली इमारतें

दि.अ.से ने सूचित किया (सितम्बर 2015) कि कुछ मालिकों ने फार्म–K प्रस्तुत किया और उनका आँकड़ा अव्यवस्थित रूप से एक्सैल शीट में रखा जा रहा था। यह मामला (सितम्बर 2015) रा.रा.क्षे.दि.स. और आईटी विभाग के समक्ष नवीनीकरण के लिए उठाया गया और आश्वासन दिया गया कि व्यवस्थित अभिलेख रखने के लिए आँकड़ा प्रविष्टि प्रणाली अतिशीघ्र विकसित की जाएगी। दि.अ.से. ने आगे कहा (फरवरी 2016) कि एक बार कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न होते ही बुनियादी आँकड़े उपलब्ध हो जाएंगे।

2.2.7.3 अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति पर आँकड़ों का गैर रख–रखाव

अधिनियम के खण्ड 29 के अनुसार निर्धारित वर्ग के मकानों या परिसरों[15] के मालिक या निवासी या ऐसे मालिकों और निवासियों की समिति एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी (एफ.एस. ओ.) नियुक्त करेंगे, जो सभी अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा मापदण्डों और प्रभावी संचालन के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। खण्ड 31 में आगे प्रावधान है कि यदि भवनों या इमारतों का कोई मालिक या निवासी या ऐसे मालिकों या परिसरों की संस्था दि.अ.से. द्वारा प्राप्त सूचना के 30 दिनों के भीतर एफ.एस.ओ. नियुक्त करने में विफल होते है, तो कम से कम ₹ 10 प्रतिवर्ग मीटर और अधिक से अधिक ₹ 50 प्रति वर्ग मीटर, चूक किए जाने के प्रत्येक महीने के लिए जुर्माने के रूप मे उन से वसूल किये जा सकते है। लेखापरीक्षा ने देखा कि अग्नि शमन सेवा के पास बुनियादी आँकड़े या विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं थे जिससे यह स्थापित हो सके कि दि.अ.से. ने कोई भी अभ्यास या अभियान निर्धारित भवनों में अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में दि.अ.से. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए किया था।

दि.अ.से. ने (जून 2015) लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि की तथा कहा कि न तो इस विषय में पाँच वर्षों के दौरान कोई सूचना जारी की गई और न ही कोई जुर्माना लगाया गया। दि.अ.से. ने (सितंबर 2015) सूचित किया कि एफ.एस.ओ,. की नियुक्ति के लिए सभी प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी की गयी थी और एक बार कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर, बुनियादी आँकड़ें उपलब्ध हो जाएंगे।

2.2.7.4 इमारतों में अग्निशमन प्रणालियों की नमूना जाँच

दि.अ.से. ने इमारतों में 12 बिन्दुओं के मानक–प्रपत्र के अनुसार यह देखने के लिए कि अग्नि सुरक्षा मापदण्ड सही है निरीक्षण किया। मानक–प्रपत्र की 12 आवश्यकताऐं है– **(i)** छः मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग, **(ii)** जल संचयन टंकी, **(iii)** स्वचालित फुहार प्रणाली, **(iv)** होज रील, **(v)** पोर्टेबल उपकरण, **(vi)** जनसंबोधन प्रणाली, **(vii)** स्वचालित आग संसूचक/हस्तचालित घंटी, **(viii)** निकासी संकेत, **(ix)** वेंट राइजर/डाउन कमर/ड्राई राइजर, **(x)** कम्पार्टमेंटेशन[16], **(xi)** आपातकालीन विद्युत आपूर्ति, **(xii)** फायरमैन स्विच। जाँच सूची के इन 12 बिन्दुओं पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, दि.अ.से. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (एफ.एस. सी.) जारी करता है। लेखापरीक्षा ने दि.अ.से. अधिकारियों और लो.नि.वि./के.लो.नि.वि. के अधिकारियों के साथ यादृच्छिक रूप से चयनित आठ भवनों के स्थलों का दि.अ.से. के 12

[15]डी.एफ.एस. अधिनियम का खण्ड 29: 1000 व्यक्तियों से अधिक के बैठने की क्षमता के साथ सिनेमाघर, 100 कमरों के अधिक के होटल, 50 मीटर उँचाई से अधिक की गैर–आवासी; बहुमंजली इमारते

[16]किसी भी क्षेत्र में आग एवं धुएँ को फैलने से बचाने के लिए विशिष्ट दरवाजों का प्रयोग।

पाईंटस वाले जाँच सूची पत्र की अनुपालना की नमूना जाँच करने के लिए निरीक्षण किया।

निष्पादन लेखापरीक्षा (मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) ने स्कूल–सिनेमा हॉल और गगनचुम्बी इमारतों के संबंध में अग्नि सुरक्षा मापदण्डों को जारी करने तथा अनुपालना में हुई कमियों को इंगित किया। तथापि इसी तरह की स्थिति पाँच वर्षों के बाद भी कायम है जो अग्नि सुरक्षा मापदण्डों के कार्यन्वयन में दि.अ.से. की विफलता को संकेतित कर रहा है। प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान पाये गये कुछ व्याख्यात्मक उदाहरण नीचे दिए गए हैः

- अंतरिक्ष भवन में छः मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग बाधित था और विक्रम मीनार में, यह केवल सामने की ओर से उपलब्ध था।
- विक्रम मीनार और आर.एम.एल. अस्पताल में कम्पार्टमेंटेशन उचित नहीं था।
- डी.डी.यू. अस्पताल में जन संबोधन प्रणाली कार्य नहीं कर रही थी।
- पालिका केन्द्र भवन में बाहर निकलने के संकेत उपलब्ध नहीं थे।
- विक्रम मीनार, डी.डी.यू. अस्पताल और जी.टी.बी. अस्पताल में आपातकालीन बिजली की आपूर्ति कार्य नहीं कर रही थी।
- डी.डी.यू. अस्पताल में अग्निशमन के प्रयोजन के लिए जल उपलब्ध नहीं था।
- आपातकालीन निकास द्वार डी.डी.यू. अस्पताल, आर.एम.एल. अस्पताल में बंद थे और अंतरिक्ष भवन में संकीर्ण थे।
- अंतिम एन.ओ.सी. अंतरिक्ष भवन में 1995 और विक्रम मीनार में 2004 में जारी किया गया था।
- पिछले तीन वर्षों में एस.एफ.सी. लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षित आठ में से चार[17] इमारतों/जगहों को ही जारी किया गया था। यह केवल यही पुष्टि करता है कि एन.ओ.सी./एफ.एस.सी. का नवीनीकरण तभी किया गया जब मालिक दि.अ.से. मांगे।
- आर.एम.एल. अस्पताल के पी.जी.आई. खण्ड की सभी अग्नि प्रणाली काम करने की अवस्था में नहीं थी और न ही, कोई अग्नि कर्मचारी नियुक्त किया गया था।

दि.अ.से. ने (फरवरी 2016) स्वीकार किया और सूचित किया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए भवनों का पुनर्निरीक्षण किया गया था एवं कार्यवाही की गई थी।

2.2.8 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आन्तरिक नियंत्रण वे सुरक्षा उपाय है जो एक संगठन के प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन देने के लिए लगाये जाते हैं कि उसका संचालन योजनानुसार आगे बढ़ रहा है। इनकी रचना यह तार्किक आश्वासन दिलाने के लिए भी हुई है कि संस्था के सामान्य उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं। ऐसे आन्तरिक नियंत्रणों द्वारा प्रदत्त तार्किक आश्वासन लोक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करते हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने इस प्रतिवेदन के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में सम्मलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

[17]आर.एम.एल. फरवरी 2015, सिविक सैंटर मई 2015, पलिका केन्द्र फरवरी 2014 एवं बी.एल. कपूर अस्पताल फरवरी 2013

से दि.अ.से. की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी जैसे कि अग्निशमन केन्द्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त न करना, क्षेत्रों के विस्तृत डाटाबेस तैयार न करना, संबंधित अग्निशमन केन्द्रों के अन्तर्गत जनसंख्या एवं भौगौलिक नक्शा, गगनचुम्बी इमारतों की संख्या, दिल्ली में इमारतों के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों को जारी करने एवं नवीनीकरण के विवरण का गैर रखरखाव इत्यादि को दर्शाया।

2.2.9 निष्कर्ष

दि.अ.से. द्वारा अग्नि की रोकथाम के लिए किये गये प्रयत्न एवं उनकी प्राप्ति के लिए उसकी योजना एवं तैयारी दिल्ली जैसे महानगर के आकार एवं विविधताओं के अनुसार नहीं थीं। उन्होने संबंधित अग्निशमन केन्द्रों के अन्दर न तो क्षेत्र और जनसंख्या के व्यापक आँकड़े एवं क्षेत्र के भौगोलिक मानचित्र तैयार किये और न ही उनको दिल्ली में गगनचुम्बी इमारतों की संख्या और इन इमारतों को जारी किए गए एन.ओ.सी./एफ.एस.सी की स्थिति का पता था। दि.अ.से. मुख्य रूप से ऑपरेशनल कार्मिकों एवं अग्नि शमन टेंडरों/बाउजरों जैसे संसाधनों की कमी से भी ग्रस्त था, उपलब्ध संचार उपकरण अपर्याप्त एवं बहुत पुराने थे, जो डी.एफ.एस. के कार्य निष्पादन को बाधित कर रहे थे।

अग्नि सुरक्षा प्रबंधक अकादमी ने दि.अ.से. के मौजूदा कर्मचारियों के लिए कोई प्रशिक्षण या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया और न ही कोई विद्युत या रसायनिक अग्नि शमन प्रशिक्षण आयोजित किया।

2.2.10 सिफारिशें

दि.अ.से. :

(i) क्षेत्र, जनसंख्या एवं जोखिम–खतरों के व्यापक आँकड़े तैयार कर सकता है।

(ii) अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों को जारी करने एवं नवीनीकरण करने का अनुवीक्षण कर सकता है।

(iii) नये अग्निशमन केन्द्रों की शीघ्रता से स्थापना करके दिल्ली की जरूरत के अनुसार आवश्यक अग्निशमन वाहन, उपकरण एवं संचार सुविधाओं को प्राप्त कर उनमें सुधार कर सकता है।

(iv) इमारतों में अग्निशमन मानकों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए नियमित मूल्यांकन कर सकता है।

(v) स्थायी अग्नि सलाहकार समीति द्वारा सिफारिश किये गये मानदंडो के अनुसार प्रतिक्रिया समय में सुधार लाने के लिए कदम उठा सकता है।

मामला दिसंबर 2015 में सरकार को भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

शहरी विकास विभाग

2.3 दिल्ली जल बोर्ड में परियोजनाओं का कार्यान्वयन

दिल्ली में, दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) पीने के पानी के उत्पादन एवं वितरण तथा सीवेज के संग्रहण, शोधन एवं निपटान हेतु उत्तरदायी है। अवधि 2010–15 को लेते हुए "दिल्ली जलबोर्ड में परियोजनाओं के कार्यान्वयन" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है :

मुख्य बिन्दु:

- *नियंत्रण क्षेत्र से सीवेज परिशोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) तक सीवेज को लाने के लिए पर्याप्त वहन प्रणाली की कमी के कारण सीवेज परिशोधन संयंत्रो (एस टी पी) की उपयोगिता क्षमता केवल 66 प्रतिशत थी।*

(पैराग्राफ 2.3.2.1(i))

- *अपरिष्कृत पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना द्वारका, बवाना एवं ओखला में 150 एम.जी.डी. हेतु जल परिशोधन संयंत्र एवं सहायक बुनियादी ढाँचे विकसित किये गए।*

(पैराग्राफ 2.3.2.2(ii))

- *क्रियान्वयन में देरी के लिए, 12 निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के बिल से जुर्माने के एवज में ₹ 104.20 करोड़ कम रोके गये।*

(पैराग्राफ 2.3.3.1)

- *ठेकेदार को सीवर लाईन के बिछाये जाने हेतु सीमित ट्रेंच से माइक्रो टनलिंग तकनीक में बदलने के लिए अनुमति दी गई जिस कारण ₹ 15.33 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।*

(पैराग्राफ 2.3.3.2)

- *53 निर्माण कार्यों में से 44 में कार्य के क्रियान्वयन में 5 से 85 महीने तक का विलम्ब हुआ।*

(पैराग्राफ 2.3.5.1)

2.3.1 प्रस्तावना

दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998 के अन्तर्गत दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो) का गठन हुआ। शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स, दि.ज.बो. का प्रशासनिक विभाग होता है जो पीने के पानी के उत्पादन एवं वितरण के साथ–साथ दिल्ली में अपशिष्ट जल/सीवेज के शोधन संग्रहण एवं सीवेज के निपटान के लिए उत्तरदायी है। अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु, दि.ज.बो पानी के शोधन संयंत्र, सीवेज शोधन संयंत्र, भूमिगत जलाशयों, पम्पिंग स्टेशनों की निर्माण तथा पानी की पाईप लाईनों और सीवर लाइनो के बिछाने जैसी परियोजनाएँ चलाता है।

2.3.1.1 संगठनात्मक ढाँचा

दि.ज.बो. का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है जिसे उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक गैर–कार्यालयीय सदस्य, एक कार्यकारी कार्यालयीय सदस्य, चार सदस्य (प्रशासन, वित्त, जल आपूर्ति एंव जल निकासी), पाँच निदेशक, दस मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं एंव कार्यकारी अभियन्ताओं द्वारा मदद की जाती है।

2.3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का विस्तृत उद्देश्य दि.ज.बो. में परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना एवं आकलन करना था कि क्या

- परियोजना की अवधारणा एवं योजना आवश्यकताओं पर आधारित एवं दीर्घावधि/ मुख्य योजना में तय प्राथमिकताओं के अनुरूप थी,
- परियोजनाओं की निविदा, कार्य सौंपने और उनका क्रियान्वयन वर्तमान नियमों के अनुरूप था,
- वित्तीय प्रबंधन कुशल था,
- पूरी हुई परियोजना ने इच्छित उद्देश्यो को पूरा किया, एवं
- प्रभावी आँतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र मौजूद था।

2.3.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि को लेते हुए दि.ज.बो में परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा दि.ज.बो के मुख्यालय और इनके संभागो पर की गयी थी। लेखापरीक्षा ने जाँच हेतु ₹ 50 करोड़ से अधिक लागत की उन परियोजनाओं का चयन किया जो 2010–15 के दौरान आरम्भ, चालू या पूर्ण की गई थी। इन 34 परियोजनाओं के अधीन 53 निर्माण कार्य थे **(अनुलग्नक 2.3)**।

लेखापरीक्षा हेतु चयनित 34 परियोजनाओं में से छः परियोजनाएँ[18] दि.ज.बो. के सतर्कता शाखा/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/तथ्यान्वेषण समिति द्वारा जाँच के अधीन थीं एवं ज्यादातर मूल अभिलेख उनके पास थे। इन परियोजनाओँ के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष संबंधित संभागों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की प्रतियों पर आधारित है। लेखापरीक्षा के क्षेत्र, उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली पर चर्चा करने के लिए 19 मई 2015 को दि.ज.बो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ प्रवेश सम्मेलन किया गया। मसौदा प्रतिवेदन 28 दिसंबर 2015 को सरकार को भेजा गया एवं 11 फरवरी 2016 को आयोजित समापन सम्मेलन में चर्चा की गई। समापन सम्मेलन में दि.ज.बो. के कर्मचारियों द्वारा व्यक्त किए गये विचार एवं सरकार से प्राप्त उत्तर को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है (मार्च 2016)।

[18](i) द्वारका में अपरिष्कृत जल के पम्प हाउस का निर्माण एवं अपरिष्कृत पानी के मुख्य साधनों का उपयोग (ii) मालवीय नगर में पानी के वितरणकी दक्षता को सुधारना (iii) महरौली एवं वसंत विहार में पानी की आपूर्ति हेतु सेवा स्तर में सुधार (iv) पानी टैंकर आपूर्ति सेवाओं का कार्यान्वयन (v) नांगलोई पानी शोधन संयंत्र के नियंत्रण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रणाली का सुधार एवं उन्नति (vi) पानी के मीटरों की आपूर्ति एवं स्थापना।

2.3.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड जिसके प्रति लेखापरीक्षा निष्कर्ष निर्धारित किये गये थे, निम्नानुसार हैः

- दिल्ली सीवरेज मास्टर प्लान 2031 एवं पानी की दीर्घावधि योजना,
- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्य मैनुअल, 2012,
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005
- अनुबंध की सामान्य शर्ते और
- सम्बन्धित एजेंसी द्वारा जारी किए गए निर्देश एवं आदेश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने परियोजनाओ के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों जिसमे अवधारणा, योजना, अनुबन्ध को दिया जाना एवं क्रियान्वयन शामिल होता है, की जाँच की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

2.3.2 अवधारणा एवं योजना

संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु परियोजनाओं की अवधारणा को जरूरत के आधार पर एंव संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप प्राथमिकता के अनुसार बनाये जाने की आवश्यकता थी। यह मशीनरी एंव बुनियादी ढाँचों को निरर्थक पड़े रहने से बचाएगा। इसी प्रकार, दि.ज. बो. जैसे संगठन के अधीन किसी परियोजना हेतु कच्चे माल की उपलब्धता का आकलन, उदाहरण के तौर पर अपरिष्कृत पानी (पानी परिशोधन संयंत्र हेतु), पीने के पानी की आवश्यकता (वितरण हेतु), सीवेज उत्पत्ति (पम्पिंग एवं प्रोसेसिंग हेतु) परियोजना के पहले करनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने सीवरेज एवं पानी आपूर्ति के अधीन चयनित परियोजनाओं की जाँच की एवं परियोजनाओं की अवधारणा एवं योजनाओं में कमियों को देखा जैसा कि आगे के पैराग्राफों में दिखाया गया हैः

2.3.2.1 सीवरेज परियोजनाएँ

सीवरेज प्रणाली की परियोजनाओं को दिल्ली सीवरेज मास्टर प्लान 2031 (दि.सी.मा.प्ला.) जो जून 2014 में पूरा हुआ था, के अनुरूप किया जा रहा था।

एस टी पी[19] की क्षमता का कम उपयोगः दि.सी.मा.प्ला दिल्ली को 12 पानी की निकासी के क्षेत्रो में बाँटता है एवं प्रत्येक पानी की निकासी के क्षेत्रों हेतु एस टी पी की आवश्यक क्षमता के साथ 2011, 2021 एवं 2031 हेतु अपेक्षित सीवेज उत्पत्ति को प्रक्षेपित करता है। विभिन्न क्षेत्रों में एस टी पी की क्षमताओं एवं उन पर वास्तव में परिशोधित सीवेज के ब्यौरे **सारणी 2.3.1** में दिए गए हैं।

[19]सीवेज परिशोधन संयंत्र

सारणी 2.3.1: एसटीपी की क्षमता एवं वास्तव में परिशोधित सीवेज की मात्रा का विवरण

(एम जी डी में सीवेज की मात्रा)

क्र. सं.	पानी की निकासी का क्षेत्र	कुल संयंत्र क्षमता	एस.टी.पी. जो बंद हो गए है या चालू नहीं हुए है, की क्षमता	वास्तविक उपलब्ध क्षमता	2011 में प्रक्षेपित सीवेज की उत्पत्ति''	वर्तमान में शोधित सीवेज की मात्रा	क्षमता उपयोगिता की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)–(4)	(6)	(7)	(8)
1	शाहदरा	144	30	114	110	70	61
2	ओखला	170	30	140	137	112	80
3	दक्षिणी दिल्ली	15	5*	10	23	10	100
4	बाहरी दक्षिणी दिल्ली	-	-	-	10	-	-
5	नरेला	10	-	10	26	1.5	15
6	कोरोनेशन	40	10	30	55	20	67
7	नजफगढ	5	-	5	43	4.5	90
8	निलोठी	60		60	45	40	67
9	कंझावला	-	-	-	35.5	-	-
10	रोहिणी रिठाला	95	-	95	95	70	74
11	द्वारका	40		40	38.4	34	85
12	केशोपुर	72	-	72	62	69	96
	योग	**651**	**75**	**576**	**679.9**	**431**	**75**

** सीवेज की अनुपलब्धता के कारण एस टी पी चालू नहीं हुए।*

*** स्रोत: दिल्ली के लिए सीवरेज मास्टर प्लान–2031 एवं दिल्ली जब बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना*

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (रा.रा.क्षे.दि.स. से संबंधित 2013 के संख्या 2) में विशिष्ट रूप से दर्शाया गया था कि एस.टी.पी की क्षमता उपयोगिता केवल 67.57 प्रतिशत थी जो संयंत्रों के जल निकासी के बहाव की प्रणाली के अभाव को बताता है। दो वर्षों के बाद, बन्द या चालू नहीं हुए एस.टी.पी. के 75 एम.जी.डी की क्षमता को छोड़कर क्षमता उपयोग में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011 में 651 एम.जी.डी की कुल स्थापित संयंत्र क्षमता 679.9 एम.जी.डी. के प्रक्षेपित सीवेज उत्पत्ति के लगभग 96 प्रतिशत थी। स्थापित क्षमता का अत्यन्त उपयोग दिल्ली में यमुना नदी में अशोधित सीवेज के प्रवाह की समस्या को बहुत हद तक सुधारेगा। यद्यपि, 75 प्रतिशत के वास्तविक उपयोग क्षमता के साथ (66 प्रतिशत अगर संयंत्र बन्द हो गये हो या चालू नहीं हुए हो की क्षमता पर विचार करें) 2015 के दौरान केवल 431 एम.जी.डी सीवेज को 2011 के 679.9 एम.जी.डी के प्रक्षेपित सीवेज उत्पत्ति अर्थात 63 प्रतिशत के प्रति शोधित किया जा रहा था। 2021 तक 863.4 एम.जी.डी एवं 2031 तक 1,061.6 एम.जी.डी के सीवेज उत्पत्ति में प्रक्षेपित वृद्धि के साथ, यमुना नदी में डाले जा रहे अशोधित सीवेज की मात्रा वर्तमान एस.टी.पी. की क्षमता उपयोग को सुधारने के लिए किसी भी संबंधित योजना की अनुपस्थिति में संभवतः वृद्धि करता एवं सीवेज की उत्पत्ति की प्रवृति के साथ नये संयंत्रों के समानुरूप काम में लाया जाता।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि स्थापित क्षमता एवं सीवेज के बीच अन्तर मुख्यतः स्त्रोत एवं एस टी पी के बीच वाहन प्रणाली की कमी के कारण हुआ और इनमें से अधिकतर दिसम्बर 2016 में इन्टरसेप्टर सीवर के पूरा होने के बाद अधिक उपयोगिता को प्राप्त करेगा। दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित क्षेत्रों में आबादी कम होने के कारण नरेला एवं रोहिणी क्षेत्रों में उपयोगिता कम रही।

(ii) सीवेज उत्पत्ति एवं उप–नालों पर डाटाबेस का अभावः जनवरी 2008 में स्वीकृत इंटरसेप्टर सीवर (आई एस) परियोजना का उद्देश्य उपनालों के द्वारा मुख्य नालों में सीवर (शुष्क मौसम प्रवाह) को डालना था। उपनालों में प्रवाह की अवधारणा के लिए सीवर का आकार, अवरोधन चैम्बरों, पम्पिंग स्टेशनो एवं सहायक संरचना का मूल्यांकन जरूरी है। आई. एस. परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी पी आर) के तकनीकी मूल्यांकन (अगस्त 2009) के दौरान, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने देखा कि प्रत्येक सीवेज क्षेत्र से उपनालों में पानी के बहाव को मापा नहीं गया था एवं डी पी आर में दिखाया नहीं गया था और दि.ज.बो. को परियोजना के कार्यान्वयन से पहले प्रति व्यक्ति सीवेज/मलजल का संग्रहण करने के लिए निर्देश दिया। जुलाई 2011 में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ठेका तीन एजेंसियों को दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2013, अगस्त 2014 एवं मार्च 2015 के दौरान कार्य के क्षेत्र में जरूरी बदलावों सहित नये/अतिरिक्त उपनालो को परामर्शदाता द्वारा दर्ज किया गया। यह दर्शाता है कि दि.ज.बो. के पास उपनालों की मुख्य नालों में निकासी के लिए कोई व्यापक डाटा नहीं था। इसके अतिरिक्त, परियोजनाएँ जो दिसम्बर 2011 तक पूर्ण होनी थी, मार्च 2016 तक चार वर्षों से अधिक पहले ही विलम्बित हो गयी थी एवं उनके दिसम्बर 2016 तक ही चालू होने की संभावना थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि इन्टरसेप्टर सीवर का बहाव भविष्य के 2036 तक प्रक्षेपित था तथा शामिल करने के पर्याप्त प्रावधान के साथ डिजाईन किये गये थे। कार्य के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन न केवल सीवेज/मलजल के सही आकलन पर आधारित निर्माण कार्यों के डिजाईन में सावधानी की कमियों को दर्शा रहा था बल्कि इससे परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब एवं लागत भी बढ जाती है।

(iii) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के निर्दशों की गैर–अनुपालनाः यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर की स्थिति में, दिल्ली प्रदूषण नियत्रंण समिति (दि.प्र.नि.स) ने दि.ज. बो को भविष्य के एसटीपी में बहिः प्रवाही धारा हेतु 10 एमजी/एल के बी ओ डी[20] मानक एवं 15 एमजी/एल के टी एस एस[21] को प्राप्त करने का निर्देश दिया (जनवरी 2001)। यद्यपि, लेखापरीक्षा समीक्षा दर्शाती है कि कोंडली, केशोपुर एवं ओखला में तीन एस टी पी के निर्माण हेतु कार्य आदेश 20 एमजी/एल एवं 30 एमजी/एल के बी.ओ.डी. एवं टी एस एस मानक के साथ दिसम्बर 2007 और मई 2008 के बीच जारी किया गया जो दि.प्र.नि.स के निर्देशों के अनुरूप नहीं था। परिणामतः यमुना में प्रदूषण ज्यों का त्यों बना रहा।

विभाग ने अपने उत्तर में (मार्च 2016) कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा था जो अक्टूबर 2015 में संशोधित किए गए थे जबकि इन

[20]बायो आक्सीजन डिमांड

[21]कुल रोका गया ठोस पदार्थ

एस टी पी का इस संशोधन से पहले निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि संशोधित मानदण्ड को कम करने के लिए पुराने संयंत्रो की पुनः स्थापना की जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.ज.बो. को दि.प्र.नि.स. के मानदण्ड का पालन करना चाहिए था क्योंकि इसे के.प्र.नि.बो. द्वारा राज्य बोर्ड की शाक्तियों एवं कार्यों को सौंपा गया है।

(iv) एसटीपी पर उत्पादित बायो गैस से उर्जा उत्पादन के लिए घटक का शामिल न होनाः एसटीपी की बनावट में आमतौर पर सीवेज प्रोसेसिंग के दौरान उत्पादित बायो गैस को एकत्रित करने के लिए गैस धारक शामिल होता है जिसका बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओखला (जून 2012 में पूर्ण हुआ) एवं कोंडली (अगस्त 2013 में पूर्ण हुआ) में एसटीपी के पास इस तरह के प्रावधान थे एवं वह बिजली उत्पादन कर रहा था। परियोजना 'केशोपुर में (जनवरी 2014 में पूर्ण हुई) 12 एमजीडी[22] एसटीपी के विध्वंस और पुनर्निर्माण एवं 20 तथा 40 एमजीडी क्षमता के दो मौजूदा एसटीपी के पुनर्वास से सम्बन्धित अभिलेखो की लेखापरीक्षा समीक्षा दर्शाती है कि बायोगैस से बिजली के उत्पादन हेतु उर्जा संयंत्र की स्थापना को परियोजना में शामिल नहीं किया गया। इस तरह, दि.ज.बो ने उपलब्ध बायोगैस के उपयोग करने के अवसर को नजर अंदाज किया।

अपने उत्तर में (मार्च 2016), विभाग ने कहा कि इसने विभिन्न एस टी पी पर उत्पन्न बायो गैस के उपयोग हेतु नवम्बर 2011 में दो संस्थाओं के साथ समझौता किया परन्तु ज्यादा प्रगति हासिल नहीं हो सकी। यद्यपि दि.ज.बो. प्रस्ताव के पुनरुत्थान के लिए कोशिश कर रहा था।

इस प्रकार, एस.टी.पी. के स्थापित क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु एस.टी.पी. तक सीवेज लाने के लिए वाहन प्रणाली का न होना, अपूर्ण इन्टर सेप्टर सीवर परियोजना, दि.प्र.नि.स. द्वारा निर्धारित मानकों का अनुसरण किये बिना एस.टी.पी. का निर्माण तथा एस.टी.पी. के डिजाईन में बायो गैस से बिजली के उत्पादन हेतु ऊर्जा संयंत्र को शामिल न करना दि.ज.बो. द्वारा सीवर परियोजनाओं की अवधारणा एवं योजना में कमी को दर्शाता है।

2.3.2.2 जल आपूर्ति परियोजनाऐं

(i) जल की आवश्यकता के निर्धारण हेतु डाटा का गैर–रखरखावः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सेवास्तर बेंचमार्किंग पर हैंड बुक के अनुसार, प्रतिव्यक्ति जल आपुर्ति की मात्रा एवं घरेलू स्तर पर सीधे जल आपूर्ति कनेक्शनों की मात्रा से सम्बधित डाटा शहर में जल आपूर्ति सेवाओ के निष्पादन संकेतक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, किसी क्षेत्र के प्रक्षेपित वास्तविक जल आवश्यकता निर्धारण करने हेतु दि.ज.बो के पास जनसंख्या, पानी की उपलब्धता एवं इसकी प्रति व्यक्ति खपत पर क्षेत्रवार डाटा होना चाहिए था।

परियोजना 'पानी टैंकर आपूर्ति सेवा (डब्लू टी एस एस) के अन्तर्गत पाँच क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु दि.ज.बो ने 10 वर्षो के लिए पाँच ठेके (अगस्त एवं सितम्बर 2012 के बीच) सौंपे। ठेके के अनुसार, ठेकेदारों को 3000 लीटर क्षमता के 130 टैकर एवं 9000 लीटर क्षमता के 255 टैंकर उपलब्ध कराने थे। पानी के टैंकरो की आवश्यकता का आकलन ठेके

[22]लाख गैलन प्रतिदिन

दिये जाने के समय किया गया। यद्यपि, दि.ज.बो के पास आवश्यक पानी की वास्तविक मात्रा पर क्षेत्रवार डाटा उपलब्ध नहीं था एवं वास्तविक जरूरत को दिखाने के लिए ग्राहको को जल आपूर्ति की तथा टैंकरों के द्वारा पानी के वितरण को नियमित किया जाता था।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि सार्वजनिक एवं रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से भौतिक सर्वेक्षण एवं सूचना संग्रहण के माध्यम से अध्ययन के बाद ठेकों को सौंपा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने टैंकरों के द्वारा वास्तविक आवश्यकता एवं आवंटन को प्रक्षेपित करने के क्षेत्रवार डाटा के रखरखाव की आवश्यकता को नहीं उठाया।

(ii) परियोजनाओ के चालू होने से पहले जल की उपलब्धता का पता न लगानाः द्वारका में डब्लू टी पी[23] परियोजना का प्रस्ताव करते समय (सितम्बर 2005) दि.ज.बो ने द्वारका क्षेत्र के लिए 83.15 एम जी डी पानी की आवश्कता को प्रक्षेपित किया एवं 50 एम जी डी डब्लू टी पी के निर्माण तथा बवाना से प्रत्येक 55 एमजीडी क्षमता के दो अपरिष्कृत पानी की पाईपलाइनो को बिछाने की योजना बनायी। डब्लू टी पी ने मार्च 2015 से कार्य करना शुरू किया एवं दिसम्बर 2015 तक क्षेत्र में लगभग 40 एम जी डी शुद्ध पानी की आपूर्ति शुरू हो गयी। इसके अतिरिक्त, दो अपरिष्कृत पानी की पाईपलाइनो जिस पर ₹ 383.71 करोड़ व्यय हुए (केवल एक लाईन चालु की जा सकी), 110 एम जी डी की थी। जबकि इसके विपरीत बवाना में डब्ल्यू टी पी और पम्म हाउस (जहाँ से अपरिष्कृत पानी को लिया जाना था) की क्षमता केवल 50 एम जी डी थी। क्षेत्र में पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपरिष्कृत पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित न करने के साथ असंगत नियोजन को भी दर्शाता है।

इसी प्रकार, दि.ज.बो ने ओखला में 40 एम जी जी के डब्लू टी पी के निर्माण हेतु ₹ 137 करोड़ के अनुमान को अनुमोदित किया जिसकी क्षमता अपरिष्कृत पानी की अनुपलब्धता के कारण सितम्बर 2008 में 20 एम जी डी तक कम कर दी गई। इस संयंत्र हेतु अपरिष्कृत पानी मुनक नहर (सी एल सी)[24] के निर्माण के बाद बचाये गये पानी से प्रदान किया जाना था। यद्यपि, डब्लू टी पी पर 20 एम जी डी प्रदान करने हेतु अपरिष्कृत पानी का नियमित स्त्रोत उपलब्ध नही था जिसके कारण डब्लू टी पी के निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि द्वारका डब्लू टी पी तीन संयंत्रों में से एक था जिससे मुनक नहर (सी एल सी) के पूर्ण होने पर 95 एम जी डी के अतिरिक्त अपरिष्कृत पानी की उपलब्धता की उम्मीद की जा रही थी जैसा कि हरियाणा सिंचाई विभाग व दिल्ली जल बोर्ड के बीच सहमति बनी थी (फरवरी 1993)। इसके अतिरिक्त यह भी जोड़ा गया कि भविष्य की माँग पर विचार करते हुए इरादत नगर मे अपरिष्कृत पानी पम्प हाऊस व द्वारका में डब्लू टी पी के बीच 110 एम जी डी क्षमता के पाइपलाइनों को एक ही बार में बिछाया गया था क्योंकि भूमि/संरेखण जो इस समय उपलब्ध है बाद में उपलब्ध नहीं हो सकती है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सी एल सी से प्राप्त अपरिष्कृत पानी मात्र 95 एम जी डी था जबकि दि.ज.बो. द्वारा उत्पन्न किये जा रहे आधारभूत संरचना को 150 एम जी डी की आवश्यकता होगी।

[23]जल परिशोधन संयंत्र

[24]कैरियर लाईन्ड चैनल

इस प्रकार, दि.ज.बो. के पास पाईप लाइनों की कमी वाले क्षेत्रों में पाईप के द्वारा पानी के कनेक्शनों को उपलबध करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना नहीं थी। साथ ही, दि.ज.बो. के पास पानी के टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति को नियमित करने के लिए पीने के पानी की आवश्यकता पर क्षेत्रवार डाटा नहीं था। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं को शुरू करने से पहले अपरिष्कृत पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफलता के कारण उत्पन्न आधारभूत संरचना निष्क्रिय पड़ी रही।

2.3.3 वित्तीय प्रबंधन

लेखापरीक्षा हेतु चयनित परियोजनाओं में ₹ 2,683.02 करोड़ के कुल लागत के साथ सीवरेज सिस्टम से संबंधित 22 परियोजनाएँ एवं ₹ 3,548.07 करोड़ के कुल लागत के साथ जल आपूर्ति से संबंधित 12 परियोजनाएँ शामिल थी। इन परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में पायी गई कमियों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.3.3.1 जुर्माने के रूप में ₹ 104.20 करोड़ कम रोका गया

दि.ज.बो. के की ठेके की सामान्य शर्तों के खंड 10.3.1 के अनुसार कार्य में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति, लागत मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रति दिन के आधार पर प्रतिमाह के विलम्ब हेतु लागत मूल्य के 1.5 प्रतिशत होगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि दि.ज. बो के संभाग प्रतिमाह विलम्ब के लिए लागत मूल्य के 1.5 प्रतिशत के बदले पूरा होने के निर्धारित तिथि के बाद दिये गये भुगतान के 10 प्रतिशत की राशि को रोक रहे थे। जिसके कारण 12 कार्यो (तीन पानी आपूर्ति एवं नौ सीवेज कार्य) जिनके क्रियान्वयन में सात महीने से ज्यादा का विलम्ब था और 10 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाना अधिपत्रित था, में ₹ 104 .20 करोड़ का कम जुर्माना लगाया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि रोका गया जुर्माना परंपरा के अनुसार था। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया ठेके की सामान्य शर्तों के प्रावधानों से तालमेल नहीं खाता है।

2.3.3.2 ₹ 15.33 करोड़ के परिहार्य व्यय

'यमुना एक्शन प्लान– II के अधीन माइक्रो टनलिंग विधि (एम टी एम) एवं कनफाईन्ड ट्रेंच विधि (सी टी एम) के द्वारा वजीराबाद रोड सीवर को बिछाने का कार्य दिसम्बर 2009 तक पूरा करने के लिए ₹ 79.00 करोड़ की कुल लागत पर ठेकेदार को दिया गया (दिसम्बर 2007)। कार्य को शाखा सीवर पर 8.6 किमी. हेतु सी टी एम के द्वारा और 5.6 कि.मी. लम्बाई के वजीराबाद रोड के लिए माइक्रो टनलिंग के द्वारा क्रियान्वयित करना था। 15 मार्च 2007 को निविदा पूर्व बैठक में दि.ज.बो. कार्य की लम्बाई में जहाँ सी टी एम तैनात किया जाना था, सी.टी.एम की दरों पर माइक्रो टनलिंग विधि का प्रयोग करने के लिए एक फर्म द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर सहमत हुआ। स्थान की कमी के कारण 1.8 किमी. लम्बाई में सी टी एम के माध्यम से क्रियान्वयित किये जाने वाला कार्य रूक गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ज.बो ने सी टी एम के बदले एम टी एम की दरों पर माइक्रो टनलिंग के द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार को अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.33 करोड़ की अतिरिक्त लागत लगी, जो ठेकेदार को वहन करनी थी। इसके अतिरिक्त यह देखा कि कार्य वास्तव में ₹ 112.23 करोड़ की लागत पर 30 सितम्बर 2012 को पूरा किया गया था अर्थात तीन वर्ष के विलंब के साथ जो आंशिक रूप से स्थान का पूर्व सर्वेक्षण एवं निरीक्षण

के लिए ठेकेदार की ओर से शिथिलता, सहमति प्रौद्योगिकी के साथ कार्य के निष्पादन में ठेकेदार की असमर्थता के कारण हुआ। यद्यपि ज्यादातर विलम्ब ठेकेदार के कारण हुआ। दि.ज.बो. ने ठेकेदार को ₹ 17.20 करोड़ के वृद्धि प्रभार का भुगतान किया एवं ₹ 5.10 करोड़ का विलम्ब हेतु जुर्माना नहीं लगाया जैसाकि अनुबंध के तहत आवश्यक था।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि स्थान पर भारी उप मृदा की स्थितियाँ एवं जनता के विरोध के कारण मामला बोर्ड के समक्ष रखा गया जिसने परियोजना को माईक्रो टनलिंग के माध्यम से क्रियान्वित करने का फैसला किया। आगे यह कहा गया कि अनुमति अलग–अलग एवं देरी से प्राप्त हुई और ठेकेदार के कारण विलम्ब नहीं हुआ। अतः ठेकेदार पर जुर्माना नहीं लगाया गया एवं बढ़ी हुई लागत हेतु भुगतान किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि न तो दि.ज.बो. और न ठेकेदार ने बाधा मुक्त स्थान को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व सर्वेक्षण व स्थान निरीक्षण किया एवं कार्य हेतु उचित तकनीकी का फैसला किया।

2.3.3.3 मोबलाइजेशन अग्रिम के भुगतान में अनियमितताएँ

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैनुअल की धारा 31.5 के अनुसार 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कुल संविदात्मक लागत के 10 प्रतिशत तक मोबलाइजेशन अग्रिम (एम.ए.) ₹ 2 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत के कार्यों में विशिष्ट एवं पूँजी गहन कार्यो हेतु ठेकेदारों को प्रदान किया जा सकता है।

केशोपुर में 12 एमजीडी एसटीपी के तोडने एवं पुनः निर्माण व दो मौजूदा एस टी पी के पुनः स्थापन की परियोजना में, 18 कीचड़ डाइजेस्टर एवं दो गैस धारको के पुनः निर्माण हेतु अनुबन्ध में शामिल किया गया था जो कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान जरूरी होने पर क्रियान्वित किया जाना था। इन मदों की लागत ₹ 20.50 करोड़ थी। यह देखा गया कि दि.ज.बो ने समूचे निविदा राशि का 10 प्रतिशत ब्याज रहित एम.ए. के रूप मे भुगतान किया अर्थात कीचड़ डाइजेस्टर और गैस धारकों के पूर्ण निर्माण के आकस्मिक कार्य की लागत सहित, यद्यपि प्रदान करते समय इसकी आवश्यकता निश्चित नहीं थी। अंततः पुनः निर्माण आवश्यक नहीं पाया गया और न ही क्रियान्वित किया गया। एम.ए. हेतु इन मदों की लागत को समावेश करने की आवश्यकता नही थी जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 2.05[25] करोड़ के अतिरिक्त एम.ए. का अनुचित अतिरिक्त भुगतान हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि कार्य आदेश में दर्शायी गई परियोजना की कुल लागत के आधार पर एन.आई.टी. की शर्त के अनुसार एम.ए. दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य के मदों पर जो आकस्मिक प्रकृति के थे, एम.ए. का भुगतान अनियमित था।

2.3.3.4 ठेकेदारों को अग्रिम का अनियमित भुगतान

दि.ज.बो. ने तीन नालों के साथ इन्टरसेप्टर सीवरेज सिस्टम के बिछाये जाने की परियोजना हेतु मैसर्स इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ई.आई.एल) के साथ करार किया। अनुबंध में दि.ज.बो. के द्वारा ई.आई.एल को किसी प्रकार के अग्रिम भुगतान का उल्लेख नहीं किया गया। यद्यपि, दि.ज.बो ने परियोजना के समय से पूरा होने हेतु ठेकेदारों को अतिरिक्त वित्तीय मदद के रूप में अग्रिम जारी करने हेतु ई.आई.एल. को ₹ 65.36 करोड़ के अग्रिम का भुगतान

[25] ₹20.50 करोड़ का 10 प्रतिशत

किया (दिसम्बर 2013 से फरवरी 2014)। अग्रिम के भुगतान के बावजूद परियोजना जो कि दिसम्बर 2011 तक पूरी होनी थी, मार्च 2016 तक प्रतीक्षित थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि अग्रिम की ठेकेदारों के बिलों से ब्याज सहित वसूली की जा रही थी। यद्यपि, तथ्य यह है कि दि.ज.बो. के द्वारा अग्रिम दिये जाने हेतु दि.ज.बो. व ई.आई.एल के बीच अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था।

2.3.4 ठेका प्रबंधन

ठेका देने कि प्रक्रिया में पहला कदम सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त करना होता है। उसके बाद, प्रत्येक घटक एवं उसकी अनुमानित लागत हेतु विनिर्देशों के साथ परियोजना के विभिन्न घटकों के ब्यौरे सहित एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। डी पी आर की तैयारी के बाद कार्य को दिये जाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित किये जाते है। निविदाओं के खुलने के बाद, निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उचित दरों का आकलन करने के लिए औचित्य दरों का विवरण तैयार किया जाता है। कार्य उद्धत उचित दरों तथा अन्य योग्य मानदंडों की पूर्णता के अधीन न्यूनतम निविदाकर्ता को सौंपा जाता है।

2.3.4.1 औचित्य दर के तय करने में अनियमितताएँ

के.लो.नि.वि मैनुअल के खंड 20.4.3.2 के अनुसार उचित दरों का आकलन निविदाओं को स्वीकार किये जाने से पहले किया जाना चाहिए। औचित्य दरों के ऊपर 5 प्रतिशत के अन्तर को नजर अन्दाज किया जा सकता है जबकि विशेष परिस्थितियों में 10 प्रतिशत तक के अन्तर को स्वीकार किया जा सकता है। इस सीमा के ऊपर ठेकों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(i) परियोजना को अनियमित रूप से दिया जाना: अधीनस्थ कार्य को शामिल करते हुए ओखला में 20 एम जी डी डब्लू टी पी, एवं वजीराबाद में अपरिष्कृत पानी पम्पिग स्टेशन के कार्य के लिए दि.ज.बो ने डीपीआर तैयार नहीं किया यद्यपि शहरी विकास विभाग द्वारा निर्देश भी दिये गये थे (सितम्बर 2004)। इसकी अनुपस्थिति में, दि.ज.बो विस्तृत इन्जिनीयरिंग डिजाइन एवं परियोजना के लिए वास्तविक लागत के अनुमान निकालने की स्थिति में नहीं था। लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ज.बो. द्वारा तैयार की गई औचित्य दरें उसी प्रकार के कार्यों के आधार पर निकाले गये अपूर्ण लागत पर आधारित थे। कार्य ₹ 107 करोड़ की लागत पर अक्टूबर 2008 में दिया गया जो ₹ 94.68 करोड़ की औचित्य दर से 13 प्रतिशत अधिक था। इस प्रकार कार्य के दिये जाने में के.लो.नि.वि. मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि घटकें जिसे पहले ध्यान में नहीं रखा गया था, के वित्तीय आशय पर विचार करने के बाद विभागीय औचित्य दर को ₹ 102.12 करोड़ पुनरीक्षित किया गया। आगे यह जोड़ा कि अन्तर 4.78 प्रतिशत था जो कि के.लो.नि.वि. के मानदंडों के भीतर था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य देते समय पुनरीक्षित विभागीय औचित्य दर को न तो तकनीकी समिति और न ही बोर्ड के समक्ष पस्तुत किया गया।

(ii) औचित्य दर के विवरण की गलत तैयारी: द्वारका में 55 एमजीडी के अपरिष्कृत

पानी पम्पिग स्टेशन एवं सहायक कार्यों के निर्माण और 50 एम जी डी डब्लू टी पी तक के एम एस अपरिष्कृत पानी दोहरे साधनों को उपयोग किये जाने की परियोजना के लिए अनुबंध में सामग्री, पी ओ एल[26] एवं मजदूर सहित मूल्य के अन्तर के खंड को शामिल किया गया। यद्यपि, जब औचित्य दर (औ.द.) तैयार किया जा रहा था (सितम्बर 2008), दि. ज.बो ने स्टील के मूल दर पर पाँच प्रतिशत की औसत वृद्धि को जोड़ दिया एवं स्टील के मूल दर में मूल्य के अन्तर के कारण ₹ 5.35 करोड़ की बढ़ी राशि (पैकेज–I ए में ₹ 2.79 करोड़ एवं पेकेज 1 बी में ₹ 2.56 करोड़) प्रदान किया जो अनियमित था क्योंकि मुल्य में अन्तर के लिए खंड अनुबंध में विद्यमान था। इसके अतिरिक्त, पैकेज 1 बी में ₹ 6.64 करोड़ बढाने के प्रभाव सहित औचित्य दरों की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ थी। इन त्रुटियों एवं चूको ने औचित्य दर को ₹ 11.99 करोड तक बढ़ा दिया। इस प्रकार, पैकेज–I ए हेतु वास्तविक औचित्य दर ₹ 234.30 करोड़ एवं पैकेज 1 बी हेतु ₹ 142.40 करोड़ निकाला गया जबकि कार्य क्रमशः ₹ 248.50 करोड़ (औचित्य दर के ऊपर 6.06 प्रतिशत) एवं ₹ 156 करोड़ (औचित्य दर के ऊपर 9.55 प्रतिशत) पर दिया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि स्टील के मूल दर पर औसतन पाँच प्रतिशत की वृद्धि की लोडिंग अपनायी गयी क्योंकि वृद्धि का लाभ (मूल दर के 10 प्रतिशत के भीतर) ठेकेदार को उपलब्ध नहीं कराया जाता था एवं इससे ठेकेदार के द्वारा उद्धृत लागत में सकारात्मक असर हुआ। ₹ 6.64 करोड़ के अंकगणितीय त्रुटि को स्वीकार करते समय दि.ज.बो. ने कहा कि दोनों पैकेज के अन्तर्गत दी गई लागतों के बीच अंतर के.लो.नि.वि. मैनुअल के अनुसार 10 प्रतिशत के अनुज्ञेय सीमा के भीतर था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल दर पर औसतन 5 प्रतिशत की वृद्धि की लोडिंग के.ले.नि.वि. के मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार नहीं था जो स्टील के सुदृढ़ीकरण एवं संरचनात्मक स्टील हेतु महानिदेशक के.लो.नि.वि. द्वारा जारी किये गये मूल्य सूचकांक को अपनाने के लिए प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, औचित्य दरों के पाँच प्रतिशत के ऊपर अन्तर होने के कारण अभिलेख में दर्ज नहीं थे।

(iii) औचित्य दर में सेवा कर का अनुचित समावेश

छः परियोजनाओ[27] में, (पाँच जल एवं एक सीवरेज परियोजना) सेवा कर को औचित्य दर में शामिल कर दिया गया जो कि अनियमित था क्योंकि सेवा कर प्रदत्त सेवाओ पर लागू होता है एवं सिविल कार्य तथा उपकरणो की आपूर्ति के लिए नहीं है। सेवा कर के शामिल होने से इन परियोजनाओ में औचित्य दर ₹ 1.95 से ₹ 8.10 करोड़ तक बढ गया। औचित्य दर में सेवा कर घटक के शामिल होने के कारण इन कार्यों में से चार को औचित्य दर के ऊपर 5 प्रतिशत से अधिक पर सौंपा गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि कार्य के कुछ घटकों जैसे कि मजदूरी, योजना लागतें, डिजाइनिंग इत्यादि पर सेवा कर देय था एवं इस प्रकार औचित्य दर में इसे शामिल किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेवा कर जहाँ देय हो, ठेकेदार द्वारा उसके प्रेषण के विरूद्ध वास्तविक आधार पर होना चाहिए एवं इस प्रकार औचित्य दर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

[26]पेट्रोल, तेल एवं ल्यूब्रीकेंट

[27]भागीरथी डब्लू टी पी में एस सी ए डी ए प्रणाली की संस्थापन (ii) द्वारका में 50 एम जी डी डब्लू टी पी का निर्माण (iii) द्वारका डब्लू टी पी हेतु साफ पानी के साधनों का उपयोग (iv) द्वारका हेतु अपरिष्कृत जल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण (पैकेज 1 ए) (v) द्वारका डब्लयू टी पी हेतु अपरिष्कृत जल के दो साधनों का उपयोग (पैकेज 1बी) एवं (vi) प्रीत विहार में 53.5 एम जी डी के सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण।

2.3.4.2 स्वीकृत दर के ऊपर अनुदान के प्रावधान के कारण वित्त पोषण के अनुपात में विसंगति

गैर राजस्व पानी[28] (गै.रा.पा.) में कमी (79 प्रतिशत पर अनुमानित) को देखते हुए एवं यह विचार करते हुए कि सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्रों से भारी निवेश की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता है, दि.ज.बो ने दि.ज.बो. एवं ऑपरेटर हेतु 70:30 के वित्त पोषित अनुपात के साथ नांगलोई डब्लूटीपी के कमांड क्षेत्र के पुनः स्थापना एवं विकास हेतु पीपीपी मॉडल के द्वारा निजी पूँजी को बुलाने का फैसला किया और कहा कि कुल अनुदान ₹ 338.81 करोड़ से अधिक नहीं होगा। कार्य ₹ 193.78 करोड़ की सड़क मरम्मत लागत को शामिल करते हुए ₹ 652.32 करोड़ के पूँजी लागत पर जनवरी 2013 में दिया गया था जो कि विकास अवधि के दौरान दि.ज.बो. द्वारा किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ज.बा ने ₹ 17.83[29] करोड़ की अत्यधिक देयता के लिए अनुबंध किया क्योंकि इसका हिस्सा तय अनुपात से अधिक था। इस प्रकार शेयर अनुपात को तय करने में त्रुटियों के कारण दि.ज.बो द्वारा भारी निवेश किया गया जो कि पीपीपी मॉडल के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि रियायत अनुबंध के अनुसार इसका उत्तरदायित्व 70:30 के अनुपात में था। ₹ 458.54 करोड़ के परियोजना लागत एवं ₹ 193.78 करोड़ के सड़क मरम्मत लागत से कुल परियोजना लागत को ₹ 687.92 करोड़ से ₹ 652.32 करोड़ को पुनरीक्षित किया गया एवं दि.ज.बो के हिस्से को शुद्धि पत्र (अगस्त 2012) के द्वारा पुनरीक्षित एवं ₹ 320.98 करोड़ तक कम किया गया। यद्यपि लेखापरीक्षा ने देखा कि ऑपरेटर के साथ हस्ताक्षरित रियायत अनुबंध ने गलत तरीके से ₹ 320.98 करोड़ के बदले ₹ 338.31 करोड़ का अनुदान दिया जिसके चलते आपरेटर को अनुचित लाभ दिया गया।

2.3.4.3 कार्य के दिये जाने में विलम्ब

प्रशासनिक अनुमोदन के बाद निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी करने में दि.ज.बो द्वारा लिये गये समय का आकलन दर्शाता है कि 14 कार्यो में दि.ज.बो ने प्रशासनिक अनुमोदन के बाद एन.आई.टी. के जारी होने में एक वर्ष से अधिक समय लिया। आठ प्रकरणों में दो वर्ष से अधिक का समय लिया गया। यद्यपि नियम एन.आई.टी. के जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, फिर भी एन.आई.टी. को जारी होने में एक वर्ष से अधिक का समय लगना तार्किक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ठेके की वैधता अवधि 180 दिन यह निर्देशित करता है कि कार्य इस अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ज.बो ने 19 कार्यो में एन.आई.टी. जारी करने के बाद कार्य को देने में छः महीने से ज्यादा का समय लिया। दो प्रकरणो में, लिया गया समय 28 महीने था। यद्यपि ठेकेदार उसके द्वारा निविदा दरों पर कार्य को करने के लिए सहमत हो गये, कार्यो को दिये जाने में इस प्रकार के विलम्ब से लागत में वृद्धि आई एवं लोगो को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि कार्य के विस्तृत कार्यक्षेत्र, डी.पी.आर., अनुमानित लागत,

[28]गैर राजस्व पानी उत्पदित पानी की सीमा तक होता है जो किसी प्रकार के राजस्व की उपयोगिता को हासिल नहीं करता है।

[29]₹ 652.32 करोड़ का 70 प्रतिशत (सड़क मरम्मत प्रभार के रूप में ₹ 193.78 करोड़ की कटौती) ₹ 320.98 करोड़ निकाला गया जबकि रियायत अनुबंध में सहायता ₹ 338.81 करोड़ तक बढ़ा दिया गया इस प्रकार ₹ 17.83 करोड़ के लिए अतिरिक्त आश्वासन दिया गया।

निविदा दस्तावेजों जिसमें कार्य के संक्षिप्त क्षेत्र शामिल हो और नियम व शर्तों में समय लगता है। यद्यपि, यह आश्वासन दिया गया कि इस प्रकार की प्रक्रिया हेतु लगने वाले समय में कमी लाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(i) ठेके के चालू होने में ढिलाई: परियोजना 'ए एम आर एवं गैर ए एम आर घरेलू पानी के मीटर' की आपूर्ति हेतु निविदा 25 अप्रैल 2012 को प्राप्त हुई थी एवं तकनीकी निविदा का 22 मई 2012 को मूल्यांकन किया गया था लेकिन वित्तीय 26 दिसम्बर 2012 को खोली गई। यह पाया गया कि एन.आई.टी. के अनुसार, वित्तीय निविदाएं तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के पूर्ण होने पर खोली जाएँ जबकि के.लो.नि.वि. के मैनुअल का खंड 15.7.1.2 अनुबंध करता है कि वित्तीय निविदाएं ठेकों के प्राप्ति के 30 दिनो के भीतर खोली जानी चाहिए। के.लो.नि.वि. मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण कार्य देने में देरी हुई। आशय पत्र 11 अप्रैल 2013 को अर्थात् निविदा के प्राप्ति के लगभग 1 वर्ष बाद जारी किया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि सरकारी प्रयोगशाला से नमूना मीटरों के जाँच प्रतिवेदनों के प्राप्ति में विलम्ब के कारण कार्य दिये जाने में देरी हुई। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ठेका के समय से चालू होने के लिए जमीनी हकीकत घटकों का पता लगाने के बाद ही दि.ज.बो. को वित्तीय निविदाएं के खोलने हेतु निर्धारित समय अवधि तय करना चाहिए था।

(ii) निविदा लगाने की प्रकिया की अनुसूची की गैर–अनुपालना: नांगलोई डब्लूटीपी के नियंत्रण क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना ''वर्तमान जल आपूर्ति की उन्नति एवं सुध ाार, प्रेषण एवं वितरण नेटवर्क'' हेतु, निविदा लगाने की प्रकिया की अनुसूची के अनुसार, वित्तीय निविदा के खोलने के 60 दिनों के भीतर कार्य दिये जाने हेतु शाख पत्र जारी किया जाना था एवं अनुबंध कार्य दिये जाने वाले शाख पत्र के 60 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किया जाना था। यद्यपि, वित्तीय निविदा 11 अक्टूबर 2012 को खोली गयी, कार्य दिये जाने हेतु शाख पत्र 18 जनवरी 2013 को जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, रियायत अनुबंध निविदा की वैधता खत्म हो जाने के बाद 28 मार्च 2013 को हस्ताक्षरित हुआ।

विभाग ने दस्तावेजों के सत्यापन एवं अनुवाद में शामिल प्रक्रिया के कारण होने वाले विलम्ब को जिम्मेदार ठहराया (मार्च 2016) एवं कहा कि इस आशय का पत्र बोर्ड के अनुमोदन के बाद 26 अक्टूबर 2012 को अर्थात् प्रस्ताव के वैद्यता के भीतर जारी किया गया। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि दि.ज.बो. को ठेके के समय से चालू करने हेतु सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए था। इसके अतिरिक्त, निविदा की वैद्यता अवधि (180 दिनो) अर्थात 13 सितम्बर 2012 के भीतर न तो कार्य दिये जाने हेतु शाख पत्र जारी किया गया था न ही रियायत अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था।

2.3.4.4 परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची का गैर निर्धारण

दि.ज.बो. ने ₹ 652.32 करोड़ की पूंजी लागत पर दो ठेकेदारों को 'नांगलाई डब्ल्यू टी पी के वर्तमान जल आपूर्ति एवं वितरण नेटवर्क में सुधार का' कार्य दिया (जनवरी 2013)। रियायत अनुबंध के अनुसार, परियोजना को दो चरणों में प्रत्येक समय सीमाओं के भीतर मार्च 2015 एवं सितम्बर 2017 के बीच क्रियान्वित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आपरेटर ने परामर्शदाता द्वारा तैयार डी.पी.आर. में निर्धारित किए गए विवरण नेटवर्क एवं पम्प संरचनाओं

के पुनः स्थापना में बदलाव का सुझाव देते हुए कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत की (मार्च 2015) आपरेटर ने सलाह दी कि विवरण नेटवर्क की पुनः स्थापना जैसे कि डीपीआर में दिया गया है, अधूरी स्थापना का कारण होता है एवं विकसित तथा पुनः स्थापित क्षेत्र के बीच कोई नेटवर्क क्षेत्र नहीं रहेगा। ऑपरेटर ने सितम्बर 2017 की एकल समय–सीमा रखते हुए चरण I एवं II के विलय का प्रस्ताव भी दिया। दि.ज.बो. को मार्च 2016 तक मुद्दे पर फैसला करना बाकी था जिसके कारण कार्य के क्षेत्र व क्रियाकलापों की सूचियों में अस्पष्टता रही। विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि परियोजना निगरानी समिति (प.नि.स.) को परिदृश्य में बदलाव के बारे में सूचित किया गया था एवं पुनरीक्षित कार्यान्वयन सूची को प.नि.स. से सलाह कर अंतिम रूप दिया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि परियोजना निगरानी समिति, ऑपरेटर द्वारा प्रस्तावित बदलाव से सहमत नहीं है (सितम्बर 2015) एवं चरण I और II के समय सीमा के विलय को लेकर संशय में थी। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप न देने के कारण अनुबंध में दिए गए मुख्य निष्पादन संकेतक का आकलन तर्कसंगत नहीं है।

2.3.4.5 प्रबंधन एवं परामर्श कार्य का दिया जाना

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने निर्देश दिया (नवम्बर 2002) कि परामर्शदाताओं की भूमिका की सलाह देना एवं अनुशंसा करना तथा अंतिम प्राधिकार व उत्तरदायित्व विभागीय अधिकारी के पास होना चाहिए। बड़ी परियोजनाओं के लिए, दि.ज.बो. ने डीपीआर एवं एन.आई.टी. की तैयारी, बोलियों की जाँच एवं परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु परामर्शदाता नियुक्त किए।

परामर्शदाताओं पर निर्भरता : बोर्ड को प्रस्तुत परियोजना 'मौजूदा जल आपूर्ति के सुधार एवं विकास, नांगलोई डब्ल्यूटीपी के प्रेषण एवं वितरण नेटवर्क' हेतु प्रस्ताव की जांच अक्टूबर 2012 में दर्शाती है कि परामर्शदाता ने ₹ 652.32 करोड़ के अनुमानों को तैयार किया था एवं समीक्षा हेतु इसे आकलन के साथ योजना शाखा (दि.ज.बो.) को भेजा। हालांकि, योजना शाखा ने इस तरह की पीपीपी परियोजना पर कोई टिप्पणी करने के लिए अपनी दक्षता में कमी को जाहिर किया एवं बोर्ड ने परियोजना को स्वीकृत किया (जनवरी 2013)। दि.ज.बो. द्वारा किसी भी स्तर पर आकलन किए बिना प्रस्ताव को अंतिम रूप से स्वीकार करना यह दर्शाता है कि दि.ज.बो. पूर्णतः परामर्शदाता पर निर्भर है।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) की चूंकि इसके योजना कक्ष इस तरह के जटिल वित्तीय मॉडल पर जांचने या सलाह देने की स्थिति में नहीं थे, परामर्शदाता (लेन–देन सलाहकार) को परियोजना हेतु वित्तीय, तकनीकी एवं कानूनी कार्य करने के लिए एवं व्यवहार्यतः अध्ययन को जारी रखने के लिए सम्बद्ध किया गया। जबाब सही नहीं है क्योंकि पी पी पी अवधारणा के अधीन परियोजना के भारी निवेश की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए प्रयास किया गया था जो सार्वजनिक क्षेत्र से संभवतः पूरा नहीं किया जा सकता एवं इस तरह की परियोजनाओं पर तकनीकी ज्ञान के अभाव में दि.ज.बो. निविदाकर्ता द्वारा तय किये गए प्रतिस्पर्धी दरों को बुद्धिमानी से तय नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार, पानी टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली के परियोजना में, मैसर्स डी आई एम टी एस

द्वारा लगायी गई निविदा दि.ज.बो. की ओर से परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई (जून 2010) जो कि ₹ 58.65 करोड़ के औचित्य दर के विरुद्ध ₹ 63.35 करोड़ थी। यद्यपि, यह देखा गया कि दि.ज.बो. मैसर्स डी आई एम टी एस द्वारा प्रस्तावित दरों के प्रतिस्पर्धा को आंकने की स्थिति में नहीं था एवं परामर्शदाता पर पूर्णतः निर्भर था क्योंकि औचित्य दर अनुमानित एवं के.लो.नि.वि. के पैटर्न पर आधारित नहीं था। परियोजना के अधीन आवश्यक 700 टैंकरों में से 42 के द्वारा परियोजना को आंशिक रूप से लागू किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कमियां भी थी जैसेकि जल स्तर संवेदक का काम न करना, एकीकृत टैंकरों हेतु प्रणाली में पानी के रिसाव का गैर–इस्टतमीकरण।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि इस प्रकार के सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) पर आधारित यह पहली परियोजना थी इसमें परामर्शदाता द्वारा बाजार दरों पर निकाले गए प्रक्षेपित लागत को स्वीकार किया गया, क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव व प्रदर्शन था। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि दरों की प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए दि.ज.बो. द्वारा बाजार दरों की तार्किकता को आकलित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, जल आपूर्ति का प्रेषण एवं वितरण कार्य नियमित प्रवृति का है जिसके लिए दि.ज.बो. को दरों के विश्लेषण हेतु अपने मानदंडों का मानकीकरण करना चाहिए था।

2.3.5 परियोजना का कार्यान्वयन

34 परियोजनाओं के अधीन 53 कार्यों में से 18 कार्य (जल से 7 एवं सीवरेज से 11) लेखापरीक्षा अवधि (2010–15) के दौरान शुरु किये गये, 10 कार्य (जल एवं सीवरेज प्रत्येक में से 5) चालू थे एवं 19 (जल से 11 एवं सीवरेज से 8) पूरे हो गये थे। चार कार्य अप्रैल 2010 से पहले पूरे हो गये थे जबकि दो को अभी शुरू किया जाना बाकी था। परियोजना कार्यान्वयन पर देखे गये विभिन्न मुद्दों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.3.5.1 कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने देखे गए 53 में से 44 कार्यों (23 जलापूर्ति एवं 21 सीवरेज कार्य) में कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब पाया। 15 कार्यों में, जो पूरे हो गये थे, अनुबंध सीमा में तय तिथि के बाद पूर्ण होने में 5 से 53 महीने का विलम्ब पाया। शेष बचे कार्य में से 18 कार्य पूर्ण होने के तय तिथि के 85 महीने तक के विलम्ब के बाद भी प्रगति पर थे। ज्यादातर प्रकरण ो में विलम्ब सड़क मालिक एजेंसियो (लो.नि.वि., दि.न.नि. एवं दि.वि.प्र.), यातायात पुलिस, वन विभाग, आई एफ सी डी, रेलवे इत्यादि से अनुमति की अनुपलब्धता या प्राप्त करने में विलम्ब के कारण हुआ। यह भी देखा गया कि दि.ज.बो. ने अनुबंध में इस तरह के खण्ड शामिल कर विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अनुमति प्राप्त करने का दायित्व ठेकेदार को सौंपा। फलस्वरूप इस संबंध में किसी प्रकार के उत्तरदायित्व से स्वयं को अलग रखा यद्यपि संबंधित सरकारी विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए दि.ज.बो. अच्छी स्थिति में था।

विशेषकर, सीवर लाइन को बिछाने की परियोजनाओं में एवं एस पी एस के निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरूप एसटीपी तक सीवेज ले जाने में विफल रहे, उसमें से ज्यादातर क्षमता

से कम कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार, यू जी आर के निर्माण में विलम्ब के कारण उस हद तक जल आपूर्ति की गैर–युक्तिकरण हुई।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि संयंत्र/पम्पिंग स्टेशनों के स्थापना में विलम्ब ज्यादातर अप्रत्याशित भूमिगत कार्य निरोधक सेवाओं के कारण हुआ जिससे कभी–कभी परियोजना के डिजाईन् एवं रेखाचित्र में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। पानी एवं सीवर पाईपलाइनों को बिछाने हेतु परियोजनाओं के संबंध मे यह कहा जाता है कि दि.ज.बो. कार्य की अनुमति के भूमि मालिक एवं सड़क मालिक एजेंसियों पर पूर्ण रुप से निर्भर था एवं सभी स्तरों पर याचना करने के बावजूद अनुमति मिलने में विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरुप कार्य के क्रियान्वयन में देरी हुई। उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को बल देता है कि परियोजनाओं को समय से पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता थी।

2.3.5.2 ठेका दिये जाने के बाद कार्य के क्षेत्र में बदलाव

परियोजना ''महरौली एवं वसंत विहार में जल आपूर्ति के सेवास्तर में सुधार'' हेतु एनआईटी में डीपीआर एवं मात्राओ के बिल (मा.बि) अनिरंतर जल आपुर्ति हेतु तैयार किये गये। कार्य ₹ 201 करोड़ की लागत पर दिया गया (सितम्बर 2012)। यद्यपि परियोजना के पूर्ण होने की तिथि 26 सितम्बर 2014 थी, जून 2015 तक कार्य की प्रगति केवल 29 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ज.बो. जल आपूर्ति पैरामीटर को अनिरंतर आपूर्ति से 24 घंटे सात दिनों (निरंतर) में बदलने की प्रकिया में था जिससे कार्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा था खासकर उपकरण के विनिर्देशों में। यद्यपि पूरा होने की तिथि समाप्त हो गई थी, फिर भी दि.ज.बो पुनरीक्षित विनिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में अब तक लगा था इसके लिए ठेकेदार को लागत का भुगतान भी किया जाना था। इस प्रकार, कार्य के देने के बाद कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप महरौली एवं वसंत विहार क्षेत्र में जल आपुर्ति के सुधार हेतु कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि विनिर्देशों एवं अन्य ब्यौरे फिर से निकाले जा रहे थे एवं शीघ्र ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ले ली जायेगी। यद्यपि, कार्य दिये जाने के बाद क्षेत्र में बदलाव के कारण के संबंध में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

2.3.5.3 समय का अंतिम विस्तार एवं खराबी के लिये दायित्व पर जोर नहीं दिया जाना

के.लो.नि.वि का मैनुअल अनुबंध करता है कि अवरोधक रजिस्टर के आधार पर इंजिनीयर–इन–चीफ, ठेकेदार से आवेदन की अनुपस्थिति में भी समय विस्तार (स.वि) कर सकता है। परिसमापन हर्जाने की वसूली करने के लिए सरकार के अधिकार से समझौता किये बिना समय में विस्तार किया जाता है। ओखला में ''डिजाईन–बिल्ड–आपरेट 20 एम जी डी डब्लू टी पी एवं सहायक कार्यो को शामिल करते हुए वजीराबाद में अपरिष्कृत जल पम्पिंग स्टेशन का कार्य'' अगस्त 2010 तक पूरा करने के लिए ₹ 107 करोड़ की लागत पर

अक्टूबर 2008 में ठेकेदार को ठेका दिया गया था। चूँकि अपरिष्कृत जल न होने के कारण डब्लू टी पी का पूर्व परीक्षण नहीं किया गया, 14 सितम्बर 2012 को फर्म को बिना जुर्माना लगाये 31 दिसम्बर 2012 तक विस्तार दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 90 दिनों में से केवल 79 दिनों (पूर्णप्रभार सहित 4 दिन) के लिए पूर्व परीक्षण 2012 के मानसुन सत्र में किया गया तथा दि.ज.बो ने बिना समय विस्तार के 1 जुलाई 2013 से 12 जुलाई 2013 तक 12 दिनों के लिए बाकी के पूर्व परीक्षण को पूरा करने के लिए ठेकेदार को अनुमति दी। उसके बाद, ओखला जल कार्यो पर जल एवं पम्पिंग बाधा की कमी के कारण लोड को 10 एम जी डी तक कम कर दिया गया। तीन वर्षो की समाप्ति के बावजूद दि.ज.बो द्वारा न तो अनंतिम और ना ही अंतिम समय विस्तार दिया गया (जुलाई 2015 तक)। इसके अतिरिक्त, एक वर्ष के दोष दायित्व अवधि को लागू किये बिना जो कि अनुबंध के अधीन आवश्यक था, उपकरणों का संचालन एवं रखरखाव 13 जुलाई 2013 से शुरू कर दिया।

विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि पूरे लोड पर सुविधा का परीक्षण करने के लिए उन 79 दिनों के अवधि का उपयोग किया जब नदी में पानी उपलब्ध था तथा अगले वर्ष के लिये शेष अवधि को प्रयोग किया जिसके दौरान संयंत्र ने कुशलतापर्वक काम किया एवं अनुबंध में दी गई सभी जरूरतों को पुरा किया। समय विस्तार का प्रकरण जुलाई 2013 तक प्रक्रियाध ीन था। दोष दायित्व अवधि के संबंध में, दि.ज.बो. ने कहा कि संयंत्र एक वर्ष से अधिक समय तक पूरे लोड पर कार्य कर रहा था एवं कोई कमियाँ नहीं पाई गई। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि अनुबंध के अनुसार, एक महीने की लगातार अवधि के दौरान पूरे लोड पर पूर्व परीक्षण के सफलता पूर्वक समापन के बाद ही कार्य के पूर्ण होने का सत्यापन किया जाना था। यद्यपि, इस प्रकरण में, पूरे लोड पर परीक्षण केवल चार ही दिनों के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, पूरे लोड पर चल संयंत्र के समर्थन में दि.ज.बो. ने कोई प्रलेखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया।

2.3.5.4 आवश्यकता से पहले उपकरणों की खरीद

दि.ज.बो की परियोजनाओं में आमतौर पर दो कार्य होते है– सिविल तथा विद्युतीय एवं अभियाँत्रिकी (ई एण्ड एम) कार्य। अनुबंध में भुगतान की शर्तो के अनुसार किसी भी मद की प्राप्ति पर ई एण्ड एम के लागत के 70–80 प्रतिशत तक भुगतान करना होता है तथा बाकी का भुगतान उसकी स्थापना और संचालन पर किया जाता है। ई एण्ड एम उपकरणों की स्थापना हेतु सिविल कार्य अग्रिम में पूरा करना होता है। लेखापरीक्षा ने पाँच प्रकरणों में पाया कि ई एण्ड एम उपकरण ठेकेदार द्वारा कार्य के शुरू होने के तुरन्त बाद खरीदे गये तथा लम्बे समय तक गैर–स्थापित रहे। 12 पूर्ण परियोजनाओं में, ₹ 143.82 करोड़ की लागत के उपकरण 17 से 68 महीने तक बेकार पड़े रहे। बाकी की दो परियोजनाओ में कार्य जून 2015 तक पूरा किया जाना था परन्तु 13 से 24 महीने पहले खरीद गये ₹ 92.60 करोड़ की लागत वाले उपकरणों को अभी तक इस्तेमाल किया जाना बाकी था। उपकरणों का बेकार पड़ा रहना दर्शाता है कि वास्तविक आवश्यकता से काफी पहले इनकी की खरीद की गई।

विभाग लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत था (मार्च 2016) एवं कहा कि भविष्य की परियोजनाओं में मामले को हल करने के लिए कार्य के क्षेत्र में संशोधन किया जायेगा।

2.3.5.5 पूर्ण हुई परियोजनाओं का मूल्यांकन

पूर्ण परियोजनाओं की लेखापरीक्षा जांच परियोजना के चालू होने में विलम्ब एवं दूसरी कमियों को दर्शाती है जिसके कारण इच्छित उद्देश्यों की कम प्राप्ति हुई जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

(i) पूर्ण की गई परियोजनाओं के चालू होने में देरी : दि.ज.बो. ने पश्चिमी, उत्तरी पश्चमी एवं दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में पानी के विवेकपूर्ण वितरण के लिए एक योजना– 'बुस्टर पम्पिंग स्टेशन (बीपीएस) के साथ 14 यू जी आर[30] के निर्माण को मंजूरी दी (जुलाई 2004) जिसमें से 11 योजनाएँ जुलाई 2015 तक चालू हो गयी थी। इन पूर्ण परियोजनाओ में से 5 के चालू होने में 25 से 62 महीने की देरी हुई।

उसी प्रकार, हैदरपुर से वजीराबाद तक दोहरे अपरिष्कृत जल साधन उपलब्ध कराने की परियोजना फरवरी 2012 में पूरी हुई, परन्तु अपरिष्कृत जल की अनुपलब्धता के कारण परियोजना का पूर्व परीक्षण एवं चालू होना रूक गया।

विभाग ने मुनक नहर से अपरिष्कृत जल की अनुपलब्धता को जल आपूर्ति के बुनियादी ढ़ाँचों के चालू होने मे देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया (मार्च 2016) एवं आगे कहा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पानी की आपूर्ति के उपर मतभेद को हरियाणा के साथ पिछले वर्ष ही दूर कर लिया गया था। यद्यपि, सफलतापूर्वक परीक्षण एवं परियोजना के चालू होने के संबंध में आश्वासन नही लिया जा सका क्योंकि दि.ज.बो. ने सफलतापूर्वक चालू होने से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

(ii) कम बहाव क्षमता पर पूर्व परीक्षण का आयोजनः लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि द्वारका में अपरिष्कृत जल बहाव साधन उपलब्ध कराने के साधनो का पूर्व परीक्षण मार्च एवं अप्रैल 2015 के दौरान हुआ, चालू लाइनों में से एक में 55 एमजीडी के निर्धारित बहाव क्षमता की तुलना में वास्तविक बहाव 3.68 एवं 28.09 एमजीडी के बीच रहा। जो लाइन जुलाई 2010 में चालू होनी थी, सफलतापूर्वक शुरूआत के लिए अगस्त 2015 तक प्रतीक्षित थी।

विभाग ने मुनक नहर से अपरिष्कृत जल की अनुपलब्धता को जल आपूर्ति के बुनियादी ढ़ाँचे के चालू होने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया (मार्च 2016)। इसने आगे कहा कि पाइपलाइनों का पूरी क्षमता के साथ सफलतापूर्वक हाईड्रॉलिक परीक्षण किया गया एवं द्वारका संयंत्र मार्च 2015 से चालू रहा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेख दर्शाते हैं कि संयंत्र मार्च एवं अप्रैल 2015 के दौरान अपेक्षित

[30]सुल्तानपूर डबास, कुतबगढ़, अवन्तिका, प्रीतमपूरा, जनकपुरी, दौलतपुर, नरेला, पल्ला में एम बी आर, कीर्तिनगर, शकुरबस्ती, रोहिणी सेक्टर–7, बवाना, नांगलोई एवं कराला

क्षमता से नीचे चल रहा था। इसके अतिरिक्त, दि.ज.बो. ने अपने उत्तर के समर्थन में सफलतापूर्वक परीक्षण एवं चालू होने की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

(iii) डब्लू टी डी एम एस परियोजना का कार्यान्वयनः पानी के अनुचित उपयोग एवं चोरी को खत्म करने, मार्ग अनुकूलन सुनिश्चत करने एवं पानी टैकरों की संख्या को 1000 से 800 करने के लिए जी.पी.एस. के माध्यम से पानी टैंकरों की प्रभावी निगरानी हेतु साफ्टवेयर के विकास एवं संचालन हेतु परियोजना दिसम्बर 2010 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्वीकृत की गयी। पानी टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली (डब्लू टी डी एम एस) के डिजाईन, विकास, कार्यान्वयन एवं संचालन के उद्देश्य से मैसर्स डी.आई. एम.टी.एस को एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में गो–लाइव की तिथि से सात वर्षो के लिए ₹ 61.45 करोड की लागत पर नियुक्त किया गया (जून 2011)। डब्लू टी डी एम एस को ठेके के दिये जाने के दो महीने के भीतर अर्थात अगस्त 2011 तक गो–लाइव किया जाना था जिसमें कम से कम 700 टैकरों का एकीकरण किया जाना था। यद्यपि, गो–लाइव को मई 2015 तक केवल 42 नये टैकरों हेतु प्राप्त किया जा सका। मई 2015 तक मैसर्स डी.आई.एम.टी.एस को ₹ 0.56 करोड के तदर्थ भुगतान के अतिरिक्त ठेकेदारों को ₹ 132.14 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार, ठेका दिये जाने के पाँच वर्षो के बाद भी डब्लू.टी.डी.एम.एस चालू नहीं हो सका।

विभाग ने कहा कि एक संभाग द्वारा एक अलग नियंत्रण कक्ष में 407 टैंकरों की समूचे बेड़ो के संचालन की निगरानी प्रभावी ढ़ंग से की गयी क्योंकि प्रणाली वेब आधारित थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डब्लू टी डी एम एस के साथ टैंकरो के आवश्यक संख्या को एकीकृत नहीं किया गया।

2.3.6 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रबंधन यंत्र है जिससे उद्देश्यों की योजनानुसार प्राप्ति का आश्वासन मिलता है। यद्यपि, यह देखा गया कि दि.ज.बो. में आंतरिक नियंत्रण कमजोर है जैसे कि पिछले पैराग्राफों में इंगित की गई त्रृटियों द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें परामर्श कार्य के दिये जाने एवं परामर्श कार्य के प्रबंधन में कमियाँ एवं जुर्माना लगाने में त्रुटियाँ आदि सम्मिलित है। अन्य त्रुटियों/कमियों को आगे के पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

2.3.6.1 परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु प्रकिया अभाव

लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि दि.ज.बो में अधीनस्थ अभीयंता, मुख्य अभियंता इत्यादि जैसे उच्च अधिकारियों के द्वारा परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी जिससे परियोजनाओ के क्रियान्वयन में अवरोध को पहचान एवं कम किया जा सके। अधिकरियों की टिप्पणियों को दर्ज करने हेतु परियोजना स्थलों पर उपलब्ध निरीक्षण रजिस्टर दर्शाते है कि उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण कम था यद्यपि ज्यादातर परियोजनाएँ समय से पीछे चल रही थी। विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये।

2.3.6.2 कार्यों की प्रगति की निगरानी में कमी

दि.ज.बो में, संबंधित संभाग मुख्यालय को मासिक प्रत्यक्ष एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भेजता है जिसमें कार्य की प्रगति प्रतिशत शामिल होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि बनायी गयी योजना के अनुसार कार्यो की प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए इन प्रतिवेदनो को जाँचने एवं आकलन करने के लिए मुख्यालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। मुख्यालय पर किसी संवीक्षा की अनुपस्थिति के कारण इन प्रगति प्रतिवेदनों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी।

उत्तर में,विभाग ने कहा (मार्च 2016) कि परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी सदस्य (तकनीकी), दि.ज.बो. द्वारा मासिक आधार पर की जानी था एवं इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बैठक में चर्चा की जाना था। इसने लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.6.3 कार्य के मापने का अनुचित तरीका

डिजाईन, निर्माण एवं संचालन के आधार पर सौंपी गयी परियोजनाओं में भुगतान, पूर्ण कार्य के आधार पर एवं ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत ब्योरेवार लागत के अनुसार तथा दि.ज.बो द्वारा अनुमोदित होने पर किया जाता है। भुगतान से संबंधित माप पुस्तिकाएँ एवं प्रतिवेदनों की जाँच दर्शाती है कि दि.ज.बो ने पूर्ण कार्य की वास्तविक मात्रा को दर्ज नहीं किया तथा केवल पूर्ण कार्य के प्रतिशत को दर्ज किया। कार्यो के वास्तविक मापों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका कि भुगतान केवल वास्तविक पूर्ण कार्य के लिए ही किया गया है।

विभाग लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत था (मार्च 2016) एवं कहा कि इस संबंध में आदेश शीघ्र जारी किये जाएंगे।

2.3.7 निष्कर्ष

डाटा संग्रह में कमी, कार्य के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन, अवरोध मुक्त स्थलो इत्यादि की उपलब्धता के बिना कार्य के दिये जाने के कारण परियोजना की अवधारणा एवं योजना प्रभावित हुई। एस.टी.पी. एवं संसाधित सीवेज की मात्रा के बीच असंतुलन था एवं तीन एस.टी.पी. दिल्ली प्रदुषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित विनिर्देशो को पूरा करने के लिए तैयार नहीं किये गये थे। कमियाँ जैसे कि, मोबलाइजेशन अग्रिम के भुगतान में अनियमितताएँ एवं देय से कम जुर्माने को रोकना खराब वित्तीय प्रबंधन की ओर इशारा करता है। औचित्य दरों से अधिक पर कार्य दिये गये। परियोजनाओं के चालू होने के प्रत्येक स्तर पर विलम्ब हुआ। सड़क मालिक एजेंसियों, यातायात पुलिस, वन विभाग, आई.एफ.सी.डी. एवं रेलवे से अनुमति प्राप्त करने में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय कम रहा। परियोजनाओं पर आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी अपर्याप्त थी।

2.3.8 सिफारिशें

दि.ज.बो :

(i) संयंत्र क्षमता के कम उपयोग को दूर करने के लिए क्रमशः अपरिष्कृत जल की उपलब्धता एवं सीवेज लाईन के बिछाये जाने के साथ डब्लूटीपी एवं एसटीपी के निर्माण को समक्रमिक कर सकता है।

(ii) परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब को दूर करने के लिए कार्यो की तुरन्त अनुमति लेने हेतु विभिन्न विभागों जैसे लो.नि.वि, वन विभाग, यातायात पुलिस इत्यादि के साथ समन्वय में सुधार कर सकता है, एवं

(iii) मुख्यालय पर परियोजनाओ की निगरानी को मजबूती प्रदान कर सकता है जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाओ को चिन्हित एवं दूर किया जा सके।

शहरी विकास विभाग

2.4 नगर निगमों के क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाएँ

दिल्ली में तीन नगर निगम मुख्यतः पार्किंग सुविधाओं के विकास तथा प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। 'नगर निगम के क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं' पर निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 के दौरान की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत है–

मुख्य बिंदु

- ***जनवरी 2007 में अनुमोदित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर 17 भूमिगत स्वचालित पार्किंग (यू.जी.ए.पी.) में से जुलाई 2015 तक केवल एक को सृजित किया गया था। अभिसामयिक बहु स्तरीय भूमिगत पार्किंग (एम.एल.यू.जी.पी.) के आंशिक कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप परामर्श पर ₹ 3.93 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।***

 (पैराग्राफ 2.4.3.2 तथा 2.4.3.3)

- ***ठेकों का सौंपना तथा ठेका प्रबंधन अनियमितताओं से भरे थे, जैसे कि सशर्त निविदा स्वीकार करना, ठेकेदार से बकायों की गैर–वसूली तथा नयी निविदाएं आमंत्रित न करना जबकि कार्य क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया था।***

 (पैराग्राफ 2.4.4.1, 2.4.4.2 व 2.4.4.3)

- ***लाइसेंसधारियों द्वारा समझौतों की शर्तों एवं निबंधनो की अनुपालना को सुनिश्चित करने में पारिश्रमिक परियोजना सैल (आर.पी. सैल) की विफलता के कारण पार्किंग स्थलों का कुप्रबंधन हुआ।***

 (पैराग्राफ 2.4.5.1)

2.4.1 प्रस्तावना

शहर में अपर्याप्त पार्किंग सुविधाओं ने लोगों को अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे परिवहन रास्ते की उपलब्ध चौड़ाई लगातार कम होती जा रही है जिसके कारण वाहनों की भीड़–भाड़ तथा परिहार्य ईंधन खपत होने के साथ साथ वाहन वायु प्रदूषण भी हो रहा है। अच्छे ढंग से डिजाईन की हुई, मितव्यता से व्यवहार्य, दक्षता से प्रबंधित तथा आसानी से सुलभ पार्किंग सुविधायें, वाहनों के भीड़–भाड़ को कम करती है तथा सड़क अनुशासन को बढ़ाती हैं। दिल्ली में आंशिक क्षेत्र[31] को छोड़कर पूरा शहर तीन नगर निगमों[32] (दि.न.नि.) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है और इस प्रकार मुख्यतः ये तीन निगम शहर में पार्किंग सुविधाओं के विकास और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

2.4.1.1 संगठनात्मक ढांचा

मई 2012 से पहले दि.न.नि. ने एक समेकक संगठन के रुप में कार्य किया परन्तु मई 2012 में यह तीन भागों द.दि.न.नि, उ.दि.न.न. तथा पू.दि.न.नि. में बट गई। तीनों में प्रत्येक का अध्यक्ष आयुक्त होता है। उ.दि.न.नि. को आगे छः क्षेत्रों, द.दि.न.नि. को चार क्षेत्रों तथा पू.दि.न.नि. को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया। नयी पार्किंग परियोजनाओं की योजना

[31]दिल्ली का केवल आंशिक क्षेत्र नई दिल्ली नगरपालिका परिषद तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के पास है।

[32]उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उ.द.न.नि.), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (द.दि.न.नि), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (पू.दि.न.नि.)।

तथा कार्यान्वयन दि.न.नि. के संबंधित इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष इंजीनियर इन–चीफ (ई–इन–सी) होता है जिसके सहायक मुख्य इंजीनियर, पर्यवेक्षक इंजीनियर तथा कार्यकारी इंजीनियर होते हैं। विद्यमान पार्किंग स्थलों का वाणिज्यिक उपयोग तथा प्रबंधन दि.न.नि. के संबंधित पारिश्रमिक परियोजना सैल (आर.पी. सैल) के अधिकार क्षेत्र मे आता है जिसकी अध्यक्षता अपर आयुक्त (राजस्व) द्वारा की जाती है और उपायुक्त सहायक होता है।

2.4.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्यों में यह निर्धारण करना था कि क्याः

- शहर में पर्याप्त पार्किंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं,
- वहाँ पर नये पार्किंग स्थलों के निर्माण हेतु प्रभावी योजना विद्यमान है,
- विद्यमान पार्किंग सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार अनुरक्षित तथा कार्यात्मक है, और
- पार्किंग स्थलों का वाणिज्यिक उपयोग अधिकतम राजस्व उत्पत्ति के लिए है।

2.4.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अप्रैल 2010 से मार्च 2015 की अवधि को शामिल करते हुए दि.न.नि. के क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा में पार्किंग सुविधाओँ की पर्याप्तता, नयी पार्किंग सुविधाओं की योजना एवं निर्माण, विद्यमान समतल स्तर पार्किंग (एस.एल.पी.) और बहु स्तरीय भूमिगत पार्किंग (एम.एल.यू.जी.पी.) की कार्यात्मकता और पार्किंग स्थलों की वाणिज्यिक उपयोगिता की जाँच की गई। 29 मई 2015 को एक प्रवेश सम्मेलन किया गया जिसमें दि.न.नि. के प्राधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। पार्किंग सुविधाओं की स्थापना में लगे आर.पी. सैल तथा सात निर्माण डिविजनों में पार्किंग परियोजनाओं के आयोजन तथा निष्पादन, उनकी वाणिज्यिक उपयोगिता तथा प्रबंध की जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा ने प्रत्यक्ष रुप से सभी पाँच एम.एल.यू.जी.पी. का दौरा किया ताकि उनकी भौतिक स्थिति, व्यावहारिकता तथा वाणिज्यिक उपयोगिता की जानकारी उसी समय हो जाए। यादृच्छिक आधार पर चुने गए 35 एस.एल.पी. (कार्यात्मक एस.एल.पी. का 25 प्रतिशत) का दौरा भी लाइसेंसधारियों द्वारा किये गये समझौतों की शर्तों एवं निवंधनों के अनुपालन की सीमा को निश्चित करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सरकार को नवंबर 2015 में प्रेषित किया गया तथा तदनंतर 03 मार्च 2016 को हुए समापन सम्मेलन में शहरी विकास विभाग तथा दि.न.नि. के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की गई। सरकार ने द.दि.न.नि. के उत्तर को प्रेषित किया (मार्च 2016) उ.दि.न.नि तथा पू.दि.न.नि. के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

2.4.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

वह मापदण्ड जिन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्धारित किया गया, निम्नलिखित स्त्रोंतो से ली गई थीः

- दिल्ली का मास्टर प्लान (एम.पी.डी.), 2021,
- सामान्य वित्तीय नियमावली,
- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य निर्माण मैन्युअल, तथा
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दि.न.नि. द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेश तथा आदेश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.2 पार्किंग सुविधाओं की कमी

वर्ष 2009–10 में तीन बहु स्तरीय भूमिगत पार्किंग (एम.एल.यू.जी.पी.)[33] वॉल्ड सिटी में तथा आस–पास स्थित थे।जिनकी कुल क्षमता केवल 2700 ई.सी.एस.[34] थी। तदनंतर में दि.न.नि. ने 2014–15 में 3,148 ई.सी.एस. की कुल क्षमता के चार अतिरिक्त एम.एल.यू.जी.पी.[35] तथा एक भूमिगत स्वचालित पार्किंग (यू.जी.ए.पी.)[36] का निर्माण किया जिससे शहर में कुल उपलब्ध ई.सी.एस. 5848 हो गए। पर्याप्त ई.सी.एस. की कमी ने राजधानी शहर में संगठित पार्किंग स्थलों की कमी को ओर अधिक बढ़ा दिया।

2.4.3 नये पार्किंग स्थलों की योजना तथा निर्माण

2.4.3.1 पार्किंग सुविधाओँ के विकास के लिये पहल का अभाव

दि.न.नि. की ओर से दिल्ली इंटीग्रेटिड मल्टी–मॉडल ट्रांसिट सिस्टम (डिम्टस) तथा एक निजी सलाहकार, द्वारा सभी 12 दि.न.नि. क्षेत्रों में व्यापारिक सड़कों पर पार्किंग की माँग तथा मिश्रित भूमि उपयोग सड़कों का निर्धारण करने के लिए एक सर्वेक्षण किया (2009–10)। कार्यकारी इंजीनियर (प्र. III/आर.जैड) ने 2009–10 की सर्वेक्षण रिपोर्ट को दि.न.नि. के सभी 12 क्षेत्रों के उपायुक्तों के साथ साथ मुख्य इंजीनियरों को क्षेत्रीय स्तर पर आगे की कार्रवाही हेतु प्रेषित किया (दिसंबर 2010 व जनवरी 2013)। यद्यपि, किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इन प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाही आरंभ नहीं की गई। तत्पश्चात उ.दि.न.नि. के आयुक्त ने भी (अक्तूबर 2013) सभी क्षेत्रीय उपायुक्तो तथा मुख्य इंजीनियरों को सर्वेक्षण रिपोर्ट में चिन्हित स्थलों पर पार्किंग सुविधाओं की उत्पत्ति की औचित्यता की जाँच तथा औचित्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्य इंजीनियर (रोहिणी क्षेत्र) को इस कार्य के लिए सहायक समन्वक के रुप में नामित किया गया था। यद्यपि किसी भी क्षेत्र अथवा मुख्य इंजीनियर ने कोई औचित्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नही की।कार्यकारी इंजीनियर (प्र. III/आर–जैड) ने भी कोई अनुपालना कार्रवाही नहीं की। यह दि.न.नि. प्राधिकारियों की ओर से गंभीरता तथा वचनबद्धता की कमी का संकेतक था जिसने बाद में शहर में वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के कारण पार्किंग समस्या को और बिगाड़ दिया तथा पार्किंग स्थान में अल्प वृद्धि हुई जैसाकि पैराग्राफ 2.4.3.2. तथा 2.4.3.3 में विस्तार से वर्णित है।

2.4.3.2 अनुचित स्थल चयन

पार्किंग समस्या का सामना करने के विचार से दि.न.नि. के आर.पी. सैल ने बहु स्तरीय भूमिगत पार्किंग स्थलो को विकसित करने हेतु 2005 में 19 स्थलों को चिन्हित किया।

जनवरी 2007 में दि.न.नि. ने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) तरीके के अंतर्गत निर्माण, संचालन तथा स्थानांतरण (बी.ओ.टी.) के आधार पर 19 में से 17 स्थलों पर भूमिगत

[33]चर्च मिशन रोड, गाँधी मैदान व आसफ अली रोड

[34]ई.सी.एस. एक कार के लिए आवश्यक क्षेत्र को परिभाषित करता है

[35]मॉडल टाउन, परेड ग्राउंड, मुनीरका व होज खास

[36]कमला नगर

स्वचलित पार्किंग सुविधाओं (यू.जी.ए.पी.) की स्थापना हेतु एक योजना का अनुमोदन किया। दि.न.नि. ने चार स्थलों पर यू.जी.ए.पी. की स्थापना के लिए जुलाई 2008 तथा अप्रैल 2012 के बीच तीन फर्मों के साथ चार समझौते किए। हालांकि, 31 जुलाई 2015 तक कमला नगर में केवल एक यू.जी.ए.पी.का निर्माण किया गया था। शेष 16 यू.जी.ए.पी. के लिए, जिसमें वे तीन भी शामिल थे जिनके लिए समझौते किए गए थे, में विभिन्न कारणों से प्रगति नहीं हो सकी जैसाकि **तालिका 2.4.1** में दिया गया है:

तालिका 2.4.1: अनुमोदित यू.जी.ए.पी. की स्थिति जो कार्यान्वित नहीं किए गए

क्र. स.	यू.जी.ए.पी.का स्थान	कार्यवाही आरंभ	यू.जी.ए.पी. के कार्यों के गैर–निष्पादन के कारण	स्थिति*
1.	शास्त्री पार्क	निविदाएँ चार बार आमंत्रित की गई (अप्रैल 2007 से अक्तूबर 2011), परन्तु अंतिम रुप नहीं दिया गया।	कोई निविदाकर्ता सक्षम नही, निविदा आमंत्रण सूचना का कोई प्रत्युत्तर नहीं।	इससे आगे की प्रगति का कोई अभिलेख नहीं।
2.	साऊथ एक्सटेंशन	औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए (मार्च 2011), परन्तु कार्यान्वित नहीं किया गया।	डी.एम.आर.सी. द्वारा चिन्हित स्थल ले लिया गया (अप्रैल 2012)।	प्रस्ताव को अंततः बंद कर दिया
3.	ग्रेटर कैलाश–I	औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए (अगस्त 2011), परन्तु कार्यान्वित नहीं किया गया।	द.दि.न.नि. स्थल से अवरोध हटाने में विफल रहा।	प्रस्ताव अभी तक सक्रिय है, अवरोध नहीं हटाए।
4.	महरौली	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निर्माण की अनुमति नही दी।	स्थल पुरातात्विक स्मारक के क्षेत्र के भीतर था।	प्रस्ताव को अंततः बंद कर दिया
5.	राजौरी गार्डन तथा ग्रीन पार्क (दो यू.जी. ए.पी.)	परियोजना को आरंभ नहीं किया	स्थलों पर एक औषधालय, स्कूल, मधुमेह केन्द्र इत्यादि चल रहे थे।	प्रस्ताव को अंततः बंद कर दिया
6.	लाजपत नगर	निविदाएँ प्रक्रियागत थी (अप्रैल 2009), परन्तु अंतिम रुप नहीं दिया गया।	डी.एम.आर.सी. द्वारा चिन्हित स्थल ले लिया गया (जनवरी 2014)	प्रस्ताव को अंततः बंद कर दिया
7.	सन्त नगर	परियोजना को आरंभ नहीं किया	अभिसामयिक एम.एल.यू.जी. हेतु नये प्रस्ताव पर विचार किया गया।	यू.जी.ए.पी. हेतु मूल प्रस्ताव स्थगित कर दिया।
8.	हैमिलटन रोड	प्रस्ताव स्थगित (नवंबर 2008)	तीस हजारी बार संघ ने अरूचि दिखाई, चूंकि एस.एस.पी. पहले से ही स्थल पर परिचालन में थी।	प्रस्ताव को अंततः बंद कर दिया।
9.	डिफेंस कॉलोनी	समझौता हस्ताक्षरित (अप्रैल 2012) परन्तु बाद में बंद कर दिया गया (फरवरी 2014)।	द.दि.न.नि. ने भूमि नहीं ली। भूमि एवं विकास संगठन ने स्वामित्व का दावा किया। (फरवरी 2013)।	समझौता समाप्त कर दिया
10.	ईदगाह तथा कुतुब रोड (2 यू.जी.ए.पी.)	परियोजना को आरंभ नहीं किया	भूमि स्वामित्व दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा रेलवे के विवाद के अंतर्गत था।	अनुबंध में बंद कर दिया।
11.	ग्रेटर कैलाश-II	परियोजना को आरंभ नहीं किया	स्थल शैल संस्तर के कारण उचित नहीं पाया गया।	प्रस्ताव को अंततः बंद कर दिया।
12.	वसंत विहार, अनुपम पीवीआर तथा गीता कॉलोनी (तीन यू.जी. ए.पी.)	प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया।	दि.न.नि. द्वारा इन जगहों पर यू.जी.ए.पी. की स्थापना हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया। इन स्थलों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।	स्थिति निश्चित नहीं की जा सकी चूंकि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

**03 मार्च 2016 को समापन सम्मेलन में विभाग/दि.न.नि. द्वारा परियोजना के बंद होने की पुष्टि की गई*

उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि स्थलों को चिन्हित करने तथा चयन करने में आवश्यक कर्मठता नहीं बरती गई थी जिसके परिणाम में परियोजनाओं को उस भूमि के लिए प्रस्तावित किया गया जो अन्य भूमि स्वामित्व एजेन्सियों से संबंधित थी अथवा पुरातात्विक स्मारकों के क्षेत्र के भीतर थीं अथवा पहले से ही अधिग्रहीत थी।

2.4.3.3 पारम्परिक एम.एल.यू.जी.पी. सुविधाओं के आंशिक कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 3.93 करोड़ का अपव्यय

एम पी डी–2021 का खण्ड 12.13.4, सतह पर हरे क्षेत्र और आस पास के वातावरण को छेड़े बिना खुले क्षेत्र में पार्किंग सुविधाओं की उत्पत्ति की अनुमति देता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.न.नि. ने एम.एल.यू.जी.पी. के निर्माण हेतु 8,904 अतिरिक्त ई.सी.एस को जोड़ने की दृष्टि से आठ क्षेत्रों में 24 पार्क/खुले क्षेत्रों को चिन्हित किया (वर्ष 2008)। इन कार्यों के प्रबंधन के लिए 24 कार्यकारी इंजीनियरों को, प्रत्येक स्थल के लिए एक, को नामित किया गया था (फरवरी 2008)। दि.न.नि. ने योजना को ₹ 549.53 करोड़ की अनुमानित लागत पर मार्च 2010 तक अर्थात 21 महीनों के भीतर पूरा करने का अनुमोदन दिया। तदनतर, जैसाकि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रस्तावित किया गया, भारत सरकार ने ₹ 164.43 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.के.स.) के साथ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत चल रही, 24 में से 16 परियोजनाओं[37] की निधि को अनुमोदित किया (दिसंबर 2009) जिसमें से मार्च 2015 तक दि.न.नि.को केवल ₹ 41.11 करोड़ जारी किये गए थे। चार एम.एल.यू.जी.पी. (मॉडल टाऊन–II हौज खास,परेड ग्राउंड तथा मुनीरका) ₹ 116.76 करोड़[38] की लागत पर पूरे किए गए थे जबकि पाँच स्थानों में नामतः राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, कालका जी, जंगपुरा तथा न्यू फ्रैंडस कॉलोनी जून 2015 तक प्रगति में थे। शेष 15 एम.एल.यू.जी.पी. की स्थापना की प्रक्रिया को परामर्श शुल्क पर ₹ 3.88 करोड़ के व्यय के बावजूद दि.न.नि. की ओर से अनुवर्ती कार्रवाही की कमी के कारण या तो आगे नहीं बढ़ाया गया या बीच में रोक दिया गया जैसाकि नीचे वर्णित है:

- दिसंबर 2009 में कृष्णा नगर के सैन्ट्रल पार्क में एम.एल.यू.जी.पी. के लिए निविदा प्रक्रिया आरंभ की गई। ठेकेदार ने छः मदो पर मोल भाव किया। अतिरिक्त आयुक्त (इंजी.) ने सलाहकार द्वारा तैयार किए गए औचित्य–प्रतिपादन की पुनः जाँच के निर्देश दिए तथा सितंबर 2010 में मुख्य इंजीनियर की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति बनाई गई। समिति ने न्यायोचित मूल्यांकन हेतु अक्तूबर 2010 और मार्च 2011 के बीच पाँच बैठकें की परन्तु मामले को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका। अंत में ठेकेदार ने अपनी निविदा की वैधता को बढाने से इंकार कर दिया (अप्रैल 2011) और आयुक्त ने पुनः निविदाकरण को अनुमोदित किया (दिसंबर 2011) परन्तु उसके

[37](i) ए.एल. ब्लाक शालीमार बाग (ii) शिवा मार्किट पीतमपुरा (iii) क्यू यू ब्लाक पीतमपुरा (iv) सैंट्रल मार्किट अशोक विहार (v) मोहम्मदपुर गॉव (vi) मालवीय नगर मार्किट (vii) पी वी आर वसंत लोक (viii) पी वी आर साकेत (ix) राजौरी गार्डन (x) सुभाष नगर (xi) जनकपुरी (xii) अजमल खाँ पार्क (xiii) कृष्णा मार्किट कालकाजी (xiv) होज रानी (xv) न्यू फ्रैंडस कॉलोनी (xvi) जंगपुरा

[38]9 फरवरी 2016 तक व्यय (मॉडल टाउन-II – ₹ 17.02 करोड़, हौज खास – ₹ 26.63 करोड़, मुनीरका – ₹ 19.00 करोड़ व परेड ग्राऊंड – ₹ 54.11 करोड़

पश्चात कोई कार्रवाही नही की गई थी। हालांकि, सलाहकार को परियोजना पर किए गए कार्यों के लिए ₹ 55.29 लाख का भुगतान किया गया था। सलाहकार को किया गया भुगतान निष्फल रहा चूंकि दि.न.नि. द्वारा परियोजना पर कोई पहल नहीं की जा रही थी।

- अशोक विहार के लिए निविदा प्रक्रिया को नवंबर 2009 में आरंभ किया गया था। न्यूनतम निविदाकार के साथ मोल–भाव 20 अप्रैल 2010 को किया गया तथा मामले को सहमति के लिए दि.न.नि. के वित्त विभाग को प्रेषित किया गया। वित्त विभाग की अभ्युक्तियों को हल करने में एक वर्ष से अधिक लगा दिया गया। मामला 28 अप्रैल 2011 को अतिरिक्त आयुक्त को पुनः प्रस्तुत किया गया। उसी समय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ई.पी.सी.ए.) ने अपनी 23 अप्रैल 2011 को हुई बैठक में आदेश दिया कि इसके द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पूर्व पार्किंग परियोजनाओं के पूरा होने तक, पार्कों के अंतर्गत किसी पार्किंग परियोजना को हाथ में न लिया जाए। अतिरिक्त आयुक्त (इंजी) ने दिनांक 19 अगस्त 2011 में मुख्य अभियंता से परियोजना की पुनःजाँच करने की इच्छा की। मामला पुनः 01 सितंबर 2011 को अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया जिसमें अतिरिक्त आयुक्त (इंजी.) ने फाईल को पुनः 02 सितंबर 2011 को सहमति के लिए वित्त विभाग को भेज दिया। वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर कुछ अभ्युक्तियाँ लगाकर 31 जनवरी 2002 को सहमति दे दी। निविदाओं की वैधता 31 मार्च 2012 को समाप्त हो गई अतः उ.दि.न.नि. ने दिसंबर 2012 में नयी निविदायें आमंत्रित की जिनको भी अभ्युक्तिओं तथा प्रक्रियागत विलंब के कारण अंतिम रुप नहीं दिया जा सका तथा प्रस्ताव को अगस्त 2014 में पूर्ण रुप से बंद कर दिया गया। ₹ 22.22 लाख का व्यय परामर्श पर खर्च किया गया था।
- हौज रानी के एम.एल.यू.जी.पी. का कार्य मार्च 2010 में सौंपा गया था परन्तु भा.पु.स. ने कार्य पर आपत्ति की (अगस्त 2010) क्योंकि स्थल ऐतिहासिक स्मारक के क्षेत्र के भीतर था। ठेकेदार के अनुरोध पर द.दि.न.नि. के आयुक्त ने समझौते को बंद करने (नवम्बर 2011) तथा कार्य के लिए पुनः निविदाकरण का अनुमोदन किया। द.दि. न.नि. के अनुरोध पर भा.पु.स. ने स्थल पर कार्य को अपनी सहमति दे दी (अगस्त 2012)। तथापि, उपराज्यपाल द्वारा (सितम्बर 2012) हरित क्षेत्रों को परिवर्तित न करने अथवा उपयोग न करने के आदेश को ध्यान में रखते हुए कार्य को आगे आरंभ नही किया जा सका। तथापि, परियोजना के सलाहकार को ₹ 24.12 लाख का भुगतान पूर्व–निर्माण योजना कार्य हेतु किया गया।
- मोहम्मद पुर स्थल के लिए निविदाएं नवंबर 2008 में प्राप्त की गई थी, परन्तु कार्य को भा.पु.स. की अनुमति प्राप्त न होने के कारण सौंपा नहीं जा सका क्योंकि स्थल ऐतिहासिक स्मारक के निकट था। इस समय दि.न.नि. ने स्थल को बदल दिया (मार्च 2009) तथा नयी निविदाएँ आमंत्रित की (मार्च 2010)। तथापि, निविदाओं को अंतिम रुप नही दिया गया क्योंकि योजना विभाग/बागवानी विभाग ने जनवरी 2011 में न्यायोचित लागत को अनुमोदित किया था। इसी दौरान निविदाओं की वैधता फरवरी

2011 में समाप्त हो गई। तथापि सलाहकार को ₹ 24.64 लाख की राशि का भुगतान पूर्व निर्माण योजना कार्य के लिए किया गया।

- पी वी आर साकेत, मालवीय नगर तथा वसंत लोक[39] में एम.एल.यू.जी.पी. के लिए सामान्य निविदाएं नवंबर 2008 में तथा पुनः मार्च 2010 में प्राप्त की गई थी परन्तु दोनो अवसरों पर एल–I द्वारा उद्घृत लागत न्यायोचित लागत से अधिक थी। अगस्त 2011 में पुनः निविदाएं आमंत्रित करने का अनुमोदन किया गया परन्तु तत्पश्चात आगे कोई प्रगति नहीं की गई थी। दिल्ली के उप–राज्यपाल ने सितंबर 2012 में हरित क्षेत्र में कोई पार्किंग परियोजना न करने का आदेश दिया था अतः द.दि.न.नि. के आयुक्त ने स्थलों को बंद करने हेतु अनुमोदन किया (दिसम्बर 2012) तथापि, सलाहकार को ₹ 81 लाख का भुगतान किया गया था।
- जनकपुरी[40] में एम.एल.यू.जी.पी. के लिए जून 2009 में प्राप्त निविदाओं के प्रति कार्य को सौंपने को अंतिम रुप नही दिया जा सका, क्योंकि मार्च 2010 में ई.पी.सी.ए. ने स्थल पर निर्माण करने में आपत्ति की थी। तथापि, सलाहकार को पूर्व–निर्माण कार्य की योजना हेतु ₹ 22 लाख का भुगतान किया गया था।
- गाँधी नगर में खुदाई कार्य मई 2009 में आरंभ किया गया परन्तु जब यह पाया गया कि दि.ज.बो. की पानी लाइने निर्माण स्थल को पार कर रही थीं इसे बन्द करना पड़ा (दिसंबर 2010)। तथापि कार्य पर पहले ही ₹ 75.10 लाख व्यय किया जा चुका था और सलाहकार को ₹ 61 लाख का भुगतान किया गया था, जो निष्फल हुआ।
- नवंबर 2009 में पीतमपुरा की शिवा मार्किट तथा क्यू यू ब्लाक के कार्य को सौंपा गया था। शिवा मार्किट स्थल पर खुदाई के दौरान पास की स्कूल ईमारत स्थल के पार दि.ज.बो. की जल लाइनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण गिर गई (जून 2012)। घटना के पश्चात ठेकेदार ने कार्य पुनः आरंभ नहीं किया। दिसंबर 2012 में निविदाएं पुनः आमंत्रित की गई थी परंतु दि.न.नि. के प्राधिकारियों द्वारा अनिश्चय के कारण अंतिम रुप नहींदिया जा सका। अन्ततः 25 अगस्त 2014 को अपर आयुक्त ने प्रस्ताव को इस आधार पर बंद करने का अनुमोदन दिया कि द.दि.न.नि. के गैर–योजना लेखा शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त बजट प्रावधान उस वित्तीय वर्ष में नही था, परन्तु सलाहकार को ₹ 87.33 लाख का भुगतान किया गया।
- ए एल पार्क, शालीमार बाग में एम.एल.यू.जी.पी.के लिए स्थल के चयन को क्षेत्र के निवासियों के प्रतिरोध के कारण अंतिम रुप नहीं दिया जा सका। ₹ 10.74 लाख का भुगतान इस स्थल के परामर्श कार्य पर भी किया गया था।
- तीन एम.एल.यू.जी.पी. (अरविन्दो मार्ग, अजमल खाँ पार्क तथा कैलाश कॉलोनी) के कार्य इनटैक की आपत्ति, स्थानीय निवासियों के प्रतिरोध अथवा अनुपयुक्त स्थल के कारण नहीं लिये गये थे।

[39]मूल स्थल मदनगीर में था।

[40]मूल स्थल इन्द्रलोक में था।

उपरोक्त 24 स्थलों के अतिरिक्त दि.न.नि. ने चिराग दिल्ली में एक एम.एल.यू.जी.पी. (281 ई.सी.एस. की क्षमता) का निर्माण ₹ 28.24 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया (अक्तूबर 2009) तथा इस कार्य के लिए ई.पी.सी.ए. से अनुमति माँगी (मार्च 2011) जिसे अस्वीकार कर दिया गया (जून 2011)। इसके बावजूद जनवरी 2012 में एक सलाहकार नियुक्त किया गया तथा प्रारंभिक रिपोर्ट बनाने के लिए उसे ₹ 4.98 लाख का भुगतान किया गया। अन्ततः सितंबर 2012 के उप–राज्यपाल के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पार्किंग के लिए हरित क्षेत्र को बदलने तथा उपयोग न करने के निर्देश थे, कार्य बंद कर दिया गया (फरवरी 2013)।

इस प्रकार एम.एल.यू.जी.पी. की स्थापना के लिए अवरोध–मुक्त तथा तकनीकी रुप से उपयुक्त स्थलों की पहचान में दि.न.नि. की विफलता के साथ निष्क्रियता तथा अनिश्चितता ने न केवल नागरिकों को पार्किंग सुविधाओं से वंचित किया बल्कि इसके परिणामस्वरुप आंशिक रुप से कार्यान्वित कार्यों के परामर्श कार्य पर ₹ 3.93 करोड़ का व्यर्थ व्यय भी हुआ, जो कभी पूर्ण होते हुए नहीं देखा। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 16 में से केवल चार स्थलों (ए एल ब्लाक शालीमार बाग, शिवा मार्किट पीतमपुरा, क्यू यू ब्लाक पीतमपुरा व अशोक विहार) को हाथ में लिया गया परन्तु बीच में ही छोड़ दिया गया। शेष 12 स्थलों पर परियोजनाओं को रोक दिया गया।

2.4.4 यू.जी.ए.पी./एम.एल.यू.जी.पी. की स्थापना में अनियमितताएं

2.4.4.1 कमला नगर में यू.जी.ए.पी. कार्य के सौंपने में करार की उन शर्तो एवं निबंधनो को भी सम्मलित किया गया जो कि परियोजना के पूर्व–निविदा दस्तावेज में नहीं बताये गये थे।

दि.न.नि.ने अगस्त 2006 में निविदाएं पूर्व योग्यता आधार पर डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन तथा स्थानांतरण आधार पर कमला नगर में यू.जी.ए.पी. के निर्माण हेतु आमंत्रित की गई थी। निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार दि.न.नि. को यू.जी.ए.पी. हेतु 1200 ई.सी.एस के लिए 3200 व.मी. का एक प्लाट उपलब्ध कराना था और कन्सेसनायर को अपने स्वयं के वित्त से डिजाइन तथा निर्माण कराना था और इसे निविदा में उद्धृत रियायती अवधि के लिए वाणिज्यिक आधार पर चलाना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि दो फर्मों ने निविदाएं प्रस्तुत कीं (दिसंबर 2006)। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने एक निविदा को आवश्यक प्रारंभिक स्कोर प्राप्त न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया (जनवरी 2007)। हालांकि, समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए अंक रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि दूसरे निविदाकार ने 12 दिसंबर 2006 को अपनी निविदा 125.78 एफ ए आर अथवा निर्मित क्षेत्र का 44.33 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु करने की शर्त के साथ प्रस्तुत की, जबकि एन आई टी ने 100 एफ ए आर अथवा निर्मित क्षेत्र का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, को निर्धारित किया। दि.न.नि. ने निविदाकार को एन आई टी के अनुसार निविदा में संशोधन करने का अनुरोध

किया (जनवरी 2007) जिसने इसे 100 एफ ए आर अथवा निर्मित क्षेत्र का 30 प्रतिशत जो अधिक हो, का प्रस्ताव दिया था। यद्यपि संशोधित प्रस्ताव एन आई टी के अनुरूप अभी तक नहीं था, दि.न.नि. ने इसे स्वीकार किया तथा वित्तीय निविदा को खोला (फरवरी 2007)।

निविदाकार ने अपनी वित्तीय निविदा में 55 वर्ष की रियायत अवधि की माँग रखी जिसे मूल्यांकन समिति द्वारा वार्ता के पश्चात (फरवरी 2007 और मार्च 2007) कम करके 50 वर्ष कर दिया। जब मामला दि.न.नि. के वित्त विभाग को भेजा गया (मार्च 2007), इस ने सतर्कता विभाग, ई आई एल तथा एन बी सी सी[41] सहित विभिन्न विभागों से अधिकारियों को शामिल करते हुए समिति के गठन का सुझाव दिया और समिति की सिफारिश को अंतिम निर्णय के लिए निगम के सामने रखा। वित्त विभाग ने भी रियायती अवधि के दौरान राजस्व साझेदारी हेतु एक विकल्प सहित यू.जी.ए.पी. चलाने के विभिन्न मॉडलों पर विचार करने की सलाह दी (अप्रैल 2007)। फिर भी दि.न.नि. ने न तो कोई समिति बनाई और न ही राजस्व साझेदारी के विकल्प पर विचार किया। मामला पुनः सहमति हेतु वित्त विभाग को 30 अप्रैल 2007 को भेजा गया। इस बार वित्त विभाग ने 16 अभ्युक्तियां की (जून 2007) और पाया कि तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन करते समय तकनीकी समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए अंको को इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। परियोजना की वैधता की जाँच के लिए किसी प्रमुख वित्तीय संस्थान से वित्त विशेषज्ञ लगाने की सलाह दी गई।

इंजीनियरिंग विभाग ने इन अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा मामले को आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) को भेज दिया (जून 2007) हुडको ने कहा कि सामान्यतः पेबैक अवधि परियोजना की आरंभिक रोकड़ परिव्यय वसूल करने हेतु आवश्यक समयावधि थी। इस परियोजना की पेबैक अवधि 15 वर्ष है जो हुडको द्वारा वित्त प्रदान करने वाली अन्य अवसंरचना परियोजनाओं की तुलना में अधिक है जिनमें साधारणतः पेबैक अवधि छः से आठ वर्ष होती है।

वित्त विभाग ने अन्ततः अपना प्रस्ताव कन्सेसनायर के पक्ष में पाया और निष्कर्ष दिया (अगस्त 2007) कि इसकी अभ्युक्तियाँ उनके उत्तरों सहित मामले में उचित निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकरी के सामने रखे जाने चाहिए। स्थायी समिति ने 17 अक्तूबर 2007 को प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। कार्यकारी इंजीनियर (परियोजना) ने कन्सेसनायर को सहमति पत्र जारी किया (अक्तूबर 2007) तथा इसके साथ औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए (23 जुलाई 2008) और फर्म को 34,668 व.फीट का प्लॉट उपलब्ध कराया।यू.जी.ए.पी. का निर्माण 2008 में शुरु किया गया तथा मई 2014 में पूर्ण किया गया।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया किः

- न तो एन आई टी और न ही रियायत समझौता में परियोजना को पूरा करने की अवधि निर्धारित थी जिससे इस संबंध में कन्सेसनायर मनमानी कर सकते थे। कन्सेसनायर ने कार्य पूर्ण होने की योजना प्रस्तुत नहीं की जिसके अभाव में लेखापरीक्षा वाणिज्यिक उपयोग हेतु सृजित निर्मित क्षेत्र निश्चित नहीं कर सकी। समझौते में

[41]नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन

वाहनों की पुनः प्राप्त अवधि नियत तथा उल्लखित नहीं थी।

- दि.न.नि. ने इस परियोजना में कन्सेसनायर द्वारा वास्तव में लगाई गई निधियों की मात्रा को निश्चित नही किया यद्यपि निविदा दस्तावेजों में कन्सेसनायर द्वारा प्रक्षेपित व्यय के आधार पर रियायत अवधि 50 वर्ष परिकलित की गई थी।
- कन्सेसनायर ने यह शर्त भी रखी थी (जनवरी 2007) कि यदि भविष्य में दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया गया तो उसे अधिक एफ ए आर का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। दि.न.नि. ने इसे स्वीकार किया तथा अधिक एफ ए आर से अर्जित लाभ के हिस्से पर कोई शर्त नहीं लगाई।
- एन आई टी के अनुसार 1200 ई.सी.एस. के प्रति केवल 828 ई.सी.एस. वाले यू.जी.ए.पी. को सृजित किया गया।

अतः दि.न.नि. के वित्तीय हित एकल तथा शर्तीय निविदा को उन शर्तों पर स्वीकार करने के लिये पर्याप्त रुप से सुरक्षित नहीं थे जो वित्त विभाग द्वारा व्यक्त आरक्षणों के बावजूद मूल रुप से बताए गए थे।

2.4.4.2 शिवा मार्किट तथा ए यू ब्लाक के एम.एल.यू.जी.पी.

शिवा मार्किट तथा ए यू ब्लाक में एम.एल.यू.जी.पी. के निर्माण का कार्य ₹ 43 करोड़ की लागत पर 15 महीनों के भीतर पूर्ण किए जाने के लिए सौंप दिया गया (नवंबर 2009)। कार्य वास्तव में जून 2010 में आरंभ किया गया तथा ठेकेदार को मार्च 2012 तक ₹ 4.36 करोड़ का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः

(i) मोबिलाइजेशन अग्रिम का अनियमित जारी करनाः कार्यकारी इंजीनियर (प्र. III/आर जैड) ने फर्म को मोबिलाइजेशन अग्रिम की प्रथम किश्त के रुप में ₹ 2.15 करोड़ जारी किए (दिसंबर 2009)। यद्यपि, कार्य शुरु नहीं किया गया ठेकेदार ने बिना किसी समर्थित दस्तावेजों के संयंत्र एवं मशीनरी पर ₹ 2.75 करोड़ के व्यय के विवरण प्रस्तुत किए (मार्च 2010)। कार्यकारी इंजीनियर ने पहले से जारी किए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम की उपयोगिता की सत्यता के विवरण प्राप्त किए बिना उसी महीने ₹ 2.15 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी।

(ii) ठेकेदार से बकायों की वसूली में विफलताः आयुक्त द्वारा 09 जून 2012 को गठित विभागीय जाँच ने ठेकेदार को शिवा मार्किट तथा ए.यू.ब्लाक में एम.एल.यू.जी.पी.के कार्यान्वयन के दौरान ईमारत गिरने की घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयुक्त ने किए गए कार्य तथा ईमारत की क्षति की लागत के प्रति ठेकेदार को किए गये भुगतान की राशि की वसूली का अनुमोदन किया (सितंबर 2012)। उ.दि.न.नि. ने उससे वसूल की जाने वाली कुल राशि ₹ 12.95 करोड परिकल्पित की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईमारत के गिरने के पश्चात ठेकेदार ने कार्य रोक दिया तथा स्थल से अपना सारा सामान ले गया। ठेकेदार को सामान, संयंत्र एवं मशीनरी ले जाने की अनुमति देकर उ.दि.न.नि. ने ₹ 2.88 करोड़ के अग्रिम (औजार एवं संयंत्र अग्रिम के रुप में ₹ 2.15 करोड़ तथा मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के रुप में ₹ 0.73 करोड़) को वसूल

करने का अवसर खो दिया। हालांकि कार्यकारी इंजीनियर द्वारा बकायों की वसूली अथवा स्थल पर उपस्कर एवं सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही एक वसूली याचिका कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय में फाइल की गई थी (25 जून 2015)।

2.4.4.3 परेड ग्राऊंड में एम.एल.यू.जी.पी.

कार्यकारी इंजीनियर ने बहादुर शाह जफर मार्ग के शहीद पार्क में एम.एल.यू.जी.पी. की स्थापना के लिए निविदाएं आंमंत्रित की (अप्रैल 2009)। ₹ 53.21 करोड़ की निविदा एल–1 को मोल–भाव करके ₹ 52.83 करोड़ कर दिया गया था (अगस्त 2009)। कार्यकारी इंजीनियर ने दिनांक 20 अप्रैल 2009 को आयुक्त के अनुमोदन से प्रस्तावित पार्किंग स्थल को बिना कोई कारण निर्धारित किए ब.शा.ज. मार्ग से दिल्ली की वॉल्ड सिटी में परेड ग्राउंड स्थानांतरित कर दिया (नवंबर 2009)। क्योंकि ब.शा.ज. मार्ग के शहीद पार्क पर एम.एल. यू.जी.पी. के लिए कार्य पहले सौंपा गया था, जगह के स्थानांतरण के साथ कार्य क्षेत्र भी पूरी तरह बदल गया था।जबकि नये स्थल हेतु नयी निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थीं तथा फर्म को उसी निविदा पर कार्य सौंप दिया गया (जनवरी 2010)। अतः नए स्थल पर एम.एल.यू.जी.पी. की स्थापना की लागत के दायित्व का निर्धारण नहीं किया जा सका।

2.4.5 विद्यमान पार्किंग सुविधाओं की कार्यप्रणाली

2.4.5.1 दि.न.नि. के आर.पी. सैल की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली

सभी तीन दि.न.नि. के आर.पी. सैल उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पार्किंग स्थलों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु उत्तरदायी हैं। मई 2015 को दि.न.नि. के पास 176 समतल स्तर पार्किंग (एस एल पी) स्थल थे। आर.पी. सैल ने इन स्थलों का आवंटन लाइसेंसधारियों को निविदा प्रक्रिया अथवा सार्वजनिक नीलामी के जरिए मासिक लाइसेंस शुल्क (एम.एल.एफ.) के आधार पर किया। संबंधित दि.न.नि. के आर.पी. सैल के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि लाइसेंस अनुबंध में लाइसेंसधारियों के लिए एस एल पी को आरंभ करने से पहले एस एल पी की सुरक्षा तथा वैध कार्यप्रणाली के साथ साथ यात्रियों तथा वाहनों की सुरक्षा तथा रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आर.पी. सैल को कुछ आवश्यक सूचना/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की शर्तें आवश्यक थीं। हालांकि आर.पी. सैलों ने अप्रैल 2012 से मई 2015 के दौरान आवंटित पार्किंग स्थलों के संबंध में लाइसेंसधारियों से इन सूचना/प्रमाणपत्रों की प्राप्ति को सुनिश्चित नही किया। कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

- दि.न.नि. को स्थलों के नक्शों की आपूर्ति के साथ बस/टैम्पो/कार/मोटर–साइकिल की पार्किंग के लिए सही क्षेत्र का सीमांकन भी करना था। लाइसेंसधारी के लिए क्षेत्र को अपोक्सी यलो थर्मोप्लास्टिक परत से चिन्हित करना तथा पार्किंग स्थल के फोटोग्राफ के साथ इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। यद्यपि आर. पी. सैलों ने प्रत्येक एस.एल.पी. के लाइसेंसधारी को नक्शों की आपूर्ति की, परन्तु ये निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों के लिए जगह को चिन्हित किए बिना थे। लाइसेंसधारियों ने अपेक्षित प्रमाणपत्र तथा फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किए। आर.पी. सैलों की ओर से

चूक ने लाइसेंसधारियों को वास्तविक आवंटन की अपेक्षा अधिक पार्किंग स्थान का उपयोग करने की छूट प्रदान की।

- लाइसेंसधारियों को दि.न.नि. को सूचित करते हुए पुलिस से अपने कर्मचारियों के पूर्ववर्ती चरित्र का सत्यापन कराना था तथा इस आशय का प्रमाणपत्र स्थलों को कब्जे में लेने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का प्रबंध करना था। तथापि आर.पी. सैलों ने किसी भी लाइसेंसधारी से पुलिस की ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की तथा स्थल व उसके उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के साथ समझौता कर लिया।
- अनुबंध के अनुसार लाइसेंसधारी को पार्किंग स्थल का कब्जा लेने के पश्चात एक सप्ताह के भीतर इस आशय का प्रमाणपत्र कि पार्किंग शुल्क के लिए रसीद यात्रियों को केवल हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए जारी की जाएगी आर.पी. सैल को प्रस्तुत करना था फिर भी किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः वहाँ कोई आश्वासन नहीं था कि सवारियों से निर्धारित पार्किंग शुल्क लिया जाएगा।
- लाइसेंसधारी को पार्किंग स्थल के वाहनों की चोरी, क्षति अथवा हानि के प्रति बीमा कराना, बीमे के प्रीमियम का नियमित रुप से भुगतान तथा रसीद की फोटोप्रति संबंधित आर.पी. सैल को प्रस्तुत करना आवश्यक था। परन्तु किसी भी लाइसेंसधारी ने बीमा पॉलिसियों की प्रतियाँ तथा प्रीमियम के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। यदि पार्किंग स्थल का बीमा नहीं कराया जाता है, वाहनों की चोरी, क्षति अथवा हानि के मामले में लाइसेंसधारी यात्रियों को क्षतिपूर्ति के लिए मना कर सकता है।
- लाईसेंसधारी को दि.न.नि. द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक शिकायत रजिस्टर बनाना था। तथापि आर.पी. सैलों ने न तो कोई प्रपत्र निर्धारित किया न ही शिकायत रजिस्टरों की पुनरीक्षा हेतु और लाइसेंसधारियों द्वारा की गई सुधारक कार्रवाईयों को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली थी।
- अनुबंध के अनुसार लाइसेंसधारियों के कर्मचारियों को निर्धारित यूनीफार्म में होना चाहिये तथा पहचान पत्रों को दिखाना/पहनना चाहिए। तथापि आर.पी. सैलों ने बैच तथा यूनिफोर्म के डिजाइन निर्धारित नहीं किए जिससे लाइसेंसधारियों को निर्दिष्ट अनुदेशों का पालन न करने का बहाना मिल गया। बैच तथा यूनिफार्म के अभाव में वहाँ पर सवारियों के लिए यह अंतर करने का कोई तरीका नहीं था कि पार्किंग में उपस्थित व्यक्ति प्राधिकृत है या अप्राधिकृत।
- एन आई टी ने पार्किंग स्थलों को आवंटित करते हुए जानबूझकर इस शर्त के साथ न्यूनतम आरक्षित कीमत (एम.आर.पी.) का उल्लेख किया कि एम.आर.पी. की अपेक्षा कम उद्धृत मासिक लाइसेंस फीस (एम.एल.एफ.) की निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि आर.पी. सैलों ने मनमाने ढंग से एम.आर.पी. नियत की थी चूंकि वहाँ पर एस एल पी (इ.सी.एस. की शर्तों में) की क्षमता को निर्धारित करने तथा प्रत्येक पार्किंग स्थल से संभावित राजस्व को निश्चित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था।

2.4.5.2 ठेका प्रबंधन हेतु तंत्र का अभाव

जुलाई 2015 में दि.न.नि. के पास 176 एस एल पी तथा चार एम एल यू जी पी थे जो लाईसेंसधारियों को सहमत शर्तों एवं निबंधनों के अधीन वाणिज्यिक उपयोग के अधिकार के साथ आवंटित किए गए। लाइसेंसधारियों द्वारा शर्तों एवं निबंधनो के अनुपालन की सीमा को निश्चित करने के विचार से लेखापरीक्षा ने यादृच्छिक रुप से चयनित 35 एस एल पी[42] तथा सभी चार एम.एल.यू.जी.पी.का दौरा किया **(अनुलग्नक 2.4)**। दौरे के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन पार्किंग स्थल (अरविन्दों प्लेस मार्किट, सी–ब्लाक वंसत विहार तथा अंडर फ्लाईओवर, मुनीरका) बाजार संघों के प्रतिरोध तथा डी एम आर सी द्वारा खुदाई के कारण गैर–कार्यात्मक थे।

लेखापरीक्षा ने अनुबंध की शर्तों एवं निबंधनों पर आधारित एस एल पी तथा एम.एल.यू.जी. पी.की कार्यप्रणाली को मूल्यांकित किया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- प्रत्येक स्थल में कंप्यूटर रखा जाना था ताकि पार्क किए गए वाहनों की संख्या तथा एकत्रित शुल्क का रिकार्ड रखा जाए। तथापि, दंगल मैदान स्थल के सिवाय कही भी कंप्यूटर नही रखे गए थे।
- पार्किंग क्षेत्र में रोशनी के चमकदार साईन बोर्ड लाइसेंसधारी का विवरण, पार्किंग स्थल इत्यादि दर्शाते हुए उपलब्ध कराने थे। तथापि केवल पाँच एस एल पी तथा परेड ग्राउंड के एक एम.एल.यू.जी.पी. में उचित रुप से चमकदार साईन बोर्ड विद्यमान पाए गए थे।
- पार्किंग स्थलों में अग्निशामक तथा पी.ए. प्रणाली के लिए प्रबंध किए जाने थे। परन्तु परेड ग्राऊंड के सिवाय किसी भी स्थल पर ऐसे कोई प्रबंध नहीं पाए गए थे।
- पार्किंग स्थलों के प्रवेश तथा निकास द्वार पर रोशनी के उचित प्रबंध किए जाने थे। परन्तु परेड ग्राऊंड के सिवाय किसी एस एल पी में ऐसे कोई प्रबंध नहीं पाए गए थे।
- सी.सी.टी.वी. कैमरा पार्किंग क्षेत्र में उपलब्ध कराना था परन्तु परेड ग्राऊंड को छोड़कर किसी भी स्थल में ये उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- पार्किंग स्थल के कर्मचारी यूनिफोर्म में होने चाहिए थे तथा बैच लगाए हुए होने चाहिए थे। तथापि कर्मचारी यूनिफोर्म में नहीं थे सिवाय तीन एस एल पी जैसे उपहार सिनेमा, द.दि.न.नि. के सीलमपुर कार्यालय के पीछे तथा क्रॉस रिवर मॉल, कड़कड़डूमा जिनके कर्मचारी यूनिफार्म में पाए गए थे। किसी भी स्थल में कर्मचारियों ने बैच नहीं पहने थे।
- प्रत्येक स्थल पर लाइसेंसधारी द्वारा शिकायत रजिस्टर रखा जाना था परन्तु यह केवल तीन एस एल पी जैसे दंगल मैदान, राधामोहन क्लब तथा अजमेरी गेट 2, हमदर्द चौक में रखे गए थे।

[42]उ.दि.न.नि.–11, द.दि.न.नि.–18 तथा पू.दि.न.नि.–6

- परचियाँ जिसमें प्रवेश का समय, निकासी का समय, प्रभारित पार्किंग शुल्क की राशि तथा पार्क किए गये वाहनो की संख्या का पंजीकरण इत्यादि उल्लिखित हो, यात्रियों को केवल हैंड हैल्ड डिवाइस द्वारा अनिवार्य रुप से जारी की जानी थी। परन्तु केवल कुतुब रोड़, टांगा स्टैंड के पास के एस.एल.पी. में निर्धारित प्रणाली थी।
- वाहनों को ढलानों पर और वाहन चलने वाले रास्तों पर खडे हुए पाया गया था।
- शौचालय तथा पेय जल के प्रबंध उपलब्ध नहीं थे सिवाय परेड ग्राउंड के जहाँ उ.दि.न.नि. ने इन सुविधाओं का प्रबंध किया था।
- एम.एल.यू.जी.पी.का हानि, चोरी, क्षति इत्यादि के प्रति बीमा नहीं कराया गया।
- किसी भी एम.एल.यू.जी.पी. में ट्रैफिक नियमित करने के लिए व्यावसायिक रुप से प्रशिक्षित ट्रैफिक मार्शल उपलब्ध नहीं थे।
- आसफ अली रोड के एम.एल.यू.जी.पी. की ईमारत में स्वचालित कार्यशाला के लिए एक बहुत बड़ा हॉल प्रारंभ में बनाया गया। यद्यपि इसे लाइसेंसधारी को पार्किंग उद्देश्य के लिए आवंटित नहीं किया गया, उसके द्वारा अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए हॉल को पार्किंग हेतु उपयोग किया जा रहा था।

 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि लाइसेंसधारी लाइसेंस अनुबंध की शर्तों एवं निबंधनों का पालन नहीं कर रहे थे। जबकि यह पाया गया कि वे अनुबंध के अंतर्गत आवंटित स्थान की अपेक्षा अधिक स्थान उपयोग कर रहे थे, उन्होने वाहनों तथा एकत्रित शुल्क के आंकड़े का रखरखाव नहीं किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के निर्देशों के अनुसार धातु की सड़क पर किसी पार्किंग की अनुमति नहीं थी। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार एस.एल.पी. के मामले में वाहनों को सड़कों के मुख्य पेवमैंट में पार्क किया गया। लाइसेंसधारियों को एक बार आवंटन पत्र जारी किए जाने के पश्चात, दि.न.नि. का स्पष्ट रुप से इन एस एल पी पर कोई नियंत्रण नहीं रहता था। इस प्रकार लाइसेंसधारियों द्वारा एल एल पी को विधिसम्मत चलाने हेतु स्वीकृत शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र विद्यमान नहीं था।

 द.दि.न.नि. ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2016) कि सभी विद्यमान ठेकेदारों को पार्किंग समझौतों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुपालन हेतु 03 मार्च 2016 को एक परिपत्र जारी किया गया था।

2.4.5.3 बहु स्तरीय भूमिगत पार्किंग (एम.एल.यू.जी.पी.) का खराब रखरखाव

उ.दि.न.नि. की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने उ.दि.न.नि. के आयुक्त के साथ चर्च मिशन रोड, गाँधी मैदान तथा आसफ अली रोड के एम.एल.यू.जी.पी. का निरीक्षण किया (मई 2013) और खराब वस्तुगत स्थितियों तथा लाइसेंसधारियों द्वारा करारों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के स्तर पर अपने गंभीर विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष ने पार्किंग के प्रभारी उपायुक्तों को कार्य को उचित ढंग से करवाने तथा दोषपूर्ण लाइसेंसधारियों के प्रति कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष द्वारा किए गए अभिक्रमों के प्रभावों के मूल्यांकन की दृष्टि से लेखापरीक्षा ने

उ.दि.न.नि. के अधिकारियों के साथ इन पार्किंग स्थलों का दौरा किया (जून 2015) और पाया कि आदेशों के अनुपालन में कोई सुधारक कार्रवाई नहीं की गई थी। एम.एल.यू.जी.पी. अभी भी बहुत खराब स्थिति में थी। फर्श में गड़ढे थे और टाइलें टूटी हुई थीं। स्टील की छड़ें छत में दिखाई दे रही थी। मशीनी वेंटीलेशन प्रणाली तथा स्प्रिंकलर्स, अग्नि पंप तथा पानी संग्राहक सहित पूरी अग्निशामक प्रणाली उचित रखरखाव के अभाव में बेकार हो गयी थी। हर जगह कूड़ा बिखरा पड़ा था जो वातावरण को बहुत अस्वस्थकारी बना रहा था। आसफ अली रोड के एम.एल.यू.जी.पी. को छोड़कर सभी जगह रोशनी का प्रबंध बहुत खराब था। सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त स्थिति में थी तथा कूड़ेदानों में परिवर्तित हो गई थी। परिणामतः लोग पार्किंग स्थल तक पहुंचने हेतु वाहनों के लिए बनाई गई ढलान (रैम्प) का उपयोग करने पर बाध्य हो गए थे।

आसफ अली रोड का एम.एल.यू.जी.पी. तीन स्तरीय पार्किंग है, यात्रियों के लिए चार लिफ्टें तथा सामान/वाहनों के लिए एक लिफ्ट बनाने का प्रावधान था परन्तु कोई लिफ्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। सभी तीन एम.एल.यू.जी.पी. के बेसमैंट हॉलों में पानी के जमा होने की समस्या थी। अन्य कमियों की चर्चा नीचे की गई हैः

(क) दावा न किए गए वाहनों का गैर–निपटानः अध्यक्ष, स्थायी समिति ने पाया कि एम.एल.यू.जी.पी. में बड़ी संख्या में दावा न किए गए वाहन लम्बे समय से पड़े हुए थे जो बहुत अधिक जगह घेर रहे थे और उन्हे कानूनी रुपरेखा के भीतर नीलामी का आदेश दिया। हालांकि उ.दि.न.नि. ने इस संबंध में कोई पहल नहीं की। ये दावा न किए गए वाहन उ.दि.न.नि. के लिए राजस्व हानि के कारण है जैसाकि लाइसेंसधारियों ने पार्किंग हेतु वास्तव में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए मासिक लाइसेंस शुल्क उद्धृत किया था।

(ख) त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण मॉडल टाऊन के एम.एल.यू.जी.पी. का व्यर्थ पड़े रहना : वर्ष 2014 में मॉडल टाउन–II में एक एम.एल.यू.जी.पी. सभी आधुनिक विशेषताओं सहित ₹ 17.02 करोड़ की लागत पर बनाया गया। आर.पी. सैल (उ.दि.न.नि.) ने इस एम.एल.यू.जी.पी. को एक लाइसेंसधारी को ₹ 2.33 लाख की मासिक लाईसेंस शुल्क (एम.एल.एफ.) पर आबंटित किया (सितम्बर 2014)। आर.पी. सैल ने एम.एल.एफ. में नवंबर 2014 से चार बार एकतरफा संशोधन किया, लाइसेंसधारी ने पार्किंग को अभ्यर्पित कर दिया। उ.दि.न.नि. ने ठेके को नवंबर 2014 में समाप्त कर दिया और पार्किंग को अगले आदेशों तक लोगों के लिए निःशुल्क घोषित कर दिया। तत्पश्चात, आर.पी. सैल ने पार्किंग को निविदा प्रक्रिया अथवा सार्वजनिक नीलामी के जरिए आवंटित करने हेतु सात बार प्रयास किए (नवंबर 2014 से अगस्त 2015) और हर बार एम आर पी को कम किया, परन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। निविदाकर्ताओं द्वारा गैर–प्रत्युत्तर के लिए कारणों का निर्धारण करने की दृष्टि से लेखापरीक्षा ने उ.दि.न.नि. के सहायक इंजीनियर के साथ स्थल का दौरा किया (जुलाई 2015) और उस एम.एल.यू.जी.पी. में एक भी वाहन पार्क किया हुआ नहीं पाया गया जबकि यह जनता के लिए निःशुल्क था। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि एम.एल.यू.जी.पी. कि ढलाने इतनी खड़ी थी कि उन पर वाहन चलाना कठिन था। इसके अतिरिक्त वाहनों को ऊपरी तल से निचले

तल पहुँचने में मोड़ने के लिए भी संकीर्ण रास्ता था। एम.एल.यू.जी.पी. के पूर्व ठेकेदार ने भी इन कमियों को उ.दि.न.नि. के संज्ञान में लाया था (मई 2015)। तथापि एम.एल.यू.जी.पी. को उपयोग–योग्य बनाने के लिए कोई सुधारक कार्रवाई नहीं की गई। स्थल के त्रुटिपूर्ण डिजाइन ने न केवल जनता को अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा से वंचित रखा बल्कि ₹ 17.02 करोड़ के व्यय को भी निष्फल बना दिया।

(ग) हौज खास तथा मुनीरका में एम.एल.यू.जी.पी. का गैर–आवंटनः हौज खास तथा मुनीरका का एम.एल.यू.जी.पी., जिसका निर्माण कार्य मई 2015 में पूरा हुआ था को आवंटित नहीं किया गया जिसके कारण न केवल राजस्व की हानि हुई बल्कि इसने नागरिकों को पार्किंग सुविधाओं से भी वंचित रखा।

2.4.5.4 बतरा सिनेमा के एस एल पी का अनाधिकृत आवंटन

उ.दि.न.नि. ने 53 एस एल पी के आवंटन हेतु निविदाएं आमंत्रित की तथा उनमें से उन 18 को अंतिम रुप दिया जिसमें बतरा सिनेमा वाणिज्यिक कॉम्पलैक्स के एस एल पी को शामिल नहीं किया गया। तथापि, यह पाया गया कि आर.पी. सैल ने बतरा सिनेमा में एस एल पी को अनाधिकृत रुप से, ₹ 0.75 लाख के मासिक लाइसेंस शुल्क पर ठेकेदार को आवंटित किया गया।

2.4.6 पार्किंग स्थलों का वाणिज्यिक उपयोग

पार्किंग स्थल दि.न.नि. के लिए राजस्व स्त्रोत है तथा यह सामान्य जनता को भी सुविधा प्रदान करता है। अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के दौरान एकत्रित मासिक लाइसेंस शुल्क का विवरण नीचे तालिका 2.4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4.2 : 2012–15 के दौरान एकत्रित एम.एल.एफ.

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उ.दि.न.नि.	द.दि.न.नि.	पू.दि.न.नि.
2012-13	1.41	48.15	1.41
2013-14	13.85	76.18	2.91
2014-15	15.04	53.41	3.01

हालांकि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि आर.पी. सैलों के कार्यान्वयन ने पार्किंग स्थलों से राजस्व की अधिकतम वसूली का आश्वासन प्रदान नहीं किया।

2.4.6.1 उतरी दिल्ली नगर निगम द्वारा ₹ 6.95 करोड के बकाया मासिक लाईसेंस शुल्क की वसूली नहीं

एम.एल.यू.जी.पी./एस एल पी लाईसेंसधारियों को एम.एल.एफ. के अग्रिम भुगतान की शर्त पर आवंटित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उ.दि.न.नि. ने लाइसेंसधारियों द्वारा एम.एल.एफ. के गैर–भुगतान के कारण 70 लाइसेंस/ठेके (11 अगस्त से 18 दिसंबर 2014) तक निरस्त किए। 10 फरवरी 2015 को 70 लाइसेंसधारियों से ₹ 8.99 करोड़ की एम.एल.एफ. की वसूली लम्बित थी। उ.दि.न.नि. ने 49 मामलों में बकाया देयों के प्रति ₹ 2.04 करोड़

की प्रतिभूति तथा बैंक गारंटी का समायोजन किया परन्तु शेष मामलों में लाइसेंसधारियों द्वारा कोई प्रतिभूति अथवा बैंक गारंटी जमा नहीं की गई थी। अतः लाइसेंसधारियों को एम.एल.एफ. के नियमित भुगतान के बिना तथा प्रतिभूति जमा किए बिना पार्किंग स्थलों को लम्बे समय तक चालू रखने की अनुमति के परिणामस्वरुप ₹ 6.95 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

2.4.6.2 लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ

उ.दि.न.नि. के आर.पी. सैल ने चर्च मिशन रोड के एम.एल.यू.जी.पी. को सार्वजनिक नीलामी के जरिए ₹ 24.02 लाख के एम.एल.एफ. पर आवंटित किया (दिसम्बर 2014)। लाइसेंसधारी के अनुरोध पर (दिसंबर 2014) आर.पी. सैल ने एम.एल.एफ. को ₹ 24.02 लाख से कम करके ₹ 18.02 लाख कर दिया क्योंकि पार्किंग स्थल पर डम्पड वाहनों के कारण कुछ स्थान अनुपयोगी था। आवंटन के पश्चात लाइसेंस शुल्क का कम करना अनियमित था तथा इसमें पारदर्शिता का अभाव था जैसाकि लाइसेंसधारी ने 16 दिसंबर 2014 को पूरे रिक्त स्थल का कब्जा कर लिया। इसके परिणामस्वरुप ₹ 18 लाख के राजस्व की हानि हुई तथा लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ हुआ।

2.4.6.3 लाइसेंसधारी को ₹ 2.57 करोड़ का अनुचित लाभ

अप्रैल 2013 से पहले 17,408 व.मी. के समतल क्षेत्र वाला परेड ग्राउंड एस एल पी के रुप में उपयोग किया जा रहा था। उ.दि.न.नि. ने 6,365 व.मी. के ग्राउंड में खुले क्षेत्र के रुप में 11,043 व.मी. को छोड़कर एक एम.एल.यू.जी.पी. का निर्माण किया (अप्रैल 2013)। तथापि एम.एल.यू.जी.पी. की छत का स्तर खुले क्षेत्र के स्तर के समान रखा गया। उ.दि.न.नि. ने लाइसेंसधारी को एम.एल.यू.जी.पी. की केवल छत को ₹ चार लाख के एम.एल.एफ. पर आवंटित किया (अप्रैल 2013) और खुले क्षेत्र को बिना आवंटन के छोड़ दिया। उ.दि.न.नि. के नगर क्षेत्र के सहायक इंजीनियर के साथ लेखापरीक्षा दल ने यह जानने के लिए स्थल का दौरा किया (जुलाई 2015) कि क्या लाइसेंसधारी, खुले क्षेत्र को भी एस एल पी के रुप में उपयोग कर रहा था क्योंकि उ.दि.न.नि. ने खुले क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को निषेध करने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए। जिसके परिणामस्वरुप लाइसेंसधारी को खुले क्षेत्र का उपयोग एस एल पी के रुप में करने से अप्रैल 2013 से जून 2015 की अवधि के दौरान ₹ 2.57 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

2.4.6.4 स्थलों के अप्राधिकृत अभिग्रहण के कारण ₹ 55.35 लाख की हानि

2013–14 के दौरान लाइसेंसधारियों के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के खण्ड 22 (ई) के अनुसार यदि द.दि.न.नि. ठेके के मध्य में पार्किंग प्रभारों/शुल्क के लिए निर्धारित दरों में संशोधन करता है तो वर्तमान लाइसेंसधारी को पार्किंग स्थल का संचालन उस समय तक जारी रखना चाहिए जब तक संशोधित दरों को अंतिम रुप न दिया जाए अथवा ठेका समाप्त हो जाए, जो भी पहले हो। उसे संशोधित दरों की अधिसूचना की तिथि से एच–1 दरों के बराबर एम.एल.एफ.अदा करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एन आई टी के निर्देश डी (5) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी अवधि की समाप्ति के पश्चात

भी स्थल का संचालन जारी रखता है तो वह अप्राधिकृत अभिग्रहण की अवधि के लिए एम.एल.एफ. की दर से दुगनी दुरुपयोग/क्षति प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि द.दि.न.नि. ने रोज गार्डन की एस डी ए मार्किट के एस एल पी का आवंटन मैसर्स पुनीत कुमार को 02 जनवरी 2013 (30 अप्रैल 2013 तक बढ़ाया गया) तक ₹ 1.30 लाख के एम.एल.एफ. पर आवंटित किया। बाद में 20 मार्च 2013 में एस एल पी को दूसरी फर्म को ₹ 2.57 लाख के एम.एल.एफ. पर आवंटित किया गया परन्तु स्थल मार्च 2015 तक पूर्व लाइसेंसधारी के कब्जे में रहा। द.दि.न.नि. ने पार्किंग स्थल के अप्राधिकृत अभिग्रहण हेतु पूर्व लाइसेंसधारी से क्षतिपूर्ति प्रभारों को उद्ग्रहीत नहीं किया। दूसरी फर्म द्वारा स्थल न सौंपने के कारण रिकार्ड में नहीं थे। अतः द.दि.न.नि. द्वारा स्थल को खाली कराने तथा उसे नए लाइसेंसधारी को सौंपने की विफलता के परिणामस्वरुप ₹ 55.35[43] लाख के राजस्व की हानि हुई।

द.दि.न.नि. ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2016) कि दूसरी फर्म स्थल का कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आई तथा पहली फर्म ने ₹ 1.30 लाख के पुराने एम.एल.एफ.पर प्रचालन जारी रखा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि द.दि.न.नि. ने पूर्व लाइसेंसधारी के कब्जे से स्थल को लेने के प्रयास नहीं किए तथा इसे नए लाइसेंसधारी को सौंप दिया।

2.4.7 निष्कर्ष

दिल्ली में पार्किंग सुविधाओं की बहुत अधिक कमी थी। दि.न.नि. की ओर से पहल के अभाव के कारण नई पार्किंग सुविधाओं को लगातार पाँच वर्षों के दौरान शहर में वाहनों की संख्या बढ़ने के अनुरुप सृजित नहीं किया गया था। वहाँ पर पी.पी.पी. तरीके के अंतर्गत भूमिगत स्वचालित पार्किंग सुविधाओं की स्थापना में नाममात्र की प्रगति थी जैसाकि केवल एक यू.जी.ए.पी. ही सृजित किया जा सका था। अभिसामयिक एम.एल.यू.जी.पी. के आंशिक कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप परामर्श शुल्क पर व्यर्थ व्यय हुआ। ठेकों को सौंपना तथा ठेका प्रबंधन अनियमितताओं से जैसे कि सशर्त निविदा स्वीकार करना, बकायों की गैर–वसूली, नई निविदाएँ आमंत्रित न करना जबकि कार्यक्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तित था, आदि से भरे हुए थे। अस्वीकार्य मोबिलाइजेशन अग्रिम निर्धारित मानकों के उल्लंघन में जारी किए गए थे।

दि.न.नि. के आर.पी. सैल की लाइसेंसधारियों द्वारा अनुबंध की शर्तों एवं निबंधनों को सुनिश्चित करने की विफलता के कारण पार्किंग स्थलों का कुप्रबंधन हुआ। एक एम.एल. यू.जी.पी. जो मई 2015 में पूरा हो गया को, उपयोग में नही लाया गया था जबकि दूसरा एम.एल.यू.जी.पी. अपने त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण व्यर्थ पड़ा था।पार्किंग स्थलों में नगरीय सुविधाओं जैसे पेयजल, कार्यात्मक शौचालय, सी सी टी वी कैमरों, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली, उचित रोशनी हेतु सुविधाओं का अभाव था।

[43](₹ 1,30,002 × 105 प्रतिशत) × 8 महीने + (₹ 1,36,502 × 105 प्रतिशत) × 10 महीने + (₹ 1,43,327 × 6) × 2 महीने + (₹ 1,43,327 × 3) × 3 महीने = ₹ 55,35,153

2.4.8 सिफारिशें

दि.न.नि. :

(i) नगर में वाहनों की वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक पार्किंग नीति का विकास कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की समय सीमा को निर्धारित करते हुए नई पार्किंग सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल/भूमि चिन्हित कर सकता है;

(ii) सलाहकार की नियुक्ति करने और परामर्श शुल्क भुगतान तथा परियोजनाओं के वास्तविक अनुमोदन और प्रगति के बीच बेहतर समक्रमण सुनिश्चित कर सकता है;

(iii) रियायतग्राही को प्रदत लाइसेंसों की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित कर सकता है; तथा

(iv) विद्यमान पार्किंग स्थलों के प्रबंधन के लिए आर.पी. सैल के साथ साथ लाइसेंसधारियों द्वारा अपनाए जाने वाले मैनुअल तैयार कर सकता है।

मामला सरकार को नवंबर 2015 को भेजा गया। सरकार ने द.दि.न.नि. के उत्तरों को प्रेषित किया (मार्च 2016), उ.दि.न.नि. तथा पू.दि.न.नि. के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

अध्याय-III
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय-III
अनुपालना लेखापरीक्षा

खाद्य, आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों का विभाग

3.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी

लाभार्थियों की पहचान में देरी थी। लाभार्थियों की सूची में अयोग्य और असत्यापित व्यक्ति सम्मिलित थे। अनाज ले जाने वाले वाहनों में उनकी निगरानी के लिए जी.पी.एस. यन्त्र नहीं लगे हुए थे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण के डाटाबेस के अन्तर्गत डाटा अपूर्ण थे। लाभार्थियों की पहचान और अनाज के वितरण का सत्यापन करने के लिए विक्रय स्थल मशीनें 2300 उचित दर की दुकानों में से केवल 42 दुकानों में लगी थी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एन.एफ.एस.) अधिनियम, 2013 (अधिनियम) देश की जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले भोजन की पर्याप्त मात्रा तक की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. इस अधिनियम के रा.रा.क्षे. दिल्ली में कार्यान्वयन के लिए मुख्य विभाग है।

जुलाई 2013 से मार्च 2015 की अवधि को लेते हुए अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का विभाग (विभाग) की तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए एक लेखापरीक्षा की गई। इसके लिए लेखापरीक्षा ने विभाग के मुख्यालय और बिना परिवर्तन के सम्भव्यता अनुपातिक आकार पी पी एस डब्लू ओ आर सांख्यिकीय नमूना विधि द्वारा चयनित नौ जिलों में से दो जिले, 70 सर्कल में से चार सर्कल (प्रत्येक चुने गए जिले में से दो सर्कल) और 16 उचित दर की दुकानों (चार दुकाने प्रत्येक चुने गए सर्कल से) के अभिलेखों की जांच की।

3.1.1 अधिनियम का कार्यान्वयन एवं जनसंख्या का कवरेज

अधिनियम की धारा 10 (1) (बी) के अनुसार राज्य सरकार को अधिनयम के शुरू (जुलाई 2013) होने के 365 दिनों के भीतर योग्य परिवारों की पहचान अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई व्यक्तियों की संख्या के अंतर्गत करनी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) ने कुल 72.78 लाख व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत लिए जाने निश्चित किये थे (जुलाई 2013)। लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभार्थियों की पहचान में देरी हुई क्योंकि दिये गये 365 दिनों की समय सीमा में जून 2014 तक विभाग 23.62 लाख लाभार्थियों की पहचान कर पाया। मंत्रालय ने बाद में यह समय सीमा तीन बार और अन्तिम बार 30 सितम्बर 2015 तक के लिए बढ़ा दी। तथापि 29 जनवरी 2016 को विभाग भा.स.

द्वारा तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका क्योंकि फिर भी पहचान किए लाभार्थियों में 0.19 लाख लाभार्थियों की कमी थी। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि उन्होंने भा.स. द्वारा तय लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त किये थे तथा योग्य परिवारों को शामिल करने के लिए अयोग्य परिवारों को हटाए जाने का कार्य कर लिया गया था। तथ्य यह रहा कि विभाग निर्धारित समय सीमा की अनुपालना करने में असफल रहा।

3.1.1.1 स्तर का सत्यापन किये बिना योग्य परिवारों की सूची का अद्यतनीकरण

अधिनियम की धारा 10 (2) के अनुसार राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत निश्चित किये गये व्यक्तियों की संख्या के भीतर योग्य परिवारों की सूची का अद्यतीकरण करना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा हाँलाकि, यह पता चला कि विभाग ने 1 सितम्बर 2013 से मौजूदा ए.ए.वाई.[44] बी.पी.एल.[45] ए.पी.एल.एस.[46] (जे.आर.सी.[47] और आर.सी.आर.सी.[48]) श्रेणी के अन्तर्गत परिवारों के दर्जे को अद्यतित किये बिना, उन सभी को योग्य परिवार मानते हुए, अधिनियम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि 6.27 लाख कार्ड धारी जिनमें 32.39 लाख लाभार्थी थे, जिनको अधिनियम के कार्यान्वयन के शुरूआत में (1 सितम्बर 2013) पहले योग्य लाभार्थी मान लिया गया था, में से 19 अगस्त 2014 तक केवल 4.1 लाख परिवारों को योग्य पाया गया। सूची का गैर अद्यतनीकरण सहायता प्राप्त आंकड़ों का अयोग्य परिवारों को आवंटन होने के जोखिम को दर्शाता है।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि आवेदनों की बहुत बड़ी संख्या सम्भवतः प्राप्त होनी थी और एन.एफ.एस. एक्ट के अंर्तगत शिनाख्त और आवेदनों के सत्यापन के अधिक कार्यभार को कम करने के लिए सरकार ने मौजूदा ए.ए.वाई, बी.पी.एल., जे.आर.सी. तथा आर.सी.आर. सी. श्रेणी के अंर्तगत लाभ देने का निर्णय लिया। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि अधिनियम की धारा 10(1)(ब) प्रावधान करती है कि जब तक परिवारों की पहचान पूर्ण नहीं हो जाती तब तक अनाज का आबंटन मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंर्तगत होगा न कि लाभार्थियों के दर्जे को अद्यतित किए बिना एन. एफ. एस. अधिनियम के अंतर्गत उच्च सहायता प्राप्त दरों पर।

3.1.1.2 योग्य परिवारों की पहचान के लिए मापदण्डों की गैर–अनुपालना

(i) विभाग द्वारा जुलाई 2013 में जारी किये गए दिशानिर्देश के अनुसार परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है और समूह जो भौगोलिक, सामाजिक और व्यवसायिक स्तर पर कमजोर है (क्षेत्रीय सत्यापन के आधार पर) पी.आर.[49]/ए.ए.वाई. श्रेणी में शामिल करने के लिए योग्य परिवार समझे जाने चाहिए थे। योग्य परिवारों की पहचान के लिए विभाग ने सितम्बर 2013 से लोगों से आवेदन आमन्त्रित किये। लेखापरीक्षा ने देखा कि

[44]अन्तोदय अन्न योजना
[45]गरीबी रेखा से नीचे
[46]गरीबी रेखा से ऊपर
[47]झुग्गी राशन कार्ड
[48]पुर्नवास कॉलोनी राशन कार्ड
[49]प्रथमता परिवार

विभाग ने गरीबी रेखा से ऊपर (गैर स्टैम्प)[50] 1.55 लाख मौजूदा परिवारों (जिनमें 5.78 लाख लाभार्थी शामिल थे) की प्रथमता परिवार श्रेणी[51] के अन्तर्गत (सितम्बर 2013 और मई 2015 के बीच) पहचान की, यद्यपि ये अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले आर्थिक सहायता प्राप्त अनाज प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। इस प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत इन लाभार्थियों को स्वयं सत्यापन के आधार पर और बिना आय प्रमाणपत्र प्राप्त किये जैसा कि दक्षिण–पश्चिम व उत्तरी जिला के अन्तर्गत चुने हुए सर्कल में पाया गया, शामिल किया जाना अनियमित था।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि अधिनियम के लागू होने से पहले केवल ए.पी.एल. (गैर स्टैम्प) कार्ड बिना आय को देखते हुए जारी किये गये थे। विभाग ने आगे कहा कि फिर भी गरीब से भी गरीब और सबसे कमजोर लोगों को केवल ए.पी.एल. (गैर स्टैम्प) कार्ड अनाज का आबंटन किये बिना ही जारी किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं (नि.खा.व.) का वितरण ए.पी.एल.बी.पी.एल., और ए.ए.वाई. लाभार्थियों को जारी किये गये विभिन्न राशन कार्डों और वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर था। अतः सभी ए.पी. एल. (यू) कार्डधारियों को पी.आर. श्रेणी में शामिल करना सहायता प्राप्त अनाज का लाभ अयोग्य व्यक्तियों तक पहुँचने के जोखिम को बढ़ाता है।

(ii) दिशा–निर्देश के खण्ड 7 के अनुसार अधिसूचित गाँव आबादी के निवासियों के मामलों में राजस्व प्राधिकारियों का प्रमाण पत्र आवश्यक था। दक्षिण–पश्चिम जिला के अन्तर्गत दो चुने गए क्षेत्रों में से सर्कल–32, उत्तम नगर में से अधिसूचित ग्रामीण आबादी वाले दो गाँव नवादा और बिन्दापुर थे। सर्कल–36, बिजवासन में अधिसूचित ग्रामीण आबादी की सूची नहीं थी। तथापि विभाग ने अधिनियम के अन्तर्गत नए राशन कार्ड परिवारों की योग्यता का सत्यापन किए बिना और राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों के बिना जारी कर दिये, जिसके अभाव में अयोग्य परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त अनाज के वितरण से इन्कार नहीं किया जा सकता। विभाग ने (फरवरी 2016) स्वीकार किया कि व्यक्तिगत प्रमाण पत्र सभी आवेदकों से प्राप्त नहीं किया गया था।

3.1.1.3 पहचान किये गए परिवारों को राशन कार्ड

अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार नए राशन कार्ड परिवार की सबसे बड़ी महिला को जारी किए जाने थे (18 वर्ष या इसके ऊपर की आयु की महिला राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की मुखिया होगी)। तथापि नए राशन कार्डों के पी.आर. और ए.ए. वाई. श्रेणी के परिवारों को वितरण से संबंधित सूचना जैसे कि नए राशन कार्ड, राशन कार्ड वास्तव में जारी किये, बचे हुए राशन कार्डो का कारण विभाग के पास नहीं था। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि जारी ना किये गये कार्डो की सही संख्या संकलित नही की जा सकी, तथापि लाभार्थियों को कार्ड सुपुर्द कर दिये गये थे और कोई भी कार्ड विभाग ने नही रखा था। नए राशन कार्डो की सूचना के अभाव में कोई आश्वासन नहीं था, कि लाभ योग्य पी आर और ए ए वाई परिवारों तक पहुँच रहा था।

[50]गरीबी रेखा से ऊपर (गैर स्टैम्प)– सिटिजन चार्टर के अनुसार परिवार जिनकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख रुपये से ऊपर है को गैर स्टैम्प एपी एल कार्ड दिये गये थे।

[51]प्रथमता परिवार श्रेणी के अंर्तगत लाभार्थी प्रत्येक सदस्य 4 कि.ग्रा. गेहुँ व 1 कि.ग्रा. चावल के लिए हकदार है।

3.1.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) में सुधार

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारें टी.पी.डी.एस. में आवश्यक सुधारों के लिये निरन्तर प्रयास करेंगी। सुधारों में अन्य बातों के साथ–साथ राशन की दुकानों के दरवाजों तक अनाज की सुपुर्दगी, सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी उपकरणों का उपयोग, हर स्तर पर पारदर्शी लेन–देनों के अभिलेखों को आश्वस्त करने के लिए शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण को सुनिश्चित करना, अनाज के विपथन को रोकना और हर स्तर पर लेन–देन के अभिलेखों की पारदर्शिता शामिल होगी। भारत सरकार ने 'टी.पी.डी.एस. के लिये शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण' कार्यान्वयन दिशानिर्देश (सितम्बर 2013) जारी किये जिसमें राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस का अंकीकरण, आपूर्ति श्रंखला प्रबन्धन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शी पोर्टल को स्थापित करना और शिकायत निवारण पद्धति को स्थापित करना शामिल था। लेखापरीक्षा ने टी.पी.डी.एस. में सुधारों की स्थिति का मूल्याकंन किया और निष्कर्षों की आगे के उप–पैराओं में चर्चा की गई है।

3.1.2.1 दरवाजे तक सुपुर्दगी

भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को अनाज के मासिक आबंटन के लिए विभाग माँग–पत्र देता है और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डी.एस.सी.एस.सी.) को अनाज उठाने और ठेकेदारों द्वारा सम्बन्धित दुकानों तक सुपुर्द करने के लिए अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि सभी चल रही 2300 दुकानों के दरवाजे तक अनाज की सुपुर्दगी की जा रही थी। तथापि, अनाज ले जा रहे वाहनों में जीपीएस यन्त्र अनाज की निगरानी रखने के लिए स्थापित नहीं थे, जैसा कि डी.एस.सी.एस.सी. और ठेकेदार के बीच अनुबंध के अनुसार जरूरी था। इस तरह जहाँ तक अनाज ले जाने वाले वाहनों की निगरानी का सम्बन्ध है, विभाग की तैयारी में कमी थी। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि डी.एस.सी.एस.सी. द्वारा वाहन में जीपीएस लगाना प्रक्रियाधीन था।

3.1.2.2 आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन का कम्प्यूटरीकरण

भारत सरकार के दिशा–निर्देश बताते है कि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदाम से राशन की दुकानों तक स्टॉक चलन रिपोर्ट के साथ मात्रा निर्गमन आदेश, सुपुर्दगी चालान इत्यादि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराने चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. का सार्वजनिक वितरण आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन के लिए एक ई.पी.डी.एस.सी.एम. पोर्टल था, जिसपर लेन–देनों को केवल विभागीय अधिकारियों की लॉग–इन–आई.डी. से ही देखा जा सकता था लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार सामान्य जनता के लिए अनाज की प्राप्ति एवं वितरण की सूचना वास्तविक समय में उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि यद्धपि अनाज की सुपुर्दगी प्रक्रिया का विवरण सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नही था किन्तु सभी हिस्सेदारों को उचित दर दुकान पर अनाज की मात्रा, वाहन संख्या, गोदामों से प्रेषण का निर्दिष्ट समय और दिनांक को दर्शाते हुए एस एम एस भेजे जाते है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्टॉक चलन रिपोर्ट के साथ मात्रा निर्गमन

आदेश, डिलीवरी चालान इत्यादि एफ.सी.आई. गोदाम से उचित दर दुकानों जैसा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अंर्तगत परिकल्पित किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी।

3.1.2.3 उचित दर दुकानों का गैर–स्वचालन

दिनांक 1 अक्तूबर, 2013 के रा.रा.क्षे.दि.स. के कैबिनेट निर्णय के अनुसार टी.पी.डी.एस. का शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण में उचित दर दुकानों की बायो–मेट्रीक प्रणाली जोकि विक्रय केन्द्र मशीनों पर आधारित हों, द्वारा स्वचालन की आवश्यकता है। तथापि मार्च 2015 तक 2300 उचितदर दुकानों में से केवल 42 दुकानों में ही विक्रय केन्द्र मशीनें लगी थीं। अन्य उचित दर दुकानों पर लाभार्थियों के राशन का वितरण मैनुअल प्रणाली द्वारा किया जा रहा था। खाद्य वितरण अधिकारी (सर्कल 15, उत्तरी जिला) ने बताया कि जहाँ विक्रय केन्द्र मशीने लगी भी थीं, वे भी कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही थी और न ही उपयोग करने वाले के लिए आसान थीं क्योंकि इनकी बैटरी लाइफ कमजोर थी, अगुँली के निशान बेमेल थे और नेटवर्क की समस्या थी। इस प्रकार सभी दुकानों पर विक्रय केन्द्र मशीनें स्थापित न किये जाने के कारण योग्य अनाज के वितरण के लिए लाभार्थियों की पहचान के सत्यापन का आश्वासन नहीं था। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि विक्रय केन्द्र मशीनों की खरीद की निविदा प्रक्रिया अंतिम स्थिति में थी और सभी राशन की दुकानों में लगने वाली थी।

3.1.3 पारदर्शिता एवं उत्तरदेही

अधिनियम की धारा 29 राज्य/संघ शासित प्रदेश, जिला, क्षेत्र तथा राशन की दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन की बात करती है जिससे टी.पी.डी.एस. के उचित कार्य तथा इस प्रणाली में सार्वजनिक अधिकारियों की उत्तरदेही सुनिश्चित हो। हाँलाकि लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो राज्य स्तर पर न ही चुने हुए जिला व राशन की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समिति का गठन हुआ था। विभाग ने कहा (फरवरी 2016) कि राज्य, जिला स्तर पर सतर्कता समिति का गठन प्रकियाधीन था। तथापि राशन की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन के सम्बंध में विभाग का उत्तर कुछ नहीं कहा गया जो विभिन्न अधिकारियों की पारदर्शिता व उत्तरदेही को आश्वस्त करने में लापरवाही को दर्शाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.2 दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 2.76 करोड़ का अधिक भुगतान

जल दोहन प्रणाली (डब्ल्यू एच एस)/जल संशोधन संयंत्र (डब्ल्यू टी पी) के संस्थापन पर ₹ 37.82 लाख का व्यय करने के बावजूद भी दिल्ली सरकार के सात अस्पताल/संस्थान अपने पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट लेने में असफल रहे, परिणामस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 2.76 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने दिसम्बर 2009 में सरकारी संस्थानों/कार्यालयों को यदि वो जल दोहन प्रणाली और/या अपशिष्ट जल के लिए रिसाईक्लिंग प्रणाली को अपनाते

हैं जनवरी 2010 से पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रा.रा.क्षे.दि.स. ने दि.ज.बो. के इन आदेशों को मार्च 2010 में सरकारी अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों को इन निर्देशों के साथ पृष्ठांकित किया कि जल दोहन प्रणाली को लगाकर तथा/या अपशिष्ट जल की रिसाईक्लिंग कर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ लें।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2014 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 2) के पैराग्राफ 3.3 में पहले ही इंगित किया था कि सात सरकारी अस्पताल अपने परिसर में जल दोहन प्रणाली और/या अपशिष्ट जल रिसाईक्लिंग की प्रणाली के संस्थापन होने के बावजूद भी 15 प्रतिशत की छूट का लाभ लेने में विफल रहे तथा उन्होंने ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसा होने पर भी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम नहीं उठाये कि अस्पताल दि.ज.बो. से मामले पर बात करें और अपने पानी के बिलों पर उपलब्ध छूट प्राप्त करे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि जल दोहन और/या अपशिष्ट जल शोधन रिसाइक्लिंग संयंत्रों के संस्थापन पर ₹ 37.82 का लाख व्यय करने के बावजूद,सात सरकारी अस्पताल/संस्थान[52] जनवरी 2010 से अगस्त 2015 तक की अवधि में अपने जल के बिलों पर ₹ 2.76 करोड़ की छूट का लाभ लेने में विफल रहे।

मामला सितम्बर 2015 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.3 सौर जल तापन प्रणाली पर निष्फल व्यय – ₹ 1.39 करोड़

दो सरकारी अस्पतालों के भवन में ₹ 1.96 करोड़ की लागत से सौर जल तापन प्रणाली लगायी गयी। संस्थापन के पश्चात् प्रणाली की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कमजोर योजना एवं कोई व्यवस्था के न होने के कारण प्रणाली का एक बड़ा भाग कार्य करने के तीन साल के भीतर ही खराब हो गया, परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

दिनांक 24 अप्रैल 2006 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में सौर जल तापन प्रणाली का उपयोग अनिवार्य है। इन अनुदेशों के अनुपालन में, दो सरकारी अस्पतालों–लोक नायक अस्पताल तथा गुरू तेगबहादुर (जी.टी.बी.) अस्पताल में सौर जल तापन प्रणाली (एस डब्ल्यू एच एस) नवम्बर 2008 से फरवरी 2010 के दौरान लगायी गयी। प्रणाली के संस्थापन एवं मरम्मत से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा कार्य–स्थल के भौतिक निरिक्षण ने निम्नलिखित तथ्यों का पता चलाः

[52](1) राव तुला राम अस्पताल, (2) आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल, (3) संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल, (4) लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, (5) जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल, (6) इंस्टिट्यूट ऑफ ह्युमन बिहेवियर एंड अलाइड साईंसेज तथा (7) इंस्टिट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाईलरी साइंसेज। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 2014 के प्रतिवेदन में ये उल्लेखित नहीं थे।

(क) लोक नायक अस्पताल

31 मार्च 2009 को अस्पताल द्वारा स्वीकृत ₹ 82.69 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति के प्रति, (ए.ए. एण्ड इ.एस.) लो.नि.व ने निजी आपूर्तिकर्ता से 24 एस डब्ल्यू एच एस ₹ 47.37 लाख की लागत से प्राप्त किये तथा ₹ 36.51 लाख अन्य संबंधित मदों जैसे–पाईपलाईन, आदि पर व्यय किया। प्रणाली फरवरी 2010 में लगायी गयी, परन्तु अप्रैल 2012 में इसे चालू किया गया। इन प्रणालियों का लेखापरीक्षा, लो.नि.वि. तथा अस्पताल के प्रतिनिधियों द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया (अगस्त 2015)। जिसने पाया गया कि अस्पताल में लगाए गए 10 एस डब्ल्यू एच एस (30 सेट्स) में से केवल 2 एस डब्ल्यू एच एस (9 सेट्स) आंशिक रूप से कार्यरत थे। शेष प्रणालियाँ (85 प्रतिशत) कार्य करने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर ही खराब हो गई यद्यपि, एस डब्ल्यू एच एस की सामान्य आयु 15 वर्ष है। इस प्रकार, इन क्षतिग्रस्त एस डब्लयू एच एस के संस्थापन पर ₹ 71.30 लाख[53] का व्यय निष्फल हो गया।

अस्पताल ने एस डब्ल्यू एच एस को क्रियाशील बनाने मे आधारभूत संरचना के निर्माण, उपयुक्त जल संपर्क, ओवर हेड टैंक तथा वितरण नेटवर्क उपलब्ध कराने को एस.डब्ल्यू.एस.एच. के विलम्ब से चालू करने का कारण बताया (सितम्बर 2015)। इसने कहा कि प्रणाली की क्षति प्रणाली लगाने के समय सुरक्षा एनक्लोजर मुहैया न कराया जाना, कुछ बदमाशों के द्वारा नुकसान किये जाने एवं भारी तूफान के करण हुई। उत्तर स्वीकार्य नही है, क्योंकि योजना स्तर पर ही प्रणाली की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना अस्पताल का उत्तरदायित्व है।

(ख) जी टी बी अस्पताल

अस्पताल ने दो निजी आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 46.79 लाख की लागत से 15 एस डब्ल्यू एच एस खरीदे (नवम्बर 2008 एवं मई 2009) तथा ₹ 32.75 लाख (70 प्रतिशत) का भुगतान दिया। अस्पताल ने लो.नि.वि. को भी इन एस डब्ल्यू एच एस के लिए वितरण नेटर्वक उपलब्ध कराने, संस्थापन करने एवं वितरण जाँच करने तथा आकस्मिक, एक्स–रे, ओ टी ब्लॉक एवं वार्ड ब्लॉक में अतिरिक्त एस डब्ल्यू एच एस उपलब्ध कराने एवं लगाने हेतु ₹ 1.02 करोड़ की ए ए एण्ड इ एस (अगस्त 2010 एवं मार्च 2011) दे दी। लो.नि.वि. ने स्वीकृति के निमित ₹ 79.44 लाख का व्यय किया। लेखापरीक्षा ने जी टी बी अस्पताल तथा लो.नि.वि. के कर्मचारियों के साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया (अगस्त 2015) तथा केवल 35 से 40 प्रतिशत एस डब्ल्यू एच एस को कार्यरत पाया जबकि शेष किफायती मरम्मत से परे क्षतिग्रश्त थे। इस प्रकार, ₹ 67.32 लाख, (₹ 112.19 लाख का 60 प्रतिशत) का व्यय अस्पताल के भवन में लगाए गए एस डब्लयू एच एस की बचाव व सुरक्षा की योजना एवं प्रबंध करने में अस्पताल की विफलता के कारण निष्फल हो गया।

[53] (₹ 47.37 लाख + ₹ 36.51 लाख) का 85 प्रतिशत

अस्पताल ने कहा कि प्रणाली की क्षति मई 2014 एवं 2015 में आये तूफान के कारण हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नही है, क्योंकि एस डब्ल्यू एच एस की सुरक्षा एवं संरक्षणता के लिए संरक्षणता एनक्लोजर्स मुहैया कराने के लिए प्रारंभिक योजना का भाग होना चाहिए था।

यह मामला अक्टूबर 2015 में सरकार को भेजा गया, उत्तर अब तक प्रतीक्षित है (मार्च 2016)

3.4 परिवर्धित अकादमिक भत्ते पर ₹ 76 लाख का अनियमित व्यय

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान की शासी परिषद ने बिना रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परामर्श के पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने कार्मिकों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तुल्य वेतन संरचना को अपनाया। संस्थान ने बिना सरकार के परामर्श से अपने संकाय–सदस्यों के लिए अकादमिक भत्ता भी ₹ 1000 से ₹ 10000 प्रतिमाह बढ़ा दिया, परिणामस्वरूप ₹ 76 लाख का अनियमित एवं अनाधिकृत व्यय हुआ।

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (संस्थान) का सोसाईटी के रूप में पंजीकरण 16 मई 2006 को सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन किया गया। संस्थान की मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास एवं सामुदायिक सेवा कार्यक्रम पर जोर देते हुए क्षेत्र के सभी तरह के कैंसर रोगियों को अल्ट्रा–मॉडर्न व्यापक डाइग्नोसिस तथा ईलाज की सुविधाएँ मुहैया कराना है। संस्थान अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत नियमों, विनियमों तथा उप नियमों, पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस तथा स्वायत संस्थानों के संबंध में समय–समय पर लागू सरकार के नियमों के अनुसार करता है। संस्थान के कोष का मुख्य स्त्रोत स्वीकृत पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान है।

संस्थान को दी जाने वाली सहायता अनुदान को शासित करने वाली पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस का 'खण्ड 12–सामान्य शर्तें' अनुबंध करता है कि संस्थान की शासी परिषद के द्वारा पद सृजन करने से पहले रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से स्वीकृति ली जानी चाहिए। संस्थान अपने कर्त्तव्य का उचित ढंग से व दक्षता पूर्वक निर्वहन करने के लिए जितना आवश्यक हो कार्मिकों की नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि संस्था के ज्ञापन में वर्णित है। उनके वेतन व भत्ते का निर्णय दिल्ली सरकार के परामर्श से संस्थान की शासी परिषद द्वारा किया जाएगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा की संवीक्षा ने दर्शाया कि संस्थान की शासी परिषद ने एम्स पैटर्न के अनुसार पुनरीक्षित वेतन नियम, 2008 को संशोधन, यदि कोई हो, के साथ अपनाने की स्वीकृति दी (05 दिसम्बर 2012)। तदनुसार, संस्थान ने अपने कार्मिकों की वेतन संरचना छठें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के परामर्श के बिना पुनरीक्षित कर दी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि संस्थान के निदेशक ने दिनांक 27 नवम्बर 2013 के कार्यालय आदेश के अनुसार अपने संकाय–सदस्यों के लिए अकादमिक भत्ता ₹ 1,000 से ₹ 10,000 प्रतिमाह 01 सितम्बर 2008 से पूर्व के प्रभाव से बढ़ा दिया। इस बार भी, संस्थान ने वित्त

विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से इस मामले में परामर्श नहीं किया। संकाय सदस्यों को सितम्बर 2008 से अक्टूबर 2013 तक की अवधि की बकाया राशि का भुगतान नवम्बर एवं दिसम्बर 2013 माह में कर दिया गया। इस प्रकार, संस्थान द्वारा अपने संकाय–सदस्यों को ₹ 76 लाख (मई 2015 तक) के परिवर्धित अकादमिक भत्ते का भुगतान अनियमित तथा अनाधिकृत था, क्योंकि इससे रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित व स्वीकृत पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

संस्थान ने कहा (जून 2015) कि शासी परिषद के निर्णय के अनुसार, संस्थान के संकाय–सदस्य के लिए एम्स के संकाय–सदस्यों के समान वेतन संरचना अपनायी गयी तथा अकादमिक भत्ते का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् निदेशक, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान) द्वारा लिया गया। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि पैटर्न ऑफ अस्सिटेंस का खण्ड 12 विशेष रुप से वर्णन करता है कि शासी परिषद को संस्थान के कार्मिकों के लिए वेतन एंव भत्ते का निर्धारण करने के लिए दिल्ली सरकार से परामर्श करना चाहिए।

मामला अक्टूबर 2015 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

गृह विभाग

3.5 दिल्ली यातायात पुलिस (दि.या.पु.) में ई– चालान प्रणाली का कार्यान्वयन

ई– चालान प्रणाली डाटा विसंगितयों, इनपुट नियंत्रण की कमी और एकीकृत डाटा की अखंडता की कमी का सामना कर रही थी। अदालत के चालानों के संबंध में अदालत के फैसले को प्रणाली में अद्यतन नहीं किया गया। हाथ से चलने वाले उपकरण में क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के लिए सुविधा नहीं थी। कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण और प्रणाली में कमी के परिणामस्वरूप काटे गये चालानों की संख्या और राशि दोनों में ही अनुरूपता नहीं थी।

3.5.1 प्रस्तावना

दिल्ली यातायात पुलिस (दि.या.पु.) का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यातायात को सुरक्षित और निर्बाध प्रवाह प्रदान करके दिल्ली में यातायात अनुशासन बनाए रखना है। सड़कों पर यातायात अनुशासन 53 सर्कल के माध्यम से यातायात के नियमों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू कर बनाए रखा जाता है। इससे पहले, गलती करने वाले वाहनो और उनके मालिकों का संबंधित अपराध का चालान, पेपर चालान द्वारा किया जाता था, चालान बही थोक में हर सर्कल को नगद व् अदालती चालान हेतु जारी की जाती है। नगद चालान अपेक्षित दंड राशि भरने पर स्थान पर ही निपटा दिए जाते हैं। अदालती चालानों का निपटारा अदालत में किया जाता है।

वास्तविक समय में यातायात नियमों के उल्लंघन के अभियोजन, अभियोजन रिपोर्ट के जारी करने, आभ्यासिक अपराधियों के अभियोग और डाटा रखरखाव के लिए एक प्रणाली हेतु, दि.या.पु.ने मैन्युअल चालान प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक्स चालान प्रणाली में परिवर्तित किया।

3.5.1.1 ई–चालान आरंभ करने के उद्देश्य

ई चालान प्रणाली को लागू करने के उद्देश्य थे :

- 24 × 7 के आधार पर यातायात उल्लंघन के लिए चालान जारी करना;
- यातायात सर्कल/उल्लंघन/उल्लंघन करने वालों की सभी गतिविधियों से संबंधित विवरण का रखरखाव करना।
- जब भी आवश्यक हो यातायात प्रबंधन के अधिकारियों को अपेक्षित संरचित/असंरचित जानकारी प्रदान करना।
- प्रशासनिक उपयोग और उल्लंघन करने वालों के अभियोजन के मामलों में यातायात यूनिट के क्रियाकलाप के लिए विभिन्न सांविधिक रिपोर्टों का सृजन करना और क्षेत्र में अधिकारियों के कामकाज की निगरानी करना; एवं
- प्रणाली को यातायात पुलिस की पहुँच एवं दिन प्रतिदिन के कार्यों में सूचना के उपयोग हेतु अत्याधुनिक हार्ड वेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना व एकीकृत करना।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988, के अनुसार परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार रा.रा.क्षे. दिल्ली में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। कार्मिकों की कमी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने अधिनियम की धारा 177 से 198 के तहत अपराधों के संबंध में अपने संयुक्त शक्तियों को दि.या.पु. के साथ साझा करने का फैसला किया (दिसंबर 1998)। तथापि दि. या. पु. के अधिकारियों को इन संयुक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाली इस अधिसूचना में ऐसा कोई खण्ड इस बारे में नहीं था कि चालान से प्राप्त राजस्व दि.या.पु. द्वारा भारत सरकार या रा.रा.क्षे.दि.स. की संचित निधि में कैसे और कहाँ जमा किया जायेगा। किसी तौर–तरीकों के अभाव में दि.या.पु. ने काटे गये चालानों से प्राप्त राशि गृह मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य शीर्ष 0055–पुलिस, 103–ऍफ़.ऍफ़.ऍफ़. में जमा कर दी चूँकि दिल्ली पुलिस अपना वार्षिक आवंटन गृह मंत्रालय के बजट के माध्यम से प्राप्त कर रही थी।

नवंबर 2008 में, परिवहन विभाग ने दि.या.पु. को निर्देश दिया कि काटे गये चालानों द्व ारा राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0041–वाहनो पर कर, 101–आई एम वी (शुल्क एवं जुर्माना) रा.रा.क्षे.दि.स. में जमा कराएं क्योंकि यह प्राप्तियां उनसे संबंधित है। उत्तर में, गृह मंत्रालय (मई 2012) ने शीर्ष के बदलाव के लिए अपनी मंजूरी की जानकारी दी। सभी तौर तरीकों पर काम करने के बाद, दि.या.पु. ने परिवहन विभाग से संबंधित मुख्य शीर्ष में काटे गये चालान की राशि जमा (नवंबर 2013) करना शुरू कर दिया। 2012–13 से 2014–15 के दौरान दि.या.पु. द्वारा काटे गये चालानों से प्राप्त राजस्व नीचे दी गई **तालिका 3.5.1** में दिखाया गया है:

तालिका 3.5.1 : काटे गए चालान से प्राप्त राजस्व (2012–15)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मु.शी.–0055 (भा.स.) में जमा की गई राशि	मु.शी.– 0041 (रा.रा.क्षे.दि.स.) में जमा की गई राशि
2012–13	52.94	0
2013–14 (01 अप्रैल–18 नवंबर 2013)	40.53	0
2013–14 (19 नवंबर 2013 से 31 मार्च 2014)	0	22.72
2014–15	0	76.42
योग	**93.47**	**99.14**

3.5.1.2 लेखा–परीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने दि.या.पु. की ई–चालान प्रणाली का वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक का आकलन दि.या.पु. मुख्यालय एवं पांच अन्य सर्कल[54], जिनका चयन वाहनो की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर आधारित था, में किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफस में दिए गए हैं।

[54]कापसहेड़ा (के एच सी), नरेला (एन सी), कल्याणपुरी (के पी सी), सीमापुरी (एस पी सी) एवं सरिता विहार (एस वी सी)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

दि.या.पु. ने (दिसंबर 2012) एक वेण्डर की सेवाएं ली जिसकी कुल लागत ₹ 14.25 करोड़ थी। दि.या.पु. ने वेण्डर द्वारा स्थापित की गई प्रणाली को तीन वर्ष अर्थात 18 नवंबर 2016 तक स्वीकृत कर लिया (नवंबर 2013)। प्रणाली के अनुसार, चालान हाथों से चलने वाले उपकरण के माध्यम से अपराध के मौके पर किया जाता है और सूचना एक साथ मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) तकनीक के माध्यम से केंद्रीय सर्वर और सर्कल सर्वर के लिए चली जाती है। हाथ से चलने वाले उपकरण जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) के माध्यम से सर्कल सर्वर के साथ ही केंद्रीय सर्वर से जुड़े होते हैं। ठेकेदार तीन साल की अवधि के लिए समस्त कार्य प्रणाली व प्रणाली के समस्त घटकों के सामान्य रखरखाव हेतु जिम्मेदार था।

अनुबंध के अनुलग्नक 1 के खण्ड 2 (एन) अनुसार, ठेकेदार सोल्यूशन, एक प्रणाली की स्थापना करेगा जिसमें आवश्यक समझे जाने वाले व्यर्थ सर्वर एवं अन्य उपकरण व उपाय सम्मिलित होंगे। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि केवल 43 सर्कल को सर्वर, लेजर प्रिंटर, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कीबोर्ड और माउस के साथ डंब टर्मिनल प्रदान किये गये। 10 बकाया सर्कल को (अगस्त 2014 में नव गठित) ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इस अभाव में सर्कल उत्तरों व स्थिति रिपोर्ट हेतु स्वयं का डाटाबेस उत्पन्न नहीं कर सके। तथापि चालान उपयोग कर्ता द्वारा चुने गए निकट के सर्कल पर अपलोड किये जा रहे थे।

3.5.2 न्यायालयी निर्णयों का अद्यतन ना होना

'एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट' के खण्ड 3.38 के अनुसार हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण में उचित स्क्रीन का उपयोग करके, न्यायालय के अंतिम निर्णय (जैसे बरी कर दिया गया, लगाया गया जुर्माना, चेतावनी तथा कारावास की सजा आदि) के दर्ज करना भी संभव होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि न्यायालय के अंतिम निर्णय को अद्यतन करने के लिए प्रणाली में एक प्रावधान है, हालांकि इसे प्रणाली में अद्यतन नहीं किया जा रहा था। प्रणाली में अदालत के फैसले के अद्यतन न करने के कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार, दि.या.पु., प्रणाली में अपराधियों के पूरे अभियोजन इतिहास रखने और यातायात नियमों के उल्लंघन के अभ्यस्त अपराधियों के लिए परिवर्धित सजा को सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था।

3.5.3 बैंक के साथ गैर–एकीकरण

अनुबंध के अनुलग्नक I के खंड 6 (आर) के अनुसार, एपलिकेशन सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भुगतान की अनुमति होनी चाहिए। इसके लिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान के लिए हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण में एक अंतर्निहित सुविधा होनी चाहिए। हालांकि यह सुविधा शुरू नहीं हो सकी क्योंकि वेंडर ने अपेक्षित हार्डवेयर की आपूर्ति नहीं

की जबकि अक्टूबर 2013 में वेंडर ने इस आशय का शपथ पत्र भी दिया था। तब दि.या.पु.ने प्रणाली को 18 जून 2014 को वेंडर के आश्वासन पर कि वह डेबिट या क्रेडिट कार्ड सुविधा वाले ई–चालान उपकरण की आपूर्ति करेगा, सशर्त स्वीकार कर लिया। दि.या.पु. द्वारा प्रदत्त सूचना के (जुलाई 2015) अनुसार वेंडर ने स्वाइप सुविधा युक्त उन्नत हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरणों की आपूर्ति नही की। इस सम्बन्ध में कोई जुर्माना खण्ड भी मौजूद नही था, अतः खण्ड के नियम व शर्तें न माने जाने पर भी दि.या.पु., जुर्माना लगाने की स्थिति में नही थी।

3.5.4 नकद चालानों में समानता न होना

पाँच चयनित सर्किलों से संबंधित केंद्रीय सर्वर के आँकड़ों की लेखापरीक्षा विश्लेषण ने 16 नवम्बर 2013 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान 4,90,776 नगद चालान दर्शाए गए। तथापि इन सर्कल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान इन सर्किलों द्वारा 6,37,410 नगद चालान किए गए तथा 1,46,634 चालान के अंतर का मिलान करना बाकी था। दि.या.पु. ने (जनवरी 2016) कहा कि आंकड़ो के दो सेटों के बीच के अंतर के कारण ये थे–(i) जब अभियोजन अधिकारी नए सर्कल में स्थानांतरित हो जाता है तब भी वह अपने पुराने सर्कल में पंजीकृत आई.डी. द्वारा ही चालान रिकार्ड करता रहता है[55], जब तक कि नए सर्कल में नयी आई.डी.पंजीकृत न हो जाए (ii) जब ई–चालान उपकरण खराब हो जाता है तब इसे ठीक करने में कुछ समय लगता है। इस प्रक्रिया में जो लंबित डाटा डिवाइस में उपलब्ध होता है उसे कनेक्टिविटी समस्या के कारण केन्द्रीय सर्वर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः वह नष्ट हो जाता है व दुबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः, आंकडों में अंतर, दि.या.पु. में ई–चालान प्रणाली के कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण एवं उपकरण खराब होने की स्थिति में डाटा को संरक्षित रखने की प्रणाली में कमी, दोनों की वजह से था।

3.5.5 नकदी शेष में अंतर

यातायात मुख्यालय की कैश शाखा में संबंधित सर्कल द्वारा एकत्र अभियोजन राशि रोड़ प्रमाणपत्र (आरसी) द्वारा अगले दिन जमा किया जाता है। नगद शाखा इन्हें उसी दिन बैंक में जमा कर देती है और सरकारी खाते में जमा राशि की पुष्टि करने के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मासिक शेष मिलान करती है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि दो चयनित सर्कल[56] की रोकड़ बही में जहाँ ₹ 3.99 लाख अधिक थे वहीं तीन सर्कल[57] में आंकड़ों की तुलना में ₹ 7.48 लाख कम थे। इस प्रकार 'ई–चालान प्रणाली' होने के बावजूद दि.या.पु. के केन्द्रीय सर्वर द्वारा दर्शाए गई राशि जो कि उल्लंघनकर्ता से प्राप्त की गई व अभियोजन अधिकारियों द्वारा सर्कल में जमा कराई गई थी, के प्रति सत्यापन हेतु कोई तंत्र नहीं था।

[55]नकद राशि नए सर्कल में जमा कराई गई, जबकि अभियोजन डाटा पुराने सर्कल के सर्वर को जाता रहा।
[56]नरेला एवं सरिता विहार
[57]कापसहेड़ा, कल्याणपुरी और सीमापुरी

3.5.6 प्रणाली का अप्रभावी कार्यान्वयन और संचालन

(i) प्रणाली की कमियाँ

पांच चयनित सर्कलों के डाटा विश्लेषण द्वारा प्रणाली में निम्न कमियों का पता चलाः

- प्रणाली एक ही चालान के लिए दूसरा चालान नंबर भी स्वीकार कर लेता है। 4,90,776 नकद चालान में से सात चालान दो बार दर्ज किए गए थे। यह इनपुट नियंत्रण की कमी का संकेत है।
- यदि उल्लंघनकर्ता अपेक्षित जुर्माना राशि दे देता है, तो नकद चालान मौके पर ही निपटा दिए जाते हैं। हालांकि, पाँच सर्कल द्वारा किए गए 4,90,776 नकद चालानों में से 11 चालान बिना किसी राशि के थे, जैसाकि केन्द्रीय सर्वर द्वारा दिखाया गया।
- अदालती चालान के मामलों में, अदालत अपराध के लिए दंड राशि निर्धारित करती है, एकत्र करती हैं व राजकोष में जमा करती है। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रणाली अदालती चालानों में भी नकद राशि स्वीकार कर रही थी। 66,324 अदालती चालानों में से 26,729 चालानों में नकद राशि दिखाई गई थे, जैसा कि केंद्रीय सर्वर द्वारा दर्शाया गया जो की प्रक्रिया की विफलता को दर्शाता है।
- प्रणाली एक साथ अलग–अलग हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरणों में एक ही यूजर आई.डी को स्वीकार कर लेती है। उपयोगकर्ता एक समय पर एक हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण में लॉगिंग करने तक सीमित नहीं है। जो मूल रूप से एक प्रणाली सुरक्षा समस्या है।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत निलंबित वाणिज्यिक वाहनों के परमिट की स्थिति अद्यतन करने का काम और हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरणों पर चेतावनी, जून 2015 तक आरंभ नहीं की गयी थी।

(ii) कूटबद्ध न किये गये पासवर्ड

यद्यपि, पासवर्ड ई–चालान सिस्टम में कंप्यूटर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यह वेंडर या दि.या.पु. द्वारा तैयार नहीं किया गया था। एक पूर्व निर्धारित अवधि के बाद वर्तमान पासवर्ड का खत्म होना और पूर्व निर्धारित समय के पश्चात वर्तमान पासवर्ड को बदलने की सुविधा प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी। इस तरह की जांच के अभाव में, पांच चयनित सर्कलों में, उपयोगकर्ता वेण्डर द्वारा नवम्बर 2013 में प्रणाली के शुरुआत के समय आवंटित पास वर्ड प्रयोग कर रहे थे। ई–चालान प्रणाली में पासवर्ड गैर अल्फा न्युमैरिक थे व कूटबद्ध नहीं किये गये थे, जो कि वेंडर द्वारा भी देखे जा सकते थे। व्यवस्था में यह कमी अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा हाथ द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण के दुरुपयोग और आंकड़ों में हेरफेर के जोखिम को बढ़ाती है।

(iii) आईटी परिसंपत्तियों की सुरक्षा नीति का गैर–सूत्रीकरण

तार्किक पहुँच नियंत्रण को संगठन एवं उपयोग किये गए सॉफ्टवेयर उत्पाद में परिमाण एवं पद्धति दोनों ही के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य कम्प्यूटर संसाधन डाटा,

प्रोग्राम एवं टर्मिनल की अनाधिकृत पहुँच से रक्षा करना है। हालांकि, दि.या.पु. ने अपने आईटी परिसंपत्ति, सॉफ्टवेयर और डाटा के लिए किसी भी आईटी सुरक्षा नीति को तैयार नहीं किया था। परिसंपत्तियों को एक सुरक्षित कमरे में स्थापित नहीं किया गया।बल्कि उन्हें इंस्पेक्टर या अन्य कार्यालय के कर्मचारियों के कमरे में रखा गया था, इस प्रकार डाटा सुरक्षा को जोखिम में डाला गया था।

(iv) आपदा रिकवरी योजना का अभाव

अनुबंध की धारा 15.8 के अनुसार ठेकेदार मौजूदा और नए लिए गए वास्तविक समय डाटा की सुरक्षा, रक्षा एवं अखंडता को सुनिश्चित करेगा और सम्पूर्ण डाटा दिल्ली यातायात पुलिस की संपत्ति होगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा की डाटा बैकअप वेण्डर द्वारा लिया जा रहा था। डाटा बैकअप लेने की आवृत्ति, उसके भंडारण और परीक्षण की आवृति का अभिलेख दि.या.पु. द्वारा नहीं बनाया जा रहा था। यहां तक कि इस बैकअप को एक ऑफसाइट जगह पर एक अग्निरोधक कैबिनेट में भंडारित नहीं किया गया था। यह हार्डडिस्क में सग्रंहित करके वहीं रखा गया था जहां सर्वर स्थित है। आगे यह पाया गया की दि.या.पु. ने कोई भी आपदा रिकवरी योजना तैयार एवं सूत्र बद्ध नही की।

3.5.7 अनुबंध के नियम और शर्तों का अनुपालन न करना

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा का गैर आयोजनः अनुबंध के खण्ड 15.12 के अनुसार, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की लेखापरीक्षा व सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रारंभ होने से पहले आईटी विभाग द्वारा नामित लेखापरीक्षकों द्वारा कराई जाए। इसके बाद अनुबंध की अवधि के दौरान सुरक्षा लेखापरीक्षा हर वर्ष की जानी चाहिए। तथापि, प्रणाली की ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

(ii) लेखा परीक्षा ट्रेल्स का रखरखाव न करनाः अनुबंध के **अनुलग्नक I** के खण्ड 5 (ई) के अनुसार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेखापरीक्षा ट्रेल हेतु उपयोगकर्ता की गतिविधियों के लॉग को बनाये रखना चाहिए। व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण के लिए सभी उपयोगकर्ताओं के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल का रखरखाव आवश्यक है। दि.या.पु. ने मई 2015 में सूचित किया कि लेखापरीक्षा ट्रेल वेंडर द्वारा बनाए रखा गया। तथापि, लेखापरीक्षा ट्रेल के रखरखाव के संबंध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं दिये गये।

(iii) बिना मरम्मत पड़ी हुई मशीनेंः अनुबंध के खण्ड 10.2 के अनुसार, उपयोगकर्ता इकाई से एक शिकायत प्राप्त होने पर वेण्डर का इंजीनियर हाथ से चलने वाले उपकरण की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए तीन घंटे के भीतर सकारात्मक रूप से उस जगह तक पहुंच जाना चाहिए। अनुबंध में इस खंड को डालने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि समस्त हाथ से चलने वाले उपकरण सदैव कार्यात्मक और उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। भंडारण रजिस्टर की संवीक्षा में पाया गया कि मई 2014 तक 1199 हाथ से चलने वाले उपकरणों में से 252 बेकार पड़े थे। कब से ये उपकरण बिना मरम्मत पड़े हुए थे उसको न

तो रजिस्टर में दर्ज किया गया और न ही उनकी नवीनतम स्थिति उपलब्ध थी। यहां तक कि तारीख, समय, समस्या का प्रकार, शिकायत क्रमांक इत्यादि का रिकार्ड न तो मैन्यूअल रूप से और न हीं आनलाईन रूप में रखा गया था। स्पष्ट रूप से वेंडर ने ''मौके पर हाथ से चलने वाले उपकरणों की मरम्मत व प्रतिस्थापन''की शर्त जिस पर उसने सहमति दी थी, का अनुपालन नहीं किया।

(iv) अपर्याप्त प्रशिक्षण : अनुबंध के खण्ड 9 के अनुसार वेण्डर सर्कल सर्वर स्तर पर भी हाथ से चलने वाले उपकरण के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, और यातायात मुख्यालय स्तर पर भी सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से प्रशिक्षकों के लिए "हैण्ड्स ऑन" सत्र होना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वहाँ प्रशिक्षण हेतु कोई निर्धारित अनुसूची नहीं थी। समस्त चयनित पांच सर्कल ने सूचित किया (मई 2015) कि हाथ से चलने वाले उपकरण के प्रयोग हेतु कोई भी "हैण्ड्स ऑन" प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

मामला सरकार को दिसम्बर 2015 में भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

3.6 सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान का कार्यान्वयन

सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान का कार्यान्वयन धीमा था, क्योंकि सक्षम अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति नही की गई थी तथा सभी अधिसूचित सेवाओं की ऑनलाईन प्रक्रिया नही की जा रही थी। समयबद्ध सेवा देने के लिए प्रत्येक स्तर पर समयावधि निर्धारित नही थी तथा सक्षम अधिकारी को विलम्बित सेवाएँ हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अधिकार प्राप्त नही थे। ई–एस एल ए (इलेक्ट्रोनिक्स–सर्विस लेवल एग्रीमेंट) पर डाटा अपलोड करने में अनियमितताएँ थीं जैसे कि अपूर्ण या असत्य सूचना देना, समयावधि का गलत चित्रण करना तथा सेवाएँ प्रदान करने हेतु निर्धारित समय की समाप्ति के पश्चात् आवेदन पत्र की अस्वीकृति। सेवाएँ देरी से प्रदान की गई, परन्तु न तो नागरिकों को कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया न ही चूककर्ताओ को दण्ड दिया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों को सेवाएँ समय से प्रदान करने या लागत का भुगतान करने या अधिसूचित सेवाएँ प्रदान करने में देरी के लिए मुआवजा देने हेतु दिल्ली (समयबद्ध सेवा के लिए नागरिकों का अधिकार) अधिनियम, 2011 अधिसूचित (अप्रैल 2011) किया। अधिनियम रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रत्येक विभाग को जनता से संबंधित ऑनलाईन सेवाओं वाले सभी आवेदन पत्रों की स्थिति का अनुरक्षण करने को अधिशासित करता है तथा नागरिको को आवदेन पत्र की स्थिति ऑनलाईन प्राप्त करने एवं निगरानी करने का अधिकार देता है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने नियमों को अधिसूचित (सितम्बर 2011) किया तथा आवेदन पत्रों की जाँच करने, पता लगाने तथा निगरानी करने के उद्देश्य से एक समर्पित पोर्टल 'ई–एस एल ए (इलेक्ट्रोनिक–सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट) निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। नवम्बर 2015 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. ने इस अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की 361 सेवाओं को अधिसूचित किया था।

'सार्वजनिक सेवा के अधिकार के विधान' के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा ने अधिसूचित सेवाओं को दो भागों में बाँटा। भाग ए 17 विभागों के 208 सेवाओं को समाविष्ट करता है तथा भाग बी 20 विभागों के 153 सेवाओं को समाविष्ट करता है। वर्तमान प्रतिवेदन के लिए, लेखापरीक्षा ने भाग ए से नौ विभागों की 25 सेवाओं के नमूनों का चयन किया तथा 2011–15 (**अनुलग्नक–3.1**) की अवधि के लिए अभिलेखों की जाँच की। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गयी है।

3.6.1 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का गैर–कार्यान्वयन

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सरकार सभी विभागों, स्थानीय निकायों तथा प्राधिकरणों से जनता से संबंधित सेवाओं को ई–गवर्नेंस के हिस्से के रुप में नियत समयावधि के भीतर प्रदान करने हेतु प्रयास करेगी तथा उन्हें प्रोत्साहित करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी

विभाग अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के सम्पूर्ण रुप से समन्वय तथा निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

3.6.1.1 आवदेन पत्रों की प्रक्रिया के लिए ऑनलाईन प्रणाली का गैर–कार्यान्वयनः 17 विभागों की 208 अधिसूचित सेवाओं में से 83 सेवाओं का कोई डाटा ई–एस एल ए निगरानी प्रणाली पर उपलब्ध नही था। नौ विभागों की 25 चयनित सेवाओं में से, चार विभागों[58] **(अनुलग्नक 3.2)** से संबंधित नौ सेवाओं की प्रक्रिया, ई–एस एल ए प्रणाली पर नही की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, ड्रग नियंत्रण विभाग से संबंधित दो मामलों की प्रक्रिया यद्यपि ई–एस एल ए प्रणाली पर की जा रही थी, तथापि दो सेवाओं[59] के नाम तथा आवेदनों की स्थिति ई–एस एल ए सिस्टम के अनुचित कार्यान्वयन के कारण जनता को सुलभ कराए गए ऑनलाईन पोर्टल पर पब्लिक इंटरफेस पर उपलब्ध नही थी। ऑनलाईन प्रणाली के कार्यान्वयन में विभागों की असफलता ने अधिसूचित सेवाओं को अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों से अलग रखा।

3.6.1.2 ई–एस एल ए पोर्टल पर डाटा की आंशिक रुप से अपलोडिंगः दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) की तीन सेवाएँ नामतःनया जल कनेक्शन (घरेलू), जल कनेक्शन का वियोजन तथा जल कनेक्शन के बदलाव को इस अधिनियम के अन्तर्गत दिसम्बर 2011 में अधिसूचित किया गया। दि.ज.बो. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जनवरी 2012 से जुलाई 2015 की अवधि में 1.87 लाख आवेदन पत्रों की प्रक्रिया की गयी। यद्यपि, प्रणाली से प्राप्त ई–एस एल ए डाटा के अनुसार, 27 दिसम्बर 2011 से 23 जुलाई 2013 के दौरान केवल 21,581 आवेदन पत्रों की प्रक्रिया की गई। दि.ज.बो. ने तब से ई–एस एल ए पर डाटा अपलोड नही किया, जिसके लिए लेखापरीक्षा को कारण प्रस्तुत नही किये गये, यद्यपि कारण माँगे गये थे।

3.6.1.3 समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने हेतु स्तरवार घटनाक्रम का गैर–निर्धारणः अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित किये गए हैं, को सेवाएँ प्रदान करने में देरी या चूक होने पर सरकारी सेवक पर लागत अधिरोपित करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त नियम 5 के संबंध में, विभागाध्यक्ष के लिए यह न्यायसंगत होगा कि वे संबंधित सरकारी सेवकों के लिए निध ार्रित स्तर पर समयबद्ध सेवाप्रदान करने हेतु घटनाक्रम के साथ कार्य प्रगति की योजना बनाएँ। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ चयनित विभागों, में से केवल दो विभागों यानि शिक्षा निदेशालय तथा सूचना प्रोद्यागिकी विभाग ने आवेदनों की प्रक्रिया हेतु समयावधि को तैयार किया। तीन विभाग[60] आवेदनों की प्रक्रिया ई–एस एल ए प्रणाली पर नही कर रहे थे। व्यापार एवं कर विभाग (डी टी एण्ड टी), आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग तथा ड्रग नियंत्रण विभाग ने यद्यपि ई–एस एल ए पर आवेदनों की प्रक्रिया की,

[58]ड्रग नियंत्रण, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, उच्चतर शिक्षा

[59](i) होम्योपैथिक ड्रग्स की बिक्री के लिए लाईसेन्स देना तथा
(ii) शिड्यूल एक्स ड्रग्स की बिक्री के लिए लाईसेन्स देना

[60]प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, उच्चतर शिक्षा

परन्तु समयावधि जो संबंधित सरकारी सेवकों को प्रत्येक परिभाषित स्तर पर हासिल करनी थी तैयार नही की गई।

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने दिसम्बर 2011 से तीन सेवाओं[61] को अधिसूचित किया, परन्तु इसने एक ही सेवा 'नया जल कनेक्शन' के संबंध में 24 फरवरी 2014 से समय अवधि निर्धारित की। दि.ज.बो. ने अन्य दो सेवाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई। सरकारी सेवक द्वारा सेवा प्रदान करने की निर्धारित स्तर के अभाव में चूक करने एवं देर करने वाले कर्मचारी की पहचान करना तथा क्षतिपूर्ति लागत वसूल करना संभव नहीं था।

आबकारी विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि समयावधि की योजना प्रक्रियाधीन है तथा जल्द ही इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। व्यापार एवं कर विभाग ने कहा (अक्तूबर 2015) कि ऐसी समयावधि मैपिंग की आवश्यकता नहीं थी। ऊपर वर्णित नियम 5 के प्रावधानो के दृष्टिकोण से उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं।

3.6.1.4 सक्षम अधिकारी को आ.स.अ. का अधिकार प्रदान न करना: अधिनियम का खण्ड 9 (2) यह अनुबंध करता है कि सरकार नियम के अनुसार लागत का भुगतान करने के उद्देश्य के लिए सक्षम अधिकारी को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आ.स.अ.) का अधिकार प्रदान करेगी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि व्यापार एवं कर विभाग तथा आबकारी विभाग ने चूक करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति के साथ सक्षम अधिकारी की नियुक्ति क्रमशः दिसम्बर 2014 तथा मई 2014 में की। तथापि, उन्हें जनता को क्षतिपूर्ति लागत का भुगतान करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी का अधिकार नहीं दिया गया, इसके परिणामस्वरुप असंतुष्ट जनता को लागत का भुगतान नही हुआ तथा सरकारी कर्मचारी से उसकी वसूली नही हुई।

आबकारी विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि सक्षम अधिकारी के पास पड़े अग्रदाय धन से लागत या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए 29 सितम्बर 2015 को आदेश जारी किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि कथित आदेश सक्षम अधिकारी को आ.सं.अ. का अधिकार नही देता है, परन्तु ये मात्र इतना कहता है कि उनके पास पड़े हुए अग्रदाय धन से भुगतान कर दिया जाए।

3.6.1.5. आई टी विभाग द्वारा जारी निर्देशों का गैर–निष्पादन : आई.टी. विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार (मई 2014) कार्यालय प्रमुख (एच.ओ.डी.) को सक्षम अधिकारी की तैनाती तथा पद के सम्बन्ध में, अधिसूचित सेवायों को समयबद्ध तरीके से प्रदान किए जाने के लिए समयावधि सहित आन्तरिक कार्य की मैपिंग तथा अपील अधिकारी को आंतरिक आदेश जारी किए जाने चाहिए। आन्तरिक आदेशों में सेवाओं के संबंध में सूचना प्रदर्शित करने हेतु सूचना पट तैयार करना जिसमें सक्षम अधिकारी का नाम, ई–एस एल ए के अनुसार निपटान करने के लिए दिनों की संख्या तथा जनता के मार्गदर्शन हेतु हेल्प डेस्क एवं जनता को क्षतिपूरक लागत यदि सेवा देने में चूक या देरी हुई हो, का भुगतन करने हेतु सक्षम अधिकारी को अग्रदाय धन उपलब्ध कराने आदि को सम्मलित करना था।

[61]जल कनेक्शन का काटा जाना, जल कनेक्शन का नाम परिवर्तन तथा नया जल कनेक्शन

लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल दि.ज.बो. ने इन अनुदेशों का पालन किया। आई टी विभाग तथा शिक्षा निदेशालय ने अग्रदाय धन के नियोजन को छोड़कर अनुपालन की पुष्टि की। व्यापार एवं कर विभाग तथा आबकारी विभाग ने सक्षम अधिकारी की नियुक्ति क्रमशः दिसम्बर 2014 तथा मई 2014 में कर दी थी, परन्तु शेष आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की। यद्यपि, इन अनुदेशों के अनुपालन पर सूचना माँगी गई थी, परन्तु चार चयनित विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध नही करायी गयी। इस प्रकार, आई टी विभाग के निर्देशों का देरी से एवं आंशिक कार्यान्वयन के कारण सेवाओं के देरी से प्रदान करने हेतु कोई क्षतिपूरक लागत प्रभावित नागरिक को भुगतान नही की गयी।

आबकारी विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि अग्रदाय धन के लिए आदेश 28 सितम्बर 2015 को पारित कर दिया गया था। परन्तु अन्य बिन्दुओं पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

3.6.2 सेवाओं की अधिसूचना

अधिनियम के खण्ड 3 के अधीन, आई टी विभाग अधिनियम में दी गई सेवाओं की अनुसूची में विभिन्न सेवाओं को अधिनियम की परिधि में लाने हेतु समय–समय पर संशोधन किये थे। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गयाः

3.6.2.1 गैर–अस्तित्व सेवाओं की अधिसूचनाः तकनीकि शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की सात सेवाओं को अगस्त 2014 में अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया। तथापि, जैसा कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने सूचित किया, एक सेवा– ''योग्यता प्रमाण–पत्र का निर्गमन'' जो अस्तित्व में नही थी, अधिसूचित की।

3.6.2.2 अधिसूचित सेवाएँ जो विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नही थीः आई टी विभाग, कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, संबंधित विभागों से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) के द्वारा ई–एस एल ए प्रणाली में एकीकृत करने के लिए आँकड़ों का संग्रहण करता है। आवेदनों की स्थिति की अपलोडिंग संबंधित विभागों द्वारा अपने सर्वर पर की जाती है, जो फिर ई–एस एल ए प्रणाली पर या तो मैनुअली या स्वतः अपलोड किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आई टी विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों से संबंधित चार सेवाओं[62] को अधिसूचित (अगस्त 2014) किया, यद्यपि निदेशालय ये सेवाएँ नही दे रहा था। एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में निदेशालय ने स्पष्ट किया (जून 2015) कि इन कॉलेजों को बिना प्रशासनिक नियंत्रण के शत प्रतिशत वित्तीय सहायता रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी जाती है, परन्तु ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शासित होते है। आगे कहा (सितम्बर 2014) कि आई. टी. विभाग को अधिसूचना में सेवाओं के गलत वर्णन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था।

[62](i) अदेय प्रमाण–पत्रों का निर्गमन (ii) अनंतिम प्रमाण–पत्रों का निर्गमन (iii) अध्ययन प्रमाण–पत्र/वास्तविक प्रमाण–पत्र का निर्गमन (iv) चरित्र प्रमाण–पत्र का निर्गमन

3.6.2.3 जनशक्ति एवं बुनियादी ढ़ाँचा प्रदान किए बिना अधिसूचित सेवाएँ: ड्रग नियंत्रण विभाग की छः सेवाओं में से तीन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी तीन सेवाओं की प्रक्रिया ई–एस एल ए प्रणाली पर नही की गई। अपने उत्तर में विभाग ने कहा (अगस्त 2015) कि बुनियादी ढ़ाँचा एवं जनशक्ति की कमी के कारण सेवाओं की प्रक्रिया ई–एस एल ए प्रणाली पर नही की जा सकी।

3.6.3 आवेदन पत्रों की अपलोडिंग तथा ऑनलाईन प्रक्रिया

दिल्ली (समयबद्ध सेवा के लिए नागरिको का अधिकार) नियम, 2011 का नियम 3 अनुबंधित करता है कि हर तरह से पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, संबंधित कर्मचारी तुरन्त आवेदन–पत्र की संवीक्षा करेगा और यदि ठीक पाया गया तो आवेदन–पत्र की सम्पूर्ण सूचना को उसी दिन डाटाबेस में अपलोड करेगा तथा कम्प्युटरीकृत आवेदन पहचान पत्र निकालकर उसे आवेदक को देगा। ऐसे सभी आवेदन, जो विभाग द्वारा प्राप्त किए गए तथा विभाग के सर्वर पर अपलोड किए गए, को आगे 'ई–एस एल ए निगरानी एवं ट्रैकिंग प्रणाली' पर अपलोड किया जाऐगा। नियम 4 के अनुसार, सेवा प्रदान करने में निर्धारित समय से अधिक देरी होने पर जिसके लिए सक्षम अधिकारी आवेदक को क्षतिपूरक लागत देना सुनिश्चित करेगा की ई–एस एल ए पद्धति द्वारा स्वतः ही गणना कर ली जाती है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

3.6.3.1 डाटा को गलत/देरी से अद्यतित करना

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि दि.ज.बो. की ई–एस एल ए प्रणाली पर 21,581 आवेदनों में से 326 मामले, जो वर्ष 2012 एवं 2013 से संबंधित है, निपटान हेतु प्रतिक्षित दिखाए गए। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे दर्शाया कि 326 आवेदनों में से 40 मामलों का वास्तविक रुप में निपटान कर दिया गया था, परन्तु ई–एस एल ए पर उनकी स्थिति को अद्यतित नही किया गया। यह इनपुट नियंत्रण की कमी तथा आँकड़ों के अपलोडिंग में देरी को दर्शाता है। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.6.3.2 सेवाएँ प्रदान करने हेतु निर्धारित समय का गलत वर्णन:

आई.टी. विभाग द्वारा 13 अगस्त 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसार, मदिरा के आयात एवं परिवहन के लिए पी–14 तथा पी–15 परमिट प्रदान करने हेतु 30 दिनों की अवधि का, निर्धारण किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आबकारी विभाग ने इन परमिटों को देने के लिए अपने सर्वर पर 30 दिनों की जगह 45 दिन दर्शाये।

आबकारी विभाग ने कहा (सितम्बर 2015) कि विभिन्न सेवाओं हेतु समय का गलत दर्शाए जाने का मुद्दा एन आई सी को दे दिया गया था तथा इसमें शीघ्र सुधार कर दिया जाएगा।

3.6.3.3 सेवा प्रदान करने हेतु अधिसूचित समय की समाप्ति के बाद आवेदनों का निरस्तीकरण: डाटाबेस की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि व्यापार एवं कर विभाग ने 4,546 आवेदनों (दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन पंजीकरण हेतु) को सेवा प्रदान करने के निर्धारित समय समाप्त होने के बाद निरस्त

कर दिया। यह अनियमित था क्योंकि इन आवेदनों को, संवीक्षा के बाद ही ई–एस एल ए प्रणाली पर अपलोड किया जा सकता था। ई–एस एल ए प्रणाली द्वारा अपलोड तथा स्वीकृत किए गए आवेदन ऐसे मामले थे, जहाँ विभाग को निर्धारित समय के भीतर सेवा प्रदान कर देना चाहिए था। सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित समय समाप्ति के पश्चात् इन आवेदनों को बिना कारण बताए निरस्त करना, अधिनियम के अभिप्राय के विरुद्ध था।

3.6.4 अधिसूचित सेवाएँ प्रदान करना

खण्ड 7 अनुबंध करता है कि प्रत्येक सरकारी सेवक जो जनता से संबंधित सेवाएँ अनुबंधित समय के भीतर प्रदान करने में विफल होता है, को देरी की अवधि के लिए प्रतिदिन ₹ 10 की दर से अधिकतम ₹ 200 प्रति आवेदन जनता को भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, सक्षम अधिकारी सेवा प्रदान करने में देरी होने पर ई–एस एल ए प्रणाली द्वारा स्वतः गणना की गई क्षतिपूरक लागत का जनता को भुगतान करना सुनिश्चित करेगा।

3.6.4.1 सेवाएँ प्रदान करने में देरी : लेखापरीक्षा ने नौ चयनित विभागों में से छः के ई–एस एल ए डाटा का विश्लेषण किया तथा इन विभागों में प्रासंगिक अभिलेखों की नमूना जाँच भी किया। ई–एस एल ए पर प्रक्रिया की गई 12,62,137 मामलों में से पाँच विभागों (ड्रग नियंत्रण विभाग, शिक्षा निदेशालय, दि.ज.बो., व्यापार एवं कर विभाग एवं आबकारी विभाग) में 23,714 मामलों में सेवाएँ प्रदान करने में देरी थी, जिसमें अधिकतम देरी तीन वर्षो से अधिक की थी **(अनुलग्नक 3.3)**। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)। अधिनियम के संदर्भ में, ₹ 32.77 लाख की राशि क्षतिपूरक लागत के रुप में जनता को भुगतान की जानी चाहिए तथा उतनी ही राशि दोषी सरकारी कर्मचारियों से वसूल की जानी चाहिए **(अनुलग्नक 3.3)** तथापि, विभागों ने न तो जनता को लागत के रुप में किसी राशि का भुगतान किया न ही सेवाएँ प्रदान करने में देरी के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों से उस राशि को वसूल किया गया।

मामला दिसम्बर 2015 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.7 रा.रा.क्षे.दि.स. की ई–प्रोक्योरमेंट मिशन मोड परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ई–प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन, इसके मूल उद्देश्य को विफल करते हुए, ई–निविदा प्रक्रिया के दौरान मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता के निवारण में असफल रहा। एप्लीकेशन में आवश्यक इनपुट नियत्रंणों तथा वैधता की जाँचों का अभाव था, परिणामस्वरूप डाटाबेस में अपूर्णता तथा असंगतता थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सू.प्रौ.वि.) ने सरकारी क्रय से संबंधित सभी सेवाओं की दक्षता तथा पारदर्शिता बढ़ाने, क्रय की लागत तथा समय अवधि को कम करने के लिए एक निर्विघ्न उपाय के रूप में ई–प्रोक्योरमेंट स्थापित किया। इसने मई 2011 में, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) द्वारा विकसित एक ई–प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन को

अपनाया। रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागों के ₹ 2 लाख से अधिक के मूल्य की वस्तुओं, कार्यों तथा सेवाओं की निविदाओं के लिए एन आई सी ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली का अनुसरण करने के लिए कहा गया (मई 2011)। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निविदाकर्ताओं को एप्लीकेशन के उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता थी। सू.प्रौ.वि. ने पहले प्रति वर्ष ₹ 6,000 की दर से पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जो कि फरवरी 2012 में बढ़कर ₹ 7,000 हो गया। हालाँकि पंजीकरण प्रभार का उद्ग्रहण तथा बाद में इसमें की गई वृद्धि सरकार द्वारा जनवरी 2016 तक अधिसूचित नहीं की गई थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. के ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली की लेखापरीक्षा, मई 2011 से जनवरी 2015 की अवधि को लेते हुए, यह पता लगाने के लिए की गई कि क्या परियोजना उपयुक्त योजना के बाद लागू की गई, विनिर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए मैनुअल हस्तक्षेप से बचा गया था तथा डाटा पूर्ण तथा विश्वसनीय था।

लेखापरीक्षा ने कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीकों (क.स.ले.त.) का उपयोग करते हुए, सू.प्रौ.वि. द्वारा प्रदत्त डाटाबेस जिसमें 74,939 निविदाएं थीं (सभी विभागों की), की जाँच की। डाटा विश्लेषण के दौरान पाई गई आपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा ने 662 यूनिटों (मोनीटरी यूनिट सैंपल का उपयोग करते हुए) जो कि ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली का उपयोग कर रही थी, में से 22 यूनिटो का चयन किया। इस उद्देश्य के लिए, चयनित यूनिटें सात विभागों/एजेंसियों[63] से संबंधित थी, जिसमें से 1983 निविदा फाइलों को मँगवाया गया लेकिन लेखापरीक्षा को केवल 1,847 फाइलें ही उपलब्ध करवाई गईं।

3.7.1 ई–प्रोक्योरमेंट परियोजना की योजना तथा कार्यान्वयन

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र का ई–प्रोक्योरमेंट साधन, राष्ट्रीय ई–गवर्नेस योजना (ई.ग.यो.) के अन्तर्गत मिशन मोड परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। रा.सू.वि.के. ने ई–प्रोक्योरमेंट बेवसाइट अप्रैल 2011 में प्रारंभ की तथा दिल्ली ई–गवर्नेंस सोसायटी (दि.ई.ग.सो.) को परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। दि.ई.ग.सो. ने सू.प्रौ.वि. की तरफ से बोलीकर्ताओं से पंजीकरण प्रभार[64] के रूप में 15.57 करोड़ का संग्रहण किया जो कि अभी तक (जनवरी 2016) सरकारी खजाने में स्थानांतरित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईः

- प्रारंभिक तीन वर्षों (2011–14) के लिए रा.सू.वि.के. के एप्लीकेशन की लागत ₹ 329.50 लाख थी तथा अगले तीन वर्षों (2014–17) के लिए बढ़कर ₹ 387.07 लाख हो गई। यद्यपि सू.प्रौ.वि.के. के ई–प्रोक्योरमेंट साधन के कार्यान्वयन के लिए रा.सू.वि.के. के साथ कोई औपचारिक समझौता ज्ञापन नहीं था।
- कुछ विभाग (जैसे दिल्ली ट्रांस्को लिमिटिड, लोक निर्माण विभाग इत्यादि) निविदा फीस वसूल कर रहे थे जो कि प्रौ.सू.वि. के निर्णय (जुलाई 2011), ओनलाइन पर उपलब्ध निविदा दस्तावेजों की लागत वसूल न करने, के विरूद्ध था।

[63]दिल्ली राज्य औद्यगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, वन एवं जीव विभाग, और उत्पाद मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग।

[64] ₹ 15.57 करोड़ (2011–12 में ₹ 3.54 करोड़, 2012–13 में ₹ 3.74 करोड़, 2013–14 में ₹ 3.93 करोड़ एवं 2014–15 में ₹ 4.36 करोड़)

- डाटा का दायित्व सू.प्रौ.वि. पर था, तथापि इसके पास न तो डाटा बेस तक कोई पहुँच थी और न ही इसने एप्लीकेशन में किसी प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) मोड्यूल को सम्मिलित करवाया था। आपदा से उबरने की योजना भी नहीं बनाई गई थी।

3.7.2 विभिन्न स्तरों पर मैन्युअल हस्तक्षेप के कारण ई–प्रोक्योरमेंट के उद्देश्य का विफल होना

ई–प्रोक्योरमेंट की परिकल्पना निविदा चरणों जैसे निविदाओं के प्रकाशन, बोली, तकनीकी मूल्याँकन, वित्तिय मूल्याँकन तथा अनुबंध देना को स्वचालित रूप से करने हेतु की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि खरीद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मैन्युअल हस्तक्षेप ने एप्लीकेशन के मूल उद्देश्य को विफल करते हुए पारदर्शिता को कम किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- बोलीकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों के तकनीकी मूल्याँकन के लिए आवश्यक विभिन्न मानकों की अनुपस्थिति में, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता थी जो कि मैन्युअल मूल्याँकन के लिए तदनंतर संबंधित विभागों द्वारा डाउनलोड किए जाते थे तथा ऐसे मूल्यांकन के परिणाम प्रणाली में डाले जाते हैं।
- डाटाबेस अनुबंध किए जाने (ए ओ सी) के पश्चात भी निविदाओं को विभिन्न सत्रों जैसे 'टैक्नीकल ओपन', 'फाइनैनशियल ओपन','तकनीकी मूल्याँकन' वित्तीय मूल्याँकन इत्यादि पर दर्शाया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 33,155 रिकॉर्डों में अनुबंध का दिया जाना (एओसी) अपडेट नहीं किया गया था। 1,373 रिकॉर्डों में से लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए 1,227 रिकॉर्डों के प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि विभाग प्रणाली से तुलनात्मक विवरण जनरेट करने के बाद, निविदाओं को मैनुअल रूप से दे रहे थे।

3.7.3 इनपुट नियंत्रण एवं वैधता की जाँच का अभाव

इनपुट नियंत्रण तथा वैधता की जाँच सुनिश्चित करते हैं कि डाटा की प्रविष्टि प्रथमतया सही तथा पूर्ण की गई है। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि एप्लीकेशन में इनका अभाव था जैसा कि नीचे दिया गया है:

- 5,132 रिकॉर्डों में से 607 रिकॉर्डों में 'संविदा मूल्य' विक्रताओं द्वारा उद्धृत मूल्य से अधिक था। 15 रिकॉर्डों में से लेखापरीक्षा को प्राप्त 10 रिकॉर्डों का प्रत्यक्ष सत्यापन दर्शाता था कि असंगतता का कारण ओनलाइन सिस्टम में डाटा प्रविष्टि की त्रुटि थी।
- एप्लीकेशन में, गुम/खराब हुए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र[65] (डि.ह.प्र.) की वैधता के दौरान नये डि.ह.प्र. की मेंपिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार विक्रेता को इस स्थिति में या तो पिछले डि.ह.प्र. की समाप्ति तिथि तक इन्तजार करना होता था, या पंजीकरण फीस दुबारा भरते हुए नया पंजीकरण करवाना होता था। इसके

[65]विक्रेताओं को लोगिन करने तथा एप्लीकेशन के उपयोग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डि.ह.प्र.) की आवश्यकता होती है।

अतिरिक्त डाटा विश्लेषण में पाया गया कि बोली के 4,95,303 रिकॉर्डों में से 62,821 रिकॉर्डों में डिजिटल प्रमाणपत्र सूचना उपलब्ध नहीं थी।

- कार्य मदों के 91,779 रिकॉर्डों में से 23,141 रिकॉर्डों में अनुमानित लागत शून्य दिखाई गई थी।
- 19,229 रिकॉर्डों में, (235 रिकॉर्ड जिनमें 'निविदा जमा करने की खोलने की तिथि' तथा 'निविदा जमा करने की आखरी तिथि' एक ही थी) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) मैन्युअल के प्रावधानों[66] के उल्लघंन में बोलीकर्त्ताओं को दिया गया समय अपर्याप्त था।
- 76,941 रिकार्डों में से 61 में, सत्यापन की तिथि नहीं थी, जो इन मामलों में निविदा दस्तावेजों के सत्यापन न होने की संभावना को इंगित करता है। 91,635 में से 815 रिकार्डों में, वित्तीय बोली के खोलने की तिथि रिक्त पड़ी थी।
- 2,232 में से 7 रिकॉर्डों में, जन्म तिथि रिक्त पड़ी थी। 44 रिकार्डों में ठेकेदार की आयु 18 वर्ष से कम थी तथा 180 प्रयोक्ता एक से अधिक बार पंजीकृत थे, जिसके परिणामस्वरूप 403 रिकॉर्ड दोहराए गए। यह भी देखा गया कि प्रयोक्ता, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अधूरे भरे हुए पृष्ठ छोड़ रहे थे जो कि अनावश्यक डाटा संचय का कारण बना।
- निविदाओं के 4,95,303 रिकॉर्डों में से 1,24,669 रिकॉर्डों में, बोलियाँ वित्तीय रूप से स्वीकृत थीं जबकि वित्तीय डाटा उपलब्ध नहीं थे। 163 रिकॉर्डों में, बोली प्रस्तुति की तिथि, तिथियों की अनुमत सीमा से बाहर थी। 12,599 रिकॉर्डों में, यह भी पाया गया कि उन ठेकेदारों की वित्तीय बोलियों को खोल दिया गया था जिनकी बोलियों को रद्द कर दिया गया था।

मामले को सरकार के पास फरवरी 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

[66]के.लो.नि.वि. नियमावली के अनुसारए निविदा की प्रकाशन तिथि तथा निविदा प्राप्ति तिथि के मध्य समय सीमा 7 दिनए 10 दिन तथा 14 दिन क्रमानुसार ₹ 20 लाखए ₹ 2 करोड़ एवं ₹ 2 करोड़ से अधिक मूल्यों के कार्यों के लिए निर्धारित है।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग

3.8 ₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय

दो निर्माण कार्य देने से पहले अवरोध मुक्त स्थल के सुनिश्चित करने में विफलता के कारण ₹ 1.47 करोड़ व्यय के बावजूद इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युअल (खण्ड–II) का पैरा 4.2 बताता है कि स्थलों की उपलब्धता इसके कार्य की योजना तथा डिजाईनिंग स्टेज पर ही सुनिश्चित हो जानी चाहिए। इसके अलावा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युअल (खण्ड–II) का पैरा 3.3(2) बताता है कि तकनीकी औचित्य, स्थलीय क्षेत्रीय विवरण और आवश्यक स्थल आदि का पूर्ण रुप से पता लगा लेने के पश्चात अनुमानों को क्लाइंट डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए। तथापि सिचाई एवं, बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एफ सी डी) के सिविल डिविजन– 1 के अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि अवरोध मुक्त स्थलों के नहीं होने के कारण दो कार्यों को समयपूर्व बन्द करना पड़ा। प्रकरणों को नीचे वर्णित किया गया है:

(i) कार्यकारी अभियंता (का.अ.), सिविल डिवीजन–I, आई.एफ.सी.डी. ने (जनवरी 2013) 'हस्तसाल तथा राजापुर खुर्द गाँव से आने वाले नाले को जोड़ने के लिए आर.डी.– 32,300 एम से 37,147 एम तक नजफगढ़ नाले की भू–सीमा के साथ–साथ बरसाती पानी के निकासी नाले के निर्माण' कार्य का एक ठेका ₹ 4.02 करोड़ की निविदा लागत पर, 28 अक्टूबर 2013 तक पूरा करने के लिए दिया। कार्य का उद्देश्य अपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम के कारण नवादा, राजापुर व हस्तसाल गाँवों में बाढ़ की समस्या को कम करना था।

ठेकेदार ने (नवम्बर 2013) में सूचित किया कि स्थल के उपलब्ध भाग पर कार्य पूरा हो चुका है तथा आगे के कार्य को स्थल पर अवरोध के कारण रोकना पड़ा है। आस–पास के घरों के निवासियों ने आगे कार्य को नहीं होने दिया क्योंकि इससे उनके घरों की नीवों को नुकसान पहुँच सकता था। कार्य को अंततः दिसम्बर 2013 के पूर्व प्रभाव से समय पूर्व बंद कर दिया गया (अगस्त 2014)। कार्य के समय से पूर्व बन्द होने के समय, ₹ 0.89 करोड़ मूल्य का मात्र 20 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था। आंशिक रुप से हुआ कार्य अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में असफल हुआ तथा यह केवल आस–पास की कॉलोनियों के गंदे पानी के निकास का प्रबंधन अस्थायी रूप से कर रहा था। इस तरह ₹ 0.89 करोड़ व्यय करने के बावजूद गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण नजफगढ़ नाले के साथ–साथ इसकी पूर्ण लम्बाई पर नहीं हो सका और स्थल के अवरोधन युक्त होने के कारण कार्य मध्य में ही छोड़ना पड़ा, जिससे नवादा, राजापुर एवं हस्तसाल गांवों में गंदे पानी के निकासी नालों की संकुलता की समस्या में कमी करने के इच्छित उद्देश्य को नहीं किया जा सका।

विभाग ने (अगस्त 2015/मार्च 2016) कहा कि स्थानीय निवासियों की चिन्ता को दूर करने के लिये हर संभव प्रयास किया गया, साथ ही यह जोड़ा कि किया गया काम निष्फल नहीं है, चूँकि यह आस–पास के आवासीय क्षेत्रों के गंदे पानी की निकासी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। यह उत्तर स्वीकार्य नही है चूँकि अपूर्ण कार्य के कारण व्यय का मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ।

(ii) कार्यकारी अभियंता (सिविल डिवीजन–I, आई.एफ.सी.डी.) ने (फरवरी 2012) 'नजफगढ़ ब्लॉक के घुमनहेडा गाँव में ग्राम सभा की जमीन पर एक पार्क के विकास' कार्य का एक ठेका ₹ 0.91 करोड़ लागत पर 26 अगस्त 2012 तक पूरा करने के लिए दिया। ठेकेदार ने माप के विवरण में विस्तृत मदों के अनुसार कार्य को शुरू किया। कार्य को करते समय गाँव के निवासियों ने राजस्व विभाग द्वारा स्थल के सीमांकन पर अपना विरोध प्रकट किया तथा पुनः सीमांकन की प्रार्थना की। पार्क के पश्चिमी भाग पर बन रही चारदिवारी के कार्य को, घुमनहेडा–शिकारपुर सड़क तक 20 फीट को रास्ते की मांग करते हुए, ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया। विवाद को बन्द करने के लिए संबंधित खसरे के पुनर्सीमांकन के लिए बार–बार अनुरोध किये जाने के बावजूद, राजस्व विभाग से इस संबंध में जुलाई 2012 तक कोई निर्णय प्राप्त नहीं किया गया। विभाग ने अंततः जुलाई 2012 के पूर्व प्रभाव से कार्य को समय पूर्व बंद कर दिया। हालांकि तब तक ठेकेदार ने 63 प्रतिशत कार्य को पूरा कर दिया था और उसे ₹ 0.58 करोड़ का भुगतान कर दिया गया (जून 2012)। इस प्रकार कार्य को सौंपे जाने से पूर्व अवरोध मुक्त स्थल को सुनिश्चित किए जाने में डिविजन की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 0.58 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

विभाग ने (अगस्त 2015/मार्च 2016) कहा कि राजस्व विभाग के द्वारा स्थल के अनुपयुक्त सीमांकन के कारण, कार्य को समय से पूर्व बंद करना पड़ा। यह प्रत्युत्तर अस्वीकार्य है चूँकि विभाग को कार्य का ठेका सीमांकन मुद्दे को सुलझाने के बाद ही देना चाहिये था।

इस तरह विभाग दोनों कार्यों को देने से पहले अवरोध मुक्त कार्य स्थल सुनिश्चित करने के सी.पी.डब्ल्यू.डी. में निहित कोडल प्रावधानों के अनुपालन में असफल रहा, परिणामस्वरूप, ₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

मामला अक्टूबर 2015 में सरकार को भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

श्रम विभाग

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

3.9 निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संग्रहित ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि की निष्प्रयोज्यता

निर्माण श्रमिकों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने में 'दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के प्रयास अपर्याप्त थे। बोर्ड की ओर से शिथिलता के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि निष्प्रयोज्य पड़ी रही बल्कि निर्माण श्रमिकों को भी अभीष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं सेवा की अन्य शर्तों के विनियमन के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

18 मई 1995 को आयोजित 41वें श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन व सेवा की शर्तें), अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत गठित बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से नियोक्ताओं द्वारा व्यय किए गए निर्माण की लागत पर उपकर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

दिल्ली में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए 2 सितम्बर 2002 को गठित किया गया था। बोर्ड के गठन के पश्चात् विभिन्न सरकारी प्राधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं अन्य निजी एजेंसियाँ अपनी परियोजनाओं की निर्माण लागत के आधार पर बोर्ड के पास उपकर जमा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड निर्माण श्रमिकों से पंजीकरण एवं नवीनीकरण फीस तथा जमाओं पर ब्याज प्राप्त करता है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि आरंभ से अगस्त 2015 तक बोर्ड, कुल मिलाकर ₹ 1,860.88 करोड़ की राशि प्राप्त कर चुका था। इस अवधि के दौरान बोर्ड केवल ₹ 64.94 करोड़ (कल्याणकारी योजनाओ पर ₹ 55.25 करोड़ तथा प्रशासनिक व्यय पर ₹ 9.69 करोड़) उपयोग में ला सका। इसके अतिरिक्त, ₹ 104.91 करोड़ की कटौती बोर्ड की ब्याज की आय से 'स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस)' के रुप में की गई। इस प्रकार, उपलब्ध ₹ 1,746.28 करोड़ (₹ 1,860.88 करोड़ – ₹ 9.69 करोड़ – ₹ 104.91 करोड़) में से केवल ₹ 55.25 करोड़ की राशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी स्कीमों पर किया गया था जो कि उपलब्ध निधियों का मात्र 3.16 प्रतिशत होता है। दूसरी ओर, कल्याणकारी स्कीमों पर व्यय की धीमी गति के बावजूद बोर्ड का प्रशासनिक व्यय ₹ 9.69 करोड़ था जो कि बोर्ड के ₹ 169.85 करोड़ के कुल व्यय के 5 प्रतिशत (₹ 8.49 करोड़) की अनुज्ञेय सीमा के परे था।

निधियों के कम उपयोग के प्रमुख कारण थे–बोर्ड, दिल्ली में अनुमानित 10 लाख निर्माण श्रमिकों के प्रति केवल 2,86,449 निर्माण श्रमिकों (29 प्रतिशत) का ही पंजीकरण जून 2015 तक कर सका तथा निर्माण श्रमिकों से कल्याणकारी योजनाओ के लाभ का उपयोग करने के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति हुई थी। यद्यपि बोर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए 18 कल्याण ाकारी योजनाओ को चला रहा है किंतु वे केवल सात स्कीमों का लाभ उठा रहे हैं। तथापि, बोर्ड ने सभी निर्माण श्रमिकों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने के लिए अथवा श्रमिकों के मध्य स्कीम की जानकारी फैलाने हेतु पर्याप्त कार्यवाही शुरू नहीं की।

निर्माण श्रमिकों के कम पंजीकरण एवं दिल्ली में समस्त निर्माण श्रमिकों का पता लगाने के लिए बोर्ड के पास तंत्र की अनुपस्थिति के मुद्दे को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.4.5 में दर्शाया गया था। तथापि, बोर्ड अपने द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी

योजनाओं के अन्तर्गत समस्त निर्माण श्रमिकों को लाने हेतु प्रभावी कार्रवाई आरंभ करने में असफल रहा। बोर्ड की ओर से शिथिलता के कारण न केवल ₹ 1,691 करोड़ की उपकर निधि व्यर्थ पड़ी रही बल्कि निर्माण श्रमिकों को भी अभीष्ट लाभों से वंचित होना पड़ा।

बोर्ड ने कहा (अगस्त 2015) कि श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अगस्त 2015 तक 488 पंजीकरण कैम्पों का आयोजन किया था। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने विभिन्न प्रचार कदमों को उठाया जैसे एफ.एम. रेडियो चैनलों पर विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों का प्रसारण, विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन, विभिन्न निर्माण स्थलों पर हिन्दी में पर्चियों एवं शासकीय सूचना का वितरण, जिन पर ₹ 2.69 करोड़ व्यय किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में लाए जाने से यह स्पष्ट है कि निर्माण श्रमिकों को चिन्हित एवं पंजीकृत करने में बोर्ड के प्रयास अपर्याप्त थे।

लोक निर्माण विभाग

3.10 अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन से ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय

लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनुबंध की शर्तों के विपरीत रखरखाव के काम में निविदा की राशि से 1.25 गुना से अधिक ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

वर्ष 2013–15 के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये कार्य के ठेका अनुबंध में शामिल सामान्य शर्तों के अनुसार उन्नयन, सौंदर्यीकरण, विशेष मरम्मत, परिवर्धन, परिवर्तन, पैदल पथ एंव सेन्ट्रल वर्ज का उन्नयन/सुधार, खण्ड मरम्मत द्वारा ढुलाई मार्ग का सुधार या सड़क तल की वार्षिक/आवधिक मरम्मत और सड़क से सम्बंधित वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव समेत रखरखाव कार्य से सम्बंधित किसी अनुबंध पूरा करने की लागत निविदा की राशि के 1.25 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। निविदा आमंत्रण सूचना अनुमोदन प्राधिकारी को अनुबंध की सूची 'एफ' के खंड 12 में कार्य के प्रकार को भरना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने लो.नि.वि. के दो सिविल सड़क रखरखाव डिवीजन (सिविल सड़क रखरखाव डिवीजन एम्–213 और एम्–311) द्वारा किये गये सड़क सुधार एवं वार्षिक मरम्मत और रखरखाव से सम्बंधित पांच कार्यो के अभिलेखों की नमूना जाँच की। निविदा आमंत्रण सूचना अनुमोदन प्राधिकारी ने इन सभी कार्यों को निविदा अनुबंध की सूची 'एफ' में मरम्मत कार्य के रूप में उल्लेखित किया जिसके लिए कार्य की लागत निविदा की राशि के 1.25 गुणा से अधिक नहीं होनी थी। विवरण नीचे **तालिका 3.10.1** में दिया गया है:

तालिका 3.10.1: रखरखाव कार्य का विवरण जहाँ कार्य पूरा होने की लागत निविदा की राशि के1.25 गुना से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुबंध सं.	कार्य का नाम	निविदा की राशि	निविदा की राशि का 1.25 गुना	वास्तविक भुगतान राशि	अनियगित व्यय	सूची 'एफ' में दर्शाए कार्य के प्रकार
सिविल सड़क रखरखाव डिवीजन एम 213							
1	31/13–14	पू.दि.न.नि. से ली गयी यमुना विहार विभाजक सड़क एवं दि.प.नि. डिपो रोड की सड़क एवं जल निकासी प्रणाली का सुधार	4.03	5.04	5.87	0.83	उन्नयन कार्य
2	1/14–15	शास्त्री पार्क से खजूरी चौक तक एमबी रोड पर तटबंध का सुधार जो बाढ़ व बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया था।	0.74	0.93	1.18	0.25	उन्नयन कार्य
3	24/14–15	जी.टी.बी. अस्पताल के गेट न. 4 से 9 के सामने सड़क संख्या 64 से 68 के लिंक रोड के पैदल पथ के सुधार का कार्य	0.63	0.79	0.80	0.01	रखरखाव व उन्नयन कार्य
सिविल सड़क रखरखाव डिवीजन एम.311							
4	6/13–14	स्वामी नारायण मार्ग का गुलाब सिंह मार्ग से अशोक विहार चौराहे तक सुधार, उप शीर्ष: मुख्य ढुलाई रास्ता, जलनिकासी प्रणाली, पैदल पथ और सेन्ट्रल वर्ज का सुधार।	7.43	9.28	9.45	0.17	रखरखाव कार्य
5	39/13–14	तेवतिया मार्ग का सुधार उप शीर्ष: ढुलाई मार्ग को मजबूत करना एवं जलनिकासी और पैदल पथ का सुधार	2.97	3.72	4.10	0.38	रखरखाव कार्य
					योग	**1.64**	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्य पूरा करने की लागत निविदा की राशि के 1.25 गुना से अधिक से बढ़ गयी जो कि ठेके की शर्तों के प्रावधानों के विपरीत थी, इसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.64 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि दो कार्य (एम्–311) वास्तव में परियोजना के कार्य थे और उन्हे रखरखाव कार्य नहीं माना जा सका। जबकि मुख्य अभियंता (एम्–213) ने कहा (अगस्त 2015) कि डिवीजन की टंकण त्रुटि के कारण सभी तीन कार्यों का उल्लेख अनुबंध की सूची 'एफ' में उन्नयन/रखरखाव कार्य के रूप में किया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा आमंत्रण सूचना में अनुमोदन प्राधिकारी ने इन सभी कार्यों को करार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सूची 'एफ' में रखरखाव कार्य के रूप में दिखाया है।

मामला सरकार को अगस्त 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)

3.11 ₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय

कार्य को प्रदान करने व एस्केलेटर्स (स्वचालित सीढ़ियाँ) स्थापित करने से पूर्व उचित व्यवहार्यता अध्ययन करने में लोक निर्माण विभाग की असफलता के फलस्वरूप ₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) ने'शालीमार बाग़, केंद्रीय विद्यालय के पास रिंग रोड पर सीढ़ियों के साथ ऊपर गामी पैदल पार पुल, रैंप व स्वचालित सीढ़ियों के निर्माण' हेतु ₹ 5.19 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय संस्वीकृति (एए व ईएस) प्रदान की (अक्टूबर 2008)। इस संस्वीकृति के अंतर्गत विद्युत कार्य–जैसे कि स्वचालित सीढ़ियों हेतु ₹ 2.92 करोड़ के अनुमानित व्यय की सितम्बर 2009 में अधीक्षण अभियंता (ई एम् सर्कल एम्–35) द्वारा तकनीकी संस्वीकृति दी गयी और कार्य को कार्यकारी अभियंता (ईएम डिवीज़न एम्–354) द्वारा निविदा की राशि ₹1.67 करोड़ पर कार्य पूर्ण करने की अनुमानित तिथि 9 मार्च 2011 के साथ एक फर्म को प्रदान किया गया था (जून 2010)।

ठेके के नियम व शर्तों के अनुसार माल प्राप्ति के बाद 80 प्रतिशत और प्रणाली की स्थापना और सफल परीक्षण तथा प्रणाली के चालू होने के बाद प्रत्येक 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाना था। ठेकेदार द्वारा घटकों के साथ दो स्वचालित सीढ़ियों (प्रत्येक सेट की लागत ₹ 59.47 लाख) की आपूर्ति के बाद जनवरी 2012 में ₹ 95.15 लाख (₹118.94 लाख का 80 प्रतिशत) का भुगतान किया गया। सम्बंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि तब के मुख्य अभियंता के निर्देशों पर इन स्वचालित सीढ़ियों की स्थापना इस आधार पर रोकी गयी कि इन स्वचालित सीढ़ियों की चोरी, नुकसान, तोड़–फोड़ आदि का डर था, क्योंकि जिस स्थान पर स्वचालित सीढ़ियों की स्थापना प्रस्तावित थी वह असामाजिक तत्वों से घिरा हुआ था। परिणामस्वरूप सभी घटकों (29 बक्सों) के साथ स्वचालित सीढ़ियाँ मुकरबा चौक पर लो.नि.वि. के सब– डिवीज़न कार्यालय में बेकार पड़ी हुई थीं।

इस प्रकार स्वचालित सीढ़ियों की खरीद व स्थापित करने के कार्य को सौंपने से पूर्व उचित व्यवहार्यता अध्ययन और सामाजिक स्थिति की निर्धारण करने में लो.नि.वि. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 95.15 लाख का निष्फल व्यय हुआ, जबकि स्वचालित सीढ़ीयाँ उनकी प्राप्ति के चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी स्थापित नहीं हुईं एवं बेकार पडी रहीं जिससे प्रतिदिन इनकी शेल्फ लाईफ कम हो रही थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता द्वारा इन बेकार पड़ी स्वचालित सीढ़ियों के उपयोग की किसी भी संभावना को तलाश करने के लिए, लो.नि.वि.के अन्य जोनों को परिपत्र जारी किये गए (क्रमशः फरवरी और मई 2015)। कार्यकारी अभियंता (ईएम डिवीज़न एम्–353 एन) ने कहा कि (अगस्त 2015) स्वरुप नगर में ऊपर गामी पैदल पार पुल पर इन स्वचालित सीढ़ियों के उपयोग का पता लगाया जा रहा था, आगे यह भी कहा कि यदि उस स्थान पर इनका उपयोग संभव नहीं हो पाता है तो अन्य विकल्पों का पता लगाया जाएगा। मुख्य अभियंता ने आगे कहा (सितम्बर 2015) कि स्वचालित सीढ़ियों को स्थापित करने की संभावना तलाशी जा रही है एवं इसे जल्दी ही किसी एक चालू या आगामी परियोजना में इस्तेमाल किया जाएगा।

मामला सरकार को अगस्त 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.12 कार्य के समय से पहले बंद हो जाने की वजह से अपव्यय

कार्य को सौंपे जाने से पहले अवरोध मुक्त जगह की उपलब्धता के संबंध में कोडल प्रावधानों का पालन करने में विभाग की विफलता के कारण कार्य समय से पूर्व बंद हो गया तथा ₹ 72.32 लाख का अपव्यय हुआ।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल के पैरा 15.1(2) के अनुसार, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अनुमोदन से पहले, बाधा मुक्त जगह की उपलब्धता, निधि एवं स्थानीय निकायों से भवन योजनाओं की स्वीकृति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बाधा मुक्त कार्यस्थल से तात्पर्य भूमि उपयोग मानदण्ड के सन्दर्भ में अभीष्ठ उद्देश्य के लिए भूमि की उपलब्धता से है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि लो.नि.वि. के डिवीजन एम–422 ने ₹ 4.01 करोड़ की अनुमानित लागत से ''सरकारी (सह–शिक्षा) सीनियर सेकैंडरी स्कूल भाटी माईन्स, संजय कॉलोनी, नई दिल्ली में पीने के पानी का स्थान, शौचालयों एवं सीढ़ियों के साथ 40 अर्द्ध–पक्के ढ़ाँचों का निर्माण कार्य'' कराने के लिए निविदाएं आंमत्रित की (सितम्बर 2013)। कार्य को सितम्बर 2014 तक पूरा करने के लिए ₹ 3 करोड़ के निविदा राशि पर दिया गया (जनवरी 2014)। हालाँकि कार्य की प्रगति के दौरान, उप वन संरक्षक (दक्षिणी दिल्ली) ने उप पुलिस आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली) को सूचित किया(फरवरी 2014) कि सरकारी (सह–शिक्षा) सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, भाटी माईन्स में जारी निर्माण कार्य अवैध है क्योंकि खसरा सं. 1910 जिस पर स्कूल स्थित था, वह वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत अधिसूचित[67]जगह का हिस्सा था। मामलों के नहीं सुलझने की वजह से 20 मार्च 2014 से कार्य रोक दिया गया और अंततः सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 20 दिसम्बर 2014 को कार्यकारी अभियंता एम–422 ने कार्य को समय से पहले बन्द कर दिया।कार्य को समय से पूर्व बंद करने से पहले ठेकेदार को किए गए कार्य के लिए ₹ 72.32[68] लाख का भुगतान कर दिया गया था।

कार्यकारी अभियंता एम–422 ने सूचित किया कि दिल्ली प्रशासन को ग्राम पंचायत भाटी गाँव, संजय कॉलोनी द्वारा जून 1986 में दान दी गई जमीन के ऊपर वर्ष 1982–83 में सरकारी (सह–शिक्षा) सीनियर सेकैन्डरी स्कूल, भाटी माइन्स, नई दिल्ली, को स्थापित किया गया था। हालाँकि दिल्ली प्रशासन ने स्कूल के स्थापित होने के नौ साल बाद जनवरी 1991 में भूमि को''वन्यजीव अभ्यारण्य''के रूप में अधिसूचित किया था।

इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग निविदा आमंत्रण सूचना अनुमोदित करने एवं जारी करने से पूर्व, कार्य हेतु बाधा मुक्त स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में असफल रहा। विभाग ने ऐसी भूमि जो कि वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा थी, पर किये जाने वाले कार्य हेतु ठेका दे दिया विफलता के परिणामस्वरूप कार्य समय से पूर्व बंद हो गया तथा ₹ 72.32 लाख का अपव्यय हुआ।

मामला सरकार को सितम्बर 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)

[67]वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत अधिसूचना सं. एफ.2(19)/डीसीएफ/90–91/1382–91, दिनांक 15 जनवरी 1991 के द्वारा

[68]15 अप्रैल 2014 को ₹ 49.20 लाख का प्रथम आर ए बिल तथा 29.01.15 को ₹ 23.12 लाख का द्वितीय एवं अंतिम आर ए बिल

3.13 ₹ 8.54 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान

लोक निर्माण विभाग ने पाँच प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक के परिवर्तन की अनुमति के बाद सड़क निर्माण कार्य में दोबारा परत बिछाने में 10,131.37 घन मी. की अस्वीकार्य अधिक मात्रा हेतु ₹ 8.54 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के सिविल सड़क रखरखाव डिवीज़न एम–213 के द्वारा ₹ 17.68 करोड़ की निविदा राशि पर ''रखरखाव के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों के मौजूदा बिटूमिनस परत के हॉट–इन–सीटू रिसाइक्लिंग के द्वारा दोबारा परत बिछाने'' का कार्य दिया गया (फरवरी 2009)। कार्य जनवरी 2012 में पूर्ण हो गया और ₹ 20.07 करोड़ का अंतिम भुगतान नवम्बर 2014 में किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि अनुबंध के ''हॉट–इन–सीटू रिसाइक्लिंग के द्वारा वर्तमान बिटुमिनस सतह पर परत बिछाने''की अतिरिक्त शर्तों के खण्ड 7 के अनुसार मिलाये जाने वाले नये मिश्रण की अनुशंसित मात्रा के ऊपर 5 प्रतिशत के परिवर्तन की स्वीकृति थी। मात्रा की सूची के अनुसार, 50 मिमी घनत्व वाले बिटूमिनस कंक्रीट (डी बी सी) हेतु 35:65 (35 अतिरिक्त मिश्रणः 65 माइल्ड मिश्रण) के अनुपात में कुल मिश्रण के 35 प्रतिशत दर पर अतिरिक्त घनत्व बिटुमिनस कंक्रीट को जोड़कर ''हॉट–ईन प्लेस रिसाइक्लिंग तकनीक के द्वारा दुबारा परत बिटुमिनस फुटपाथ का दोबारा सतह बिझाने का कार्य'' निष्पादित किया जाना था जिसके लिए ठेकेदार ने ₹ 362.84 प्रति वर्ग मीटर की दर बतायी। इसके अतिरिक्त, डीबीसी में निर्धारित 35 प्रतिशत के ऊपर अतिरिक्त मिश्रण में बदलाव के लिये लागत में समायोजन को नए मिश्रण सामग्री के अतिरिक्त मिश्रण की मात्रा में बदलाव के लिए नियमित किया जाना था।

3 सितम्बर 2008 को हुए बोली पूर्व सम्मेलन के अनुसार विभाग के द्वारा विचलन में 5–7 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक बदलाव में वृद्धि के मामले को स्वीकार नहीं किया गया। तथापि, अंतिम बिल में, डी बी सी 2,71,351.62 वर्ग मीटर की मात्रा निष्पादित की गई जिसके लिए ₹ 10.33 करोड़ राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, नए मिश्रण सामग्री के अतिरिक्त मिश्रण की 10,630.37 घन मी. को डी बी सी के लिए निष्पादित किया गया, जिसके लिए ₹ 8.96 करोड़ की अतिरिक्त लागत का भुगतान किया गया। अस्वीकार्य भुगतान का विस्तृत विवरण **तालिका 3.13.1** में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.13.1: सड़क कार्य के दोबारा परत बिछाने के लिए किया गया अस्वीकार्य भुगतान

निष्पादितमात्रा (वर्ग मी. में)	स्वीकार्य सीमा के अनुसार मात्रा जो क्रियान्वित की जानी थी (5 प्रतिशत) (घन मी. में)	वास्तविक रूप से क्रियान्वयन मात्रा (घन मी. में)	दर	अतिरिक्त मिश्रण के लिए भुगतान की गई राशि	अस्वीकार्य भुगतान (₹) में
1	2	3	4	5(3×4)	6 (3–2) × 4
2,71,351.62	499 (कॉलम 1×0.05 ×0.35 = 4,749+5% विचलन = 4,986. अनुमानित लागत में 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया था तथा मदों को 499 क्यू.मी. तक सीमित किया गया।	10,630.37	8,844.37 – 4.70 *प्रतिशत* = 8,428.68	₹ 8.96 करोड़	10,630.37 (–) 499 =10,131.37 × 8,428.68 (उदधृत दर) = ₹ 8.54 करोड़

इस प्रकार पांच प्रतिशत की स्वीकृति सीमा के प्रति 10,131.37 घन मी. (2,030 प्रतिशत) की अधिक मात्रा क्रियान्वित की गयी तथा भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ठेके की शर्तों के विपरीत ₹ 8.54 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

विभाग ने कहा (अगस्त 2015) कि यह पांच प्रतिशत का परिवर्तन आवश्यक ताजा मिश्रण की कुल अतिरिक्त मात्रा से संबंधित नहीं है बल्कि यह मिलाऐ गऐ ताजा मिश्रण की सहन क्षमता को इंगित करता है ना कि ऊपरी मोटाई/रूपरेखा सुधार के लिए आवश्यक मात्रा को शामिल करते हुए कुल मात्रा को। विभाग ने आगे कहा कि अनुबंध मे अतिरिक्त मिश्रण के परिवर्तन के लिए लागत समायोजन रूपरेखा सुधार एवं ऊपरी मोटाई हेतु प्रयुक्त मात्रा के अन्तर हेतु आवश्यक अतिरिक्त मिश्रण की पूर्ति करने हेतु है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि ठेके की शर्तो के अनुसार वास्तव में क्रियान्वित की गयी सामग्री की मात्राओं के भुगतान को पांच प्रतिशत तक सीमित करना था।

मामला सरकार को सितम्बर 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

3.14 ₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान पर उच्च विनिर्देश वाले पेवर ब्लॉकों को लगाने का अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण लोक निर्माण विभाग को ₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के सिविल सड़क रखरखाव डिविजन एम–342 ने 'घेवरा मोड़ से जी.टी. रोड (सिंघु बार्डर) तक एम्.डी.आर.–138 की मजबूतीकरण व चौड़ीकरण –का कार्य जिसमें आर.सी.सी. बॉक्स नाली, पैदलपथ और सेंट्रल वर्ज का निर्माण कार्य व रेट्रो रिफ्लेक्टिव रोड़ साईनेज आदि का कार्य' भी सम्मिलित था, को ₹ 91.22 करोड़ की निविदा लागत पर दिया (जनवरी 2013)। कार्य जुलाई 2014 में पूर्ण हो गया था और ₹ 106.16 करोड़ का अंतिम भुगतान मार्च 2015 तक ठेकेदार को कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि काम के विस्तृत अनुमान में एक मद 'एम–30 ग्रेड (67,600 वर्ग मीटर) वाली 60 मि.मी. मोटी सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग पेवर ब्लाक/टैक् टाइल पेवर' शामिल थी जिसका उपयोग पैदल पथ के निर्माण में किया गया था। यह मद 'बिल ऑफ क्वांटिटी' का हिस्सा थी, जिसके लिए सफल ठेकेदार ने प्रति वर्ग मीटर ₹ 461.57 प्रति वर्ग मीटर उद्घृत किए थे। हांलाकि, अंतिम बिल के अनुसार निर्मित किये गये 67,600 वर्ग मीटर पैदलपथ में से मात्र 818.51 वर्ग मीटर में इस विनिर्देश वाले पेवर ब्लॉकों का उपयोग किया गया था। पैदल पथ का शेष काम 'सड़क को चौड़ा' करने के कार्य के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापन के कारण इस प्रकार से दर्ज किए गए थे कि, ''पैदल पथ पर 60 मि.मी. मोटे टेक्चर फिनिश पेवर ब्लॉक के लिए अनुबंध प्रदान किया गया, लेकिन कार्यस्थल पर पैदल पथ बनाना संभव नहीं था और यह निर्णय लिया गया कि रिहाइशी क्षेत्र में पटरी पर सड़क को चौड़ा करने के लिए 80 मि.मी. मोटा पैवर ब्लॉक उपलब्ध कराए जाए ताकि वाहनों को वहाँ पार्क किया जा सके''। तदनुसार, जहाँ

प्रारम्भ में फुटपाथ प्रस्तावित थे उस स्थान पर 80 मि.मी मोटे पैवर ब्लॉक बिछा कर सड़क को चौड़ा करने का कार्य किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि भारतीय मानक–15658:2006 60 मि.मी मोटे पैवर ब्लॉक (एम–35 ग्रेड) पैदल पथ कार पार्क, कार्यालय मार्ग और ग्रामीण मार्गों जिनपर कम मात्रा में यातायात है (प्रतिदिन 150 व्यवसायिक वाहनों तक) को विनिर्दिष्ट करता है, जबकि 80 मि.मी. मोटे (एम–40 ग्रेड) पैवर ब्लॉक विशेष रूप से शहर की गलियों में मध्यम गति यातायात (150–450 व्यवसायिक वाहन प्रतिदिन), छोटी और मध्यम बाजार की सड़कें, कम आवागमन वाली सड़क, मुख्य मार्ग पर यूटिलिटी कट सड़क आदि के लिए विनिर्दिष्ट किये गए हैं। इस प्रकार, लो.नि.वि. ने उस मद को चुना जो उच्च विर्निदेशित (80 मि.मी. मोटी पैवर ब्लॉक) थी जबकि वास्तव में भारतीय मानक (भा.मा.) मापदण्डों के अनुसार अर्थात 60 मि.मी. मोटी पैवर ब्लॉक की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, अंतिम बिल की संवीक्षा में देखा गया कि 80 मि.मी. मोटे पैवर ब्लॉक 78,427.46 वर्ग मीटर मार्ग को चौड़ा करने के लिए उपयोग किए गए थे। 80 मि.मी. मोटे पैवर ब्लॉकों (680 प्रति वर्ग मीटर) की लागत 60 मि.मी. मोटाई (461.57 प्रति वर्ग मीटर) से कहीं अधिक थी।

अतः, लो.नि.वि. ने अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, ऐसे स्थान पर उच्च विनिर्देशों वाले पेवर ब्लॉकों का उपयोग किया जिसे वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किया जाना था,जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.71 करोड़[69] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामले को नवम्बर 2015/मार्च 2016 में सरकार को भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

3.15 दि.प्रौ.वि. द्वारा ₹ 63.86 लाख की राशि के लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति प्रभारों तथा जल प्रभारों की गैर–वसूली

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (दि.प्रौ.वि.) की ओर से शिथिलता के कारण न केवल अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं के कार्मिकों क्वॉर्टर से निष्कासन में देरी हुई बल्कि यह अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं से ₹ 63.86 लाख की राशि के लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति प्रभारों एवं जल प्रभारों को वसूल करने में भी विफल रहा।

नियमानुसार[70], कार्मिकों क्वॉर्टर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति/मृत्यु अथवा सेवा समापन इत्यादि पर क्वार्टर खाली कर देना चाहिए। हालाँकि, सेवा निवृत्ति के मामले में चार महीने (सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर दो महीने एवं सामान्य लाइसेंस शुल्क के दुगने के भुगतान पर अन्य दो महीनें) की अवधि के लिए, सेवा समापन के मामले में एक महीने के लिए, स्थानान्तरण के मामले में दो महीने के लिए तथा मृत्यु के मामले में दो वर्ष, बशर्ते दिवंगत कर्मचारी अथवा उसके बच्चों का तैनाती के स्थान पर स्वयं का

[69]78427.46 वर्गमीटर x ₹(680–461.57)) = ₹ 1,71,30,910 अथवा ₹ 1.71 करोड़

[70]एस.आर. 317.बी– 11 (1) और (2)

मकान न हो, आवास में बने रहने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात्, आवास का आवंटन रद्द माना जाएगा। इसके पश्चात् अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं[71] पर क्षतिपूर्ति/बाजार लाइसेंस शुल्क का प्रभार लगाया जाएगा।

जून 2014 के दौरान दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (दि.प्रौ.वि.)/दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज (डी.सी.ई.) के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि सरकारी कर्मचारियों अथवा सरकारी कर्मचारियों के परिवारों द्वारा सात कार्मिकों क्वार्टर पर सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवासमापन/स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित अनुज्ञेय समय सीमा के बाद भी प्रतिधारण/कब्जा था। यद्यपि ये क्वार्टर बाद में खाली कराये गये (सितम्बर 2013 से अक्टूबर 2015), फिर भी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन अधिभोक्ताओं से बकाया क्षतिपूर्ति प्रभार अथवा बाजार लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं कर सके। दि.प्रौ.वि. ने कहा (जुलाई 2012) कि ₹ 1.29 लाख की राशि वसूल की गई थी। तथापि इस वसूली को ध्यान में रखते हुए भी उनसे ₹ 62.01 लाख की राशि (जनवरी 2016 तक की) लाइसेंस शुल्क क्षतिपूर्ति प्रभारों तथा जल प्रभारों के कारण वसूली योग्य थी (जनवरी 2016)।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान (फरवरी 2012) यह भी पाया गया कि 13 स्टॉफ क्वार्टर दि.प्रौ.वि./डीसीई के कर्मचारियों के बजाय अन्य कर्मचारियों द्वारा अधिकृत किये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् दि.प्रौ.वि./डीसीई ने इन कर्मचारियों को 24 जुलाई 2013 को क्वॉटर खाली करने एवं 15 जुलाई 2009 से 30 सितम्बर 2013 तक की अवधि के लिए ₹ 1.85 लाख (लाइसेंस शुल्क हेतु ₹ 1.43 लाख + जल प्रभारों हेतु ₹ 0.42 लाख) की राशि जमा करने का नोटिस जारी किया। अगस्त 2015 के अपने उत्तर में, दि.प्रौ.वि. ने सूचित किया कि दि.प्रौ.वि. के 13 भूतपूर्व कर्मचारियों में से पाँच ने क्वार्टरों को खाली कर दिया था। आठ कर्मचारी दि.प्रौ.वि. कार्मिकों क्वॉर्टर में रह रहे थे जिनमें से चार न्यायालय में चले गए उनके संबंध में लाइसेंस शुल्क एवं जलप्रभारों की वसूली न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाएगी तथा शेष चार को एस डी एम की उपस्थिति में निष्कासित किया जाएगा। तथापि उत्तर, में शेष मामलों में बकायों की वसूली के विषय में कुछ नहीं कहा गया।

इस प्रकार, दि.प्रौ.वि. की ओर से शिथिलता के कारण न केवल अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं के कार्मिकों क्वार्टर से निष्कासन में देरी हुई बल्कि यह अप्राधिकृत अधिभोक्ताओं से ₹ 63.86 लाख (₹ 62.01 लाख + ₹ 1.85 लाख) की राशि के लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति प्रभारों एवं जलप्रभारों को वसूल करने में भी विफल रहा। इसके अतिरिक्त, इसने पात्र कर्मचारियों को हाऊसिंग सुविधाओं से वंचित रखा।

मामला सरकार को सितंबर 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

[71]एफ आर 45 ए के नीचे भारत सरकार शासनादेश 15

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.16 दिल्ली में सुधार गृह, किशोर सुधार गृह एवं सुधारालय का संचालन

दिल्ली में संप्रेक्षण गृहों (ओ.एच.) में पर्याप्त अवसंरचना की कमी थी। नए भवन के निर्माण पर ₹ 2.81 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि यह कानूनी अभियोजन में फंसे किशोरों के लिए अनुकूल नहीं था। गैर सरकारी संस्था (एन जी ओ) को समय पर अनुदान न जारी किए जाने के कारण कपड़े, बिस्तर, औषधियों की आपूर्ति, कार्मिकों को वेतन के भुगतान इत्यादि से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हुई। निगरानी तंत्र कमजोर था क्योंकि निरीक्षण समिति ने ओ.एच. का निरीक्षण नहीं किया। विशेष रूप से केयर टेकर, परामर्शदाताओं एवं शिक्षकों जैसे मुख्य पदों पर कार्मिकों की कमी थी।

3.16 प्रस्तावना

संसद ने उपेक्षित बच्चों तथा कानूनी अभियोजन में फँसे किशोरों (जे सी एल)[72] की देखभाल, सरंक्षण एवं पुनर्वास हेतु, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम को 2000 में (2006 एवं 2011 में संशोधित) अधिनियमित किया। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, भारत सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007 बनाये व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने दिल्ली किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2009 (दि.कि.न्या.नि.) बनाये। रा.रा.क्षे.दि.स. के महिला एवं बाल विकास विभाग (म.बा.वि.वि.) ने 2009 में अधिनियम लागू करने के लिए तथा तीन संप्रेक्षण गृहों (ओएच)[73], दो सुरक्षा स्थानों (पी.ओ.एस.)[74] एवं एक विशेष गृह (वि.गृ.)[75] जो कि जे सी एल के रहने के लिए बनाये गए थे के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए बाल संरक्षण इकाई बनाई। बाल संप्रेक्षण गृह–I (ओ.एच.–I) मैसर्स प्रयास (एनजीओ) के द्वारा चलाया जा रहा था जबकि दूसरे सुधार गृहों का प्रबंध स्वयं म.बा.वि.वि. कर रहा था।

अधिनियम की धारणा के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढ़ाँचे, सुविधाओं एवं सेवाओं की पर्याप्तता तथा एक प्रभावी निगरानी तंत्र विद्यमान है या नहीं, का आकलन करने के लिए ओ.एच., पी.ओ.एस., एस.एच. एवं म.बा.वि.वि. के मुख्यालय की वर्ष 2012–15 की अवधि को लेते हुए लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.16.2 वित्तीय प्रबंधन

म.बा.वि.वि. ने 2012–15 के दौरान मुख्य शीर्ष 2235 के तहत इन गृहों को बजट आवंटित किया, जिसका विवरण **तालिका 3.16.1** में नीचे दिया गया है:

[72]''किशोर'' या ''बच्चे'' का मतलब एक व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है एवं ''कानूनी अभियोजन में फँसे किशोर'' का मतलब किशोर जिसपर अपराध करने का आरोप है।

[73](i) बाल संप्रेक्षण गृह–I (ओ.एच.–I) दिल्ली गेट– आयु वर्ग 7–16 वर्ष (ii) बाल संप्रेक्षण गृह–II (ओ.एच.–II) आयु वर्ग 16–18 वर्ष, किंग्सवे कैम्प, एवं (iii) बालिका संप्रेक्षण गृह (कोई आयु सीमा नहीं), निर्मल छाया कम्पलेक्स, जेल रोड, दिल्ली

[74]बाल सुरक्षा स्थान, मैगजीन रोड और (ii) बालिका सुरक्षा स्थान, निर्मल छाया काम्पलेक्स।

[75]विशेष गृह का मतलब मैग्जीन रोड पर जेसीएल के पहुंचने (या आमद) एवं पुनर्वास का स्थान।

तालिका 3.16.1: बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय (2012–15)

(₹ लाख में)

सुधार गृहों के नाम	आवंटित बजट		वास्तविक व्यय		बचत	
	योजनागत	गैर–योजनागत	योजनागत	गैर–योजनागत	योजनागत	गैर–योजनागत
ओ.एच.बी.–I	168.68*	-	163.50	-	5.18	-
ओ.एच.बी.–II	636.91	545.42	550.91	514.34	86.00	31.08
एस.एच./पी.ओ.एस.	479.30	96.36	333.32	92.00	145.98	4.36
ओ.एच.जी.	186.75	119.89	163.64	98.92	23.11	20.97
योग	**1,471.64**	**761.67**	**1,211.37**	**705.26**	**260.27**	**56.41**

*स्रोतः आंकड़े ओ.एच./पी.ओ.एस. स्थान द्वारा प्रदान किये गये है *सहायता अनुदान–आवर्ती एवं गैर आवर्ती*

3.16.2.1 प्रयास (एन.जी.ओ.) को अनुदान जारी करने में विलम्ब

प्रयास एवं म.बा.वि.वि. के बीच अनुबंध के खण्ड–**II** के अनुसार प्रयास को तीन किस्तों में अनुदान दिया जाना था। अनुमानित व्यय के 1/12 के बराबर पहली किस्त या संस्थान का वास्तविक बजट प्रावधान, जो भी कम हो, अप्रैल महीने में जारी की जाएगी तथा मई से सितम्बर तक 5 महीनों के व्यय को लेते हुए दूसरी किस्त मई के महीने या उसके बाद जारी की जाएगी। बाकी छः महीनों के व्यय को लेते हुए अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाएगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि म.बा.वि.वि. के द्वारा आवंटित ₹ 168.68 लाख की राशि में से एन.जी.ओ. प्रयास ने 2012 से 2015 के दौरान ₹ 163.58 लाख खर्च किए। तथापि म.बा.वि.वि. ने सहायता अनुदान को जारी करने के लिए निर्धारित मानदंडों का अनुकरण नहीं किया। पहली किस्त प्रायः प्रति वर्ष सितम्बर और फरवरी के बीच अर्थात् पाँच से नौ महीनों के विलम्ब के साथ जारी की गई। निधि के अभाव में, प्रयास को अपने बिजली बिल, पर ₹ 0.81 लाख का जुर्माना देना पड़ा तथा कपड़े, बिस्तर, औषधियों, खेल के सामान, पानी के बिल का भुगतान और कर्मचारियों को वेतन देने की समस्या का सामना करना पड़ा।

इसके उत्तर में, म.बा.वि.वि. के निदेशक ने लेखापरीक्षा के दावे को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2016) कि ई एल एफ ए[76] के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की उपलब्धता एवं वित्त विभाग के अनुमोदन होने पर ही अनुदान जारी करने का प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी कार्यविधिक गतिरोध के कारण से देरी हुई।

3.16.2.2 किशोर न्याय निधि का गैर–सृजन

दि.कि.न्या.नि. का नियम 95 निबंध करता है कि राज्य सरकार जे.सी.एल. के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु एक किशोर न्याय निधि (निधि) का सृजन करेगा। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि निधि के सृजन की प्रक्रिया 2007 से प्रगति पर थी, जुलाई 2015 तक इसका सृजन नहीं किया गया।

[76]स्थानीय निधि लेखा परीक्षक।

अपने उत्तर में, म.बा.वि.वि. ने कहा (जुलाई 2015) कि ₹ पांच लाख के प्राथमिक धन से एक खाता अक्तूबर 2007 में खोला गया था परन्तु फरवरी 2012 में लेखा महानियंत्रक (ले. म.नि.) द्वारा की गई अभ्युक्तियों की गैर अनुपालना के कारण निधि हेतु लेखा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी।

3.16.3 बुनियादी ढ़ांचे एवं सुविधाओं की उपलब्धता

3.16.3.1 अपर्याप्त आवास

दि.कि.न्या.नि. का नियम 40 प्रत्येक संस्थान (ओ.एच., पी.ओ.एस एवं एस.एच.) में कार्यालय कक्ष, कक्षा, भोजन कक्ष, रोगी–कक्ष, कार्यशाला, भण्डार गृह इत्यादि हेतु स्थान के लिए मापदण्ड़ों को निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि दिल्ली में किशोर संस्थान इन सुविधाओं के लिए जगह हेतु निर्धारित मापदण्ड़ो को पूरा नहीं कर रहे थे **(अनुलग्नक–3.4)**। इसके अतिरिक्त, दिल्ली गेट के ओ.एच.बी.-I में मनोरंजन कक्ष एवं पुस्तकालय नहीं था तथा किंग्सवे कैंम्प का ओ.एच.बी.-II बिना किसी कार्यशाला के चल रहा था। उसी तरह, पी.ओ.एस./एस.एच. में रोगी कक्ष, मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय, परामर्श एवं मार्गदर्शन कक्ष, कार्यशाला एवं पर्याप्त खेल का मैदान नहीं था।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि पी.ओ.एस. भी एक ऐसे काम्पलेक्स में स्थित है जो कि बहुत सुरक्षित है क्योंकि इसके निवासियों को अलग–अलग रखने और अत्यधिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। तथापि, ओ.एच.बी.-I में आवास की कमी पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

3.16.3.2 प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक हेतु निवास की कमी

दि.कि.न्य.नि. के नियम 86 के अनुसार, सुधार गृह के प्रभारी की संस्थान के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेवारी होगी एवं उसे संस्थान के परिसर के भीतर रहना होगा। यदि संस्थान के परिसर के भीतर आवास उपलब्ध नहीं है तो प्रभारी को संस्थान के निकट के स्थान पर तब तक रहना चाहिए, जब तक उसे संस्थान के भीतर आवास उपलब्ध नही हो जाता है।

तथापि, संस्थान के परिसर में ओ.एच.बी.–II, ओ.एच.जी. और पी.ओ.एस./एस.एच. के अधीक्षक हेतु आवास उपलब्ध नही था। वे संबंधित संस्थान से 9 से 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित अपने घरों में रह रहे थे।

उपनिदेशक (सी.पी.यू), म.बा.वि.वि. ने कहा (जुलाई 2015) कि सेवा कुटीर काम्पलेक्स में स्थित आवासों एवं भू–सम्पदा के विभाजन के मामले को सामाजिक कल्याण विभाग के साथ अंतिम रुप नहीं दिया गया था। आगे कहा गया कि किसी आपातकाल स्थिति पर ध्यान रखने के लिए, जिला अधिकारी काम्पलेक्स के अंदर रहते हैं। तथ्य यह है कि प्रभारी/अधीक्षक कार्यालय समय के बाद होने वाली किसी घटना के समय जब उनकी उपस्थिति की जरुरत होगी अपने उत्तरदायित्व को सही ढ़ंग से निभाने की स्थिति में नहीं होंगे।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने (फरवरी 2016) कहा कि तत्कालिक अधीक्षक दिसम्बर 2015 से संस्थान के निकट में ही स्थित कार्मिकों क्वॉर्टर कम्पलेक्स में रह रहे थे। ओ.एच.जी. एवं पी.आ.एस./एस.एच. के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था।

3.16.3.3 अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्देशित और आवश्यकता के अनुसार कानूनी अभियोजन में फँसे किशोरों (जे.सी.एल.) को स्थान और आधारभूत संरचना प्रदान न करना

म.बा.वि.वि. ने सेवा कुटीर कम्पलेक्स, किंग्सवे कैम्प के परिसर में तीन सुधार गृहों (अर्थात् पी.ओ.एस., एस.एच. एवं उपभवन[77]) हेतु भवन बनाने का निर्णय किया (अगस्त 2012) और लो.नि.वि. से भवन हेतु ऐसी योजना बनाने के लिए अनुरोध किया (मार्च 2013) कि तीनों सुधार गृह को अलग–अलग किया जाए एवं जे.सी.एल. के आपसी मेलजोल को रोकने के लिए प्रत्येक में प्रवेश स्वतंत्र हो। म.बा.वि.वि. ने अंतिम रुप रेखा/योजना स्वीकृत किया (मई 2013) एवं लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) को ₹ 3.37 करोड़ के एक समग्र प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्वीकृति (मई एवं जुलाई 2013) दी। जनवरी 2015 तक लो.नि. वि. द्वारा भवन के निर्माण पर ₹ 2.81 करोड़ व्यय किये गये।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि म.बा.वि.वि. द्वारा स्वीकृत नक्शे और योजना के अनुसार भवन का निर्माण पूरा हो गया था, परन्तु पूर्ण होने पर म.बा.वि.वि. ने इसे उपयुक्त नहीं पाया एवं कब्जा लेने से मना कर दिया तथा तर्क दिया गया कि भवन के प्रत्येक विश्राम गृह एवं कमरों में वेंटिलेशन एवं प्राकृतिक प्रकाश नहीं था। पी.ओ.एस./एस.एच. के अधीक्षक के विचार में समग्रतः नये भवन का डिजाईन एवं निर्माण जे.सी.एल. के आवास के लिए अनुकूल नहीं थे। स्पष्टतः, किशोरों की आवासीय आवश्यकताओं का आकलन विभाग एवं लो.नि.वि. द्वारा नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ के व्यय के बावजूद, अधिनियम के तहत विनिर्देशित और आवश्यकता के अनुसार जे सी एल को पर्याप्त स्थान और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया।

इसके उत्तर में म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि भवन का उपयोग नवीन किशोर न्याय बोर्ड–III द्वारा किया जा रहा था जो कि भवन में क्रियाशील था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भवन सुधार गृह में रह रहे किशोरों के लिए नियत था।

3.16.3.4 विशेष सुधार गृहों में असंतोषजनक स्वच्छता सेवाएँ

2011–12 से मैसर्स एडवांस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड (ए.एस.पी.एल) द्वारा पी.ओ.एस./एस.एच. में स्वच्छता सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। लेखापरीक्षा संविक्षा ने दर्शाया कि सितम्बर 2012 से फरवरी 2013 के दौरान संस्था ने स्वच्छता सेवाएँ हेतु केवल तीन लोगों को लगाया जबकि अनुबंध के अनुसार चार की आवश्यकता थी। यह भी देखा गया कि स्वच्छता कर्मचारी रविवार और सरकारी छुट्टियों में कार्य पर नही आये और कार्य के घंटे समाप्त होने से पहले संस्थान से चले जाते थे। मुलाकाती पंजिका में उप निदेशक की टिप्पणी (दिसंबर 2014) और न्याय समिति के दौरों (मई 2014) और लेखापरीक्षा के दौरों (जून 2015) द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों की अनियमित उपस्थिति, सभी खण्डों के स्नान गृहों और शौचालयों की दयनीय स्थिति और सामान्यतः गंदे फर्शों का पता चला।

[77]उपभवनः ओ.एच.बी.–I एवं ओ.एच.बी.–II के जे.सी.एल., जो झगड़ा, लडाई इत्यादि जैसी समस्या उत्पन्न करते है, को जिस अलग छात्रावास में रखा जाता है, उपभवन कहते हैं।

अधीक्षक ने स्वीकार किया (जून 2015) कि स्वच्छता कर्मचारियों ने संतोषजनक कार्य नही किया क्योकि संस्था उन्हें समय से भुगतान नहीं कर रही थी। यह जोड़ा गया कि अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 के दौरान फर्म पर ₹ 1.19 लाख का जुर्माना लगाया गया था।

मामला सरकार को नवम्बर 2015 में भेजा गया, उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2016)।

3.16.3.5 कपड़े एवं बिस्तर से संबंधित नियम 41 का अनुपालन न होना

दि.कि.न्या.नि के नियम 41 के अनुसार, मानक एवं जलवायु के अनुसार जे.सी.एल. को कपड़े बिस्तर एवं प्रसाधन की मदों को मुहैया कराया जाना चाहिए। नियम की सूची–**I** के अनुसार आवश्यकतानुसार कीटनाशक स्प्रे, कीड़े मारने की दवा का ओ.एच. में प्रयोग किया जाना चाहिए एवं मच्छर भगाने की दो टिकिया का भी प्रतिमाह प्रति कमरे प्रयोग किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2012–15 के दौरान बा.अ.गृ–I में शोर्टस, स्वेटर, ट्रेक सूट, गद्दे, रुमाल, तकिया जैसे सामान जे.सी.एल. को मुहैया नहीं कराये गये थे। कीटनाशक का 2013–15 के दौरान छिड़काव नहीं किया गया था, कीड़े मारने के लिए प्रभावी तत्व का इस्तेमाल नहीं किया गया एवं पूरे सुधार गृहों में मच्छर मारने के लिए केवल दो टिकियों का इस्तेमाल हुआ।

2012–15 के दौरान, ओ.एच.बी.–I, ओ.एच.बी.–II, पी.ओ.एस./एस.एच. एवं ओ.एच.जी. हेतु अधिकृत पैमाने से ज्यादा/कम मात्रा में शर्ट, पैंट, बनियान, अंडरवियर, सलवार कमीज, ब्रेसियर, पैंटीस एवं चप्पलें जारी की गई।

परियोजना प्रबंधक, ओ.एच.बी.–I ने कहा (मई 2015) कि म.बा.वि.वि. के द्वारा समय से निधि के नहीं दिये जाने के कारण जे.सी.एल. को निर्धारित सामान मुहैया नहीं कराया जा सका। फरवरी 2016 में, म.बा.वि.वि. के निदेशक ने, ओ.एच.बी. के परिप्रेक्ष्य में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकृत करते हुए कहा कि कुछ जे.सी.एल. को ओ.एच.जी. में रखा गया और वहाँ उन्हें बहुत अल्प अवधि (एक या दो दिन) के लिए रखा गया। लड़कियों द्वारा इस्तेमाल नहीं किये गए ऐसे सामानों को पुनः नये आगन्तुकों को जारी किया गया था और भण्डार में स्टॉक अपरिवर्तित रहा। अन्य गृहों के बारे में कमियों पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

3.16.4 गृहों का प्रबंधन और सुरक्षा

3.16.4.1 विशेष गृह, मैगजीन रोड में निषिद्ध मदों का पाया जाना

दि.कि.न्या.नि. के नियम 51 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संस्थाओं में अग्नेयास्त्र या हथियार, अल्कोहल व स्प्रिट, भांग, गांजा इत्यादि जैसी निषिद्ध वस्तुएँ नहीं लायेगा। तथापि, 2013–15 के दौरान अधीक्षक एवं कल्याण अधिकारी द्वारा नौ अवसरों पर पी.ओ.एस./एस. एच. की आकस्मिक जाँच एवं तलाशी में जे.सी.एल. के पास सर्जीकल ब्लेड, बीडी, सिगरेट, सिम सहित मोबाईल, तम्बाकू, गाँजा, लोहे की छड़ें इत्यादि जैसी निषिद्ध वस्तुएं पाई गईं। यह सुधार गृहों में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश की जाँच एवं रोकथाम में सुरक्षा विफलता को दर्शाता है।

इसके उत्तर में, म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि मार्च 2014 से डी जी आर के साथ सूचीबद्ध एक एजेंसी को तैनात किया गया है तथा निषिद्ध मदों की जाँच के लिए नियमित ड्रिल चलाये जा रहे थे। उत्तर लेखापरीक्षा के कथन की पुष्टि करता है।

3.16.5 निगरानी

3.16.5.1 निरीक्षण समिति द्वारा दौरे का गैर आयोजन

दि.कि.न्या.नि. के नियम 63 के अनुसार राज्य सरकार में राज्य, जिला या शहर के स्तर पर निरीक्षण समिति का गठन किया जाएगा जो संस्थानों का दौरा करेंगी, एवं संस्थानों की स्थिति का निरीक्षण करेंगी, किये जा रहे देखभाल एवं संरक्षण के मानक की समीक्षा करेंगी एवं प्रबंधन समिति तथा बच्चों की समिति के कामकाज को देखेंगी। निरीक्षण समिति को संस्थाओं का तिमाही निरीक्षण करना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निरीक्षण समिति ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी ओ.एच./पी.ओ.एस./एस.एच. (मार्च 2015 में एक ओ.एच.बी. को छोड़कर) का निरीक्षण नहीं किया।

म.बा.वि.वि. ने कहा (जून 2015) कि निरीक्षण समिति (कुल सात, प्रत्येक जिले के लिए एक) का दिसम्बर 2012 में गठन किया गया जिसे विभागों व बाल कल्याण एवं विकास के क्षेत्र के काम कर रहे एन जी ओ के बीच समन्वय रखना था। परन्तु समितियाँ समन्वय मुद्दों के कारण कार्य नहीं कर रही थी। आगे यह भी कहा गया कि निरीक्षण समिति अप्रैल 2015 में पुनः गठित की गई थी। उत्तर पुष्टि करता है कि निरीक्षण समितियों ने किसी भी सुधार गृह का निरीक्षण नहीं किया।

इसके उत्तर में, मा.बा.वि.वि. के निदेशक ने (फरवरी 2016) कहा कि जाँच समिति नियमित रुप से दौरा कर रही थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी गृह (एक को छोड़कर) का निरीक्षण जाँच समिति ने नहीं किया।

3.16.5.2 प्रबंधन समिति की अपर्याप्त बैठकें

दि.कि.न्या.अ. का नियम 55 (5ए) अनुबंध करता है कि जे.सी.एल. से जुड़े मामलों में ओ. एच.बी./ओ.एच.जी./पी.ओ.एस./एस.एच. की प्रबंध समिति, विचार व समीक्षा हेतु प्रतिमाह बैठक करेगी। तथापि, तीन वर्षों 2012–15 के दौरान प्रबंधन समिति ने प्रत्येक के लिए आवश्यक 36 बैठकों के प्रति ओ.एच.बी.–I के लिए 16 बार, पी.ओ.एस./एस.एच. हेतु 10 बार तथा ओ.एच.जी. हेतु पाँच बार बैठकें कीं। बा.आ.गृ–II के लिए बैठकों के अभिलेख जे. सी.एल. के द्वारा की गई आगजनी की घटना में नष्ट हो गये।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि प्रबंधन समिति की नियमित बैठक चल रही है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रत्येक महीने में मापदण्डों के अनुसार नियमित बैठकें नहीं की गयी थी।

3.16.5.3 कम्प्यूटरीकृत डाटा का गैर रखरखाव

दि.कि.न्या.अ. के नियम 54(2) के अनुसार, संस्थानों और बोर्ड या समिति के द्वारा सभी मामलों की फाइलों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा व नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि डाटा जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार को केन्द्रीय रूप से उपलब्ध हो पाये।

तथापि, ओ.एच.बी.–I, ओ.एच.बी.–II/पी.ओ.एस. के अधीक्षकों ने कहा (जुलाई 2015) कि कम्प्यूटरीकृत डाटा/प्रकरण फाईल का रखरखाव नहीं किया गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि को जोड़ते हुए सामाजिक विवरण, प्रकरण विवरण, व्यक्तिगत देखरेख योजना से सम्बंधित विवरण का रखरखाव मैनुअली किया गया। तथापि, कि.न्या.बो. के लिए साप्ताहिक प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत फार्मेट में जे.सी.एल. के विवरण को दर्शाते हुए भेजा जा रहा था। आगे यह कहा गया कि डाटा का कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव म.बा.वि.वि के पास लम्बित था।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि गृहों को कम्प्यूटर प्रदान किया गया तथा अधीक्षकों को क्म्प्यूटरीकृत डाटा रख–रखाव के लिए निर्देश दिया गया है। उत्तर तथ्यों की पुष्टि करता है।

3.16.6 मानव संसाधन

3.16.6.1 श्रमशक्ति की कमी

दि.कि.न्या.नि. के नियम 68 के अनुसार, प्रत्येक कार्मिक वर्ग में पदों की संख्या संस्थान की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

31 मार्च 2015 को चार सुधार गृहों हेतु 146 स्वीकृत पदो के प्रति केवल 98 पद (67 प्रतिशत) ही भरे गये थे। केयर टेकर (48 में से 22), परामर्शदाता (पाँच मे से तीन) शिक्षक (आठ मे से सात) जैसे अहम पदों में कमी के चलते संरक्षण एवं संशोधनात्मक भूमिका के संबंध में इन सुधार गृहों के संचालन से समझौता किया गया। जे सी एल का इन संस्थाओं से भागने का लगातार प्रयास और निषिद्ध पदार्थों का उनके पास पाया जाना इसको प्रमाणित करता है।

म.बा.वि.वि. के निदेशक ने कहा (फरवरी 2016) कि विभाग में अधिक पदों के सृजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

3.16.6.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण

दि.कि.न्या.नि. के नियम 80(जी) एवं 90 के अनुसार, राज्य सरकार सुधार गृहों में सभी वर्ग के कर्मचारियों को उनके संवैधानिक या जिम्मेदारियाँ एवं विशेष कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण देगी। तथापि 2012–15 के दौरान सुधार गृहों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण नही दिया गया।

निदेशक, म.बा.वि.वि. ने कहा (फरवरी 2016) कि विभाग ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु विभिन्न एजेंसियो से अनुरोध किया था एवं कुछ एजेंसियाँ प्रशिक्षण सत्र का आयोजन भी कर रही है।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

3.17 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा

2008–13 की अवधि को लेते हुए 'प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग' (प्र. एवं त.शि.वि.) पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं. 2) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था, जिसको 01 अगस्त 2014 को दिल्ली विधान सभा के समक्ष रखा गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा में 31 अभ्युक्तियाँ तथा चार सिफारिशें शामिल थीं। इन चार सिफारिशों के अंतर्गत 23 कार्रवाई योग्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ हैं जिन पर विभाग को सुधारक कार्रवाई करना अपेक्षित था। निदेशालय के कार्यालयों में संबंधित अभिलेखों की जाँच द्वारा अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न मामलों पर की गई कार्रवाई की जाँच की गई। लेखापरीक्षा सिफारिशों और संबंधित अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति को 'निरर्थक अथवा कोई प्रगति नहीं', 'संतोषजनक प्रगति' तथा 'सभी अभीष्ट क्षेत्रों में पूरी प्रगति' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

क. सिफारिशः गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन सी वी टी) तथा महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण (डी जी ई एंड टी) के मानकों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराना।

इस सिफारिश के अंतर्गत कार्रवाई योग्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:

निरर्थक अथवा कोई प्रगति नहीः

(i) ट्रेड में 106 नई इकाईयों का अवसंरचना के बगैर आरम्भ करना (पैरा2.2.7.2): निदेशालय ने सुदृढ़ योजना तथा नीतिगत रोडमैप के बिना आई टी आई में 106 नई इकाईयाँ आरम्भ कीं और आवश्यक अवसंरचना तथा संकाय सदस्यों को सुनिश्चित करने में विफल रहा। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) और ए टी एन में (अगस्त 2015) कि आई टी आई को, उपलब्ध स्थान तथा उपकरणों के बेहतर उपयोग के लिए संस्थानों को दो शिफ्टों में चलाने के अनुदेश दिए जा रहे थे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे कोई अनुदेश नवंबर 2015 तक जारी नहीं किए गए थे तथा चयनित आई टी आई दो शिफ्टों में नहीं चल रही थी। उप निदेशक (योजना) ने कहा (अक्तूबर 2015) कि विभिन्न संस्थानों के सावधानी से किए गए विश्लेषणों और सर्वेक्षण के पश्चात् संस्थानों में उपलब्ध अवसंरचना दो शिफ्टों में चलाए जाने के लिए पर्याप्त नहीं पाई गई थे।

संतोषजनक कार्यान्वयन/प्रगतिः

(i) मानव संसाधन प्रबंधन (पैरा 2.2.4 एवं 2.2.4.1): कुल मिलाकर कार्मिकों की कमी थी (32 प्रतिशत)। 31 प्रतिशत शिल्प प्रशिक्षक (शि.प्र.) तथा 62 प्रतिशत समूह प्रशिक्षक (स.प्रशि.) की कमी थी।

निदेशालय ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

निदेशालय ने रा.रा.क्षे.दि.स. के दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डी.एस.एस.एस.बी.) तथा सेवा एवं वित्त विभाग के समक्ष मामले को उठाया। तथापि लेखापरीक्षा में देखा गया कि 30 सितम्बर 2015 को 1076 कार्मिकों (35.40 प्रतिशत) की अभी तक कमी थी। ए.टी.एन. के अनुसार शि.प्रशि. तथा स.प्रशि की भर्ती की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि शि.प्रशि. के 34 प्रतिशत पद तथा स.प्रशि. के 21 प्रतिशत पद (20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशिक्षकों सहित) अभी तक रिक्त थे (सितम्बर 2015)।

(ii) आई टी आई में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी (पैरा 2.2.4.2): पाँच चयनित आई टी आई में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित एन.सी.वी.टी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। यह इंगित किया गया कि चयनित आई टी आई में 345 में से केवल 40 प्रशिक्षकों (12 प्रतिशत) ने राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (रा.शि.प्र.प्र.) प्राप्त किए थे। निदेशालय ने कहा (जनवरी 2014) कि आवश्यक आदेश जारी किए गए थे तथा प्रशिक्षण का संचालन तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के माध्यम से किया जा रहा था।

ए.टी.एन. में यह कहा गया कि प्रशिक्षु का प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर संचालित किया गया। फिर भी सत्यापन में लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.शि.प्रशि.प्र. हेतु प्रशिक्षण संचालित नहीं किया गया। उप निदेशक (शैक्षिक) ने कहा (नवम्बर 2015) कि प्रशिक्षकों की कमी के कारण रा.शि.प्र.प. के लिए विद्यार्थियों को प्रायोजित नहीं किया जा सका।

(iii) पॉलीटेक्निक्स में कार्मिकों की कमी (पैरा 2.2.4.3): लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने पोलिटेक्निक्स में कार्मिकों की कमी को दर्शाया गया था। संस्वीकृत 1080 में से 309 तकनीकी पद (29 प्रतिशत) रिक्त थे। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों को भरने हेतु डी.एस.एस.एस.बी. के साथ प्रयास किए जा रहे थे।

ए.टी.एन के अनुसार मामले को डी.एस.एस.एस.बी. तथा सं.लो.से.आ. के साथ जारी रखा जा रहा था। तथापि नवम्बर 2015 तक कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा को दी गई सूचना (अक्तूबर 2015) के अनुसार पोलिटेक्नीक्स में संस्वीकृत 1147 में से 468 तकनीकी पद (42 प्रतिशत) रिक्त थे।

(iv) लिपिक वर्गीय कार्मिकों की कमी (पैरा 2.2.4.4): निदेशालय में लिपिक वर्गीय कार्मिकों की कमी को इंगित किया गया जैसा कि 671 में से 318 पद रिक्त थे। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

निदेशालय ने रिक्त पदों को भरने हेतु सचिव (सेवा) के साथ कई बार मामले को उठाया। फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई।

लेखापरीक्षा को दी गई सूचना (अक्तूबर 2015) के अनुसार लिपिकवर्गीय कार्मिकों के संस्वीकृत 766 में से 326 पद (43 प्रतिशत) रिक्त थे।

(v) जी.बी. पन्त कॉलेज में तकनीकी कार्मिकों के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए (पैरा 2.2.4.5): जी.बी. पन्त कॉलेज ने 57 पदों को विपथित, ठेकागत अथवा बाह्य

स्त्रोत आधार पर भरा जबकि कुल 98 तकनीकी पदों में से 41 पद रिक्त थे क्योंकि भर्ती नियमों (भ.नि.) को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि भर्ती नियमों को निदेशालय द्वारा अधिसूचित किया गया था (जनवरी 2014) तथा शिक्षण कार्मिकों के लिए माँग को सं.लो.से.आ. में भेजा गया परन्तु अक्तूबर 2015 तक कोई नियुक्ति नहीं की गई।

लेखापरीक्षा को और दी गई सूचना (अक्तूबर, 2010) के अनुसार 98 पदों में से 33 पद (34 प्रतिशत) रिक्त थे।

(vi) अंबेडकर कॉलेज में तकनीकी कार्मिकों की कमी (पैरा 2.2.4.6): अंबेडकर कॉलेज में शिक्षण एवं तकनीकी कार्मिकों की कमी को इंगित किया गया। संस्वीकृत 109 में से 60 शिक्षण एवं तकनीकी पद रिक्त थे। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि इन रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

इस मामले में भी लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निदेशालय द्वारा भर्ती नियमों को अधिसूचित कर दिया गया था तथा शिक्षण कार्मिकों हेतु माँग स.लो.से.आ. को भेजी गई थी, परन्तु अक्तूबर 2015 तक कोई नियुक्ति नहीं हुई।

निदेशालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार (अक्तूबर 2015) संस्वीकृत 109 में से 52 शिक्षण एवं तकनीकी पद (48 प्रतिशत) रिक्त थे।

(vii) औजारों एवं उपकरणों की कमी (पैरा 2.2.5.2): अरब की सराय (ए.के.एस.), धीरपुर तथा सिरिफोर्ट की आई टी आई, एन सी वी टी की मानक औजार सूची के अनुसार औजारों एवं उपकरणों से सुसज्जित नहीं थे। विभाग ने कहा (जनवरी 201 4) कि इस उद्देश्य के लिए योजना निधियों को बढ़ाने हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने ''आई टी आई/बी. टी. सी. के आधुनिकीकरण एवं पुनः संरचना'' के अंर्तगत् स्कीम निधियों को थोड़ा सा बढ़ाया था। तथापि, चयनित आई टी आई नवंबर 2015 तक मानक औजार सूची (मा.औ.सू). से अभी तक पूरी तरह सुसज्जित नहीं थे, यद्दिप वहाँ निधियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत 2013–15 के दौरान ₹ 711 लाख आवंटित किया गया जिसमें से केवल ₹ 423.01 लाख (59 प्रतिशत) उपयोग किया गया।

चयनित आई टी आई में लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 2014–15 में उपशीर्ष "मशीनरी एवं उपकरण" के अंतर्गत बचतें 51 और शत प्रतिशत (धीरपुर व सिरिफोर्ट के आई टी आई को छोड़कर) के बीच थीं।

(viii) डीजल जनरेटर सैटों की गैर–उपलब्धता (पैरा 2.2.5.3): तीन आई टी आई (शाहदरा, सिरिफोर्ट तथा पूसा) में डीजल जनरेटर (डी.जी.) उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को डी.जी. सैंटो के लिए स्थान की उपलब्धता का निर्धारण करने हेतु अनुदेश दिए गए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अब आई टी आई शाहदरा में डी.जी. सैट उपलब्ध था। जबकि आई टी आई पूसा तथा सिरिफोर्ट के प्रधानाचार्यों ने कहा (अक्टूबर 2015) कि डी.जी. की

आवश्यकता नहीं थी।

(ix) प्रशिक्षण के लिए कच्चे माल तथा उपभोज्य वस्तुओं की कमी (पैरा 2.2.5.4): आई टी आई पूसा ने एक ट्रेड में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु कच्चे माल तथा उपभोज्य क्रय नहीं किए। विभाग ने कहा कि प्रधानाचार्यों को कच्चे माल/उपभोज्य की आवश्यकता का पहले ही आकलन करने के निर्देश दिए।

लेखापरीक्षा ने सत्यापन में देखा कि प्रशिक्षण के लिए कच्चा माल समय–समय पर क्रय किया गया, तथापि आई टी आई पूसा द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित 463 मदों का क्रय नहीं किया गया।

(x) नये आई टी आई की स्थापना तथा आई टी आई का नवीकरण (पैरा 2.2.6): बवाना तथा द्वारका में आई टी आई का निर्माण शुरु नहीं किया गया था तथा मंगोलपुरी में आई टी आई का निर्माण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मंगोलपुरी आई टी आई का निर्माण कार्य कर लिया गया तथा नया एकेडमिक सत्र भी 2015 में शुरू हो चुका था। लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त देखा कि बवाना और द्वारका के नए आई टी आई के निर्माण के मामले को बंद कर दिया गया था।

(xi) छतरपुर में आई टी आई (पैरा 2.2.6.1): विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण छतरपुर में आई टी आई का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका यद्यपि इस पर 2006 में विचार किया गया था। विभाग ने कहा कि आई टी आई के निर्माण का प्रस्ताव अभी तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/दिल्ली कैंसर सोसाइटी से प्रतीक्षित था। यह भी कहा गया कि मामले को प्रयुक्त भूमि की स्थिति को निश्चित करने हेतु उपायुक्त (दक्षिण) के साथ आगे बढ़ाया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भूमि के विनिमय का प्रस्ताव माननीय उप राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग को वन विभाग के साथ भूमि के स्वैपिंग हेतु आवेदन के लिए प्राधिकृत कर दिया (सितंबर 2015)।

(xii) रनहोला में आई टी आई (पैरा 2.2.6.2): निदेशालय को रनहोला में आई टी आई के लिए भूमि का आवंटन अगस्त 2002 में किया गया परन्तु निर्माण आरंभ नहीं किया गया। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सीमांकित भूमि की अभिन्यास योजना बी.डी.ओ. (नांगलोई) तथा लो.नि.वि. से प्रतीक्षित थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में कोई बहुत अधिक प्रगति नहीं थी। निदेशालय ने केवल सितंबर 2015 में अभिन्यास योजना प्रस्तुत करने हेतु लो.नि.वि. के साथ अनुपालन किया। लो.नि.वि. द्वारा अक्तूबर 2015 में अभिन्यास योजना प्रस्तुत की गई तथा भूमि के आवंटन के 14 वर्ष पश्चात तक भी निर्माण आरंभ किया जाना शेष था।

(xiii) शाहदरा में आई टी आई की नयी ईमारत का निर्माण (पैरा 2.2.6.3): वर्ष 2007 में प्रस्तावित शाहदरा में आई टी आई की नयी ईमारत नहीं बनी थी। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सलाहकार की नियुक्ति हेतु निविदाकरण प्रक्रियाधीन था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 38.38 लाख की व्यय संस्वीकृति को व्यापक सलाह सेवाओं हेतु जारी किया गया था (जून 2015) तथा सलाहाकार नियुक्त किया गया परन्तु निर्माण कार्य अक्टूबर 2015 तक शुरु नहीं किया गया।

(xiv) डिग्री कॉलेजों को पोलीटेक्निक्स का गैर–उन्नयन (पैरा 2.2.8.1): 2008–09 में कस्तूरबा महिला पोलिटेक्निक तथा अंबेडकर पोलिटेक्निक को डिग्री कॉलेजों के रूप में उन्नत करने का प्रस्ताव किया गया परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। विभाग ने कहा (जून 2013) कि पोलिटेक्निक्स के उन्नयन को वास्तविक रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि इसमें अतिरिक्त स्थान, अवसंरचना तथा कार्मिकों का उन्यन्न शामिल था।

उप निदेशक ने जून 2013 के अपने पूर्व उत्तर को दोहराते हुए कहा (अक्तूबर 2015) कि इन संस्थानों में बी.वोक. कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा था।

(xv) मशीनरी एवं उपकरणों की प्रतिस्थापना तथा आधुनिकीकरण (पैरा 2.2. 9): यह ध्यान दिलाया गया था कि पोलिटेक्निक्स के पास पाठ्यक्रम चलाए जाने के लिए मानक औजार सूची (मा.ओ.सू.) नहीं थी। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर आधारित थी।

ए.टी.एन में निदेशक (योजना) ने कहा कि पोलिटेक्नीकस को ए.आई.सी.टी.ई. मानक का पालन करना था और वहाँ मानक औजार सूची का कोई प्रावधान नहीं था और यह भी कहा कि मशीनों तथा उपकरणों की खरीद हेतु दो केन्द्रीकृत खरीद समितियाँ गठित की गई थी (सितंबर 2015)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निदेशालय प्रत्येक आई टी आई में निरीक्षण के द्वारा औजारों तथा उपकरणों की आवश्यकता का आश्वासन दे रहा था।

(xvi) आई टी आई शाहदरा का उत्कर्ष केन्द्र के रूप में उन्नयन (पैरा 2.2. 10.2): सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) के तरीके के अंतर्गत आई टी आई शाहदरा को हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के उत्कर्ष केन्द्र के रूप में विकसित नहीं किया गया। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि आई एम सी के अध्यक्ष ने ₹ 7.00 लाख की लागत पर बिना यथोचित प्रक्रिया अपनाए एक सलाहाकार की नियुक्ति की जिसके कारण अध्यक्ष तथा संस्थान/ निदेशालय के बीच विवाद हुआ।

उप–निदेशक (योजना) ने कहा (अक्टूबर 2015) कि राज्य संचालन समिति की बैठक अक्तूबर 2015 में की गई तथा नए उद्योग साझीदारों की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया गया।

(xvii) कंप्यूटर लैबों की गैर स्थापना (पैरा 2.2.14): किसी भी चयनित आई टी आई में कोई कंप्यूटर लैब स्थापित नहीं की गई। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि कंप्यूटर लैब की स्थापना प्रक्रियाधीन थी।

ए टी एन में उपनिदेशक (योजना) ने कहा (जुलाई 2015) कि सभी संस्थानों में कंप्यूटर लैबों के लिए कंप्यूटर तथा अन्य अवसंरचना की संख्या पर्याप्त थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि उप–निदेशक (योजना) ने सभी आई टी आई को कंप्यूटर लैब स्थापित करने के अनुदेश दिए (जनवरी 2014), चयनित आई टी आई में से केवल सिरिफोर्ट आई टी आई ने कंप्यूटर लैब स्थापित किया था।

ख. **सिफारिशः** सभी आई टी आई द्वारा भुगतान किए जा रहे विद्युत अनुबंध मांग तथा टैरिफ दरों की समीक्षा करना।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जिस पर कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई थी, निम्नवत हैः

संतोषजनक कार्यान्वयन/प्रगतिः

(i) **विद्युत् प्रभारों पर परिहार्य व्यय (पैरा 2.2.2.2)**: एन.डी.पी.एल ने पूसा पोलिटेकनीक पर गैर–घरेलू दरों से विद्युत् प्रभार उद्ग्रहीत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 56.64 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ। विभाग ने मामले को टाटा पॉवर, लो.नि.वि. तथा पॉवर विभाग के साथ उठाने का आश्वासन दिया (जनवरी 2014)।

पूसा पोलिटेकनीक के प्रधानाचार्य ने मामला टाटा पॉवर के समक्ष उठाया तथा कानूनी कार्रवाई के लिए जुलाई 15 में नोटिस जारी कर दिया। टाटा पॉवर ने अक्तूबर 2015 में सूचना दी कि मामला विचाराधीन था।

हालांकि, निदेशालय ने, जैसा आश्वासन दिया था, वसूली के मामले को पॉवर विभाग के समक्ष नहीं उठाया। टाटा पॉवर को भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली अभी तक बकाया थी (नवंबर 2015)। लेखापरीक्षा ने देखा (नवंबर 2015) कि चयनित पाँच आई टी आई ने विद्युत की अनुबंध मांग तथा टैरिफ दरों हेतु समीक्षा करने के लिए कार्रवाई आरंभ की थी।

ग. **सिफारिशः** स्कूल के बच्चों में विभिन्न ट्रेड के क्षेत्रों की जानकारी फैलाने के लिए कदम उठाना तथा आई टी आई में ड्रापआउट दर को रोकने हेतु दाखिले से पहले तथा बाद में सभी संस्थानों में काउंसलिंग का प्रबंध करना।

इस सिफारिश के अंतर्गत कार्रवाई योग्य लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की स्थिति निम्नवत हैः

संतोषजनक कार्यान्वयन/प्रगतिः

(i) **आई टी आई में प्रशिक्षार्थियों का दाखिला तथा छोड़ना (पैरा 2.2.3)**: पाँच चयनित आई टी आई में ड्रापओउट दर 16 से 23 प्रतिशत की रेंज में थी। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को 'दाखिला अभियान' पर कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु अनुदेशित किया गया था।

सहायक निदेशक (शैक्षिक) ने जनवरी 2014 में सभी आई टी आई को जानकारी तथा दाखिला अभियान आरम्भ करने हेतु अनुदेश जारी किए। तथापि सिवाए सिरीफोर्ट के, चयनित आई टी आई[78] ने निर्देशों का पालन नहीं किया।सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) ने ए.टी.एन. में कहा कि ड्रापआउट की स्थिति को भांपते हुए प्रत्येक ट्रेड में 30 प्रतिशत अधिक दाखिले किए गए थे तथा सभी प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षार्थियों को जानकारी देने हेतु अनुदेशित किया गया था। फिर भी लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच चयनित आई टी आई में 2013–15 की अवधि के लिए ड्रापआउट दर 25.4 प्रतिशत की रेंज तक थी।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त देखा कि न तो आई टी आई ने जानकारी फैलाने तथा दाखिला अभियान से संबंधित कोई अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही शैक्षिक शाखा ने इसको प्राप्त करने की कोशिश की।

[78]1. आई टी आई पूसा 2. आई टी आई अरब की सराय 3. आई टी आई शाहदरा 4. आई टी आई सिरिफोर्ट तथा 5. आई टी आई धीरपुर

घ. **सिफारिशः** ट्रेड एवं इकाईयों की उच्च प्राथमिकता देना।

इस सिफारिश के अंतर्गत कार्रवाई योग्य लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की स्थिति निम्नवत है:

संतोषजनक कार्यान्वयन/प्रगतिः

(i) असंबद्ध ट्रेड तथा इकाईयाँ (पैरा 2.2.11): आई टी आई में लम्बे समय से चल रहे विभिन्न ट्रेड एन सी वी टी से संबद्ध नहीं थे। विभाग ने कहा कि सभी प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे कि कोई ट्रेड असंबद्ध नहीं रह गया है।

ए टी एन में सहायक निदेशक (परीक्षा) ने कहा (जुलाई 2015) कि असंबद्ध प्राप्त करने हेतु आई टी आई को अनुदेश जारी किए गए थे। तथापि कुल 17 में से 15 आई टी आई सी वी टी के साथ असंबद्धता के सभी मानकों को पूरा नहीं करते थे। निदेशालय की लेखापरीक्षा ने देखा कि भा.स. के प्रशिक्षण महा–निदेशालय ने 2015–16 सत्र के लिए पुनः असंबद्ध कराए बिना आई टी आई में दाखिलों की अनुमति देने की सहमति दी थी (जून 2015)।

लेखापरीक्षा नें यह भी देखा कि निदेशालय ने सभी आई टी आई को भारतीय गुणवत्ता परिषद (भा.गु.प.) के माध्यम से एन सी वी टी के साथ ट्रेड की पुनः संबद्धता के अनुदेश जारी किए थे (अप्रैल 2014), फिर भी केवल दो आई टी आई[79] ने सितंबर 2014 में ट्रेड की पुनः संबद्धता हेतु भा.गु.प. में आवेदन किया, परन्तु केवल सिरिफोर्ट आई टी आई के ट्रेड को पुनरूसंबद्धित किया गया। शेष आई टी आई उपकरणों तथा मशीनरी और अन्य अवसंरचना जैसे कंप्यूटर लैब कार्मिक की कमी इत्यादि की कमियों के कारण पुनरूसंबद्ध ता हेतु आवेदन नहीं कर सके।

दो आई टी आई[80] टिन की छत वाली ईमारत में चल रहे हैं और आई टी आई शाहदरा की ईमारत लम्बे समय से जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी इसलिए ये आई टी आई अपने ट्रेड की पुनः असंबद्धता के अधिकारी नहीं थे।

(ii) विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत उ.के. के कार्यान्वयन में त्रुटियाँ (पैरा 2.2. 10 तथा 2.2.10.1): उत्कर्ष केन्द्र (उ.के.) स्कीम के अंतर्गत तीन आई टी आई में आरंभ किया कोई भी ट्रेड एन सी वी टी के साथ संबद्ध नहीं था। आई टी आई पूसा अरब की सराय तथा धीरपुर में कुछ त्रुटियाँ थीं। विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि सभी प्रधानाचार्यों को आई टी आई के उन्नयन तथा मशीनों व उपकरणों की कमी से संबद्धित निर्देश जारी किए जा रहे थे।

सहायक निदेशक (परीक्षा)ने सभी प्रधानाचार्यों को मार्च 2013 तक मॉड्यूल की एन सी वी टी संबद्धता प्राप्त करने के लिए डी जी ई एवं टी को कार्रवाई योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए (दिसम्बर 2012)। फिर भी, चयनित आई टी आई द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई योजना प्रस्तुत नहीं की गई।

ए टी एन के अनुसार अगस्त 2015 से उ.के. स्कीम को शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (शि.प्रशि. स्की.) में परिवर्तित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित आई टी आई में अभी तक मशीनों व उपकरणों की कमी जारी थी।

[79]आई टी आई धीरपुर तथा सिरिफोर्ट

[80]तिलक नगर (महिलाऐं) तथा मोरीगेट (महिलाऐं)

अभीष्ठ क्षेत्रों में पूरी प्रगतिः

(i) नये ट्रेड के शुरूआत करने में कमी (2.2.7.1): डी.जी.ई.एंड.टी. द्वारा चिन्हित 32 नए ट्रेड जिनकी शुरूआत होनी थी, में से केवल 13 आरंभ किए गए। विभाग ने कहा था (जनवरी 2014) कि इस संबंध में एक समिति गठित की जाएगी।

समिति जनवरी 2014 में गठित की गई तथा उसकी सिफारिशों पर 2015–16 के सत्र में कुछ ट्रेड को हटाया गया तथा नये ट्रेड आरंभ किए गए।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक सिफारिश जैसे 'ट्रेड तथा इकाईयों की संबद्धता को उच्च प्राथमिकता देना' से संबंधित एक अभ्युक्ति पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया था; जबकि तीन सिफारिशों नामतः (i) ''विद्युत की संविदा माँगो तथा टैरिफ दरों की समीक्षा'', (ii) ''स्कूल के बच्चों के बीच विभिन्न ट्रेड क्षेत्रों की जानकारी फैलाने के लिए कदम उठाना तथा आई टी आई में ड्रापआउट दर को रोकने के लिए काऊंसलिग का प्रबंध करना'', तथा (iii) ''गुणवत्ता प्रशिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नेशनल काऊंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रैनिंग (एन् सी वी टी) के मानकों तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ एंप्लोएमेंट एंड ट्रेनिंग (डी जी ई एंड टी) के मानकों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराना'' को 21 अभ्युक्तियों के मामले में आंशिक रुप से कार्यान्वित पाया गया तथा एक अभ्युक्ति ''ट्रेड में उपयुक्त अवसंरचना के बिना 106 नई इकाईयों की शुरूआत'' को कार्यान्वित नहीं किया गया।

मामला सरकार को जनवरी 2016 में भेजा गया, उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

नई दिल्ली
दिनांक: 06 मई 2016

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 06 मई 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 2.1

सहायक उपकरणों एवं रिजेन्ट की अनुपलब्धता

(पैराग्राफ 2.1.4.4 (i) को देखें)

क्र. स.	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	संस्थापन की तिथि	मात्रा	लागत (₹ में)	तिथि जब से उपयोग में नही है	दिनों की संख्या जब उपभोग्य वस्तुये अनुपलब्ध थी
			सी जी एस एच				
1.	पैथ लैब	फूली आटोमेटिक डिफरेनशियल हेमाटोलाजी अनालाइजर	मांग की तिथि 24.06.2010	01	3,92,000	03.06.2014 से 18.06.2014	रीजेन्ट की अनुपलब्धता (15 दिन)
2.	–वही–	फूली आटोमेटिक वायोकेमिस्ट्री अनालाइजर	07.04.2011	01	4,72,000	18.07.2013 से 31.08.2013 तथा 25.01.2014 से 25.05.2014	उपभोग्य मदों की अनुपलब्धता आर्म क्रैश्ड (43 दिन और 120 दिन)
3.	पैथ लैब	डी एस एस अनालाइजर	मांग की तिथि 28.02.2011	01	4,70,000	19.12.2014 से 31.8.2015	उपभोग्य वस्तुओं की अनुपलब्धता (255 दिन)
			बी एस ए एच				
4.	औषधि	कार्डियक मॉनीटर	15.06.2007	01	3,99,900	27.05.2015 से31.8.2015	एस पी 02 प्रॉब की अनुपलब्धता (96 दिन)
			डी डी यू एच				
5.	औषधि आपातकालीन वार्ड	ए ई डी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन डिफिबलेटर	01.09.2010	01	1,94,040	13.09.2012 से 31.8.2015	उपभोग्य में नहीं क्योंकि सहायक उपकरण अनुपलब्ध (1083 दिन)
6.	.–वही–	ए बी जी मशीन	09.04.2009	01	3,40,000	13.09.2012 से 31.8.2015	मशीन कार्य कर रही है परन्तु सहायक उपकरण उपलब्ध नहीं है। (1083 दिन)
7.	हताहत	अल्ट्रासोनिक नेबुलाईजर	05.08.2011	02	3,99,800	10.01.2014 से 31.8.2015	सहायक उपकरणों की कमी के कारण उपयोग में नहीं (598 दिनों)
8.	–वही–	रैपिड इनफ्युजन पम्प	14.07.2011	02	3,26,000	22.05.2012 से 31.8.2015	सहायक उपकरणों की कमी के कारण उपयोग में नहीं (1196 दिन)

क्र. स.	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	संस्थापन की तिथि	मात्रा	लागत (₹ में)	तिथि जब से उपयोग में नही है	दिनों की संख्या जब उपभोग्य वस्तुये अनुपलब्ध थी
9.	–वही–	मोबाईल लेबुलेटर किट	23.08.2011	01	4,83,060	22.05.2012 से 31.8.2015	सहायक उपकरणों की कमी के कारण उपयोग में नही (1196 दिन)
10.	–वही–	ए इ डी इ इलैक्ट्रोलेटर	11.12.2010	01	1,94,040	30.10.2012 से 31.8.2015	सहायक उपकरणओं की कमी के कारण उपयोग में नही (1036 दिन)
11.	–वही–	कार्डियक मॉनीटर	14.07.2011	02	7,80,000	18.09.2012 से 31.8.2015	बैटरी तथा अन्य उपकरण खराब हैं। (1088 दिन)
12.	औषधि आपातकालीन वार्ड	मोबाईल लेबोरेटरी किट	23.08.2011	01	4,83,060	13.09.2012 से 31.8.2015	(1083 दिन)
13.	–वही–	रैपिड इन्फ्युजन पम्प	06.04.2011	01	1,63,000	1.09.2012 से 31.8.2015	(1070 दिन)
14.	–वही–	अल्ट्रासोनिक नेबुलाईजर	06.04.2011	01	1,99,900	13.09.2012 से 31.8.2015	(1083 दिन)
				जी टी बी एच			
15.	डी इ एम सेन्टर एन्डोक्राइन (औषधि)	ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के लिए एच पी एल सी उपकरण	07.07.2011	01	18,42,345	20.09.2014 से 09.12.2014	रिजेन्ट की अनुपलब्धता (79 दिन)
16.	सी सी यू	थ्री पैरा मॉनीटर (बैलचैलिस) (1,99,000 x 2)	27.04.2010	01	3,98,000	1.4.12 से 31.8.2015	सहायक उपकरणों का केबल टूटा हुआ अस्पताल द्वारा प्राक्कलन औपचारिकता की 8/15 तक अस्वीकृति। (1218 दिनों)
17.	सी सी यू	कार्डियक मॉनीटर (एन डब्ल्यू ओवरसीज) (3,90,000 x 2)	13.10.2011	02	7,80,000	1.2.2014 से 31.8.2015	सहायक उपकरणों की खरीद, कम्पनी से प्राप्त कागजात 8/15 तक पूरे नहीं (577 दिन)
			योग	**21**	**83,17,145**		

अनुलग्नक 2.2
उपकरणों की निष्क्रियता
(पैराग्राफ 2.1.4.4 (iii)) को देखे)

क्र.सं.	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	संस्थापन की तिथि	संख्या	राशि (₹ में)	तिथि जब से कार्यशील नही है	माह
			बी एस ए एच				
1.	आँख	फैको मशीन	23.03.2008	01	4,99,800	22.01.2015 से	7
2.	इ एन टी	माईक्रो ड्रील बेन एयर	31.07.2006	02	4,94,000	14.12.2012 से	33
3.	औषधि	आई सी यू इलेक्ट्रोनिक बेड	08.12.2005	01	3,94,000	07.11.2014 से	10
4.	–वही–	आई सी यू इलेक्ट्रोनिक बेड	08.12.2005	01	3,94,000	07.11.2014 से	10
5.	–वही–	ई सी जी मशीन	22.11.2005	01	2,25,000	12.06.2015 से	3
6.	–वही–	सेन्ट्रल मॉनीटर	21.03.2007	01	4,99,000	08.06.2015 से	3
7.	औषधि वार्ड–I	कार्डियक मॉनीटर	23.06.2008	01	2,64,000	11.02.2015 से	7
8.	नर्सरी प्रथम	बिलिरोबिनो मीटर	11.11.2005	01	2,13,500	18.12.2011 से	44
9.	ऑर्थोपेडिक्स	बेड पैन वाशर	12.10.2006	01	3,25,000	15.07.2012 से	38
10.	–वही–	ड्रिल एण्ड सॉ सिस्टम	07.03.2006	01	1,88,666	11.05.2015 से	4
11.	–वही–	कास्ट कटर सॉ	02.05.2006	02	1,10,984	12/2012 से	33
12.	जी ओ पी डी	एन आई बी पी मशीने	05.12.2008	02	3,96,000	25.10.2014 से	10
				15	**44,97,950**		
			डी डी यू एच				
13.	ऑर्थो फिजियोथेरेपी	पब्ड एस डब्ल्यू डी	26.06.2007	01	3,58,000	30.12.2013 से	20
14.	अनेसथेशिया मुख्य ओ टी–I	ऑटोक्लेव हाईस्पीड मशीन	19.11.2004	01	1,78,000	28.01.2015 से	7
15.	–वही–	प्रीमियम मेडिसिस अनेसथेशिया मशीन	29.03.2003	01	1,04,000	20.11.2013 से	9
16.	–वही–	न्यूरो सर्जिकल बेड	20.06.2008	04	3,05,000	16.09.2013 से	24
17.	आपातकालीन ट्रामा ओ टी (सर्जरी)	इलेक्ट्रो सर्जरी एम–10552	08.02.2006	01	3,95,400	03.01.2014 से	20
18.	ई एन टी ओ टी/एम ओ टी	स्टेप आइडेक्टेमी ड्रिल	28.01.2009	01	2,95,000	18.02.2015 से	6
19.	–वही–	डिफिब्रिलैटर	25.02.2008	01	2,80,000	17.12.2013 से	20
20.	–वही–	मोबाईल लाईटडिफिब्रिलैटर	14.08.2008	01	2,95,000	28.09.2013 से	23

क्र.सं.	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	संस्थापन की तिथि	संख्या	राशि (₹ में)	तिथि जब से कार्यशील नही है	माह
21.	–वही–	फोम्ड लैबोरेटरी फ्रिज	04.05.2009	01	2,80,000	20.09.2014 से	12
22.	–वही–	एन आई बी पी मॉनीटर	20.04.2006	01	1,85,000	29.09.2014 से	12
23.	–वही–	वाइटल सिंग मॉनीटर	26.04.2008	01	1,62,000	01.10.2013 से	23
24.	प्रसूति–विज्ञान एवं स्त्रीरोग ओ पी डी–6	विडियो कोलपोस्कोप	06.10.2008	01	3,95,000	26.08.2014 से	12
25.	–वही–	इग्जामिनेशन लाईट	मार्च 2009	01	1,80,000	31.05.2014 से	15
26.	–वही–	इग्जामिनेशन लाईट	मार्च 2009	01	1,80,000	31.05.2014 से	15
27.	–वही–	इग्जामिनेशन लाईट	मार्च 2009	01	1,80,000	31.05.2014 से	15
28.	–वही–	ट्रॉमा स्ट्रेचर हाईड्रॉलिक कैली ऑपरेटेड	जूलाई 2008	01	4,75,000	01.10.2013 से	23
29.	एस एल आर–II	इग्जामिनेशन लाईट	20.12.2008	01	1,80,000	16.02.2014 से	18
				20	**44,27,400**		
			जी बी पी एच				
30.	रेडियोलॉजी	1000 एम ए एक्स रे यूनिट, वाई एस एफ 120 बी ए आर 3000	23.04.2004	01	1,41,70,300	20.10.2014 से	10
31.	न्यूरोलॉजी (ऑक्युपेशन थेरेपी)	बैलेंस मास्टर पी के 200	19.09.2005	01	4,50,000	04.02.2014 से	18
32.	–वही–	रेहब ट्रेडमिल आर टी एम–400	19.09.2005	01	4,85,510	23.01.2015 से	8
33.	–वही–	एफ ई एस विद बायोफीडबैक	30.03.2006	01	3,98,772	19.06.2014 से	14
34.	न्यूरोलॉजी (फिजियोथेरेपी)	एस डब्ल्यू डी डी एक्स 500	22.03.2006	01	4,01,310	11/2011 से 3/2013 तक	17
35.	–वही–	ई एम जी बायो फीडबैक फोनिस्क यू एस बी	24.07.2007	01	3,98,772	01.01.2013 से	32
36.	–वही–	इलेक्ट्रीकल मसल स्टीम्युलेटर–4 चैनल	14.07.2004	01	1,11,972	01.01.2010 से	6857
				7	**1,64,16,636**		
			जी टी बी एच				
37.	डेंटल	कम्प्रेशर स्टूल के साथ डेंटल चेयर	30.03.2010	01	1,34,200	01.04.2015 से	4
				1	**1,34,200**		
			लोक नायक अस्पताल				

क्र.सं.	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	संस्थापन की तिथि	संख्या	राशि (₹ में)	तिथि जब से कार्यशील नही है	माह
38.	ऑर्थो ओ टी	ऑर्थोस्कोपी	29.09.10	1	1,20,000	09.09.2014 से	10
39.	ऑर्थो ओ टी	न्यूमैटिक पावर सिस्टम	25.07.09	1	36,60,000	01.01.2012 से	44
40.	लेबर रुम	यू एस जी मशीन (2391000 जापानी येन)	10.03.04	1	61,32,915	01.07.2014 से	16
41.	–वही–	औषधि रेफ्रिजिरेटर	10.07.07	1	1,95,020	01.10.2014से	11
42.	–वही–	सी टी जी मशीन	28.02.12	1	2,49,000	01.10. 2014से	11
43.	आपातकालीन माइक्रोबायोलॉजी	लैब आर ओ डी–I अल्ट्रा	09.01.2009	1	2,65,000	01.01.2010 से	68
44.	आपातकालीन माइक्रोबायोलॉजी	वर्टिकल ऑटोक्लेव	12.07.2002	1	36,000	01.06.2013 से	27
45.	आपातकालीन माइक्रोबायोलॉजी	बायो सेफ्टी कैबिनेट	04.08.2003	1	89,475	01.01.2012 से	44
46.	ऑर्थो एक्स रे	एस टी–20–2 सं. पोर्टिबल एक्स यूनिट	02.01.1992	1	61,568	01.07.2014 से	16
47.	आर्थो एक्स	टी–6 आर मल्टी एक्स रे यूनिट	03.03.1992	1	,.	01.04.2014 से	16
48.	पैथोलॉजी	इ एस आर अनालाईजर	2002, 2005 तथा 2006	3	5,91,000	01.10.2014 से	11
49.	पैथोलॉजी	यूरिन केमिस्ट्री अनालाईजर	2006	2	3,60,000	01.01.2010 से	68
				15	**1,17,59,978**		
			कुल योग	**58**	**3,72,36,164**		

अनुलग्नक 2.3
चयनित परियोजनाओं की सूची
(पैराग्राफ 2.3.1.3 को देखें)

क्र.सं	परियोजना का नाम	सौंपी गई लागत (₹ करोड़ में)
1.	द्वारका में 55 एमजीडी डब्लयू.टी.पी. का निर्माण, अपरिष्कृत जल पम्प हाउस, अपरिष्कृत जल के दोहरे साधन एवं साफ पानी के साधन	
	पैकेज I ए – पम्प हाउस एवं अपरिष्कृत जल के साधन	202.50
	I बी–अपरिष्कृत जल के साधन	156.00
	पैकज II – द्वारका में 50 एमजीडी डब्लयू.टी.पी का निर्माण	209.58
	पैकेज III – साफ पानी के साधनो को बिछाना	133.50
2.	निलोठी फेज–II में डी.ओ.बी. के आधार पर 20 एम जी डी सीवेज संसाधित उपचार संयंत्र का परीक्षण काल एवं दूसरे संबंधित कार्यो के लिए 101 वर्ष हेतु डिजाईन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना जाँच, चालू होना, पूर्व परीक्षण एवं रखरखाव	261.50
3.	पप्पनकलाँ फेज II में डी.ओ.बी आधार पर 20 एमजीडी सीवेज संसाधित उपचार संयंत्र का परीक्षण काल एवं दूसरे सम्बन्धित कार्यो के लिए 101 वर्ष हेतु डिजाईन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, जाँच, चालू होना, पूर्व परीक्षण एवं रखरखाव	243.50
4.	निलोठी डब्लू डब्लू टी पी के अधीन मोहन गार्डेन ग्रुप कालोनी में इन्टरसेप्टर सीवर में डालने हेतु सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराना	228.40
5.	प्रीत विहार, नई दिल्ली में डिजाइन, निर्माण एवं संचालित आधार पर 53.5 एम जी डी सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं दूसरे सहायक/आनुषंगिक कार्य	127.00
6.	दिल्ली में करावल नगर, मुस्तफाबाद एवं क्षेत्र II यमुना जलग्रहण क्षेत्र के उपक्षेत्र स.–2 में गोकुल पुर विधानसभा क्षेत्रों की कालोनियों में 280 मिमी. व्यास से 710 व्यास के आंतरिक परिधीय सीवर लाईन को मुहैया कराना व बिछाना	116.98
7.	निहाल विहार में सीवर सुविधाओं को मुहैया कराना	111.87
8.	क्षैत्र I, II, V, VII तथा VII हेतु पानी टैंकर आपूर्ति सेवाएँ (डब्लू टी एस एस)	637.23
9.	दिल्ली गेट (पी एच–II) में 15 एमजीडी एसटीपी का डिजाईन, निर्माण, चालू होना, संचालन एवं रखरखाव	203.70
10.	कोण्डली, दिल्ली में डिजाईन, निर्माण एवं संचालन आधार पर 45 एमजीडी सीवेज संसाधित संयंत्र एवं दूसरे सम्बन्धित सहायक/सम्बद्ध कार्यो का निर्माण	111.73
11.	सूक्ष्म सुरंग विधि के द्वारा वजीराबाद रोड के सीवर का मुहैया किया जाना/बिछाना	101.36
12.	हैदरपुर से वजीराबाद तक दोहरे अपरिष्कृत जल के साधन का मुहैया किया जाना/बिछाना (पैकेज–I)	152.75
	हैदरपुर से वजीराबाद तक दोहरे अपरिष्कृत जल के साधन का मुहैया किया जाना/बिछाना (पैकेज–II)	121.00
13.	भागीरथी डब्लू.टी.पी में एस.सी.ए.डी.ए., प्रणाली के 10 वर्षो हेतु डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति जाँच, चालू होना, पूर्व परीक्षण, संचालन एवं रख रखाव	271.80
14.	केशवपुर में 12, 20 एवं 40 एम.जी.डी एसटीपी का तोड़ा जाना/डिजाईन/निर्माण	187.50
15.	वजीराबाद में वी.टी पम्प की पुनः स्थापना	131.50
16.	ओखला में 40 एम.जी.डी डब्लू टी.पी का निर्माण	116.00
17.	मालवीय नगर यू.जी.आर नियंत्रण क्षेत्र के अधीन जल वितरण नेटवर्क की क्षमता को सुधारने हेतु पायलट परियोजनाा	171.72
18.	महरौली परियोजना क्षेत्र एवं बसंत विहार परियोजना क्षेत्र में जल आपूर्ति हेतु सेवा स्तर में सुधार	201.00

क्र.सं	परियोजना का नाम	सौंपी गई लागत (₹ करोड़ में)
19.	नांगलोई जल संसाधित संयंत्र के नियंत्रण क्षेत्र के अधीन वर्तमान जल आपूर्तिए संचार एवं वितरण नेटवर्क का सुधार व अच्छी तरह से मरम्मत	652.32
20.	नजफगढ में इन्टरसेप्टर सीवेरेज प्रणाली के बिछाने का परामर्श	125.46
21.	15 मिमी आकार के पानी के मीटर की आपूर्तिए स्थापना एवं 7 वर्षो के लिए रखरखाव	
	पैकेज–I (मीटरों का 60 प्रतिशत)	151.00
	पैकेज–II (मीटरों का 40 प्रतिशत)	101.00
22..	दिल्ली में ट्रंक सीवरेज प्रणाली का नवीनीकरण (पैकेज 5– जेल दिल्ली)	68.66
23.	दिल्ली में ट्रंक सीवरेज प्रणाली का नवीनीकरण (पैकेज 3– पश्चिमी दिल्ली)	69.00
24.	द्वारका विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाईन को मुहैया किया जाना/ बिछाना	58.92
25.	कल्याणपूरी में 70 एमजीडी एसपीएस का निर्माण	87.76
26.	एस.टी.पी चिला में 9 एमजीडी का निर्माण	69.06
27.	बटला हाउस में आंतरिक सीवर परिधीय लाइन को मूहैया करना/बिछाना	52.78
28.	समयपुर कालोनी में 280 से 1100 मिमी के आंतरिक परिधीय सीवर को मुहैया करना/ बिछाना	84.98
29.	गोकूलपुर में सीवर लाइन का मुहैया किया जाना/बिछाया जाना	54.63
30.	रिंग रोड सीवर का पुनः स्थापना	
	अंश ए	43.79
	अंश बी	63.80
31.	यमुना विहार में 25 एमजीडी एसटीपी का निर्माण	62.04
32.	पानी टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली हेतु कार्यान्वयन एजेंसी एवं कार्यान्वयन सहायता	61.45
33.	ओखला में 30 एमजीडी एसटीपी का निर्माण	149.50
34.	14 भूमिगत जलाशयों का निर्माण	
	नांगलोई (निलोठी)	43.15
	बवाना बी पी एस	15.00
	सुल्तानपुर डबास बी पी एस	4.21
	कुतुबगढ बी पी एस	6.95
	अवंतिका	17.20
	पीतमपुरा	19.60
	जनकपुरी बी पी एस	10.90
	दौलत पुर	5.31
	नरेला बी पी एस	7.82
	पल्ला में एम बी आर	नहीं लिया गया
	कीर्ति नगर बी पी एस	9.64
	शकूर बस्ती	नहीं लिया गया
	रोहिणि सैक्टर –7 बी पी एस	11.90
	करावला में यू जी आर एवं बी पी एस	25.51

अनुलग्नक 2.4
लेखापरीक्षा द्वारा दौरा किए गए समतल स्तर पार्किंग स्थल
(पैराग्राफ 2.4.5.2 को देखें)

क्र.स.	पार्किंग स्थल का नाम	दि.न.नि. का नाम
1.	तिब्बत मार्किट, मोनेस्टरी	उ.दि.न.नि.
2.	दंगल मैदान	
3.	झील, प्रसाद नगर, करोल बाग	
4.	कालरा अस्पताल, कीर्ति नगर	
5.	अजमेरी गेट से हमदर्द चौक	
6.	बतरा सिनेमा कमर्शियल काम्पलैक्स	
7.	कुतुब रोड़, तांगा स्टैंड के पास	
8.	दि.न.नि. की पुरानी हिंदू कॉलेज ईमारत से कश्मीरी गेट वाइन शॉप	
9.	मेन मार्किट मॉडल टाऊन–II	
10.	राधा मोहन क्लब	
11.	अजमेरी गेट से लाहौरी गेट	
12.	उपहार सिनेमा	द.दि.न.नि.
13.	जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर	
14.	लोधी रोड इंस्टीट्यूशनल एरिया I व II	
15.	सी सी जे ब्लाक, साकेत	
16.	नत्थू स्वीटस कालकाजी बस डिपो के पास तथा ओखला फेस–II के ब्लाक रोड पर	
17.	एच ब्लाक, सरिता विहार	
18.	सी ब्लाक, वसंत विहार	
19.	मेंन मार्किट, राजौरी गार्डन	
20.	एस डी ए मार्किट, रोज गार्डन	
21.	निगम पार्क के चारो तरफ कैलाश कॉलोनी मार्किट	
22.	अरविन्दों प्लेस मार्किट	
23.	सराय काले खाँ, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनके पास	
24.	घटा मस्जिद, दरिया गंज	
25.	सोनिया पी वी आर, विकास पुरी	
26.	मुनीरका पुल के नीचे	
27.	कुकरेजा अस्पताल	
28.	ओखला फेस III, ब्लाक रोड	
29.	डिस्ट्रिकट सेंटर साकेत, नाले के साथ	
30.	क्रास रिवर मॉल कड़कड़डूमा	पू.दि.न.नि.
31.	पुराना उसमानपुर पाइप लाइन, जगजीत नगर	
32.	गीता कॉलोनी, सब्जी मंडी समुदाय भवन के पास	
33.	शास्त्री नगर, समुदाय हॉल के सामने	
34.	प्रीत विहार, डी डी ए समुदाय केंद्र	
35.	सीलमपुर, एस डी एम कार्यालय के पीछे	

अनुलग्नक 3.1
लेखापरीक्षा हेतु चयनित सेवाओं और विभागों की सूची
(पैराग्राफ 3.6 को देखें)

क्र. सं.	विभाग	अधिसूचित सेवा	सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित दिन
1.	औषधि नियंत्रण	केमिस्ट को लाईसेंस देना	35
		होम्योपैथिक औषधि की बिक्री के लिए लाईसेंस देना	35
		शिड्यूल एक्स औषधि की बिक्री के लिए लाईसेंस देना	35
		सक्षम व्यक्ति का बदलाव अनुवृद्धि, विलोपन	60
		पंजीकृत फर्मासिस्ट का बदलाव अनुवृद्धि, विलोपन	60
		लाईसेंस का नवीनीकरण	35
2.	दिल्ली जल बोर्ड	जल कनेक्शन का काटना	15
		जल कनेक्शन का नामांतरण	15
		नया घरेलू जल कनेक्शन	35
3.	उच्चतर शिक्षा	अदेयता प्रमाण–पत्र का निर्गमन	5
4.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा	प्रव्रजन प्रमाण–पत्र का निर्गमन	7
		योग्यता प्रमाण–पत्र का निर्गमन	30
5.	महिला एवं बाल विकास	अनाथ बालिकाओं को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी	60
		गरीब विधवाओं को उनके बेटी का विवाह के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी	60
		विधवाओं/विपत्तिग्रस्त महिलाओं को पेंशन की मंजूरी	45
6.	शिक्षा निदेशालय	निजी विद्यालयों को मान्यता	120
7.	सूचना प्रौद्योगिकी	विक्रेताओं का ई–प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण	3
8	व्यापार एवं कर	डी वैट एवं सी एस टी के लिए पंजीकरण	15
		डी वैट पंजीकरण का निरस्तीकरण	15
		अनियमित व्यापारियों का पंजीकरण	7
9.	आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर	शराब (पी–115) के वहन के लिए लाईसेंस	30
		एल–30 लाईसेंस का निर्गमन	15
		पी–10 परमिट का निर्गमन	4
		पी–13 परमिट का निर्गमन	6
		शराब (पी–114) के आयात हेतु परमिट	30

अनुलग्नक 3.2
ई–एस एल ए पर प्रक्रिया नही की जाने वाली सेवाओं की सूची
(पैराग्राफ 3.6.1.1 को देखें)

क्र.सं.	विभाग	सेवा
1.	औषधि नियंत्रण	1. सक्षम व्यक्ति का बदलाव अनुवृद्धि / विलोपन
		2. पंजिकृत फार्मेसीस का बदलाव अनुवृद्धि / विलोपन
		3. लाईसेंस का नवीनीकरण
2.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा	1. माइग्रेशन प्रमाण–पत्र का निर्गमन
		2. योग्यता प्रमाण–पत्र का निर्गमन
3.	महिला एवं बाल विकास	1. अनाथ बालिकाओं को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी
		2. गरीब विधवाओँ को उनके बेटी की विवाह के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी
		3. विधवाओं / विपत्तिग्रस्त महिलाओं को पेंशन की मंजूरी
4.	उच्चतर शिक्षा निदेशालय	1. अदेयता प्रमाण–पत्र का निर्गमन

अनुलग्नक 3.3

सेवा प्रदान करने में देरी तथा क्षतिपूरक लागत जिसका भुगतान तथा वसूली नहीं हुई

(पैराग्राफ 3.6.4.1 को देखें)

विभाग	सेवा	सेवा प्रदान करने हेतु समय दिनों में	ई एस एल ए पर प्रक्रिया किए गए मामले	विलंबित मामले	अधिकतम देरी (दिनों में)	क्षतिपूरक लागत (₹ में)
व्यापार एवं कर	डी वैट तथा सी एस टी हेतु पंजीकरण	15	2,24,370	14,453	881	23,77,870
	डी वैट पंजीकरण का रद्दीकरण	15	6,451	2,915	274	
	सामायिक विक्रेताओं का पंजीकरण	7	1,387	481	280	
आबकारी, मनोरंजन तथा विलासिता कर	शराब (पी–115) हेतु लाईसेन्स	30	8,90,309	0	0	34,070
	एल–30 लाईसेंस का निर्गमन	15	849	227	433	
	पी–10 परमिट का निर्गमन	4	33,563	111	53	
	पी–13 परमिट का निर्गमन	6	48,416	122	17	
	शराब (पी–114) के आयात हेतु परमिट	30	29,638	0	0	
शिक्षा निदेशालय	निजी विद्यालयों की मान्यता	120	38	25	845	4,890
दिल्ली जल बोर्ड	जल कनेक्शन काटना	15	1,372	193	981	8,58,890
	जल कनेक्शन का नामान्तरण	15	2,949	1,233	1004	
	नया घरेलू जल कनेक्शन	35	17,260	3,894	1202	
औषधि नियंत्रण	केमिस्ट को लाइसेंस प्रदान करना	35	5,510	58	13	1,420
	होम्योपैथिक औषधि की बिक्री हेतु लाईसेंस प्रदान करना	35	14	02	02	
	अनुसूची एक्स औषधि की बिक्री हेतु लाईसेंस प्रदान करना	35	11	0	0	
	योग		**12,62,137**	**23,714**		**32,77,140**

अनुलग्नक 3.4
ओएचबी–I तथा पीओएस/एसएच में अपर्याप्त आवास
(पैराग्राफ 3.16.3.1 को देखें)

(क्षेत्र वर्गफीट में)

स्थान	50 जे सी एल मानदण्डों के अनुसार क्षेत्र	वास्तविक उपलब्ध क्षेत्र	क्षेत्र की कमी
दिल्ली गेट में ओएचबी–I			
रोगी कक्ष	3,750	680.76	3,069.24
कार्यालय कक्ष	500	138.20	361.80
कार्यशाला	3,750	886.61	2,863.39
मैगजीन रोड, दिल्ली में पीओएस एवं एसएच			
क्लास रुम	600	120	480
किचेन	250	100	150
डाइनिंग हाल	800	150	650
स्टोर	250	144	106

© भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agaudelhi.cag.gov.in